राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का दसवां दिवस [संख्या 6

गुरुवार

दिनांक 6 जनवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-58

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-59

श्री जोगेश्वर गर्ग।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

तहसील शेरगढ़ के विद्यालयों में कर्मचारियों के रिक्त पद

60. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? इनमें से किन किन विद्यालयों में किन-किन विषयों के कितने-कितने अध्यापक लगे हुए हैं? कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के व अन्य लिपिक आदि के स्थान रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो इन रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) शेरगढ़ तहसील में 48 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 14 माध्यमिक विद्यालय और 4 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में लगे हुए अध्यापक और अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

②

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) रिक्त पदों को जून, 1994 तक भर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त नहीं है। तीन कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्याशी उपलब्ध कराये जाने पर एल. डी. सी. के पद भरे जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में एक पत्र भी लिखा और उसमें मैंने यह निवेदन किया था कि 18 तो मिडिल स्कूल हैं जिनके अन्दर हैडमास्टर नहीं हैं, दो हायर सैकण्डरी स्कूल हैं और 4 अपने हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनमें विषय के टीचर्स नहीं हैं। आपने कृपापूर्वक लिस्ट तो दे दी, इसमें यह भी आपने बता दिया कि इतने हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान के पद रिक्त पड़े हैं। दूसरी स्कूल में भी इसी तरह से, तीसरी स्कूल में भी इसी तरह से, चौथी स्कूल में भी इसी तरह से। यानि सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके स्थान रिक्त पड़े हैं। हायर सैकण्डरी 4 ही हैं और चारों में ही यह हाल है और आपने जवाब भी यह फरमा दिया कि मैं जून में सबको भर दूंगा। अब एग्जामिनेशन तो हो रहे हैं मार्च के एण्ड में और पद भरे जायेंगे जून में। आप स्वयं भी सोचिये कि इन लड़कों का क्या होगा जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में हैं। 4 तो हायर सैकण्डरी के बताये। सैकण्डरी में आपने इसी प्रकार लिखा कि ये पद हमारे पास रिक्त पड़े हैं। अब मैं इसके लिये आपको दोष नहीं देता क्योंकि आप तो अभी आये हैं लेकिन अगर यह हाल रहा तो क्या यह शिक्षा है, क्या शिक्षा का मतलब है और लड़कों का कैरियर कितना खराब होता है। आज जहां कहीं भी आप जाते हैं, उघाड़े सिर वाले बच्चे बेहद फ्रस्टेट हुए। इस वजह से कि सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं हैं पढ़ाने वाले, तो हम काहे से पास होवे, कैसे पास होवें। यह ऐसी दुर्दशा तो कभी हुई नहीं और मैं आपसे कहता हूं कि कभी होने वाली भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपके जमाने...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे जमाने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 1973 से 1970 में था उन दिनों हमने जितनी स्कूल बढ़ायी थीं, स्टाफ भी उसी अनुपात में बढ़ाया। आप ने, गुरुपरवर, इन पिछले तीन सालों में जो भट्टा बैठाया, मर्जी आये तो आपने स्कूल खोल दीं और उनमें सब्जेक्ट भी खोल दिये, फिर आपने उनकी पूर्ति नहीं की। आपके पास बजट था नहीं। हमने बहुत सोच-विचार करके, शिवचरण माथुर की गवर्नमेण्ट ने आखिर में जो कुछ स्कूल क्रमोन्नत की थीं उनको तो आपने कह दिया कि यह तो ठीक नहीं हैं, हम करेंगे वो ठीक है। आपने किया वो भी मटियामेट और जो पहले हमारे काम किये हुए थे उनका भी भट्टा बैठा दिया। ईमानदारी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : न खुद पढ़े हुए हैं, न दूसरों को पढ़ने देते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : ईमानदारी की बात तो यह है कि शिवचरण माथुर ने जितने स्कूल खोले, उसके बाद में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्य मंत्री बने और बनने के बाद में उन्होंने 'एक विनम्र निवेदन' के नाम से एक किताब निकाली, जो सारे मैम्बर्स को सक्यूलेट की, उस किताब में लिखा हुआ था कि इतने स्कूल खोल दिये, जिसके लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं था । इसलिए आपके जमाने की याद मत दिलाओ ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा जवाब कहां आया ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की, वह वास्तव में चिन्ताजनक स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है । मैंने परसों के प्रश्न के जवाब में भी कहा कि यह सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है व्याख्याताओं के पदों को भरने के लिये । आपके क्षेत्र में 26 व्याख्याता तो लगे हुए हैं । 11 व्याख्याताओं की चार हायर सैकण्डरी स्कूल में पोस्ट रिक्त हैं । व्याख्याताओं के 50 प्रतिशत हम अपनी डी. पी. सी. से भरते हैं और 50 प्रतिशत आर. पी. एस. सी. से जो सलेक्ट होकर आते हैं । तो हमारी तरफ से डी. पी. सी. अप्रेल में पूरी करके भर देंगे लेकिन वहां से जो 50 प्रतिशत पद आने वाले हैं उसकी तो प्रक्रिया पूरी होगी और उसको हम जून तक कर देंगे । यह केवल व्याख्याताओं के लिये था ।

वरिष्ठ अध्यापकों की दृष्टि से 19 पद हैं आपके यहां । 18 पद तो भरे हुए हैं, एक पद खाली है । तृतीय श्रेणी का जो पद रिक्त है वो तो बिल्कुल नगण्य है, थर्ड ग्रेड । सबसे ज्यादा जो संकट है वो या तो हैडमास्टर का है और दूसरा व्याख्याताओं का है । इन दोनों का कारण यह है कि जो डी. पी. सी. और वहां से सलेक्शन होकर जो लिस्ट प्राप्त होनी चाहिए, 50 प्रतिशत, उसकी कमी के कारण यह है । हमने अभी पढ़ाई की दृष्टि से; मैंने उस दिन भी निवेदन किया था आपसे, हमने फिलहाल आल्टरनेट व्यवस्था इस बोर्ड की परीक्षा तक के लिये की है और 15 तारीख तक कोई न कोई टीचर किसी न किसी तरह वहां उस क्लास को लेने के लिये जरूर पहुंच जायेगा । 15 तारीख तक किसी जगह नहीं पहुंचता है व्यवस्था के बाद, कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे व्यक्तिगत बतायें तो मैंने जिन अधिकारियों को कहा है । 15 तक आल्टरनेट सैकण्ड ग्रेड के सब्जेक्ट टीचर उस विषय को पढ़ा कर के बोर्ड की परीक्षा की पूर्ति कर लेंगे, अगर उसमें कमी रह जाती है तो मैं उसे देख करके निश्चित रूप से ठीक कर दूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि आप जो 15 तारीख तक व्यवस्था करने जा रहे हैं क्योंकि सलेक्शन नहीं हुआ, आपके द्वारा 50 प्रतिशत किया जाता है और आर. पी. एस. सी. के द्वारा

(श्री परसराम मदेरणा)

किया जाता है इसमें समय लगेगा, तो आप एडहॉक अपाइंटमेंट कर रहे हैं क्या ? अगर एडहॉक अपाइंटमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या राज्य सरकार का यह इरादा है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं है और सब्जेक्ट टीचर्स इन स्कूलों में एग्जामिनेशन के पहले पहुंच जायें ? मुख्य मंत्रीजी, क्या राज्य सरकार सोच रही है कि एडहॉक अपाइन्ट-मेण्ट हो जाना चाहिए और उस विषय के जो लोग हैं, आज क्वालिफाई तो हैं लेकिन वो मेरिट में सलेक्ट हों या नहीं यह दूसरी बात है, क्वालिफाई टीचर्स का एडहॉक अपाइन्टमेण्ट करके राज्य सरकार इस इमरजेंसी सिचुएशन में जो चिन्ताजनक स्थिति है इसका निराकरण करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों भी बताया था कि ये व्याख्याताओं के जो पद रिक्त है, 28 फरवरी की प्रिपरेशन लीव तक यह संकट रहेगा । 28 फरवरी से यह दसवीं और बारहवीं के बच्चे प्रिपरेशन लीव पर चले जायेंगे और 17 मार्च से इनकी परीक्षा है । इस समय हम एडहॉक अपाइण्टमेण्ट न करके दो महीने में अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और जो हमको 50 प्रतिशत करना है वो तो हम अप्रेल में कम्पलीट करके इनको निश्चित रूप से भर देंगे । अभी हमने आल्टरनेट व्यवस्था केवल यह की है । कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, 100 रुपये पर इन पोस्टों पर राजस्थान में 500 टीचर्स ऐसे विभिन्न विद्यालयों में लगायें । इसके अतिरिक्त लगभग 650 पोस्ट और वैकेण्ट रह जाती है तो उसी विद्यालय में उसी सब्जेक्ट का कोई सैकण्ड ग्रेड टीचर है तो उसको हमने व्याख्याताओं की क्लासेज देकर एक्स्ट्रा मेहनताना दिया है ताकि वो एक्स्ट्रा क्लासेज ले करके इनको पढ़ा दें । किसी स्कूल मे या जिला शिक्षाधिकारी के यहां कोई अधिकारी है और वो सब्जेक्ट टीचर हैं तो हमने उनको दिशा-निर्देश दिया है कि उन सबको आप यहां से मुक्त करके विभिन्न विद्यालयों में भेज दें डेढ़ महीने के लिये, दो महीने के लिये, ताकि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से हो जाये । कोशिश की है और इसमें कमी रह जाये तो आपके सुझाव आयेंगे, उसके अनुसार हम इसमें और कुछ भी जो डेढ़-दो महीने में किया जा सकता है वह करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : वो पूछ रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा था कि मिडिल स्कूल के अन्दर जहां सैकण्ड ग्रेड टीचर आप लगा सकते हो, 17 स्कूल हैं, वो हैडमास्टर से वंचित पड़ी हैं । एक-एक, दो-दो टीचर्स बैठे हुए हैं, अगर आप हैड मास्टर लगा देंगे तो लड़के बिलकुल बेकार तो घूमते नहीं रहेंगे, कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ाई तो होगी । इसलिए वहां टीचर्स/हैडमास्टर लगवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये जरा, वो भी पूछ रहे हैं । हां पूछिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : हाँ पूछिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी प्रकार का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में भी कई स्कूलों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। हमारे ग्राम सिण्डोरा, पंचायत समिति स्तर पर हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें प्रिंसिपल का स्थान काफी समय से रिक्त है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी ओर ध्यान देकर इसे भरवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री डूडी। आपके क्षेत्र में भी है। ठीक है। आप बिराजिये। अमरा रामजी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न है। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, मैं जोधपुर का उदाहरण दे रहा हूं, गांवों की स्कूलों के अन्दर जो लेक्चरर लगे हुए हैं उनका एक-एक पीरियड ही आता है चाहे बॉयलोजी का हो, चाहे केमेस्ट्री का हो और चाहे फिजिक्स का हो। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिनका एक दिन में एक ही पीरियड आता है और चार--पांच अध्यापक लगे हुए हैं उनको आप एडजस्ट करके गांवों की स्कूलों में जो स्थान रिक्त पड़े हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : झुंझुनूं, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर के हमारे भाई-बहिन बहुत अधिक अंक लेकर के....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है, सवाल पूछिये।

श्री अमराराम : सवाल यह है कि पिछड़े जिलों के अन्दर सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, भरतपुर व यू. पी. के अध्यापक और अध्यापिकाएं लग जाती हैं, अंक अधिक होने से अपाइंटमेंट लेकर वापस ऐसे समय के अन्दर, जनवरी, फरवरी में स्थानान्तरण करा लेते हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि ऐसे अध्यापकों और अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष मोटवानीजी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एल. डी. सी. के संदर्भ में कहा कि रिक्त पद हैं वह आर. पी. एस. सी. से लिस्ट आने के बाद भरे जायेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आज से पांच साल पूर्व एक टैस्ट हुआ था जिसमें विसंगति थी। किसी जिले में 35 प्रतिशत अंक वाले को अपाइंटमेंट मिल गया था और कहीं पर 65 प्रतिशत वाले को नहीं मिला था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गयी, 6 महीने हो गये। आपका कमिटमेण्ट है कि उसको पूरी करेंगे। रिक्त पद भी हैं why don't you exhaust that list ? मैं आश्वासन चाहूंगा इस सवाल के माध्यम से कि आप उससे क्यों नहीं भरते हैं।

(6)

श्री अध्यक्ष : भाटी जी । आपका प्रश्न अलग है । बाकी तो वही सवाल है । और लोगों से अलग है इससे अलग नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि रिटायर्ड टीचर्स को लगाने के आदेश सभी क्षेत्रों में चले गये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बुडानिया ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : एक तरफ रिटायर्ड अध्यापक लगाने की बात कर रहे हैं, मार्च में तो परीक्षा हो जायेगी और विद्यार्थियों का जो लोस होना है, वह तो हो जायेगा लेकिन जिन स्कूलों के अन्दर बहुतायत में कमी हैं वहां तो तुरन्त प्राथमिकता से देना चाहिये । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सालासर में दुगड़ महाविद्यालय है····

एक माननीय सदस्य : विद्यालय का प्रश्न है ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : वहां आप हटा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप विद्यालय मान लीजिये । रिक्त पड़े हैं स्थान ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, आप उस जिले में आये हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है । आबादी डेढ़-दो हजार है ।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है । उपाध्यायजी ।

एक माननीय सदस्य : जवाब दिलायें । मिक्स हो जायेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं । मुझे याद है, कुछ नहीं होगा । आपका सवाल खास तौर से याद है ।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष : कमला जी, आप ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि पिछले वर्षों में दो तीन स्कूलों में यह स्थिति हुई थी कि परीक्षा का समय आ गया और उस वक्त तक दो-तीन सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं पहुंचे और वो बच्चे परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हुए थे और उनके लिये नोटिस आ गया । उस वक्त मैंने कहा था कि या तो इन बच्चों की परीक्षा दिलाने के लिये आप इन्तजाम करिये वरना अगर ये नहीं बैठ पायेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी होगी । तब उन्होंने कहीं से डेपुटेशन पर टीचर्स लगाये थे । अब ये कह रहे हैं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर सारी व्यवस्था कर देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नामुमकिन है । न तो रिटायर्ड टीचर्स अचानक से इतने मिलते हैं और न डी. पी. सी. और आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन होते हैं ।

(श्रीमती कमला)

इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ विशेष सब्जेक्ट्स के टीचर्स जिनकी वेकेन्सी ज्यादा है उनके ऊपर से यह एडहॉक का बैन हटायें जिससे उन स्कूलों में टीचर्स पहुंचे और बच्चे परीक्षा देने की स्थिति में हों।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : पूरा सदन उद्वेलित है इस विषय पर।

श्री अध्यक्ष : इसलिए 15 मिनट लगा दिये इस एक प्रश्न पर। मैं सब को अलाऊ कर रहा हूं। गम्भीर है इसलिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा भी प्रश्न है।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, जो पद खाली हैं उनके लिये तो मंत्री महोदय ने बताया कि उनको भर रहे हैं लेकिन कई स्कूल ऐसी है जिनमें बालक तो 6 सौ पढ़ते है और 4 पद ही सृजित हैं और चार अध्यापक ही लगे हुए हैं। बार-बार उनको भरने के लिये कहते हैं तो जवाब देते है कि पद सृजित नहीं है इसलिए लोकल इंस्ट्रक्टर तो वहां लगा नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय बतायें कि जिन स्कूलों में ज्यादा बालक हैं, अध्यापक कम हैं, वहां पद कब तक सृजित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। ·· (व्यवधान) पहले एक बार सुन लीजिए जिन्होंने पहले प्रश्न किये वे आपत्ति कर रहे है कि जवाब आने दीजिए और आप कह रहे है कि पूछें। तो दो बात कैसे चलेंगी ? पहले इतना सैट पूरा हो जाये फिर आपके कोई नये सवाल होंगे तो आ जायेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं उनमें से कुछ के तो आदेश हो चुके हैं लेकिन कई सारे लोग जो शहरों से जाने वाले थे उन लोगों में से अधिकांश लोग नहीं जाकर के अपने स्थान पर बैठें है। इनका जो प्रमोशन हमने किया है वह उसको भी फोरगो कर देते हैं 9--18--27 का लाभ मिल जाने के कारण। वह कहते है हम को प्रमोशन की जरूरत नहीं, सेलेरी तो उतनी मिल गयी है। तो कुछ उसके कारण भी नहीं जाते है। हमने पदस्थापन तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी नहीं गये। 8 ऐसे है जिनका पदस्थापन करना बाकी रह गया वह अतिशीघ्र पदस्थापन कर देंगे।

सामान्यकरण का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्लास 8 है लेकिन अध्यापक नार्म्स के हिसाब से 5 ही दे रखे हैं। पांच से अधिक नहीं दिये जा सकते हैं। इसके लिये मंगलबिहारी कमेटी बनी हुई है हम उनकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे है और एक बार सारे राजस्थान में ये जो पदों को दे रखा है, सृजित कर रखा है उसको फिर से देखकर के रूप और संख्या के नाम के हिसाब से करेंगे। कहीं बच्चे कम है तो अध्यापक बहुत अधिक लगे हुए हैं और कहीं बच्चे अधिक है तो अध्यापक बहुत कम है। फिर समय-समय पर जिस किसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को एडजस्ट करना था वहां नया पद भी सृज्जित कर दिया और अध्यापक भी भेज दिया। बहुत भारी असमानता है शहरों और गाँवों के बीच। रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं उसके प्राप्त होते ही इसको कर देंगे।

एक जो सलेक्शन के लिये अलग-अलग जिलों के लिये मेरिट लिस्ट बनती है, उसके कारण से कहीं पर तो पर्सेण्टेज अधिक जाती है कहीं पर कम जाता है। इस बार प्रयोग किया है सारे राजस्थान में एक ही साथ उनको किया जाये लेकिन उसमें दिक्कत यह आती है कि एक-एक रेंज में 20-20 हजार फार्म आ जाते हैं। वह यहां भी एप्लाई करता है और वहां भी एप्लाई करता है, उसको छांटने में, लिस्ट बनाने में काफी विलम्ब होता है।

श्री किशन मोटवानी : आप समझे नहीं। एल. डी. सी. के सन्दर्भ में एक लिस्ट बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझा दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : आप समझा दें।

श्री अध्यक्ष : दो सवाल हैं। एक तो एडहॉक अपाइंटमेंट के बारे में सरकार क्या सोचती है। दूसरा यह है कि जो एल.डी.सी. की लिस्ट बनी हुई है उसमें से जिनके कम पर्सेण्टेज में नम्बर हैं उनको तो दे दिया गया है और जिनके ज्यादा हैं उनको नहीं मिला है

श्री किशन मोटवानी : सुप्रीम कोर्ट की होल्डिंग है।

श्री अध्यक्ष : हां उसमें कोर्ट भी इन्वाल्व है उसके बारे में क्या विचार है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : शिक्षा विभाग में जहां तक एल. डी. सी. का सवाल है मैं सोचता हूं कि एल. डी. सी. के हमारे यहां बहुत कम पद रिक्त है। सारे राजस्थान में एल. डी. सी. के अलग-अलग विभागों के हैं ..

श्री किशन मोटवानी : मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें, पालिसी मैटर है। What Government has decided about it ? उन एल डी. सी. की लिस्ट को एडजास्ट करना या नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से सम्बन्धित जवाब सुन लीजिए। एक प्रश्न से पूरा निकालोगे तो उचित नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : खुद ने कहा है आर. पी. एस. सी. की लिस्ट आयेगी तब भरेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि एल. डी. सी. के शिक्षा विभाग में बहुत कम स्थान रिक्त है। जो प्राब्लम बतायी वह इनके यहां नहीं है। वह सारे राजस्थान में है। वह जो लिस्ट है उसमें तो सारे एल. डी. सी. है। उसमें केवल शिक्षा विभाग के नहीं हैं।

श्री किशन मोटवानी : मान्यवर, वह तो इस लिस्ट से लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां की बता रहे हैं कि हमारे यहां बहुत कम हैं। बाकी जनरल और कोई सवाल आयेगा तब...

श्री किशन मोटवानी : कम हैं, ज्यादा है पर कैसे भरेंगे? जब यह लिस्ट विद्यमान है तो उससे क्यों नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं ने, वही तो बता रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन एल. डी सी. के पदों को भरने के लिये शिक्षा विभाग अपना अलग से कोई निर्णय नहीं ले सकता हैं। सारे राजस्थान के एल. डी. सी. को सलेक्ट करने का एक तरीका बनाया है, सामूहिक निर्णय होगा, उस समय इसकी ...

श्री किशन मोटवानी : आप गवर्नमेंट से अलग थोड़े ही हैं, It's a policy matter which is to be decided by the govt. महत्वपूर्ण निर्णय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया।

श्री अध्यक्ष : एडहॉक अपाइण्टमेंट के बारे में ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य ने कहा कि सेवानिवृत्त लोगों को लगाने के लिये आपने क्या किया। इसका हमने बार-बार अखबारों के माध्यम से भी कराया। हमारे अधिकारियों को भी हमने दिया है और उन्होंने व्यक्तिगत भी लोगों मे सम्पर्क करके जहां-जहां उनको लिस्ट मिली, व्यक्तिगत पत्र डालकर या मिलकर के भी उनको इस काम में लगाया है। इसिलीए 500 लोग इसमें लगे हैं और शायद 100, 200 इस महीने में और ढूंढ़ कर हम उसमें लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर और डिप्टीडाइरेक्टर जो हैं, उनको आप डाट पिलाइये कि शहर के अन्दर कैसे बैठे हुए हैं। जब गांव के अन्दर उनकी पोस्टिग है और शहर के अन्दर बैठे-बैठे तनख्वाह लेते हैं। एक तारीख को तनख्वाह ले आते है और मजे से शहर में आकर बैठ जाते हैं। वह तो कहते है कि हम उन अध्यापकों में से हैं। यह बहुत गलत तरीका हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री हरिसिंह.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने आश्वस्त किया था, मेरा एक सवाल है.... .... (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : बच्चों के हित में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी परीक्षा तक एडहॉक लगाने की इजाजत देवें और जो डेपुटेशन की पॉलिसी है उसको खत्म करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह ।

विधवा महिलाओं हेतु सहायता/पेंशन योजना

61.श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ऐसी विधवा महिलाओं, जिनके पुत्र होते हुए भी निराश्रित हैं, के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से सहायता/पेंशन दिये जाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त असक्षम विधवा महिलाओं के जीवनयापन हेतु कोई नयी योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां, उन विधवा महिलाओं, जिनके परिवार में 20 वर्ष या अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं है, को 100/- रुपये प्रतिमाह विधवा पेन्शन देने का प्रावधान है ।

परिवार में 20 वर्ष से कम आयु का सदस्य होने पर उक्त सदस्य को 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही विधवा पेन्शन स्वीकृत की जाती है । निराश्रित महिलाओं के लिये राजकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(2) जी हां, ऐसी निराश्रित महिलाओं हेतु महिला विकास केन्द्र संचालित करने की योजना बनायी जा चुकी है । इसमें निराश्रित महिलाओं को आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस योजना को सत्र 1993–94 में ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी दुर्भाग्यवश किसी महिला के पति की मृत्यु ऐसी अवस्था में होती है जबकि केवल एक पुत्री होती है, जिसकी आयु होती है 21 वर्ष और वह भी बिना शादी-शुदा उस समय उसके सामने बड़ी कठिनाई आती है कि वह अपने परिवार का कैसे गुजारा करें । तो ऐसे केसेज में जहाँ पर कि कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है किसी महिला के केवल पुत्री है, जिसकी आयु 21 वर्ष हो गयी है आपकी श्रेणी में नहीं आती, क्या सरकार विधवाओं को पेंशन देने के लिये कोई योजना रखती है ? नम्बर-एक ।

नम्बर दो, 100 रुपये पेन्शन आज के जमाने में क्या कोई कीमत रखती है ? 100 रुपये महीने से किसी भी परिवार का गुजारा नहीं चल सकता और आप कहते हैं परिवार के 20 साल से कम उम्र वाले को सहारा देना पड़ता है । क्या 100 रुपये की इस राशि में बढ़ोतरी के लिये सरकार कोई इरादा रखती है ?

श्रीमती कमला : मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या वृद्धावस्था और....

श्री अध्यक्ष : कमला जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, इन्होंने सवाल पूछा है वह

(श्री अध्यक्ष)

जवाब दे रहे हैं और आप। You are too senior. Well, I am very sorry to say, this is not the way to interrupt. Let him complete his question and answer.

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 21 वर्ष की पुत्री के लिये पूछा है। यदि वह अनमेरिड है और कमाती है तो उसमें पेन्शन नहीं देते। यदि उसकी शादी हो गयी और वह ससुराल चली गयी है ऐसी अवस्था में उनको पेन्शन देते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने निवेदन किया कि अगर वह कमाती नहीं है....

श्री अध्यक्ष : वह यह कह रहे हैं कि कमाती भी नहीं है और शादी भी नहीं हुई है।

श्री मदन दिलावर : सामान्यतया हम ऐसी महिलाओं को पेंशन देते हैं। पुत्री की स्थिति में जब पुत्र होता है तो हम पेंशन नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : पुत्री की पूछ रहे हैं, देते हैं? 100 रुपया पूछ रहे हैं, कम है उसके बारे में कोई विचार ?

श्री मदन दिलावर : 100 रुपया गुजारा भत्ता नहीं है। सामान्यतया उनका छोटा - मोटा खर्च चलाने के लिये है।

श्री हरिसिंह : 100 रुपये में बढ़ोतरी करने का क्या सरकार का विचार है? और नहीं है तो इसलिए नहीं है कि सरकार के पास कुछ नहीं है, महिलाओं के लिये। विधवाओं को पैसा देने को पैसा नहीं है....

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह विचार करेंगे, अब आगे क्या किया जा सकता है, इसको देखना है।

श्री अध्यक्ष : आप, कमला जी, पूछिये। आपके दो सप्लीमेंट्री हो गये हैं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को पहले भी मैंने अपने शासनकाल में उठाया था। वृद्धावस्था का भी और यह भी। जो शर्तें इसमें लगा रखी हैं, उनके मुताबिक किसी को भी यह लाभ मिलने का मौका नहीं मिल रहा। इक्का-दुक्का कोई केस होगा। अगर वह लड़का भी है, और कमाता भी है तो भी आप मान लीजिए, यह ज़रूरी नहीं है कि वह उसकी मदद करें। इसी तरह जो वृद्ध पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनके इतनी जमीन होगी, तो नहीं देंगे, उनके कमाने वाला लड़का होगा तो नहीं देंगे। अब वह वृद्ध है पुरुष या स्त्री जो भी है। तो खेत पर जाकर न तो वे कमा सकते, न अपनी जमीन जायदाद को रखने की स्थिति में होते हैं। इसलिए यह जो शर्तें लगी हुई हैं, इन दोनों-तीनों केसेज में, इस बारे में मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि बिना शर्त के यह सुविधा मिलनी चाहिये। शर्तों के कारण अधिकतर लोगों को यह सुविधा मिलने में असमर्थता हो रही है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष जी, यह सहायता के नियम आज के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बने हुए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। आपके जमाने में भी यही नियम थे, उस समय भी नियम इसी प्रकार के थे। इन नियमों में जिस तरह की समस्या आज आप बता रही हैं, उस समय भी संशोधन किया जा सकता था, लेकिन इस हार्डसिप को रिमूव करने के लिये इन नियमों पर पुनर्विचार राज्य सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरजीराम बुरडक।

राजस्थान राज्य बीज निगम

62. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम की हिस्सा राशि कितनी है और कुल घाटा कितना है ?

(2) निगम की आडिट रिपोर्ट में शुरू से लेकर अब तक जो एतराज हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये है।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निगम को स्थानान्तरित की गयी सम्पत्तियों का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(4) निगम एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके लिए कम्पनी कानून की पालना करना आवश्यक है ? यदि हां, तो लेखे तैयार करने, लेखों पर विचार करने बैलेन्स-शीट तैयार करने आदि के मामलों में कम्पनी कानून की कहां तक पालना हुई है ?

(5) निगम द्वारा कम्पनी का उल्लंघन करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री ज्ञान सिंह) : (1) निगम की अधिकृत पूंजी रुपये 400 लाख है व अभिदत्त पूंजी रुपये 235.40 लाख है। कुल घाटा वर्ष 92-93 तक 687.64 लाख है। वर्ष 89-90 तक का अपेक्षित घाटा रुपये 636.18 लाख व 90-91 से 92-93 तक अन-अंकेक्षित खातों के आधार पर रुपये 51.46 लाख है।

(2) आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है।

(3) स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर दिया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष 89-90 तक के खातों का अन्तिमीकरण करवाकर वैधानिक अंकेक्षण व महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जा चुका है तथा वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। शेष वर्षों के खातों के अंकेक्षण हेतु वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा की जानी है, जिसके लिए निवेदन किया जा चुका है।

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय पर

(श्री ज्ञान सिंह)

खातों को वार्षिक साधारण सभा में स्वीकार्य रखा जाना चाहिए। लेकिन अंकेक्षण कार्य समय पर पूर्ण न होने के फलस्वरूप निर्धारित समय पर खाते पूर्ण नहीं किये जा सके। इस प्रकार किसी विशेष अधिकारी के कारण कम्पनी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, अंकेक्षण आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है। निगम की पहली वार्षिक रिपोर्ट के साथ जो आडिट रिपोर्ट थी, उसको लेकर के 12 वीं रिपोर्ट तक अंकेक्षणों पर वहीं आक्षेप हैं, जो शुरू में किये गये थे और उसमें मुख्य रूप से ऐसे आरोप हैं आडिट सर्टिफिकेट्स में, सब में यह लिखा है कि हमारे सामने सही रिकार्ड पेश नहीं किया है। दूसरा, इसमें यहां तक लिखा है कि यह जो बैलेन्स-शीट है, वह सही नहीं है और उनका जो रिकार्ड रखने का तरीका है वह सन्तोषजनक नहीं है। अब 12 वीं रिपोर्ट आपने पेश कर दी। दो-तीन रिपोर्टें आपको और पेश करनी है। इसके बाद भी अंकेक्षण आक्षेपों का निराकरण किया जा रहा है, तो आप कब तक करते रहेंगे ?

दूसरे उत्तर में बताया है कि स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन भी कर लिया गया है। आडिट रिपोर्ट में यह भी बराबर शुरू से लेकर आखिर तक था। अब आपने कर लिया तो कितना मूल्य हुआ और पहले एडहाक जो आपने किया था उसमें कितना था और इसके अलावा बैलेन्स-शीट में क्या अन्तर आया ? आपका घाटा कितना बढ़ा ? क्योंकि आपने एडहाक मूल्य तय किये थे। सब समितियों का बराबर एक ही मूल्य तय किया गया था जबकि डेप्रिसिएशन के लिये मशीन, भवन, भूमि इत्यादि का अलग-अलग होता है, यह बार-बार आडिटरों का एतराज था। इसलिए आप यह बतायें कि अब आपका मूल्य क्या है और पहले आपने क्या किया और बैलेन्स शीट में इसका क्या अन्तर आया ? इसका आप उत्तर दें। इसके बाद में....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञान सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदन ने कुछ आडिट आक्षेपों का जिक्र किया। जहां तक आडिट आक्षेपों का प्रश्न है, मैं सदस्य महोदय की इस बात से तो सहमत हूं कि इस मामले में देरी हुई। देरी इसलिए हुई कि कार्पोरेशन का गठन हुआ था 1978 में, उसके बाद 1983-84 में आडिटरों की नियुक्ति हुई, उन्होंने पांच वर्ष के बाद 1992 में अपनी रिपोर्ट दी। कम्पनी कानून के अन्तर्गत 18 महीने के बाद जो लेखे प्रस्तुत करने चाहिए थे इस वजह से वे प्रस्तुत नहीं कर पाये।

दूसरा इन्होंने कहा कि लेखों का सही प्रारूप प्रस्तुत नहीं कर पाये। 1992-93 में सीड कार्पोरेशन ने नियम बनाये कि सारी इकाइयों में एकरूपता हो इसलिए उनको एक जैसे रजिस्टर और एक जैसी

(श्री ज्ञान सिंह)

केश-बुक जारी की। 1992-93 में जूनियर अकाउण्टेण्ट, अकाउण्टेण्ट लगाये गये। उसके बाद में मैं यह समझता हूं कि इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है।

जहां तक इन्होंने सम्पत्ति हस्तान्तरण की बात कही, सम्पत्ति हस्तान्तरण का मामला 15 साल से वास्तव में पैण्डिंग था जिसके पीछे कारण थे। कृषि विभाग से जो सम्पत्ति हस्तान्तरण की गयी कार्पोरेशन को, उसमें काफी पुराने भवन थे, काफी पुरानी मशीनरी थी। उनके अलग-अलग कम्पनियों से हिसाब-किताब मांगे गये, बिल मांगे गये। उसके बाद 1969 के बी. एस. आर. के तहत उन पुराने भवनों का मूल्य निर्धारण किया गया। इन कारणों की वजह से यह देरी हुई। जब अगस्त में साधारण सभा की बैठक हुई थी, खुद सदस्य महोदय वहां मौजूद थे, इन्होंने यही सुझाव दिया था कि जो सम्पत्तियां हस्तान्तरित की गयी हैं उनके मूल्यों का शीघ्र निर्धारण किया जाये। सदस्य महोदय को खुशी होगी कि सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करके पिछली 27.12 को जो साधारण सभा की बैठक हुई उसमें इसका अनुमोदन करा लिया गया।

जहां तक पीछे की सम्पत्ति और इस सम्पत्ति में फर्क का मसला है, पीछे 12 लाख रुपया सम्पत्तियों का मूल्य आंका गया था और अब जो मूल्य आंका गया है वह 11 लाख 24 हजार 466 रुपए 4 पैसे आंका गया है। इस प्रकार करीब 12 लाख का जो अन्तर है वह अन्तर इस प्रकार आ पाया।

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने यह पूछा था कि सम्पत्ति के मूल्य ह्रास के कारण बैलेन्स शीट में जो अन्तर आया वह क्या है ? वह नहीं बताया। दूसरा आपने यह कहा कि सम्पत्ति ट्रांसफर करने में टाइम लगा क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट की सम्पत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि जिस दिन से यह निगम बना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेटरी इसका चेयरमैन है और डायरेक्टर एग्रीकल्चर इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। वहां से इनको जानकारी लेनी थी इसलिए यह सम्पत्ति का सही मूल्यांकन नहीं हुआ, एक मामूली-सी बात थी।

वार्षिक लेखे जो इन्होंने रखे उसमें कम्पनी कानून में यह प्रोविजन है कि छह महीने में रखने चाहिए। यह भी प्रोविजन है कि छह महीने पुराने अगर कोई लेखे हो जाते हैं तो वे आम सभा में नहीं रखे जा सकते और न उन पर विचार किया जा सकता है। 5-5, 7-7 वर्ष के बाद इन्होंने लेखे रखे हैं और इसके लिये उत्तर में यह बता दिया कि कोई विशेष अधिकारी दोषी नहीं है कोई तो दोषी होगा जो इस कम्पनी को चलाता है ? कम्पनी कानून में ये सारे के सारे फौजदारी आफेंस हैं। इसलिए इसका पूरा अन्तर दिया जाय या इसको आधा घण्टे की चर्चा के लिये आप मंजूर करें।

श्री ज्ञान सिंह : जहां तक सदस्य महोदय ने यह पूछा कि पूंजी विनियोजन से

(श्री ज्ञान सिंह)

कितना ह्रास हुआ, तो भारी मात्रा में पूंजीगत विनियोजन के कारण, वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक 286 लाख 53 हजार रुपए का प्रावधान करना पड़ा और मूल्य ह्रास के पश्चात् सम्पत्तियों का मूल्य घट जाने के कारण 1990-91 से मूल्य ह्रास की राशि भी कम हुई है, इसका लाभ अगले वर्षों में मिल सकेगा।

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने यह नहीं पूछा है। मैंने पूछा है कि मूल्य ह्रास के कारण आपकी बैलेन्स शीट में क्या अन्तर आया ? आप समझे ही नहीं प्रश्न को।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको स्थगित कर देते हैं, आगे पूरी तैयारी कर लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। मैम्बर रहे हैं, इनके सामने यह प्रश्न था। उसके ही खिलाफ है। इस पर विचार करिये आप। अध्यक्षों की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री ज्ञान सिंह : इससे सम्बन्धित भी नहीं है यह प्रश्न। इस पर जो सारी बातें उठायी हैं उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इसको स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न कर लें इसकी वस्तुस्थिति मैं बताना चाहूंगा। यह सीड कार्पोरेशन 1978 में बना। जो माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ रहे हैं, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और उन्होंने इस सारे विषय का एग्जामिनेशन किया है, उनको शायद यह जानकारी होगी कि 1978 से लेकर तीन साल पहले तक इनके अकाउण्ट्स भी फाइनल नहीं हुए।

श्री हरजीराम बुरडक : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूं। अकाउन्ट्स फाइनल न करना कम्पनी ला का उल्लंघन है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। अब हम सारे अकाउन्ट्स फाइनल करने की स्थिति में आ गये हैं। केवल तीन वर्षों के अकाउन्ट्स बाकी हैं 1990-91, 1991-92 और 1992-93। 1983-84 का आडिट कराया 1987 में और आडिट रिपोर्ट आयी 1992 में। इसी प्रकार से 1984, 1985, 1986, 1987 और 1988 के आडिट कम्पलीट हुए 1992 में और 1993 में। आडिट आब्जेक्शंस में यदि कोई गबन या बाकी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं उन सब मामलों की तो जांच हो रही है, लेकिन जितनी भी आडिट रिपोर्ट आयी हैं या अकाउन्ट्स रखे हैं वे सब रख दिये गये कम्पनी ला बोर्ड के अनुसार बोर्ड में और बोर्ड ने इन सबको एप्रूव कर दिया है। फिर भी यदि आपको इस बात की कोई जानकारी हो कि इस सारी आडिट रिपोर्ट में अमुक प्रकार के आडिट आब्जेक्शन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो सरकार उसमें कोई कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हीरालाल ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि आपने सीड कार्पोरेशन के बारे में किन-किन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे ? उसके बाद में जब आप सत्ता में आये, क्या आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह याद होगा कि मैंने किस-किस पर आरोप लगाये थे, उनका उल्लेख कर दें तो मुझे भी याद हो जायेगा ।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन मेरा एक सवाल था जो मैंने पहले भी पूछा था वह रह गया कि जिन्होंने आडिट किया उन्होंने, आप खुद भी मान रहे हैं, 3-3, 4-4 साल तक तो आडिट रिपोर्ट नहीं दी । पहले तो उनको नियुक्त क्यों किया गया ? दूसरा, उनका आडिट सर्टिफिकेट में यह लिखना कि हमारे अंकेक्षण उद्देश्यों से विभिन्न सूचनाएं, स्पष्टीकरण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किये गये तो फिर आडिट क्या हुई ? यह भी आडिट सर्टिफिकेट में लिखा है कि जो बहीखाते रखे हैं उनके अनुरक्षण से हम सन्तुष्ट नहीं हैं, फिर आडिट क्या हुई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका सारा परीक्षण आपने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी में ...

श्री हरजीराम बुरडक : पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में मैं मैम्बर था उस समय यह कार्पोरेशन नहीं था, बाद में आया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पहले था और पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी में यह कार्पोरेशन आया है । ऐसी बात नहीं है । मैं तो इतना ही निवेदन करूं कि 1983-84 के अकाउण्ट्स को जांच करने के लिये 1987 में आडिटर अपाइण्ट हुए । उन्होंने रिपोर्ट दी 1992 में । यह तो आप भी स्वीकार करते हैं कि पांच वर्ष तक वे रिपोर्ट लेकर बैठे रहे । अब आप कहें कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाये तो मैं कह नहीं सकता कि वह किस स्थिति में है और हम क्या एक्शन ले सकते हैं । आफ हैण्ड कहना मुश्किल है । अब रहा यह कि आपने कहा, कई सूचनाएं नहीं दीं उनके कारण से आडिट सर्टिफिकेट में उन्होंने लिख दिया । वह मैं ऐसा समझता हूं कि इसको देख लेंगे कि कौनसी ऐसी सूचनाएं थीं जिन सूचनाओं को रोकने से मैटीरियल फैक्ट्स आडिटर के सामने नहीं आये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने विष्णुजी को पूछा था कि नाम बतायें किसके खिलाफ आरोप लगाये थे, क्या यह सही है कि माननीय रमाकान्त जी के खिलाफ आपने आरोप लगाये विपक्ष का नेता होते हुए, करप्शन के चार्जेज ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे याद नहीं है, मेरी सुन लीजिए ।... (व्यवधान).... मुझे याद नहीं है और माननीय सदस्य की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी के लिये कह दूं कि मैंने कभी आरोप नहीं लगाये।

एक माननीय सदस्य : क्या, क्या कहते हैं ? कभी आरोप नहीं लगाये।

श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : आपको याद नहीं है कुछ ?

श्री अध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी पूछ रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कारपोरेशन के बारे में, मुख्य मंत्री जी ने आरोप नहीं लगाये थे मैंने लगाये थे। मैं आज नहीं बताऊंगा। उनमें से एक विधायक बनकर कांग्रेस पार्टी के सामने बैठे हैं, रमाकान्त जी नहीं हैं यह मैं बता दूं और जरूरत पड़े तो मैं बता सकता हूं, बशर्ते कि आप यह गारण्टी दें कि उनको सजा दिलवाने में आप एतराज नहीं करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के भाग एक में यह बतलाया है कि एक बड़ी रकम घाटे की है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह घाटा किन मदों में हुआ है, किस कारण से हुआ है ? और उसके लिये यदि किसी को जिम्मेदार आपने ठहराया है तो कौन है ? मेरी जहां तक जानकारी है, सीड कार्पोरेशन बाजार से बीज खरीदता है या उत्पादन करता है और उसके बाद उस पर अपना मार्जिन लगाकर उसको बेचता है। तो क्या यह भी बतलायेंगे कि सीड कारपोरेशन सीड खरीदता है और बेचता है, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेन्स है और इसके घाटे के क्या कारण हैं ?

श्री ज्ञान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उन्होंने पूछा कि इसके घाटे के क्या कारण हैं, घाटे के मुख्य रूप से जो कारण मैं जान पाया हूं कि शुरू में इनके यहां गोदाम के सेण्टर वगैरह बनाने में काफी पूंजी को इसमें लगाना पड़ा और उस पूंजी का वर्ल्ड बैंक के जरिये, बैंकों के जरिये काफी ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इस वजह से सारा का सारा घाटा जो पूंजी लगी उससे होता रहा और कुछ पूंजी विनियोजन भी होता रहा और इसके अतिरिक्त जो शुरू की परिस्थितियां थीं, कभी अकाल पड़ा तो साधारण वर्ष मानकर उन्होंने बीज का उत्पादन किया और उस साधारण वर्ष में कई बार अकाल पड़ने की वजह से पूरे बीज का मूल्य नहीं निकल पाया और उसकी नीलामी भी हुई वह साधारण बीज के रूप में, खाद्यान्न के रूप में की गयी। इसलिये 2-3 मुख्य रूप से घाटे के कारण रहे। जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा हमें 1994 में अदा करना था वह 1991 में तीन साल पहले, कार्पोरेशन ने अदा कर दिया और 1991 से बैंक शाखा की किसी भी सुविधा का फायदा हम नहीं उठा रहे हैं। इसलिये प्रगति की ओर तो निश्चित रूप से जा रहा है लेकिन यह पीछे के लागत की वजह से, अकाल की वजह से, पूंजी विनियोजन की वजह से इसमें घाटा हुआ है, और....

(18)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल, नैक्स्ट श्री हीरालाल।

श्री शिवनाथ सिंह : इसकी खरीद में और बेचने में····

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री हीरालाल। आप दो नहीं पूछ सकते।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, पूछ नहीं रहा, एक जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप दो नहीं पूछ सकते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं साहब, जवाब नहीं आया, मैंने जबाब ···

श्री अध्यक्ष : अब जो जवाब आ गया, सो आ गया। आप सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री नहीं कर सकते ···

श्री शिवनाथ सिंह : सप्लीमेण्ट्री नहीं, साहब····

श्री अध्यक्ष : अब जो हो गया, जो जवाब दिया ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी मैंने..

श्री अध्यक्ष : उसके लिये दूसरा तरीका है। आपकी प्रक्रिया में और तरीका है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया के अनुसार चल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यदि आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी प्रक्रिया में उठा लें।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया के अनुसार चल रहा हूं, प्रक्रिया मैं जानता हूं क्या होती है, और····

श्री अध्यक्ष : हां तो वही कर लीजिये···

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके एक भाग का इन्होंने उत्तर नहीं दिया कि किस भाव से खरीदते हो और किस भाव से बेचते हो।

श्री अध्यक्ष : यह किस भाव से खरीदते हो, नहीं, आपने तो यह पूछा था कि खरीदने पर जब आप अपना लाभ लगाकर के बेचते हो तो घाटा क्यों हुआ ? यह पूछा है आपने।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं, यह मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि किस रेट से खरीदते हो और किस रेट से बेचते हो और यह रिकार्ड किया गया है····

श्री अध्यक्ष : अब यह रेट कौनसी पूछ रहे हैं, किस साल की पूछ रहे हैं, अलग से होगा डिटेल में नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री हीरालाल, श्री रामनारायण।

नैनवां क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सहायता ।

63. **श्री हीरालाल** (बामनवास), व **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील नैनवां क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, ऋण एव अनुदान आदि की स्वीकृति गत दो वर्षों में प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभिन्न योजनाओं के तहत उक्त अवधि में प्रारम्भ करवाये गये मकानों में से अब तक कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने अधूरे हैं, कितनों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा कितने निर्मित मकान काम में लिये जा रहे हैं ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) अपूर्ण मकानों को पूर्ण करवाये जाने तथा जिन मकानों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उनका कार्य प्रारम्भ करावाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास(श्री अनंग कुमार जैन) :

(1) तहसील नैनवां में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत 2 वर्षों में 120 स्वीकृतियां जारी की गयीं, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत

(2) उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत 120 आवासों में से 101 आवास निर्माण कार्यों का कार्य पूरा हो चुका है। 12 आवासों के कार्य प्रगति पर हैं एवं 7 आवासों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । पूर्ण किये गये सभी 101 आवास उपयोग में लिये जा रहे हैं । विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है ।

(3) अपूर्ण 12 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 7 स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों जिन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं किया, उन्हें शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री रामनारायण ; माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो मकान निर्माण की विभिन्न योजना के बारे में कह रहे हैं, योजनावार और वर्षवार टार्गेट कितने थे क्या वह पूर्ति की गयी ? और पूर्ति नहीं की गयी तो कितनी स्वीकृत करने में कमी रही और दूसरा यह····

श्री अध्यक्ष : अब यही बहुत है, दूसरा बाद में पूछ लेना आप····

श्री रामनारायण : अध्यक्ष जी, इससे रिलेटेड है····

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री पूछ सकते हैं आप, दूसरा बाद में पूछ लेना।

श्री रामनारायण : इसी से रिलेटड है इसलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न में एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, 5 प्रश्न फिर सप्लीमेण्ट्री में एक, दो, तीन, चार, पांच, आप दो पूछ सकते हैं, पूछ लिया, अब बाद में पूछ लीजिये। हां, बताइये।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 43 मकानों की···

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये, थोड़ा जोर से।

श्री अनंग कुमार जैन : स्वीकृति जारी की गयी। वर्ष 91-92 में माडा योजना के अन्तर्गत 10 मकानों की स्वीकृति जारी की गयी। आवासीय अनुदान योजना, तीसरी जो योजना है उसके अन्तर्गत वर्ष 91-92 में 24 मकानों की स्वीकृति जारी की गयी। वर्ष 92-93 में 43 मकानों की स्वीकृति जारी की गयी।

श्री रामनारायण : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि टार्गेट कितने थे, कितनी स्वीकृति है? और जो अपूर्ण मकान आपने बताये, जैसे आप की बराबरी है····

श्री अध्यक्ष : नहीं पहले आपका सप्लीमेण्ट्री तथा उसका जवाब था वह तो आ गया।

श्री रामनारायण : नहीं, वह नहीं बताया····

श्री अध्यक्ष : किन-किन योजनाओं में कितने-कितने मकान बनाये हैं, यह प्रश्न था आप ··

श्री रामनारायण : मैं टार्गेट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप नैक्स्ट सवाल पूछिये। उसका जवाब तो आ गया, दूसरा पूछिये। नहीं पूछना है?

श्री रामनारायण : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, क्या यह सही है कि बराबरी में 12 मकान, आपके मोतीपुरा में काफी मकान, इसके साथ ही आपके पुलेता में काफी मकान और उधारी के हैं, इतने मकान आपके अपूर्ण पड़े हैं, वे किस-किस साल के हैं, क्या आप बता सकते हैं? इससे ज्यादा संख्या है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी····

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सवाल आ गया न ···

श्री रामनारायण : क्या माननीय मंत्री जी रिकार्ड के आधार पर इस सवाल का जवाब सही दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : सवाल के साथ एक्स-प्लेनेशन जरूरी नहीं है। सवाल साफ है आपका।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने मूल उत्तर में निवेदन किया था कि कुल 120 मकानों की स्वीकृति जारी की गयी थी जिसमें 101 आवास निर्मित हो चुके हैं।

श्री रामनारायण : मैं टार्गेट पूछ रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : कम्पलीट हो चुके हैं, 12 कार्यों पर प्रगति ...

श्री रामनारायण : आ गयी, मैंने पढ़ ली ...

श्री अध्यक्ष : अधूरे मकान और जो नयी वह बता रहे हैं ...

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : जितने मकानों की स्वीकृति की गयी, उतना ही टार्गेट था।

श्री रामनारायण : मेरा स्पेसिफिक है ...

श्री अध्यक्ष : चलिये, नैक्स्ट। श्री रतन लाल ताम्बी ...

श्री रामनारायण : मेरा स्पेसिफिक है, क्या यह जो आपने रिकार्ड बताया है, उससे ज्यादा मकान वहां अधूरे हैं? क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

जिला भीलवाड़ा की अधूरी लघु सिंचाई योजनाएं

64. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में कई लघु सिंचाई योजनाएं अधूरी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी कितनी लागत की हैं?

(2) उक्त योजनाएं जो अधूरी हैं क्या सरकार उन्हें विभिन्न मदों से पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री देवी सिंह भाटी) : (1) जी हां। सूची एवं लागत का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। अधूरी योजनाएं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पूरी की जायेंगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय का जो उत्तर है, वह अधूरा है। इस प्रश्न के भाग एक में आपने यह बताया, जो सूची आपने हमें दी है उसमें 21 सिंचाई योजनाएं अधूरी भीलवाड़ा जिले में आपने बतायी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की 3 योजनाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं जो अधूरी हैं, घोलेश्वर, मारुड़िया तोड़, मामादेव नाथुन....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी ले रहे हैं कि दे रहे हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या, साहब ?

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी ले रहे हैं कि दे रहे हैं ?

श्री रतन लाल ताम्बी : जानकारी इनको नहीं है वह तो दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं, दीजिए, अच्छा है, दें ।

श्री रतन लाल ताम्बी : बाकी मैं बात करूंगा । तीन तो ये योजनाएं शामिल नहीं हैं, कृपा करके इनको अधूरी योजनाओं में शामिल कीजिये । दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि सातवीं योजना तीन हजार करोड़ रुपये की पहले थी । और आठवीं योजना 11,500 करोड़ रुपये की 283 प्रतिशत ज्यादा होते हुए और इस वर्ष 46 प्रतिशत जैसा आपने बजट भाषण में बताया, कुल खर्चा हुआ योजना मद में । तो मैं, सिंचाई मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि योजना में इतने रुपये हैं, सिंचाई की व्यवस्था को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, किसानों के हित की बात भी करती है तो यह 13 करोड़ रुपये की योजना भीलवाड़ा जिले की अधूरी हैं, क्यों नहीं इसमें आप शामिल करवा रहे हैं, आप अपने प्रभाव का उपयोग करके इसको शामिल करवाने का कष्ट करें ।

दूसरा, मैं मुख्य मंत्री महोदय को स्मरण दिलाना चाहता हूं, 1990-91 में जब आपके नीति निर्धारण सचिव मीठालाल जी मेहता थे तब इनमें से अधिकांश योजनाएं आपने स्वीकृत करा कर भेजीं और उसके चार दिन बाद आपने तार भेज दिया कि इनको अन्य योजना में शामिल कर रहे हैं इसलिये जावहर योजना में काम प्रारम्भ नहीं करें । तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, उसके बाद तीन बार लगातार वर्ष आगे निकल गये योजनाओं के, उनमें इन योजनाओं को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है और इस कारण इसकी बी एस. आर. रेट इतनी बढ़ गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 85 लाख की योजना थी ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया न ।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं साहब, बात समझ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : तो यह इन्फार्मेशन उनको बोलने दें, सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री में करिये अब आप ।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है । हो गया आपका सवाल ।

श्री रतन लाल ताम्बी : क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो पूछा है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : पूछा नहीं, मैं आगे अनुरोध कर रहा हूं उसको एक साथ कहलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है । आपको भाषण देना हो ।

श्री रतनलाल ताम्बी : भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं तो केवल काम चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं ...(व्यवधान) ... बांध बन गये तो नहरें नहीं बनीं ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करेंगे, जवाब आयेगा । फिर सवाल करेंगे तो कुछ निकलेगा । अब आप भाषण ही देते जायेंगे तो जवाब भी कुछ नहीं आयेगा और आपका खाली रिकार्ड हो जायेगा । कोई मतलब ही नहीं रहेगा प्रश्न का ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जहांजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सूचना दी कि तीन अधूरी निर्माण कार्य योजनाएं थीं वह इस सूची में शामिल नहीं हैं । तो इनकी मैं जानकारी कर लूंगा, यदि छूट गयी हैं तो शामिल कर ली जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय, मूल में ये योजनाएं एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. में स्वीकृत की गयीं थीं और कुछ फेमिन में ।

श्री रतनलाल ताम्बी : कुछ विभागीय भी हैं ।

श्री देवी सिंह भाटी : विभागीय इसमें नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जैसा-जैसा योजनाओं के तहत बजट आवंटित किया गया, कार्य काफी करवाया गया । अब इसमें अलग से कोई बजट का प्रावधान हो या अलग से योजना आये तभी ये कार्य पूर्ण किये जा सकते हैं । यदि थोड़े बहुत बजट की आवश्यकता होगी तो मैं प्रयास करूंगा । जैसे किसी में 4 लाख का, 5 लाख का काम बाकी है तो यह अतिशीघ्र पूरा कराया जायेगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जर्मन ऐड में कुछ स्कीमें भेजी जा सकती हैं । मैं जब सिंचाई राज्य मंत्री था, दो स्कीमें भेजीं, दोनों स्वीकृत होकर आ गयीं, काम चल रहा है । इसलिए आपके पास पैसा नहीं है तो इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को जर्मन ऐड में शामिल करवायें । जवाहर योजना में, अकाल में लीजिये, कहीं न कहीं इनकी व्यवस्था होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मूल में समस्या यह आ रही है कि जो बीसलपुर का कैचमेंट एरिया है उसमें आपकी 13 अधूरी योजनाएं हैं, उसके अन्दर पाबन्दी लगी हुई है, क्योंकि मूल में जो बड़ा बांध बना है वह कैचमेंट एरिया में आता है । इसके ऊपर अभी राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है । जैसे ही निर्णय हो जायेगा, इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध के निर्माण पर....

श्री अध्यक्ष : आप दो सवाल पूछ चुके हैं। दो ही सवाल पूछ सकते हैं। सवाल से सवाल पैदा करते जायेंगे तो there will be no end to it. श्री रामनारायण चौधरी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाडेट (मण्डावा) में अध्यापकों के रिक्त पद

65. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाडेट में कितने अध्यापकों के पद कितने समय से खाली पड़े हुए हैं? पद खाली रहने के क्या कारण हैं?

(2) यह खाली स्थान कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) इन पदों को खाली रखने के लिए कौन जिम्मेदार है?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया):

(1) सेवानिवृत्ति के कारण सितम्बर, 1993 से प्रधानाध्यापक का एक पद रिक्त है।

(2) जून, 1994 तक भर दिये जायेंगे।

(3) कोई नहीं। प्रशासनिक प्रक्रिया की पूर्ति में समय लगने के कारण रिक्त हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह एक ही स्कूल नहीं है, राजस्थान में तो सैकड़ों हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में भी 4-5 हैं। पांच महीने से प्रधानाध्यापक का पद खाली पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के पास जो एलिजिबल टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, बनने की योग्यता रखते हैं, सक्षम हैं, उनकी सीनियोरिटी लिस्ट विभाग के पास है, क्या दिक्कत है सीनियर मोस्ट को प्रधानाध्यापक बनाकर एक दिन में, 24 घंटे में भेजा जा सकता है? आप डी. पी. सी., आर. पी. एस. सी. का नाम लेंगे। जब कभी डी. पी. सी., आर. पी. एस. सी. का सलेक्टेड आदमी आ जाये तब इनको रिवर्ट कर दीजिये। अगर ये इसमें सलेक्ट हो जायें तो ठीक है। लड़कों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और जो लोग एलिजिबल हैं उनको टाइम पर प्रमोशन मिल जायेगा। यह लिस्ट डायरेक्टर एजूकेशन के पास अवेलेबल है। जो सीनियर मोस्ट हैं उनको जितनी जगह हैं उन पर, मान्यवर, अपाइंटमेंट दे दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सैकण्ड ग्रेड में जो उस विद्यालय में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उसको प्रधानाध्यापक का काम विभाग के हिसाब से सुपुर्द है और वह प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा है। मैंने यह कहा कि सैकण्डरी के कम से कम साढ़े छः सौ प्रधानाध्यापक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के पद आज की तारीख में भरे हुए नहीं हैं। इनके कारण से इस प्रक्रिया में जो है, क्योंकि यह डी.पी.सी. सिर्फ 82 तक की ही नहीं है, अब हमने 90 तक की कम्पलीट कर दी है और मैंने अभी आपको परसों ही कहा कि अप्रेल, 94 तक अपने डिपार्टमेण्ट का काम कंम्पलीट करके अप्रेल के लास्ट तक हम अपने हिसाब से जो स्थान हमको भरने हैं, जो वहां से आने हैं 50 प्रतिशत, उनके लिये तो हमको उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, उनको हम लिख सकते हैं, उनसे बार-बार आग्रह कर सकते हैं लेकिन जब तक उनके 50 प्रतिशत पद नहीं आयेंगे, हमारे 50 प्रतिशत की पूर्ति हमने कर ली है और डी. पी. सी. अप्रेल 94 तक की कम्पलीट करके हम अपने पद जो भरने हैं वे भर रहे है। अभी हमने व्यवस्था के लिये जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति, उस विद्यालय में सैकण्ड ग्रेड का उपलब्ध है उसको चार्ज दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। आप मदद कीजिये, इनके पास सूची है, लिस्ट है, एलिजिबल हैडमास्टर हो सकते हैं सीनियर मोस्ट इनके पास। कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहां से लिस्ट नहीं आती तब तक नहीं करते हैं। मैं यह सवाल कर रहा हूं कि जब तक आर. पी. एस. सी. की सूची और डी. पी. सी. की सूची आपके पास नहीं आये तब तक जो सीनियर मोस्ट हैं उनको एडहाक बेसिस पर हैडमास्टर लगाने में विभाग को क्या दिक्कत है ? जब वह आ जायेगी तो ये लोग रिवर्ट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि 90 तक की इनकी डी. पी. सी. कम्पलीट हो गयी है। तो वह जो आप लिस्ट बता रहे हैं वह डीं.पी.सी. में क्लियर हो गयी है, उनको तो लगा ही रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ नहीं हुआ है, मान्यवर, सब फर्जी आंकड़े हैं। न कोई डी.पी.सी. हुई है, न आर.पी.एस.सी. से कोई आदमी आने वाले हैं। आर. पी. एस. सी. हैवीलोडेड है। मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि आर. पी. एस. सी. को आपने इतना काम दे रखा है, छोटे-मोटे काम आप निकाल दीजिये और उसके लिये सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड बना दीजिये अलग से। आर. पी. एस. सी. के पास वह ही छोड़िये जिसके लिये आप मुनासिब समझते हैं। आज हर काम, एल डी.सी. का भी आर. पी. एस. सी. कर रही है। सैकण्ड ग्रेड का अपाइंटमेंट आपका डिपार्टमेण्ट कर रहा है, सैकण्ट ग्रेड टीचर का अपाइंटमेंट आप करते हैं, डायरेक्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव नोट कर लीजिये। इस पर काफी बहस हो चुकी है।

प्रश्न संख्या-66

श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड पहले था आपकी सरकार ने उसको खत्म किया, आपको शायद याद होगा। अब आप चाहते हैं कि सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड बनना चाहिए। तो आप सब लोगों की राय है तो मैं गठन कर दूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जो हमने किया है उसमें एक को भी नहीं करना चाहते हैं क्या? उसको ही डिटो करें तो बात अलहदा है। आपने और भी बहुत से किये है, जो हम नहीं कर सके थे वह आपने किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। यह अच्छा काम है।

श्री अध्यक्ष : मान लिया। नैक्स्ट श्री जुबेर खान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन की यही राय है तो सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड का गठन मैं कर दूं।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको क्या दिक्कत है एडहाक अपाइंटमेंट करने में? .. (व्यवधान) सारे राजस्थान का भला होगा, सारी जगह भर दी जायेंगी।

छोटे दस्तकारों को औजारों हेतु अनुदान

67. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा छोटे-छोटे दस्तकारों के लिए सस्ते औजार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को कितना अनुदान प्रदान किया गया है? इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि अब तक प्राप्त हुई है?

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इन दस्तकारों के लिये टूल-कीट्स कौन-कौनसी संस्थाएं तैयार कर रही हैं?

(3) इस योजना का लाभ किन-किन जिलों को मिल रहा है?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार वितरित किये जाने की केन्द्र प्रतिपादित योजना-अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में राज्य के तीन जिलों क्रमशः उदयपुर, बाड़मेर एवं टोंक का चयन किया गया था एवं केन्द्र सरकार द्वारा 36 लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से राशि सीधे ही जिलों को दी गयी है। इसी प्रकार वर्ष 93-94 में चयनित छः नये जिलों क्रमशः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, जैसलमेर, बूंन्दी के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 23.40 लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से राशि सीधे जिलों को दी गयी है।

(2) राज्य स्तर पर सभी जिलों में प्रमुख पांच व्यवसायों यथा लुहारगिरी, सुथारगिरी, चर्म कार्य, मिट्टी के बरतन, पत्थर की मूर्तियों के उन्नत औजारों की आपूर्ति हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम को अधिकृत किया गया है।

(3) वर्तमान में इस योजना का लाभ राज्य के 9 जिलों क्रमशः उदयपुर, टोंक,

(श्री अनंग कुमार जैन)

बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, जैसलमेर, बून्दी को मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री तो करने दीजिये। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

(12.00 बजे)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आवंटित सिंचित भूमि

58 **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनेक मामलों में कमांड भूमि आवंटित होते हुए व कच्चे खालों से सिंचित रकबा होते हुए, सी.ए.डी. द्वारा सर्वे करके बनाये गये पक्के खालों से असिंचित घोषित कर दिया जाता है जबकि वास्तव में मुरब्बों की सिंचाई हो सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकार जिन्हें पूर्व में कमांड भूमि आवंटित हुई और पक्के खाले बनने पर असिंचित घोषित होने के कारण पुनः सिंचाई में लेने के लिये वर्षों तक अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियंता के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या समुचित व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, किन्तु सिंचित योग्य क्षेत्रफल में डिजाईन मेन्यूअल में कमाण्ड में शामिल करने के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिस क्षेत्र में खालों से सिंचाई हो सकती है उसी क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है।

(2) जी नहीं। पूर्व घोषित कमाण्ड भूमि आवंटितहोने पर एवं पक्के खाले के सर्वेक्षण के समय अनकमाण्ड पाई जाने पर वह भूमि सिंचाई सुविधा पाने की पात्रता खो देती है। अतः उसे पुनः सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती किन्तु ऐसी भूमि समेत उस चक की सारी अनकमाण्ड भूमि के सी.सी.ए. की 5 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भविष्य में सिंचाई विस्तार के लिए प्रावधान रखा जाता है। इस प्रावधान के अन्तर्गत जो भी प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त भूमि कमाण्ड करने के सम्बन्ध में समय समय पर प्राप्त होते हैं उनका यथाशीघ्र प्रावधानों के अनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

जिला नागौर के पर्यटन स्थलों का विकास

59. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) :

(28)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल कौन-कौन से हैं ?

(2) उक्त महत्वपूर्ण स्थलों के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार जालौर के किले पर सुविधापूर्वक आवागमन के लिए सड़क बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार सुन्धा माता मन्दिर में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री-निवास बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में पर्यटन की दृष्टि से जालौर दुर्ग महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महत्व के निम्न स्थल हैं—

(1) सुन्धा माता का मन्दिर

(2) जसवन्तपुरा आरक्षित वन

(3) बाकली बांध

(4) तोपखाना, जालौर

(5) सेवाड़ा (सांचोर) में 12वीं शती का शिव मन्दिर

(2) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को सड़क मार्ग से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के लिये पर्यटन विभाग राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनुरोध करता है। जालौर किले को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये पर्यटन विभाग के अनुरोध पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 70.00 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर को प्रेषित किया है।

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु बजट प्रावधान

66. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समति, बीकानेर ने खाजूवाला बाजार की सड़क के पानी के निकासी की समस्या के समाधान हेतु दो सड़कों को ऊंचा करके बनाने एवं साथ में पानी निकासी करने हेतु अपने बजट में प्रावधान किया है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक जारी हो जायेगी ?

उत्तर

जी हां।

कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर ने अपनी गौण मण्डी यार्ड खाजूवाला के अधीन

(कृषि राज्य मन्त्री)

खाजूवाला को सड़क से पानी के निकास की समस्या के समाधान हेतु सड़कों को ऊंचा करने तथा पानी निकासी हेतु निर्माण कार्य करवाने हेतु अपने बजट में प्रावधान कर मण्डी समिति के प्रस्ताव पारित कर निदेशालय में भिजवाये हैं। चूंकि यह प्रस्ताव अपूर्ण है अतः मण्डी समिति को पूर्ण प्रस्तावमय विस्तृत सूचना भेजने हेतु लिखा गया है। मण्डी समिति से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कंवरसेन लिफ्ट नहर से सिंचाई

60. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कंवरसेन लिफ्ट नहर से लूणकरणसर तहसील के अकाल सम्भाव्य गांवों को मलकीसर पम्पिंग स्टेशन से पानी लिफ्ट करके शेखसर, पाडूसर मनकारसर, धीरदान, घटासर, कागासर, गारबदेसर व कालू सहजरासर तक एवं मुख्य नहर के आर.डी. 287 से 301 के बीच किसी भी उपयुक्त स्थान से पानी उदेशियां, ऊंचाइडा, लाखेरा, खोखराना, खियेरा, खिलेरिया, डूडीवाली बीजरवाली, सुगलाई, अजीवपाना आदि गांवों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। लूणकरणसर, तहसील के गांव शेखसर, पाडूसर, मनकासर, धीरदान, घटासर, कागासर, गारबदेसर व कालू सहजरासर की भूमि का लेवल मलकीसर में पानी लिफ्ट करने के पश्चात् नहर में पानी के लेवल से लगभग 35 फीट से 100 फीट तक ऊंचा है अतः इन गांवों में कंवरसेन लिफ्ट से पानी देना सम्भव नहीं है। मुख्य नहर की बुर्जी 287 से 301 के बीच से खाखराना, उदेशियां, ऊंचाइडा, लाखेरा, खोखराना, खियेरा, खिलेरियां, डूडीवाली, बीजरवाली, सुगलाई, अजीवयाना गांवों की भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं है क्योंकि इन गांवों की भूमि का लेवल इस स्थल पर नहर के आकल्पिक जल स्तर से 64 फीट से 110 फीट तक ऊंचा है।

इन गांवों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का और कोई प्रस्ताव नहीं है। कंवरसेन लिफ्ट का निर्माण 568 क्यूसेक व लिफ्ट की सीमा 60 मीटर तक है व नहर की क्षमता के अनुसार पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है अतः सबसीडरी लिफ्ट कर भूमि को सिंचित करने का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

पाईबालापुरा बांध (बून्दी) की भराव क्षमता

61. **श्री हीरालाल** (बामनवास) एवं **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) पाई बालापुरा बांध (जिला बूंदी) का निर्माण कब करवाया गया था तथा तत्कालीन भराव क्षमता कितनी आंकी गई थी? वर्तमान भराव क्षमता एवं गेज की वास्तविक स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध के पैंदे में मिट्टी का जमाव हुआ है? यदि हां तो कितना?

(3) क्या उक्त बांध के वेस्ट वियर में से निकलने वाले पानी का विवरण अंकित किया जाता है? यदि हाँ, तो इस वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त बांध का कैचमेन्ट क्षेत्र कितना है?

उत्तर

(1) पाईबालापुरा बांध (जिला बून्दी) का निर्माण वर्ष 1956-57 में पूर्ण करवाया गया था। निर्माण के समय इसकी कुल भराव क्षमता 361 मिलियन घन फुट थी। वर्तमान भराव क्षमता बांध के पेटे में मिट्टी आने से कम हो गई है जिसका आंकलन विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

(2) जी हां। बांध में जमा मिट्टी का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है जो विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही सम्भव होगा?

(3) जी हां, इस वर्ष बांध के वेस्ट वियर से कुल 8.00 मिलियन घन फुट पानी निकला है।

(4) बांध का कैचमेण्ट क्षेत्र 154 वर्ग किलोमीटर है।

इन्दिरा गांधी नहर की काश्त भूमि

62. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के के. जे. डी. नहर के चक 15 के. जे. डी. से 21 के. जे. डी. तक मोगो को बिना काश्तकारों को नोटिस दिये तथा काश्तकारों की मांगों के बिना बदला गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मोगे टेल के काश्तकारों की मांग पर सम्बन्धित चक के कृषकों को नोटिस देने के उपरान्त ही ठीक किये गये हैं, जिससे कि टेल के चकों में पानी पहुंच सके।

अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली नहरों की टेलों पर पानी निर्धारित मात्रा में नहीं पहुंच रहा था, इसलिए कृषकों की शिकायतों पर हैड के मोगे अधिक पानी ले रहे हैं, उनको डिजाइन के अनुसार ठीक किया जाये। कृषकों की समस्याओं को मध्य नजर रखते हुये प्रत्येक नहर के मोंगो का हाईड्रालिक सर्वे करवाया गया और

(सिचाई मंत्री)

जांचा गया कि कौन-कौन सी नहरों के कौन-कौन से मोगे अधिक पानी ले रहे हैं। जो मोगे पांच प्रतिशत से अधिक ले रहे थे, उन्हें ठीक करवाया गया।

इसी प्रकार खाजूवाला वितरीका नहर के मोगों का हाईड्रोलिक सर्वे किया गया और सर्वे में 15 के. जे. डी. से 21 के. जे. डी. के बीच के मोगे चक 16 के.जे.डी. 17 के. जे. डी. (ए), 17 के. जे डी. (बी) 19 के. जे. डी. (ए) व 20 के. जे. डी. के मोगे डिजाईन डिस्चार्ज से बहुत अधिक पानी ले रहे थे, जिसको डिजाईन के अनुसार ठीक करने की स्वीकृति सिचाई वृत श्री विजयनगर के पत्रांक 10909 दिनांक 7-12-91 द्वारा जारी की गई। मोगों को ठीक करने से पूर्व सम्बन्धित चक के कृषकों को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नोटिस जारी किया गया और नोटिस देने के उपरान्त ही मोगे ठीक किये गये।

अपूर्ण एनीकट्स का निर्माण

63. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों में बने अधूरे एनीकट्स का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार नारायणपुर, रायसर, महाराजपुरा के अधूरे एनीकट्स का कार्य सम्पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) उक्त तीनों एनीकट्स पर कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत मद से धन राशि उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

(2) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अकाल राहत मद में धन राशि उपलब्ध होने पर रामसर एवं महाराजपुरा के अधूरे कार्यों के बारे में विचार किया जायेगा। नारायणपुर ऐनीकट सिचाई विभाग द्वारा नहीं बनवाया गया है।

(3) रायसर एनिकट पर रू. 3.67 लाख व महाराजपुरा पर 2.25 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है। नारायणपुरा ऐनीकट का कार्य सिचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

बोरोदा बांध (दौसा) से सिंचाई

64. **डा. रामराय शर्मा** (जमवारामगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा के बोरोदा बांध में वर्तमान में कितना फुट पानी है ? किस-किस गांव की भूमि उक्त बांध की नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है ? सरकार बांध की ओर खुदाई कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(डा. राम राय शर्मा)

नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1993 में चैनपुरा और बिनजारों की ढाणी (बापी) मौरा नं. 7 से आगे नहरें कम गहरी होने से काश्तकारों की फसल गल गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन-जिन की सरसों की फसल गल गयी, उनको मुआवजा राशि देने तथा हांसल माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नहर द्वारा अब कब तक पानी छोड़ा जावेगा ? क्या पानी छोड़ने से पूर्व सरकार कमजोर एवं टूटी हुयी नहरों की शीघ्र ही खुदाई कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नहरों में जहां नल पाइप लगे हुये नहीं हैं वहां नल पाइप लगवाने या मौरा बनवाने का सरकार विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा के बोरोदा बांध में दिनांक 4-1-94 को 24 फीट पानी था। उक्त बांध से सिंचित होने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बांध की और खुदाई कराने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि सिंचाई बांधों की खुदाई कराने में होने वाले व्यय की तुलना में लाभ बहुत कम होता है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त नहर 7 जनवरी, 94 को दूसरे पानी के लिए चालू कर दी जावेगी। नहरों की मरम्मत का आवश्यक कार्य पूर्ण करवा लिया गया है।

(4) जी नहीं। नहरों से सिंचाई हेतु पर्याप्त संख्या में आउटलेट बने हुए है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

गलवा बांध (टोंक) की अवाप्त भूमि का मुआवजा

65. श्री रामेश्वर लाल, चौधरी (नावां) एवं श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांध गलवा (टोंक) का निर्माण कब करवाया गया था तथा इस हेतु बूंदी जिले की राजस्व सीमा में आने वाली कितनी भूमि अवाप्त की गई थी ? कृषकों के नाम तथा ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी-किसी कृषकों को मुआवजा राशि दी गई, किस-किस को नहीं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध में बून्दी जिले की राजस्व सीमा में विस्थित भूमि में से कितनी

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

भूमि उसके खातेदार कृषकों के नाम से हटाकर सिचाई विभाग तथा सरकार के नाम पर अंकित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राजस्थान भू-राजस्व (खेती के लिए तालाब तल भूमि का आवंटन) नियम, 1961 के नियम, 6 (क के तहत उक्त भूमि का विशेष आवंटन किया ज चुका है ? यदि हां, तो किस-किस कृषक को किस तारीख को ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गलवा बांध का निर्माण वर्ष 1960 में पूर्ण हुआ था तथा बूंदी जिले की 756.79 हैक्टर (4675 बीघा) भूमि अवाप्त की गई । जिसका विवरण ग्रामवार निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	ग्राम	बीघा बिसवा
1.	गम्भीरा	1936—19
2.	समिधि	120—18
3.	रामपुरा	5—05
4.	चावण्डपुरा	578—16
5.	खासपुरा	55—15
6.	नाहरी	1977- 07
		4675—00 या 756.79 हैक्टर

ग्रामवार कृषकों के नाम की सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है ।

(2) जिन कृषकों को मुआवजा राशि दी गई उनकी सूची परिशिष्ट "ब" में प्रस्तुत हैं एवं जिन कृषकों ने मुआवजा राशि नहीं ली, उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर प्रस्तुत हैं ।

(3) उक्त सूचना राजस्व विभाग (जिला बूंदी) से सम्बन्धित हैं तथा उनसे प्राप्त की जा रही हैं ।

(सिंचाई मंत्री)

(4) भूमि का आवंटन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। अतः यह सूचना राजस्व विभाग से सम्बन्धि है तथा उनसे प्राप्त की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

66. **श्रीमती उजला अरोड़ा** - (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की क्या योजना है? इस हेतु क्या प्राथमिकताए तय की गई है?

(2) उक्त योजना में तहसील जमवा रामगढ़ में कुल कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने की योजना है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 में बजट प्रावधान अनुसार 49 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय प्रत्येक जिले में शिक्षा सुविधाओं का समान वितरण तथा बालिका विद्यालयों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

(2) वर्ष 93-94 में जमवा रामगढ़ तहसील में कोई विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ है। अब विद्यालय क्रमोन्नत की चालू वर्ष में कोई योजना नहीं है।

कन्या माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर की क्रमोन्नति

67. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय के कस्बा लूणकरणसर में कन्या माध्यमिक शाला 20 वर्षों से है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तहसील मुख्यालय पर सीनियर हायर सैकेण्डरी "कला" विज्ञान (बायोलोजी) एव होम साइन्स विषयों में उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत करना जनहित में है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1 व 2) जी हां, आगामी वर्षों में बजट की उपलब्धता एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर क्रमोन्नति के अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लूणकरणसर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा ग्रंथों का प्रकाशन

68. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो गत वर्ष और इस वर्ष कितनी सहायता राशि किस-किस कार्य के लिए दी गई ?

(2) क्या राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा उपरोक्त अवधि में किन्हीं ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया है ? यदि हां, तो प्रकाशित ग्रन्थों की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित संस्था है । यह अनुदान अकादमी के कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों हेतु-यथा वेतन भत्ते तथा आफिस चलाने के खर्चों हेतु दिया जाता है । गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	राशि
1992-93	23,50,000
1993-94	9,70,729
[31-12-93 तक] योग—	33,20,729

इस अनुदान का उपयोग अकादमी के प्रशासनिक व्यय हेतु किया गया है । विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी में ग्रंथ प्रकाशन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

(2) अकादमी द्वारा वर्ष 1992-93 में 25 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं व वर्ष 1993-94 में दिसम्बर 93 तक 15 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं । प्रकाशित पुस्तकों की सूची संलग्न हैं । साथ ही दोनों वर्षों की पुस्तकों की एक-एक प्रति संलग्न सूची के अनुसार सदन की मेज पर रखने हेतु प्रेषित की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें ।)

तहसील लालसोट के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

69. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं

(शिक्षा मंत्री)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की विद्यालय-वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपप्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक (मा. वि.) पद नये सत्र के प्रारंभ तक भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के पद इसी माह भरे जा रहे हैं। व्याख्याताओं के पद भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गई हैं। आयोग द्वारा प्रत्याशी उपलब्ध करवाये जाने पर पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

राजस्थान संस्कृत संस्थान की भूमि पर अतिक्रमण

70. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान संस्कृत संस्थान के लिये आवंटित 7 एकड़ जमीन पर कब्जा संस्कृत निदेशालय द्वारा किस तिथि को संभाला गया ?

(2) निदेशालय द्वारा कब्जा लेने के उपरान्त उक्त भूमि पर कितने अतिक्रमण हुए ?

(3) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी तथा इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

(4) अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

(1) दिनांक 16 जून, 1989 को कब्जा सम्भाला गया।

(2) 14 (चौदह) अतिक्रमण

(3) मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(4) न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।

रामगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के सब-यार्ड का निर्माण

71. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय रामगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर का कोई सब-यार्ड कार्यरत है ? यदि हाँ, तो किस स्थान पर ?

(2) उपरोक्त सब-यार्ड के निर्माण की स्वीकृति कब हुई एवं अब तक इस पर कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

(3) इस सब-यार्ड में किन-किन व्यापारियों की दुकानें कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर की गौण मण्डी, रामगढ़ में चौपड़ा बाजार में स्थित है।

(2) उक्त सब-यार्ड के निर्माण की कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। अतः व्यय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृषि राज्य मंत्री)

(3) गौण मण्डी प्रांगण में कार्यरत व्यापारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना (नागौर) द्वारा सड़कों का निर्माण

72 **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति डीडवाना जिला नागौर द्वारा अब तक कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है? इन सड़कों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

(2) वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन हैं और कौन-कौनसी स्वीकृत हैं?

(3) वर्तमान में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कों हेतु प्रस्ताव मण्डी समिति द्वारा स्वीकृति के लिये भेजा गया है?

(4) कृषि उपज मण्डियों द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम अथवा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना जिला नागौर द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की सूची मय व्यय राशि के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निर्माणाधीन एवं स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति हेतु मण्डी समिति द्वारा नहीं भेजा गया है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव मय अनुमानित तर्कमीने के निदेशालय कृषि विपणन को प्रस्तुत किये जाते हैं। निदेशालय द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् मण्डी समिति राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से नवीन सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्पन्न कराती है।

नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 13(7) कृषि 2/93/दिनांक 1-6-93 एवं आदेश क्रमांक प. 15(2, कृषि-2-बी/87/II दिनांक 21-12-88 की प्रति संलग्न है।

(सूचियों एवं आदेश की प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों का रख-रखाव

73. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी समितियों के धन से निर्मित सड़कों की मरम्मत व देख-रेख की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब कोई व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के धन से निर्मित सड़कों की वार्षिक रखरखाव हेतु कमाण्ड एरिया की सम्पर्क सड़कों के लिए 8,000.00 रुपये प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष एवं गैर कमाण्ड एरिया की सम्पर्क सड़कों के लिए पांच हजार रुपये प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष खर्च करने के मापदण्ड निर्धारित है। मण्डी समितियों को निदेशालय से बिना स्वीकृति के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखरखाव पर व्यय करने के लिए अधिकृत किया हुआ है।

साधारण वार्षिक रखाव के अतिरिक्त जिन सम्पर्क सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और मण्डी समितियां विशेष मरम्मत हेतु प्रस्ताव पारित करती है, उन मामलों में मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृति दी जाती है।

(2) इसका उत्तर प्रश्न भाग एक के उत्तर में अंकित है।

कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुरसिटी में सड़कों की स्वीकृति

74. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी गंगापुरसिटी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां, तो क्या इन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कब करवाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में कुछ सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो उनकी कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण की कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(2) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में

(कृषि राज्य मंत्री)

5 सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है जिनमें से क्रमशः सम्पर्क सड़क गांवडी (0.7 कि.मी.) गांवडी से सहजपुरा (3.5 कि.मी.) सहजपुरा से सखीपुरा (5 कि.मी.) का निर्माण कार्य वर्ष 1982 में करवाया गया। सम्पर्क सड़क खेडली से बिछोछ (2 कि.मी.) का निर्माण 1983 में व सखीपुरा से बामनवास (2 कि.मी.) का निर्माण 1987 में करवाया गया।

(3) जी हां।

इस सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है।

ग्राम रामपुरा (बूंदी) की अवाप्त भूमि का मुआवजा

75. **श्री रामगोपाल बैरवा** (नैनवां) एवं **श्री रामनारायण** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रामपुरा पटवार सर्किल अजेता को भूमि खसरा संख्या 480, 481 में होकर ड्रेन का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त ड्रेन एवं ड्रेन के साथ मिट्टी डालकर बनाई गई सड़क में खड्डियों की जगह सहित किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि उपयोग में ली गई है? ग्राम एवं व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ड्रेन को विभाग किस नाम व नम्बर से जानता है?

(3) क्या उक्त कार्य में काम में ली गई भूमि की मुआवजा राशि किसानों को अदा कर दी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? यदि नहीं, तो अब कब तक अदा कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नम्बर 480 व 481 ग्राम रामपुरा में होकर लगभग 10 वर्ष पूर्व इन का निर्माण किया था, जिसके अन्तर्गत 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि काम में आई। ग्राम खटकड़ एवं रामपुरा में अवाप्त की गई भूमि का विवरण प्रपत्र "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) उक्त ड्रेन को ओंकारपुरा ड्रेनेज जोन नम्बर-8 की कैरियर ड्रेन नम्बर-5 के नाम से जाना जाता है।

(3) जी नहीं। मुआवजे एवं अवार्ड जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न करने के लिए तहसीलदार एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, केशोरायपाटन को लगातार ताकीद की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशन सामग्री पर व्यय

76. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पोस्टर्स, प्रिंटिग्स, फोल्डर्स व नक्शों आदि का प्रकाशन किया जाता है ? यदि हां, तो इस कार्य पर चालू वित्तीय वर्ष व विगत वित्तीय वर्ष में कितना-कितना खर्चा किया गया है ? प्रकाशित प्रकरणों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ?

(2) जिस उद्देश्य से उक्त प्रकाशन प्रकाशित किये गये हैं उस में सरकार को कहाँ तक सफलता मिली है और भविष्य के लिए इस सम्बन्ध में क्या क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पोस्टर्स, ब्रोशर्स, फोल्डर्स व नक्शों इत्यादी का प्रकाशन किया जाता हैं। इन प्रकाशनों पर वित्तीय वर्ष 93-94 में अब तक 11.53 लाख रुपये के कार्यादेश हो चुके हैं तथा वर्ष 1992-93 में 27.79 लाख रुपये व्यय किये गये। प्रकाशित प्रकाशनों में से उपलब्ध पर्यटन साहित्य की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) पर्यटन साहित्य के प्रकाशन का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक संख्या में स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करना है। वर्ष 1983 में लगभग 29.32 लाख स्वदेशी एवं 2.61 लाख विदेशी पर्यटक आये, वहीं वर्ष 1992 में लगभग 52.63 लाख स्वदेशी एवं 5.47 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान के भ्रमण पर आये।

भविष्य में भी पर्यटन विभाग राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में पर्यटन साहित्य का प्रकाशन पोस्टर, फोल्डर एवं नक्शों के माध्यम से करेगा तथा वो स्थान जिनका प्रचार कम हुआ है किन्तु जो पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होने की सम्भावना रखते हैं, उनके बारे में भी पर्यटन साहित्य का प्रकाशन करवाया जायेगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र

77. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और कब से कार्य कर रहे हैं ? इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र धोलेटा में कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं और कब से ? यदि पद रिक्त हैं, तो क्यों ?

(श्री रामस्वरूप)

(3) इस क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक क्या-क्या, कितनी-कितनी सामग्री इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी गई ?

(4) इन क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है और किस-किस का बकाया है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 171 आंगनबाड़ी केन्द्र है, बाल विकास परियोजना टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र अगस्त, 82 से एवं बाल विकास परियोजना नादोती के आंगनबाडी केन्द्र जून, 83 से कार्यरत है। इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "अ"-1 व "अ"-2 सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र धोलेटा में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु मानदेय पर श्रीमती आशा चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रूप में सितम्बर, 85 से एवं श्रीमती स्वरूप देवी सहायिका के रूप में अक्टूबर, 85 से लगातार कार्य कर रही है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक क्या-क्या व कितनी-कितनी सामग्री इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी गई सूची परिशिष्ट ब-1 व ब-2 सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(4) इन क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त कार्यकर्त्ता/सहायिका (कर्मचारी) को मानदेय (वेतन) निम्न प्रकार मिलता हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	मानदेय की नवीन दर दिनांक 2-10-92 से प्रभावी प्रतिमाह
1	2	3
अ-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता		
1.	नॉन मैट्रिक	350/—
2.	नॉन मैट्रिक 5 वर्ष अनुभव	375/—
3.	नॉन मैट्रिक 10 वर्ष अनुभव	400/—
4.	मैट्रिक	400/—
5.	मैट्रिक 5 वर्ष अनुभव	425/—
6.	मैट्रिक 10 वर्ष अनुभव	450/—
ब-सहायिका		200/—

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

किसी का मानदेय बकाया नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जवाहर रोजगार योजना की जमा राशि

78. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी जवाहर रोजगार योजना की राशि जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1991 से वर्ष 1993 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस पंचायत द्वारा किस-किस कार्य में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना की राशि विकास योजना में व्यय नहीं करने के क्या कारण हैं ? तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पंचायत समिति टोडाभीम एवम् नादौती में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वर्ष 1991 से 1993 तक जमा (प्राप्त) राशि की सूचना परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1991 से 1993 तक पंचायतों द्वारा कार्यवार किये गये व्यय की सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पंचायत समिति नादौती की 23 पंचायतों में से 20 पंचायतों के पास मामूली राशि ही शेष है । शेष 3 ग्राम पचायतों कैमला, तिमावा, व रायसना में कोई व्यय नहीं हुआ है जिसके निम्न कारण हैं :—

1. कैमला पंचायत द्वारा रास्ता पटाव का कार्य स्वीकृत किया हुआ है किन्तु रास्ते में नहर का पानी भरा होने के कारण मेटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है ।

2 तिमावा पंचायत द्वारा आयुर्वेद भवन स्वीकृत है परन्तु भवन हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है । जगह की तलाश जारी है ।

3. रायसना पंचायत द्वारा तालाब मरम्मत गिरालावाला का कार्य स्वीकृत किया हुआ है । तालाब में पानी भरा हुआ है जिसके कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

79. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 से 1993-94 के मध्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जिला कलक्ट्रेट के माध्यम से विभिन्न योजनान्तर्गत राशि का आवंटन एवं स्वीकृति पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटडी क्षेत्र के लिये जारी की गई है ? यदि हां, तो वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नियम एवं शर्तों के अनुसार राशि की स्वीकृति तथा उसका उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्येक मद की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, वर्ष 1989-90 से 1993-94 दौरान पंचायत समिति जहांजपुर एवं कोटड़ी क्षेत्र में विभिन्न विकासीय योजनान्तर्गत राशि का आवंटन एवं स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनका कार्यक्रम अनुसार वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 से 7 पर प्रस्तुत है ।

(2) हां । विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित दिशा-निर्देश एवं नियमानुसार स्वीकृत राशि का उपयोग किया गया है । उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 1 से 7 पर प्रस्तुत है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें ।)

अपना गांव अपना काम एवं तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

80. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाया गया "अपना गांव अपना काम" एवं "तीस जिले तीस काम" योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जिला अलवर में पंचायत समितिवार कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों के लिए स्वीकृत की गई ? खर्च की गई राशि के ब्यौरे सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) "तीस जिले तीस काम" योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) एवं पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य जो अब भी अधूरे पड़े हुए हैं, उनको सरकार अब किस योजना के अन्तर्गत कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाई गई "तीस जिले तीस काम" एवं "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत वर्ष 1992-

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

93 एवं 1993-94 में राज्य आयोजना मद से आवंटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) I तीस जिले तीस काम योजनान्तर्गत अलवर जिले में पंचायत समितिवार विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है, तद्नुसार वर्ष 1992-93 में 89.43 लाख रु. के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसके विरुद्ध 64.62 लाख रु. व्यय किये गये। वर्ष 1993-94 में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजनान्तर्गत आवंटित राशि की प्रथम किश्त की राशि रु. 45.28 लाख में से रु. 44.50 लाख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल आपूर्ति कार्यों हेतु हस्तान्तरित की गई। उक्त राशि में से 32 लाख रु. से 17 ट्यूब वैल्स एवं 12.50 लाख रु. की राशि से 50 हैण्ड पम्पस का निर्माण कार्य करवाये जाने थे। विभाग द्वारा माह सितम्बर, 93 तक 31.48 लाख रु. की लागत से 17 ट्यूब वैल्स एवं 19 33 लाख रु की राशि से 58 हैण्ड पम्पस का निर्माण कराया गया। विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि से की गई अधिक व्यय राशि को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही वहन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवार व्यय की राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

II अपना गांव-अपना काम योजनान्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में पंचायत समितिवार कार्यों की संख्या मय स्वीकृत् राशि एवं व्यय के परिशिष्ट "स" पर प्रस्तुत है।

3. तीस जिले तीस काम योजनान्तर्गत पंचायत समिति रामगढ़ में बम्बोली खूंटेटा कलां से शीतल तथा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में गोविन्दगढ़ से खेड़ा महमूद की स्वीकृत सड़क के निर्माण कार्य जो पूर्व में अपूर्ण थे, उन्हें अब पूर्ण करा दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

तहसील नैनवां में कुएं गहरे कराये जाने हेतु स्वीकृत राशि

81. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1990 में तहसील नैनवां के अकालग्रस्त गांवों में विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक कुएं गहरे किये जाने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितने कुओं के लिए कितनी-कितनी ?

(2) उक्त कुओं की स्वीकृत राशि तथा कुएंवार खर्च की गई राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत राशि में से कुछ राशि सार्वजनिक कुएं के बजाय निजी स्वामित्व वाले कुएं पर खर्च करने की शिकायतें

(श्री रामनारायण)

सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां, कुल 155 सार्वजनिक कुओं को गहरा किये जाने हेतु प्रत्येक कुएं पर 5000 रु. की दर से कुल राशि रु. 7.75 लाख स्वीकृत की गई थी।

(2) उक्त कुओं की स्वीकृत राशि तथा कुएं वार खर्च की राशि का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य की पिछड़ी जातियों की सूची

82. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की कोई सूची तैयार की हुई थी? यदि हां, तो किस वर्ष में यह सूची तैयार की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में वर्तमान में कुछ अन्य जातियां भी सम्मिलित की जानी चाहिये? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या मेव जाति को भी अन्य प्रान्तों की तरह यहां राजस्थान में भी अन्य पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के द्वारा मण्डल आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य के लिये प्रस्तावित की गई पिछड़े वर्गों/जातियों की सूची को ही दिनांक 27 अगस्त, 1993 को अधिसूचित किया है, जिसमें 140 जातियां/वर्ग हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) परिशिष्ट "क" पर संलग्न सूची में अन्य जातियां/वर्ग को शामिल किये जाने के लिये राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को छोड़ कर पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनायें तथा उक्त सूची में कम समावेश व अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण कर राज्य सरकार को सुझाव देगा। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जावेगा।

(3) यह राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों/सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास

83. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रावास हैं ? इन छात्रावासों में वर्ष 1990 से अब तक कितना पैसा खर्च हुआ और किस मद पर खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जो छात्रावास हैं उनमें क्या-क्या सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार नादोती एवं टोडाभीम में छात्रावासों के लिए भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जन जाति के 12 कुल 17 छात्रावास हैं । सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । इन छात्रावासों में वर्ष 1990 से अब तक किया खर्चा मदवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित छात्रावासों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(3) जी हाँ । यह राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(सूची एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें ।)

उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के छात्रावास में वार्डन के रिक्त पद

84. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहाँ-कहाँ और कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के छात्रावासों में वार्डनों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्तियों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ, भविष्य में भी आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपयुक्त स्थानों पर प्रारम्भ किये जायेंगे, जो राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

(2) जी हाँ, रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये (व्यवधान) मेरी व्यवस्था सुन लीजिये । फिर बाद में बोलना (व्यवधान)....मेरी व्यवस्था सुन लीजिये ।

(1) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान क्रय विक्रय संघ (राजफेड) में कथित गबन एवं घोटालों की जांच नहीं होने तथा वहां व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में (पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर) रोजड़ों (नील गायों) द्वारा किसानों की फसल को हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री शांतीकुमार धारीवाल और श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोबनेर कस्बे में दिनांक 11-11-1993 को विधान सभा चुनाव के दिन भरे बाजार में एक व्यक्ति की कथित हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति तथा विभिन्न पेयजल योजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(5) श्री परसराम मदेरणा एवं 37 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में विद्युत संकट से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं । माननीय सदस्यों को... (व्यवधान).. दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ।... (व्यवधान)... माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : किसान विरोधी सरकार है क्या ?....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी । बिराजिए.... (व्यवधान) .. आप बिराजिए प्लीज . (व्यवधान).. माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी ....(व्यवधान).... श्री परसराम मदेरणा ।

एक माननीय सदस्य : 12 घण्टे बिजली दी जाये ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट .. (व्यवधान) इस पर तो आप बोल रहे हैं, बिजली के मामले में बोलने की अनुमति दी है, माननीय श्री परसरामजी शुरू करेंगे । 295 के प्रस्ताव जो आये हैं वह मैं बता देता

(श्री अध्यक्ष)

हूं, उसकी व्यवस्था भी सुन लीजिए (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल कैसे नहीं है यह ? लोक महत्व का सवाल तो यही है.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था सुनना नहीं चाहते हैं।... (व्यवधान) बोलिए, श्री परसरामजी आप बोलिए।... (व्यवधान)....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : किसानों की खेती खराब हो रही है, फसल सूख रही है और इसको लोक महत्व का नहीं बता रहे हैं। ....(व्यवधान) ....अध्यक्ष महोदय लोक महत्व का प्रश्न है और सारी चर्चा रोक करके इसको....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : इस पर चर्चा शुरू करवायें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है।

श्री रतन लाल ताम्बी : सारी चर्चा रोक कर इस पर चर्चा शुरू करवायें।... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : 12 घण्टे बिजली दी जाय।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, आप मेरी इज्जत न रखें, नेताजी की तो रखें।.. (व्यवधान)....

श्री रतन लाल ताम्बी : लोक महत्व का कैसे नहीं है ? आप इस शब्द को वापस करवाइये।... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर को राजस्थान के अन्दर बिजली का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ था। इस राज्य सरकार ने आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसके प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है और इस संकट को टाइड ओवर करने के लिये उन्होंने जो 5 कदम उठाये हैं उनका भी उल्लेख किया है और इस बात से सदन को आश्वस्त किया गया था कि अब स्थिति सामान्य बन गयी है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कृषि क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं को, जिनकी संख्या 4 लाख 42 हजार है, बिजली की आपूर्ति न तो समुचित है और न निरन्तर है तो राजस्थान विद्युत मण्डल ने जो निर्देश दिये हैं उन निर्देशों के अनुसार कई कृषि उपभोक्ताओं को तो 3 ब्लाक्स में बिजली मिलती है और ज्यादातर को 4 ब्लाक्स में बिजली मिल रही है। बिजली की आपूर्ति इतनी इनएडिक्वेट है, वोल्टेज गिरा हुआ है और जो ब्लाक्स निर्धारित कर दिये गये है उनकी अवधि 6 घण्टे रखी है, और 6 घण्टे बिजली कहीं पर भी नहीं मिल रही है। राज के जो ब्लाक्स हैं उनमें पी. एम. से

(श्री परसराम मदेरणा)

4 ए.एम. के समय में कहीं-कहीं पर बिजली 5 घण्टे, 4 घण्टे और 3 घण्टे मिलती है और बहुत सी जगहों पर बिजली 2 घण्टे से भी कम समय में मिलती और कई जगहों पर ट्रिपिंग होता चला जा रहा है। ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं, काश्तकारों की मोटरें जल रही है। ट्रांसफार्मर्स रिपेयर नहीं हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही वेदना और दुःख के साथ यह बात निवेदन करनी पड़ रही है कि इससे ज्यादा कोई भी अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकता था जिस पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा की जाती। लेकिन क्योंकि आपने व्यवस्था दे दी है तो मैं राज्य सरकार से और ऊर्जा मंत्रीजी से ही निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नीति सम्बन्धी बातें तो आपने कुछ कही नहीं है, क्योंकि नीतियां तो अब बनाने जा रहे हैं और समस्या जो राजस्थान की जनता के सामने हैं उनके समाधान के उपाय भी खोजने में आप लगे हुए हैं। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ब्लाक्स बनाये हैं बिजली के एडिक्वेट बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है काश्तकारों को, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो उनकी लागत बीज, खाद और बुवाई पर आयी है, वह उनकी आंखों के सामने बरबाद हो रही है और काश्तकार बहुत परेशानी में हैं। 4 लाख 42 हजार काश्तकार उपभोक्ता हैं, बहुत से कुओं पर 6-6 भागीदार हैं, बहुत से कुओं पर 4,3,2-2 भागीदार हैं। हमारे उधर। लाखों फैमिलीज को वहां पर रोजगार मिल रहा है इस रबी की फसल के समय इन कुओं के ऊपर। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सर्दी के मौसम की वजह से, पानी की एडिक्वेट सप्लाई नहीं होने की वजह से, 6 घण्टे बिजली नहीं मिलने की वजह से, वोल्टेज रेगूलर नहीं रहने की वजह से, ट्रिपिंग होने की वजह से आज सर्दी के मौसम में बीमारियां उत्पन्न हो गयी हैं, एक चौथाई फसल बरबाद हो चुकी है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अविलम्ब काश्तकारों को, उनकी फसल पकने में दो महीने का समय है, आगे जो पीरियड आता है 15 मार्च के बाद का, तब तक करीब-करीब फसल पक जाती है कुछ इलाकों को छोड़कर जहां बुवाई लेट होती है सर्दी की वजह से, उसके बाद में आप दूसरे क्षेत्रों को एडिक्वेट बिजली दे सकते हैं।

जब आपने यह सब व्यवस्थाएं कर दीं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने इसके 5 उपाय किये हैं और यह बताया है कि कोटा की चौथी इकाई पर 21 दिसम्बर की रात्रि से काम चालू हो गया है और 45 लाख यूनिट बिजली दे रही है सभी थर्मल इकाइयां राजस्थान में पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन कर रही है मध्यप्रदेश से भी आप 50 से 100 मेगावाट के बीच में बिजली ले रहे हैं, नार्दर्न ग्रिड से ओवर ड्रा कर रहे हैं 40 से 60 लाख यूनिट के आस-पास। जब आपने

(श्री परसराम मदेरणा)

भारत सरकार से बात करके गैस की सप्लाई में बढ़ोतरी करवा दी है, आपूर्ति पूरी हो गयी है, एन. टी. पी. सी. की दादरी लाइन भी 26 दिसम्बर से ठीक होकर चालू हो गयी है, पश्चिमी ग्रिड के अन्दर भी सिंगरोली और रिहन्द के बीच में जो कनेक्शन थे वह रेस्टोर कर दिये गये हैं। सारी बिजली मिल रही है। ऐसी स्थिति में जो डिमाण्ड और सप्लाई का गैप है वह तो सी. ई ए की 14 वीं सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसका उल्लेख आपने प्रारम्भ में किया है और वह निरन्तर बढ़ता रहेगा। इसलिए बिजली उत्पादन की बात कह रहा था वह मैं एक पालिटिशियन की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, मैं एक स्टेट्समैन की हैसियत से और राजस्थान की बहबूदी और राजस्थान की प्रगति की बात को ध्यान में रखकर कर रहा हूं। और जो मैं यह बात कह रहा हूं, मैंने अपनी रेडियो स्पीच में भी कहा है वह किसी भी सरकार के लिये, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आये, यह क्षतिपूर्ति होना बहुत मुश्किल है और राजस्थान की प्रगति को 10 साल का धक्का लगा है। यह स्थिति डिमाण्ड और सप्लाई की है। नार्दर्न जोन में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, 2-3 राज्य तो सरप्लस में हैं, पंजाब वगैरह, मैं उनकी बात नहीं करता, अपने शेयर के सम्बन्ध में हम भी आपके साथ में हैं शेयर लेने के लिये, जो अनुभव पन बिजली घर को उपलब्ध रहना चाहिये, राज्य सरकार हमेशा उसमें सतत् प्रयास करती रही है लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है। आज जो हमारे सामने संकटपूर्ण स्थिति बिजली की खड़ी हुई है खास तौर से कृषि के क्षेत्र में, मेरा यह निवेदन है कि अविलम्ब दूसरे क्षेत्रों में बिजली पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाये और काश्तकारों को 12 घण्टे बिजली दी जाये ताकि उनकी फसल पक सके और उनमें जो बीमारियां लग रही है उनकी रोकथाम की जा सकें। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो राजस्थान के काश्तकारों की हालत बहुत खराब हो जायेगी। रबी की फसल में, अकाल के वक्त में, काश्तकारों का खुद का उत्पादन नहीं होता है, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं होता है लेकिन आज अकाल की स्थिति में रबी की फसल में चारा उत्पन्न होने के फलस्वरूप पशुधन को बचाया जा सकेगा। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और विषय है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, मेरी दृढ़ मान्यता है। इसलिए मेरा निवेदन है आप इण्डस्ट्रियल, और कार्मशियल सैक्टर की बिजली में, चाहे आपके पास में गैप ज्यादा है तो पहले आपने 50 पर्सेण्ट की कटौती की बतायी, अब कितनी कटौती कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन अगर 100 प्रतिशत भी कटौती करनी पड़े तो भी राजस्थान के साढ़े चार लाख कुओं पर किसानों की खड़ी फसल को बचाना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राजस्थान के बहुत बड़े किसान वर्ग के साथ में आप न्याय नहीं करने जा रहे हैं। और न्याय नहीं करने जा रहे हैं तो उनके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात होगा क्योंकि आप 12 घण्टे बिजली देने की घोषणाएं तो कर चुके हैं और बिजली नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

दे रहे हैं 1-2 घण्टे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आप भी सरकार को निर्देश दीजिये कि यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का ही मैटर नहीं है, अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स का मैटर है, इससे अर्जेन्ट कोई मैटर हो नहीं सकता और उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को आज ही सदन में आश्वासन देना चाहिये। अगर आज राज्य सरकार आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है तो जो असन्तोष इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में है क्योंकि वे उस जनता के प्रतिनिधि हैं, उन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, हमारे सामने एक विषम स्थिति खड़ी हुई है और हम इस डाइनामा में है कि क्या करना चाहिये, मैं यह चाहता हूं कि यह जो हमारे सामने काश्तकारों के सामने अभूतपूर्व संकट बिजली का है, इसके निराकरण और समाधान की ओर सरकार निश्चित तौर पर कोई न कोई घोषणा करेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके पहले कि अगले वक्ता को बुलाऊं, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां पर जो परम्परा और प्रोसीजर अडाप्ट किया गया है आज तक कि एडजोर्नमेंट मोशन कभी भी स्वीकार नहीं किये जा सकते, यद्यपि वह महत्वपूर्ण होता है तो उस पर बोलने की अनुमति दी जाती है। यह परम्परा रही है। उसी परम्परा का निर्वहन करते हुए मैंने जो लिखा है कि "अविलम्बनीय लोक महत्व का" वह परम्परागत शब्द है, जिसको आप रूढ़ीवादी कह सकते हैं, इसलिए उसको उस रूप में मत लीजिये। लेकिन जहां तक .. (व्यवधान)....प्लीज, हियर मी। लेकिन जहां तक सवाल किसानों को बिजली देने का है, आपका एडजोर्नमेंट मोशन आने के बाद मैंने मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में बातचीत की है। मुख्य मंत्रीजी स्वयं इस मामले में चिन्तित हैं कि किसानों को किसी भी तरह से अधिक से अधिक बिजली दी जाये और उनकी फसल को बचाया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने आपके नेता से भी बात की है। यह तय हुआ है कि आप अपनी बात यहां कहें। अभी शून्यकाल में मुख्य मंत्रीजी और विरोधी पक्ष के नेता मेरे चेम्बर में बैठ करके इस सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालें कि जिससे किसानों को अधिक से अधिक बिजली दी जा सके और उनकी फसल बचायी जा सके। इसलिए यह बहस तो आपकी चालू रहेगी, बीच में चेम्बर में बैठ करके चर्चा करें क्योंकि वस्तुतः किसानों को बिजली देना ही मुख्य मुद्दा है और यदि हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिये और किसानों के लिये हितकर होगा। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और आपके प्रतिपक्ष के नेता, दोनों ने मेरे सुझाव को स्वीकार किया है, जो कि एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात है कि उसमें से कुछ निकलेगा और निश्चित रूप से किसानों को रिलीफ मिलेगी। माननीय श्री खेतसिंहजी ....(व्यवधान) खेतसिंह जी।

श्री रामनारायण वर्मा (नेनवां) : आॅन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर होता

(श्री अध्यक्ष)

ही नहीं है... (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर तो होता ही नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : हां, नियम में है (व्यवधान) मेरे प्रश्न पर व्यवस्था दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : कौनसी व्यवस्था ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान) आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, पाइन्ट आफ आर्डर तो... अभी कोई बिजनेस नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : आप व्यवस्था दीजिये, मैं तो व्यवस्था चाहता हूं। मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर तो रेज कर नहीं सकते ना क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप रूल 54 का मुलाहिजा करें। मैं एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस करना चाहते है ?

श्री रामनारायण वर्मा : बहस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : फिर ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान) आसन के नालेज में, ध्यान में रूल 54, क्योंकि आसन ने अभी जो व्यवस्था दी है, उससे उलटा उसमें लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये (व्यवधान) प्लीज। रूल 54, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में हमारा पिछला प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, उसमें अनेक आल इण्डिया लेवल के वक्ताओं ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि एडजोर्नमेंट मोशन इन्ट्रोड्यूस किया गया था तब गवर्नमेंट आफ इण्डिया में ब्रिटिश राज था और हमारी असेम्बली थी। चूंकि वह सरकार उत्तरदायी नहीं थी असेम्बली के लिये, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के रूप में एडजोर्नमेंट मोशन इन्ट्रोड्यूस किया गया हमारा विधान आने के बाद उसमें अविश्वास प्रस्ताव की अलग से व्यवस्था हो गयी है। इसलिए एडजोर्नमेंट मोशन उस रूप में अब रिडेन्डेन्ट हो गया कि वह अविश्वास के रूप में आता है। परन्तु चूंकि परम्परा चली आ रही है इसलिए उसको कहीं पर भी, न पार्लियामेन्ट में कभी एडजोर्नमेन्ट मोशन स्वीकार किया गया है, बहस हुई है मगर एडजोर्नमेंट मोशन खारिज हुआ है। इसलिए रूल 54 को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी तो सवाल यह है कि विषय महत्वपूर्ण है, उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे है, वे मिल रहे हैं इसलिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय खेतसिंह जी... (व्यवधान)... अब आप बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, तब आप पैरों पर थे, यह बात नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

है कि लेजिस्लेचर की हिस्ट्री में एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं हुए हों। आसन ने सहमति दी है, तीन बार दी है और जब मैं प्रतिपक्ष में था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि महंगाई के ऊपर चर्चा हुई है, उससे पहले भी चर्चा हुई है दो दफा। तीन दफा यहां पर एडजोर्नमेण्ट मोशन स्वीकार किये गये है आसन के द्वारा, उस पर दो घण्टे की चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप देखिये (व्यवधान) आप इस बात को समझिये ... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रहे हैं कभी भी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैं यह कह रहा हूं, डिबेट होती है।

श्री परसराम मदेरणा : .. और यह परिपाटी है कि हर एडजोर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट कर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरी बात सुनिये पहले। एडजोर्नमेट मोशन स्वीकार होने के कांसिक्वेन्सेज भिन्न होते हैं इसलिए एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस होती है उस विषय को महत्वपूर्ण समझ कर के, लेकिन वह टेक्नीकली स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि स्वीकार करने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव होता है। एडजोर्नमेन्ट मोशन स्वीकार करने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास होना होता है। इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया जाता लेकिन बहस होती है। (व्यवधान) यह कहीं आप कोई मुझे बतायेंगे I am open to correction. यदि इस तरह की आप कहीं रूलिंग बता देंगे कि एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार हुआ है I will see to it. मुझे बता दीजिये, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, लेकिन रूल्स आफ प्रोसीजर में इसका प्रावधान है कि it will tantamount to the no-confidence in the Government.

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको इसकी ओरिजिन बतायी है। यह उसी ओरिजिन से लगा हुआ है। एडजोर्नमेंट मोशन जिस दिन से शुरू हुआ, प्रारम्भ हुआ, ओरिजिनली हिन्दुस्तान में चुनी हुई असेम्बली बनी, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ब्रिटिश सरकार के समय में, तब से एडजोर्नमेंट मोशन हुआ है। और उस समय उसके पीछे जो आइडिया था, वह मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान) वह डिस्कस बाद में कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन यह प्रावधान डाल दिया गया है कि एडजोर्नमेन्ट स्थगित करना आज के बिजनेस को और इस इम्पार्टेण्ट मैटर को, विषय को, विचार के लिये ले लिया जाये, यही मतलब है। अगर इसका मतलब यह है और इसकी जगह इतिहास यह अगर इसमें से इन्फरेंस निकालता है कि इसका मतलब सरकार के अन्दर नो कांफिडेन्स है, सिर्फ ....(व्यवधान) दो घंटे का समय है, दो

(श्री परसराम मदेरणा)

घंटे से ज्यादा एडजोर्नमेंट मोशन पर चर्चा नहीं होती तो यह कोई सरकार....

श्री अध्यक्ष : खैर, इस सम्बन्ध में अपन बाद में बहस कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार का तो एडजोर्नमेंट होता ही नहीं है, सरकार तो बरखास्त होती है या फिर सरकार में अविश्वास होता है, दो ही विकल्प हैं इसमें। इसलिए यह सरकार के विरुद्ध नहीं है, यह तो लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए आप एडजोर्नमेंट को स्वीकार करें तो सरकार के प्रति अविश्वास तो है नहीं। विश्वास तो ले लिया है और प्रतिपक्ष इतनी जल्दी अविश्वास लाने वाला भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने अपने भाषण में काफी बातें आपके सामने रखी हैं और यह सब अच्छी तरह से जानते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि विद्युत संकट राजस्थान में निश्चित तौर पर भारत के किसी भी स्टेट से ज्यादा है और उसका मुख्य कारण यह रहा है कि अपने यहां कोई स्रोत नहीं है और स्रोत नहीं होने की वजह से आज आपको दूसरे स्टेट्स की तरफ देखना पड़ता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी आपने बताया है। कहीं पर ढाई और कहीं पर डेढ़ मेगावाट बढ़ा करके आप यह चाहते हैं कि मैं यह पूर्ति कर लूंगा। फिर आपने यह भी कहा है कि मैं पंजाब से खरीदूंगा। इसी राज्यपाल एड्रैस के अन्दर आपने यह भी कहा है कि भाखड़ा और पौंग डेम में इस साल पानी कम आया है और इस वजह से वहां पर बिजली कम पैदा होगी। अब जब भाखड़ा और पौंग डेम में पानी ही कम आया है, बिजली कम पैदा होगी तो वे स्टेट्स आपको कहां बिजली देने वाले हैं? उनके खुद के काम ही मुश्किल से चलेंगे। इस हालात में आप वाकई प्रीक्युरियस पोजिशन में है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, और मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं, यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये अभी तो मेरे को टोक रहे थे, विद्युत बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, कुछ भी बोलो लेकिन आपकी सरकार चली जायेगी, यह निश्चित मानिये। गांवों में इतना भारी घेराव होगा कि आप घूम नहीं सकोगे। जगह-जगह आपको पत्थर पड़ेंगे और लोग आपको कहीं पर आने नहीं देंगे। आखिर राजस्थान की आधी से ज्यादा पब्लिक आधे से ज्यादा काश्तकार कुओं पर निर्भर करते हैं। जब कुओं से सिंचाई ही नहीं होगी, आपने यह वादा किया, आपने अपने मेनीफेस्टो में यह बात कही कि हम 12 घण्टे बिजली देंगे, यह भैरोंसिंह की सरकार वादा करती है, अब आप यह

(12.23)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

बताइये कि 12 घण्टे की जब आप बात करते हैं और हकीकत में आप 4 घण्टे बिजली देते हैं काश्तकार ने आपके विश्वास

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पर 10 घण्टे की फसल बोयी और आज उसको 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिले और वह भी ट्रिपिंग के साथ में कभी घंटा और कभी 2 घंटे ही बिजली मिले तो ऐसे हालात के अन्दर काश्तकार का क्या हाल होगा ? यदि आप उसकी जगह होते तो आपका कितना दिल जलता और यदि उस वक्त मैं आपकी जगह होता तो आप मेरी क्या हालत करते ? वही हालत आपकी होने वाली है, मुख्य मंत्रीजी, आप निश्चित मानिये । इसको सबसे ज्यादा संकट का समय समझिये । ऐसा भारी संकट राजस्थान के इतिहास में पहली बार आया है । माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, बिजली का इतना भारी संकट पहले कभी नहीं आया । आपने क्या किया ? चिकित्सा से यह मतलब है कि जब पीटे जायेंगे तो इनके अस्पतालों में भर्ती होंगे । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज काश्तकार ने हजारों रुपये खर्च करके बीज खरीदा, उसके बाद उसके ऊपर खाद डाला और उन्होंने सिंचाई शुरू कर दी, 10 घंटे के हिसाब से उन्होंने सिंचाई की लेकिन आज उन्हें 2 घंटे बिजली मिलती है ।....(व्यवधान).. चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, वापस चौमूं के इलाके में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या दुर्गति होती है । यों भी आपकी काफी दुर्गति मुख्य मंत्रीजी ने आपको यों पीछे बैठा करके कर दी और अब आपकी दुर्गति होगी जब आप वापस कांस्टीट्यूएंसी में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आपके हालात हैं । और किस तरह से आपको वोट मिले थे और आज लोगों का क्या हाल है जहां पर एक घण्टे बिजली मिले उसके बाद फिर बंद हो जावे, फिर घण्टा भर बिजली मिले ।

यही नहीं, उससे भी ज्यादा पानी की समस्या आपके सामने आ रही है । माननीय शर्मा जी आपके पास बैठे है जिनको दो नम्बर का मंत्री आपने बनाया है । इनको पूछिए, पानी की हालत यह हो गयी है कि जितनी भी पाइप लाइन स्कीम्स हैं वे सारी की सारी फैल हैं शर्मा जी, जितनी लम्बी स्कीम्स हैं उनमें पानी पहुंचता नहीं है जब तक आप 14 घण्टे बिजली नहीं देंगे तो पानी आखिरी छोर तक पहुंच नहीं सकता । दो गांवों में पहुंच जायेगा लेकिन उसके बाद में पानी पहुंचेगा नहीं और हालात इतने गम्भीर होंगे कि लोग पानी की वजह से मरेंगे और पानी की वजह से मरने के बाद में उनको कंधे पर उठा-उठा करके हम यहां लाकर डालेंगे तो आपकी हालत ऐसी होगी कि आप भाग जाओगे राजस्थान छोड़कर । यहां पर आप टिक नहीं सकोगे । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : आप इन्तजार कर रहे हैं कि लोग मरें और आपके कंधों पर उठाये जायें ; यही है क्या आपकी नीयत ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी यह कतई नीयत नहीं है कि आदमी मरें । वे हमारे भाई-बंधु है लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी तरफ से कुछ हो नहीं रहा हैं, आपकी अकर्मण्यता और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लोगों के मरने की बात क्यों कहते हैं। बिजली की कमी आयेगी, पानी की कमी आयेगी तो अपन भी मरेंगे, उसमें आप भी शामिल होंगे। आप दूसरों के मरने की कल्पना क्यों करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं इसी बात पर आ रहा था जो आप कहते हैं। आप और हम भी मरेंगे। यहां आप 24 घण्टे बिजली क्यों दे रहे हो? यहां आपके सारे अधिकारी, आई. ए.एस. अफसर जब यहां से पधारते है तो इनके तो सारे के सारे एयर कंडिशनर्स काम कर रहे हैं, सारे हीटर्स काम कर रहे हैं, ये तो सब मजे में रहते हैं इनको 24 घण्टे बिजली क्यो देते हो? इनको भी अहसास होना चाहिए। सैक्रेटेरियेट में और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं, जो भी सैक्रेटरीज हैं, विधान सभा के अंदर भी आपको लालटेन लगाकर काम कराना चाहिए तब जाकर यह महसूस होगा कि वाकई मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में यह है कि बिजली की भारी कमी है और उसकी वजह ये राजस्थान की जनता के लिये चिन्तित हैं। अपनी सारी सुविधाए गंवाकर काश्तकारों को बिजली देना चाहते हैं और यह इनकी सही मंशा है। यह मंशा तब मालूम होती है। आपने वोट तो ले लिये और वोट भी पूरे नहीं लिये यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा राजस्थान जानता है। सरकार बनी जैसे बन गयी लेकिन बनने के बाद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस बिजली का कोई समाधान नहीं किया और मेरी यह मान्यता है कि आपको कोई बिजली देने वाला नहीं है। आपके चारों तरफ के स्टेटस का हाल यह है कि जिस तरह से चार सवर्णों के घरों के बीच में कोई दूसरी जाति का, चाहे मुसलमान हो या और कोई फंस जाता है तो उसको सब हेय नजर से देखते हैं और कोई मदद नहीं देता। ये 5 स्टेट्स तो आप समझ गये कि आपको मदद देने वाले नहीं हैं और जब आपको पांचों स्टेट्स से एक मेगावाट बिजली नहीं मिलेगी तो आप कहां से लायेंगे? लंदन से तो कोई ऐसा इंजन आयेगा नहीं जो आप लाकर कर देंगे और आपका जवाब भी वो ही है जो कटारियां जी का जवाब है। ये कहते हैं कि मैं जून में मर दूंगा; आप यह कह दीजिये कि मैं अगले साल कुछ न कुछ कर दूंगा, तब तक ये फसलें चौपट होने दो। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर आप नहीं दे सकते हैं, आपमें यह हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि आप साफ कहिये कि मेरे पास बिजली नहीं है, मैं इतनी बिजली नहीं दे सकता। सैकण्ड वर्ल्ड वार में जब इंग्लैंड में एजीटेशन हुआ तो चर्चिल ने यह कहा कि आपको आलू खाकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, मेरे पास गेहूं नहीं हैं। आपकी भी यह हिम्मत होनी चाहिए और आप यह खुला कहिए कि मैं 4 घण्टे ही दूंगा। मेरे पास 4 घण्टे से ज्यादा नहीं है या यह कहिए कि मैं 5 घण्टे ही दूंगा, 5 घण्टे से ज्यादा नहीं है। इसमें झांसा पट्टी नहीं चल सकती। किसी अपाइण्टमेंट में चल सकती है, किसी के प्रमोशन में चल सकती है, ये बातें तो हो सकती हैं लेकिन काश्तकार एक ऐसा जीव है जो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि विश्वास करता है सरकार पर और जिस रोज उसका विश्वास डिग गया तो यह प्रजातन्त्र खत्म हो जायेगा, अपनी ये बैठकें खत्म हो जायेंगी, अपन कहीं के नहीं रहेंगे। आपका हाल बिगड़े तो बिगड़ना चाहिए, हम भी मारे जायेंगे और इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके इस प्राब्लम को सीरियसली लीजिये। यह बिजली का मामला इतना संगीन है और मैं इसीलिए बार-बार जोर दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय अपनी सीट से पधार गये हैं, अध्यक्ष जी को भी मैं कहता। सभापतिजी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन सभापति जी कम से कम ऐसी जगह से हैं जहां कैनाल इरिगेशन है इसलिए अपने मजे में बैठे हैं। जहां कैनाल इरिगेशन है उन लोगों को जोर नहीं आता।

आपने अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब को कहा कि आप एक मीटिंग ले लो। इन्होंने मीटिंग ली। इनको दवे साहब क्या दांव देने वाले हैं। इन्होंने कहा कि सब ठीक हो जायेगा और हमने अफसरों को हिदायत दे दी है।" अफसरों को हिदायत देने से क्या होगा, दवे साहब के पास कहां है बिजली, जो वह लाकर दे देंगे। आप इस बात को गम्भीरता से लें। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं ईमानदारी से यह सोचता हूं कि आप किसी हालत में बिजली बढ़ा नहीं सकेंगे।

जोधपुर के अन्दर एक मीटिंग हुई थी, वहां पर डिप्टी चीफ इंजीनियर, एम. इजि और एक्स. ईएन. सब थे। जोधपुर शहर के तीनों एम. एल.एज. वहां थे जिनमें गहलोत साहब भी थे, सूर्यकांताजी भी थीं और मेघवाल साहब भी थे। उन्होंने हमसे यह साफ कहा कि हम पांच घंटे से ज्यादा बिजली किसी हालत में दे नहीं सकेंगे। हमारे समझ में आ गयी। उन्होंने साफ कहा कि बिजली है नहीं। ऊपर से इन्स्ट्रक्शन्स यही है और हालत बहुत नाजुक है और सबसे ज्यादा नाजुक हालत पश्चिमी राजस्थान में है। इसलिए है कि हम टेल एण्ड पर आये हुए हैं और इसलिए वहां पहुंचते-पहुंचते भी भीलवाड़ा के आगे बिजली पहुंचती ही नहीं है। आम तौर पर जोधपुर शहर के अन्दर दिन भर अंधेरा, रात को भी दस बजे तक लाइट और उसके बाद में बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं और सुनसान मकान है, कोई लाइट नहीं देते हैं और इसका कारण यह है, बिजली आपके पास है नहीं। बात सही है, इसमें हम कह भी दें तो आप बिजली लाओगे कहां से। जैसा कि राजनारायणजी ने कहा, जब मिनिस्ट्री में थे, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस गये, लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े मिनिस्टर हो, हमको बिजली देओ तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से बनती है क्या जो ले लोगे। आप भी वही कह कर छूटने वाले हैं। बाकी आपके पास कुछ मामला ज्यादा है नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अब आप कैसे इस प्राब्लम को सोल्व करेंगे हमारा पूरा दल बहुत ही ज्यादा कठिनाई में है। इनके पास हजारों रजिस्ट्री आती है रोजाना। काश्तकारों की आती है, पूर्व प्रधानों की आती हैं, सरपंचों की आती है। लोग हमको परेशान कर रहे हैं कि आप

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वहां पर बिजली के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, बिजली का क्या होगा। हमारी फसलें कैसे पकेंगी, क्या हमारी फसलें बरबाद हो जायेगी। जैसा हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा, यह हकीकत है कि आप बिजली किसी हालत में दे नहीं सकेंगे, काश्तकार इस रबी की फसल में बरबाद हो जायेंगे। उसने जो लगाया है वह भी उसे वापस मिलेगा नहीं। रबी की फसल का हाल यह है और खरीफ के अन्दर हाल यह है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है। यह आपके रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं इनसे आप अच्छी तरह से पूछ लिजिये, यह दौरा करके भी आये हैं, यहां पर अभी तक कोई काम खुले नहीं हैं। आपने यहां पर भी यह कहा कि दिसम्बर में हमेशा हम काम खोलते हैं, कांग्रेस की सरकार में अक्टूबर में काम खुला करते थे। खैर, उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी, अब आपकी सरकार है, आज भी आपने कोई काम खोले नहीं हैं। या तो आपके पास पैसा नहीं है, जो आपने यह फिगर्स दिये हैं यह गलत दिये हैं और या आप इस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर इस पैसे को फेमिन पर करने की बजाय बिजली पर खर्च कर देते हैं तो भी कुछ करो और जो बजट आपका करटेल करना है, करटेल कर दो लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं हुई तो राजस्थान की जनता आपको बख्शने वाली नहीं है और यह निश्चित मानकर चलिये कि आने वाले दिन बहुत ही भंयकर और हमारे हिसाब से आपकी दुर्दशा करने वाले दिन हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय सदस्य, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने यह कहा कि राजस्थान ऐसी जगह आया हुआ है जैसे चार सवर्णों के बीच में एक मुसलमान आ जाये। आपका मतलब यह है क्या कि जिन चार राज्यों से हम बिजली ले रहे हैं वह राज्य बिजली नहीं देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पास सरप्लस बिजली होती तो निश्चित आपको देते लेकिन अभी तक जो आंकड़े आये हैं, न तो पंजाब के पास सरप्लस बिजली है, न वीरभद्रसिंहजी के पास में सरप्लस बिजली है हिमाचल में क्योंकि उनके डेम्स में पानी ही नहीं आया और आपने खुद इस बात को कबूल किया है। आपने इस भाषण में यह लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं अगर आपको इसका ख्याल नहीं है, श्रीमन्। आपने खुद यह

(12.35 बजे)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

फरमाया है, "सरकार किसी भी प्रकार से, चाहे महंगी बिजली बाहर से खरीदे, खरीद कर लायेगी।" यह कहा है आपने। फिर आपने कहा है, पेज 9 पर, "इस वर्ष बारिश की कमी के कारण भाखड़ा एवं पौंग डेम में बहुत कम पानी आया है।" यह क्या शो करता है। जब पानी ही कम आया है तो बिजली कहां से बनेगी, हुजूर? बगैर पानी बिजली आप पैदा कर दोगे क्या? तो यह

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि उन स्टेट्स से बिजली आपको मिलने वाली नहीं। दूसरा यह है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है न कि भाखड़ा और पौंग डेम से जो बिजली पैदा होती है वह कम पैदा हो रही है और कम पैदा हो रही है तो हम बिजली का वितरण जो सारे राज्यों में होता है वहां भी वितरण कम हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह देखिये, आखिर में जिसके पास में जो चीज होती है, आज आपके पास में सरकार है, हम आपसे स्कूलों की मांग करें या अस्पताल की मांग करें तो आप अपने सदस्यों को पहले देंगे, मुझे देने वाले नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : नहीं, पहले आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : छोड़िये, हम आपको बहुत जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो इसी हाउस में कहा है, याद होगा आपको, इसी हाउस में कहा कि मैंने दुनिया भर की कोशिश कर ली, शेरगढ़ में स्कूल नहीं खुले और यह पहला मौका है जब मेरे बिना मांग किये शेरगढ़ में स्कूल खुले हैं। यह याद है कि नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बहुत पुरानी बात कही थी। ऐसा हुआ था....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे सीरियस मैटर को दोनों मिलकर नान सीरियस करने की कोशिश कर रहे हैं। Don't try to make it non-serious. यह मजाक हो रहा है किसानों के साथ में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको आप नान सीरियस मत बनायें।

डा. हरिसिंह : पहला मजाक तो अध्यक्ष जी ने किया कि यह लोक महत्व का नहीं है और दूसरा मजाक यह हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यह विद्युत का मामला है किसानों के हित को, आप किसानों के हित के मामले को गम्भीरता से लें, साहब, इसको मजाक नहीं बना डालें। किसानों के हितों के मामले पर जब चर्चा होती है तो उसको मजाक के रुप में लेते हैं। किसान मर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में दो घंटे बिजली नहीं आ रही है और यह मजाक की जा रही है बिजली के बारे में। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आप इसको गम्भीरता से लें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अच्छा। आपका टर्न पूरा हो गया। हो गया, हो गया, आप का टर्न पूरा।. मोहनलालजी मोदी, बोलिये ....(व्यवधान) लिखो मत, मोहनलालजी को नोट करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलालजी मोदी।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हो गया आपका पूरा, बस। अब मौका नहीं मिलेगा आपको।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की ऐसी भयंकर समस्या है, किसान के खेत में उसकी फसल जल रही है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उसकी मोटरें जल जाती हैं, टाइम पर बिजली मिल नहीं पाती। मेरे यहां चार ब्लाक बना दिये बिजली सप्लाई के। मुझे बताया तो गया है कि सारे राजस्थान में ही ऐसा है, बाकी मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि सवेरे चार बजे से दस बजे तक, दिन में दस बजे से चार बजे तक, चार बजे से रात को दस बजे तक और दस बजे से फिर रात को चार बजे तक बिजली सप्लाई के नम्बर्स बनाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सर्दी के अन्दर चार बजे उठकर कोई किसान आये और बिजली का वह नम्बर ले, यह कहां तक उचित बात है। बिजली उसको पूरी तरह से मिलनी चाहिए। जो आपने छह घंटे के नम्बर बनाये हैं उसके अन्दर हर घंटे में दो दफा, तीन दफा बिजली चली जाती है। बिजली एक दफा आयी, किसान का पानी उसके धोरे में गया और फिर बिजली बन्द हो गयी। फिर उसको वही कसरत करनी पड़ी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की जनता को बचाने के लिये आपको बिजली की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप चाहे कहीं से लाइये, कहीं से उधार लें, कहीं से महंगी लायें, किसी भी तरीके से इस मौके पर आप किसान को बिजली पूरी तरह से दें।

इस बिजली के साथ-साथ पानी का भी सवाल आ जाता है। जानवरों के लिये भी पानी नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यदि सरकार चलानी है, या तो आप यह कह दीजिये कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते, आप इस्तीफा देकर अलग हट जाइये, इसका दूसरा प्रबन्ध होगा। बिजली आप को देनी पड़ेगी। बिजली आप नहीं देंगे तो आप लोगों का घेराव किया जायेगा, आन्दोलन होंगे और मैं आपसे कहता हूं कि शायद आपको गोलियां भी चलानी पड़ें, यह भी आप समझ लीजिए। इतना भयंकर रोष है किसानों के अन्दर कि वह आपको गांव के अन्दर निकलने नहीं देगा। जो माननीय सदस्य उधर बैठे हुए हैं, यह समझते हैं कि क्या वहां जा सकते हैं। वहां आपको जाने नहीं देंगे। आप जो लोग 17-17 हजार वोटों से जीतकर आ करके यहां मंत्री बन गये हैं वह सारी की सारी जनता आपको घेर कर कूटेगी, आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। पत्थर तो फेंकेंगे तो फेंकेंगे, आपका रास्ता जाम कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फूल फेंक रहे हैं, फूल।

श्री मोहनलाल मोदी: धूल तो फिंक ही गयी आप पर। अजी, धूल फेंकने का तो मामला तय ही हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : ग्राप हमारे क्षेत्र में ग्रा मत जाना....

श्री ग्रध्यक्ष : श्री घासीराम यादव ।

श्री मोहनलाल मोदी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए ।

श्री ग्रध्यक्ष : बहुत बोलने वाले हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण विषय है, ग्रध्यक्ष महोदय ...

श्री ग्रध्यक्ष : पचास की संख्या है, सबको बोलने का मौका देना है । क्षमा करें, मैं सब को मौका देना चाहता हूं । मेरे पास शिकायत ग्रायी है कि बहुत से जो जूनियर लोग हैं उनका मौका नहीं ग्राता है, बोलने दीजिए उनको । श्री घासीराम यादव ।

श्री मोहनलाल मोदी : ग्राप सारा टाइम लीजिए, ग्रध्यक्ष महोदय ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री घासीराम यादव ।

श्री मोहनलाल मोदी ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इलाके में इस तरह की स्थिति है....

श्री ग्रध्यक्ष : इनका ग्रंकित नहीं करें । श्री घासीराम यादव ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री ग्रध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण मसले पर बोल रहे हैं ग्राप ग्रकेले ही बोलने वाले हैं क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री ग्रध्यक्ष : दे रहा हूं मौका । पचास ग्रादमी बोलने वाले हैं । उनके हिसाब से ही तो मौका देना पड़ेगा । टाइम तो लिमिटेड है ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री ग्रध्यक्ष : श्री घासीराम यादव । ग्राप नहीं बोलेंगे तो मैं ग्रागे नाम बुलाता हूं । ग्राप शुरू करिये । श्री घासीराम यादव का ग्रंकित कीजिए । बोलिए ग्राप । ग्रापका ग्रंकित होगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट इनको ग्रौर दे दीजिए ।

श्री ग्रध्यक्ष : बाद में दे दूंगा जब बचेगा तो, ग्राप बोलिये ।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : ग्रध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में काफी बातें कही गयी हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं । ग्रभिभाषण में यह कहा गया है ऐसी ग्राशा की जाती है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में पंजाब से चालीस से पचास लाख यूनिट बिजली की प्राप्ति होगी इससे स्थिति सामान्य होने की ग्राशा है । परन्तु जिस दिन भी यह सहायता उपलब्ध नहीं

XXX ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया ।

(श्री घासीराम यादव)

होगी, राजस्थान में उद्योगों पर कटौती होगी। प्रथम सप्ताह तो आ गया, कोई बिजली नहीं आयी और जब यह कहते हैं कि उसी दिन से कटौती करेंगे तो ये अभी सेक्यों नहीं करते। सभी उद्योगों पर कटौती कर दें, जैसा मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उद्योगों पर कटौती होगी, बारह घण्टे बिजली मिलेगी। ये बिजली क्यों नहीं देते। वह किसानों की सरकार है इसलिए वह ऐसा कर रही है। यह किसानों की सरकार नहीं है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ): यह + + + की सरकार है।

श्री घासीराम यादव : हां, + + + की सरकार, तीन चौथाई + + + और आधे ब्राह्मण उनकी सरकार है। सरकार किसी से भी ले, चाहे महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़े, बिजली उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे।

बिजली के वितरण के सम्बन्ध में काफी सुधार किये गये हैं, मानीटरिंग के काम को चालू किया गया है और जहां ट्रांसफार्मर जल गये हैं या खराब हो गये हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह बिल्कुल गलत बात है। बहरोड़ से आने वाले हमारे सुजानसिंह जी बैठे हैं, एक-एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते और पैसे लेकर ट्रांसफार्मर दिये जाते हैं यह इनको पता है। जे. ईएन एक-एक महीनें तक पैसे यूज करता है। पांच-पांच हजार, दस दस हजार रुपये। पूछो आपके मंत्रीजी से और वहां ओवर-लोडिंग है, यह बहुत बड़ी समस्या है। एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है और पैसे लेकर किये जाते हैं कौन रोकता है इसकी और चोरी होती है।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : बीच में मत बोलिए। आप ज्यादा बोलते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोलेंगे आप। who are you? (व्यवधान).... यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय समर्थलाल जी, आप बिराजिए।

श्री घासीराम यादव : मैं बोलता नहीं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप सुनने दीजिये, समय मत खराब कीजिये। किसानों के मैटर में बीच में बोलकर। बोलने नहीं देते हो, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : समर्थलाल जी, आप बैठ जाइये। हां बोलिये, बोलिये।

श्री घासीराम यादव : मैं अध्यक्ष महोदय, कभी भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं जो आपके केबिनेट मंत्री हैं एक महीने में बहरोड़ में ट्रांसफार्मर मिलते हैं कि नहीं, रुपये लेकर दिये जाते हैं, क्या मानीटरिंग कर रहे हैं यह ?

मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बिजली की चोरी बहुत होती है। बिजली की चोरी क्यों नहीं रोकते हैं ? हरियाणा में बिजली की चोरी जो करते हैं उसका केस रजिस्टर होता है। यहां क्यों नहीं करते, कौन मना करता है। बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने अन्याय कर रखा है। जो लोग फालतू बिजली लेते हैं उनको कोई नहीं रोकता। मैं जानता हूं सैंकड़ों हजारों गांवों में चोरी से बिजली जा रही है कोई बोलता नहीं है। बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे राजस्थान में ही बिजली का संकट है। चारों तरफ बिजली की वजह से त्राहि-त्राहि मची हुई है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्दर तो विशेष ही बात है। आप लोग कहते हैं 6-6, 8-8 घण्टे बिजली देते हैं लेकिन वहां चार घण्टे भी बिजली नहीं आती है और रात को भी बिजली देते हैं तो दो घण्टे देते हैं फिर झटके लग जाते हैं, बिजली रुक जाती है। किसान ताकते रहते हैं और बिजली का इन्तजार करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तो स्पेशल पैसा देकर लोगों ने विद्युत कनेक्शन लिये हैं। अध्यक्षजी, उस क्षेत्र में तो बिजली का यह हाल है कि दो घण्टे भी बिजली रेगूलर नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि 12 घण्टे बिजली किसान को मिले क्योंकि किसान ही अन्नदाता है।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी चुनाव के दौरान पधारे थे तब भी किसानों की सभा के अन्दर यही कहा था कि मैं आपको 12 घण्टे बिजली दूंगा और बिजली का संकट बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन संकट का अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि किसानों को 12 घण्टे बिजली मिले और रेगूलर बिजली मिले।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के संकट के लिये जो प्रस्ताव मूव किया गया था, इसकी ग्रेविटी को माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार किसान की समस्या के प्रति कितनी सैन्सेटिव है। अगर सरकार संवेदनशीलता दिखाती तो शायद यह प्रस्ताव लाने का हमें मौका ही नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं,

(श्री हरिसिंह)

मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी उद्योगों को 12 घण्टे बिजली मिलेगी ग्रौर तभी से इनको चार घण्टे बिजली मिली। ग्राप स्वयं जानते हैं, कल लालसोट से ग्राने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 3033 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का एक भी कनेक्शन रिलीज नहीं किया गया। किसानों को जो कनेक्शन दिये जाते हैं उनकी कीमत भी ग्राप लोग जानते हैं कि कितनी परेशानियां झेलकर, कितना पैसा खर्च करके वह लेते हैं। ग्रब प्रश्न यह है, ग्रन्त्योदय के जनक से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप इन ट्रू स्पीरिट ग्राफ ग्रन्त्योदय से, ग्रन्त्योदय की भावना से ग्रवगत हैं, ग्रगर हैं तो राजस्थान का जो सबसे गरीब तबका है वह किसान है ग्रौर सबसे पहले, प्रिफरेंशियल बेसिस पर ग्राप उद्योगों की बिजली में कटौती करके किसान को बिजली उपलब्ध करवायें क्योंकि किसान की जो फसल है वह पेरिशेबल है, वह नष्ट होने वाली है ग्रौर उद्योगों का जो उत्पादन है वह नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन किसान को वेट करने के लिए बाध्य किया गया सरकार द्वारा तो चार-छः दिन में ही उसकी फसल नष्ट हो जाती है उसके बाद उसकी लागत भी वसूल नहीं होती है। मैं विशेष ग्रनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि ग्रकाल की समस्या है, ग्रगर बिजली सही ढंग से मिले, किसान ग्रपनी फसल में सही समय पर पानी दे तो उससे चारे की समस्या का भी समाधान होगा वरना उसके मवेशी भूखे मर जायेंगे। इसलिए मैं ग्रापके माध्यम से पुरजोर शब्दों में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रन्त्योदय की गीरिट ग्रपनाः करके चाहे ग्रापको राजस्थान के उद्योगों में बिजली बन्द करनी पड़े, चाहे टोटल कटौती करनी पड़े, मेहरबानी करके राजस्थान के किसानों को, जो दूसरों का पेट पालन करता है इस ग्रन्नदाता को, जो सब कुछ उत्पादन करके देता है उसको भूखा मरने से बचा लीजिए, उसके मवेशी को बचा लीजिए। राजस्थान की बहबूदी को बचा लीजिए, कृषि उत्पादन को बचा लीजिए। ग्राप मेहरबानी करके किसान को पूरी 12 घण्टे बिजली दीजिए। मैं इतना ही ग्रापके माध्यम से सरकार से ग्रनुरोध करना चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री इन्द्रसिंह पूनिया (ग्रनुपस्थित) श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ग्रध्यक्ष जी, एक समय था जब माना जाता था कि किसान का भाग्य ग्रासमान के बादल से जुड़ा हुग्रा है लेकिन हमारी प्रगति ने, हमारे साइंस के डवलपमेंट ने ग्रौर विकास के कार्यों ने ग्राज हमारे राजस्थान के किसान का भाग्य बिजली से जोड़ दिया है। जिन किसानों को कनेक्शन मिले हुए हैं वह ग्रकेले नहीं हैं ग्रौर जैसा हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा एक-एक कुएं पर 4-4 ग्रौर 6-6 परिवार पलते हैं। यहीं नहीं, ग्रध्यक्ष जी, इस बिजली से सम्बन्धित ग्रौर भी ग्रनेक चीजें हैं जो हमारे विकास के काम में ग्राती हैं। ग्राज सवाल किसान के मरने ग्रौर जीने का है। ग्राज बिजली की ग्रव्यवस्था है, ठीक टाइम पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाते हैं, मीटर्स नहीं बदले जाते हैं लेकिन वह चीजें ग्राज के

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिन गौण हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान को बिजली कितनी मिले। आज जब किसान ने बिजली के आधार पर खेत की बवाई की तो उसने कम से कम 8 घंटे बिजली मानकर खेत की बुवाई की थी। उसी हिसाब से उसने बीज डाले, मेहनत की,खाद डाली। आज हमारी सरकार यह कहती है कि हम चार घंटे से अधिक बिजली नहीं दे सकते। इससे बड़ा किसान के साथ धोखा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। आपके पास बिजली है।

माननीय सदस्य खेतसिंहजी कह रहे थे कि आपके पास बिजली नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल असहमत हूं। आपके पास बिजली है। सवाल यह उठता है कि आपका दृष्टिकोण किसान की तरफ है या उद्योगों की तरफ है। आज उद्योग की बिजली बन्द होने से कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होने वाली है लेकिन किसान को यदि बिजली नहीं दी जाये तो उसकी पूरी फसल बरबाद होती है। उसका जीवन बरबाद हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कड़े कदम लीजिए और उद्योगों को दी जाने वाली बिजली, जो आपने 12 घंटे की कटौती की है, में अधिक कटौती कीजिये। हो सकता है पूरी कटौती आपको करनी पड़े लेकिन किसान को इन दो महीनों के लिये बिजली देना आवश्यक है और उस बिजली के बिना हमारी फसलें बरबाद होंगी, किसान बरबाद होगा और इसके साथ साथ किसान ही नहीं यह पूरा प्रान्त भी बरबाद होगा।

मैं, अध्यक्षजी, एक मिनट और लेना चाहूंगा। आपने जो फ्लेट रेट तय की है वह भी किसान को निश्चित घंटों के लिये बिजली देने के आधार पर की है। आज किसान से उसकी रेट वसूल होती है और बिजली कम मिलती है। यह देखने का सवाल है क्योंकि उससे आपका एग्रीमेन्ट है कि इतने घंटे आपको बिजली दी जायेगी। उस एग्रीमेन्ट को आप तोड़ रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सोचे और इस किसान विरोधी रवैये में थोड़ा सुधार करें। मुख्यमंत्री जी की किसान विरोधी नीति है, मैं इस बात को मानता हूं लेकिन उसको थोड़ा बहुत कम करें और आज के दिन किसान को थोड़ी राहत दें ताकि हम किसान भी यह कहें कि सरकार के रवैये में, माननीय भैरोंसिहजी के रवैये में थोड़ा सा परिवर्तन आया है।

इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को कम से कम 12 घंटे बिजली दी जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री हरेन्द्र मिर्धा (अनुपस्थित) श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, मैं इस महत्वपूर्ण.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नम्बर से ले रहा हूं। वे अभी कहेंगे, हमारा नम्बर काट दिया। वे शिकायत करने आये थे। मैं बिल्कुल नम्बर से बोल रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : मुझे नम्बर पर एतराज है। अध्यक्ष महोदय, हरिसिंहजी मुझसे पहले बोलना चाहें बोल लें। लेकिन नम्बर के बारे में मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इनका नाम पुकार लिया। आप पहले बोलना चाहते हैं। आपत्ति है इसलिये चलने दी है। रामनारायणजी।

श्री विष्णु मोदी : मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : क्यों ? मैं नम्बर से चल रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : नम्बर से चलने पर मुझे आपत्ति है। आप जिस नम्बर से चल रहे हैं, आपने यह गलत नम्बर बनाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने साइन किये हैं वह गलत नम्बर पर किये होंगे।

श्री विष्णु मोदी : मैंने नहीं किये हैं इस पर दस्तखत। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, आप बिराजिये। आप कुछ कह रहे हैं उनकी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : मैं बोल रहा हूं, तभी आप एतराज कर रहे हो।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, मुझे इतना कहना है कि मैंने 4 तारीख को विद्युत के मामले पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। जब कल बाकी के माननीय सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन दे रहे थे तो मैंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किये क्योंकि मैंने इस सन्दर्भ में आलरेडी 4 जनवरी को ही दे रखा है। आपने उस पर यह व्यवस्था दी कि मैंने सरकार को उसके जवाब के लिये भेज दिया है और आज आपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर दूसरी व्यवस्था दी। आपने उसको अस्वीकार करके उसी सब्जेक्ट पर डिबेट शुरू करवा दी और जो आर्डर बनाया 37 का आपने उसको क्लब कर दिया।

श्री अध्यक्ष . अब आप बिराजें। चूंकि मेरी आपने पूरी व्यवस्था सुनी नहीं थी, बीच में कहा कि सुनना ही नहीं चाहता। इसलिये। मैंने शुरू कर दिया। आपका एडजोर्नमेंट मोशन भी इसमें हमने शामिल कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप पहले बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबका है, जितने भी 131 के हैं वह शामिल किये हैं, इसमें 295 के भी शामिल किये हैं, सब शामिल किये हैं। अब कौन पहले बोले कौन बाद में बोले यह तो निर्णय कोई न कोई करना पड़ेगा। चूंकि आज के एडजोर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था दी गयी गयी थी बोलने की। पहले वालों पर यह व्यवस्था थी कि वह राज्य सरकार को भेजे गये हैं। चूंकि वह सब्जेक्ट हमने आज के एडजोर्नमेंट मोशन पर लिया है इसलिये उनको अटैच कर दिया कि जो राज्य सरकार को भेजे हैं उनको भी बोलने का मौका देने के लिये इसमें शामिल किया। अब पहले-पीछे का सवाल है कि उनसे पहले आपको बुलवायें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पहले

(श्री अध्यक्ष)

बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसमें कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है लेकिन हमने बिजली के सम्बन्ध में जितने भी मोशन थे, 131, 50, 295 सबको जोड़ दिया है । किसी को बाकी नहीं छोड़ा है । इसलिये अब आप चाहें तो मैं व्यवस्था बदल सकता हूं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सबको बुलवाओ साहब ।

श्री अध्यक्ष : बोलिये । रामनारायणजी बोल रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्षजी, मुझे यह कतई एतराज नहीं है कि आप सबको नहीं बुलायें । मुझे आपको कहना है कि आपके पास एडजोर्नमेंट मोशन आये । लीडर आफ अपोजीशन पहले बोले ठीक है । उसके बाद जिस तरह से तीन तारीख का मोशन अगर किसी माननीय सदस्य का आया है ..

श्री अध्यक्ष : मैं उसको तोड़ नहीं सकता । जब यदि आॅज वालों पर शुरू करता हूं तो लीडर आफ अपोजीशन का आज नाम है । आप वाले में नहीं है । जब यह शुरू हो गया तो बीच में वह कैसे होगा । पहले यह कम्पलीट होगा । आप चाहते तो मैं आप वाला पहले शुरू कर देता ।

श्री विष्णु मोदी : मैं इस मामले में आपको निवेदन नहीं कर रहा हूं । मैं बहुत प्रेक्टिकली आपको यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक सब्जेक्ट में आपने व्यवस्था दे दी है तो मैं उस पर भी एतराज नहीं उठा रहा । लेकिन भविष्य के लिये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो उसमें लीडर आफ अपोजीशन के बाद जिस माननीय सदस्य का पहले उसके ऊपर आया है वह उस क्रमवार से होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ मर्यादाएं हैं इस सदन की । जो लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं उनका सम्मान, उनकी मर्यादा रखना यह आसन का भी परम्परा के अनुसार कर्तव्य है । हम उसी को निभा रहे हैं । इसलिये किसी को छोड़ नहीं रहे हैं । लेकिन जो परम्पराएं हैं, मैं समझता हूं आप भी मेरे साथ होंगे इसमें कि जो परम्पराएं बनी हुई हैं वो....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : परम्पराएं तीन हैं । एक तो आपको सबसे पहले अधिकार है आप जब खड़े होंगे हम सब बैठेंगे, लीडर आफ दी हाउस उसके बाद है, लीडर आफ अपोजीशन का उसके बाद है । तीन परम्पराएं हैं उनको श्रेष्ठता मिलेगी, प्रिफरेन्स मिलेगा । उसके बाद जितने माननीय सदस्य हैं उनमें न कोई सीनियर है, न जूनियर है । सब बराबर है तो मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसी परम्परा का निर्वाह किया है । लीडर आॅफ अपोजीशन के बाद में बाकायदा विधिवत क्रम से चल रहा हूं । रामनारायणजी बोलें ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : मेरा यह निवेदन है कि आप इस क्रम को पढ़ करके बता दें जिससे कि हमें पता लग जाये कि कितनी देर में नम्बर आयेगा जिससे हम दूसरे काम में व्यस्त रह सकें।

श्री अध्यक्ष : आपकी सहमति है तो पढ़ करके सुना देता हूं। (व्यवधान) श्री परसराम मदेरणा, श्री घासीराम यादव, श्री महेन्द्र कुमार मीणा, श्री हरिसिंह श्री मोहन लाल मोदी, श्री खेतसिंह राठौड़, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्री शिवनाथ सिंह, श्री हरेन्द्र मिर्धा, श्री रामनारायण, श्री जगदीप धनखड़, श्री रतनलाल ताम्बी, श्रीमती इन्दिरा मायाराम, श्री हीरालाल (बामनवास), श्री शीशराम ओला, श्री शैलेन्द्र जोशी, श्री हीरालाल महरिया, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री नारायण सिंह, श्री परसादी लाल, श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल, श्री रामगोपाल बैरवा, श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री रामेश्वरलाल चौधरी, श्री भीमराज भाटी, श्री हीरालाल विश्नोई, श्री नरेन्द्र बुडानियां, श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, श्री दयाराम परमार, श्री भरतसिंह, श्री कुबेर सिंह, श्री शान्ती कुमार धारीवाल, श्री राम नारायण डूडी, श्रीमती कमला, श्री अमरा राम चौधरी, श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री सुन्दर लाल, श्री नाथुराम अहारी। ये तो आज के हैं।

नियम 131 में श्री रामनारायण चौधरी, श्री अमरा राम चौधरी, श्री हरजी राम बुरडक, श्री रामनारायण मीणा, श्री दयाराम परमार, श्री जगदीप धनखड़, श्री रतनलाल ताम्बी। नियम 50 में श्री हरिसिंह कुम्हेर, श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) श्री अमराराम (धोद), श्री रतनलाल ताम्बी, श्री रामनारायण चौधरी। श्री विष्णु मोदी। नियम 295 में श्री हीरालाल (बामनवास)। नियम 127 में श्री भीम सेन चौधरी, श्री हरजीराम बुरडक, श्री हीरालाल मीणा। श्री रामनारायणजी, आप पहले बोलना चाहते हैं?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो आसन का आदेश मानता हूं फिर ये मेरे सीनियर मैम्बर हैं यह जो कहें वह कर लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्षजी, जिस ढंग से ये मसला सदन में आया है काफी महत्वपूर्ण है। अब यह देखना है कि सरकार उद्योगपतियों को चाहती है या किसानों को। अध्यक्षजी, गांवों में किसान का नाम लेकर वोट लें, बातें उद्योगपतियों की करें तो दोनों में तालमेल नहीं बैठता।

श्री अध्यक्ष : एक बात और बता दूं कि रूल 50 में दो घंटे का समय मैक्सिमम होता है। आप यह भी देख लीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : सदन की इच्छा हो तो समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिये याद दिला रहा हूं कि इतना टाइम ही है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार करते ही दो घण्टे का है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करूं कि आप रूल 50 यदि पूरा पढ़ लेते तो इसी

(श्री अध्यक्ष)

में व्यवस्था है कि डिबेट कराना कि नहीं कराना यह डिसीजन करने के लिये हाउस की सहमति ली जाती है। हाउस की सहमति पर डिबेट शुरू होती है। डिबेट होने के बाद दो घंटे तक बहस होती है then the question is put. प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि कन्क्लूड नहीं हो तो आटोमेटिकली डिबेट समाप्त हो जाती है। इसलिये मैं आपको बार-बार कह रहा था कि it amounts to censure motion.

(13.00 बजे)

क्योंकि इसमें क्वेश्चन रखा जाता है। यह इसकी पूरी हिस्ट्री है एडजोर्नमेण्ट मोशन की, आप कहो तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है। रूल फिफ्टी में भी यही है कि अन्त में डिबेट के बाद क्वेश्चन पुट करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं? यह होता है। क्वेश्चन पुट करने का मतलब ही यह है इसलिए कह रहा हूं। इसलिए इस पर कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं होती। डिबेट हो जाती है and automatically it terminates. इसलिए दो घण्टे का समय है। टाइम दो घण्टे का रूल 50 में ही तय किया हुआ है, मैंने तय नहीं किया है। अब इसके आगे क्या करना है आगे देखेंगे। अब तो आप बोलते समय इस बात का ध्यान रखिये ताकि सब का नम्बर आ जाये। हां, बोलिये रामनारायण जी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक खास ऐसा सुझाव है जिससे बहुत जल्दी हल हो जायेगा। मेरे को एक मिनट का अगर आप समय देंगे तो ऐसा सुझाव है कि बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। वह हल तो मेरे चैम्बर में अभी आपके प्रतिपक्ष के नेता बैठ कर के कर लेंगे तो वही फाइनल हल होगा, उसी में तय हो जायेगा। आप बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि किसान राजस्थान में कितने हैं, उद्योगपतियों को कितना फायदा हो रहा है, यह सारा का सारा, आंकड़े देखने का काम सरकार का है। मेरा ऐसा मानना है कि किसान को बिजली नहीं दी जाती है तो कोई बात नहीं, ट्रिपिंग जिस ढंग से होती है, जिस तरह से मोटरें चल रही हैं, किसान मोटरों को दुबारा खरीद नहीं पा रहा है। आपको ताज्जुब होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को शायद इस बात का ध्यान नहीं होगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ऊर्जा मंत्रीजी तक यह बात नहीं पहुंचाई होगी, 1991 में जो पैसे किसान के जमा हुए, आप बिजली की बात कर रहे हो, उनके पास बिजली नहीं है। मैं नामजद गांव बता रहा हूं, बन्थली गांव है तलवास पंचायत का, कोई चाहे तो

(श्री रामनारायण वर्मा)

लिख लें, 1991 में पैसे जमा हैं। एम. एल. ए. की हैसियत से, जब मैं पिछली विधान सभा में तब मैंने लिखा, आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। दुबारा देने की कोई गुंजाइश नहीं है। लाइन खड़ी नहीं है और गांव को इलेक्ट्रिफाई कर दिया? तो मेरा निवेदन है कि इण्टीरियर के गांवों में बिजली आती नहीं है। एक घण्टे आती है उसमें भी ट्रिपिंग होता है और उसके साथ ही रात को एक घण्टे बिजली दी जाती है इससे ज्यादा शर्मनाक काम कोई और हो नहीं सकता। जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है गांव वालों के वोट लेने की बात करती है लेकिन किसानों को, गरीबों को रात में सांप, बीलवा, बिच्छू वगैरह काटते हैं, कितनी मौतें होती हैं, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता और हमारा दुर्भाग्य यह है कि किसान जो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से मारा जाता है उसको मुआवजा राशि या राहत देने का कोई तरीका नहीं रखा गया है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को बिजली दी जाये दिन के समय में। कारखाने को भले ही बिजली रात में दी जाये। इसलिए रात में दी जाये कि वहां मजदूर को किसी तरह का कोई रात के समय में नुकसान नहीं हो सकता, किसान को नुकसान होता है। सर्दी का टाइम है, कारखाने में छप्पर होता है। मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर छप्पर नहीं होता।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, बिजली तो आपके पास मौजूद है, हो सकता है कम हो लेकिन काश्तकारों को बिजली नहीं दी जाती है। आप कहते हो हमारे पास बिजली नहीं है। काश्तकारों को बिजली नहीं दी जाये, कोई बात नहीं, बिजली की लाइनें जिस तरह की हैं उससे कठिनाई आती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसान की जो हालत बिजली विभाग ने बना रखी है वह बहुत भयंकर है, नुकसानदेह है। किसान के मीटर में एक घण्टे बिजली नहीं आती है। आप नैनवां क्षेत्र की जांच कर लीजिए, आप यदि एक महीने का रिकार्ड उठा करके देखें, किसान को जो बिजली का बिल जाता है उसको उठाकर देख लीजिए, चार पांच-दस हजार का बिल, जबकि अध्यक्ष महोदय, किसान एक दिन भी बिजली पूरी नहीं लेता है। इसके बावजूद इस तरह की बातें होती हैं। मैं आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन से मिला, मैंने शिकायतें कीं, मुकदमें बनाये उसके बाद में पता नहीं कौनसा प्रेशर था, मुकदमों में एफ. आर. लगा दी गयी। गलत ढंग से बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, कद्र करता हूं। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, भगवान के वास्ते, किसान तो अल्ला की गऊ है, अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी को राय दीजिएगा, मुख्य मंत्रीजी यदि दिन में किसान को बिजली देना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा हो। जब से यह आये हैं

(श्री रामनारायण वर्मा)
तब से किसान का नुकसान बहुत हो रहा है। शायद इनको पता नहीं चार-पांच तो ऐसी मण्डली इकट्ठी हो गयीं। किसी साधारण काश्तकार के बेटे से पूछते हैं, मिलते हैं? थोड़ा समय निकालें, किसान की समस्या भी हल कर दें। आपको तो बहुत श्रेय मिलेगा और उस श्रेय में आपकी भी भागीदारी हो उनको समझाने में। मैं भी आशा करता हूं, आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान का ध्यान पहले रखें। बनिस्पत करोड़ पति, उद्योगपति, अरबपति के।

आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीप धनकड़।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इस मोशन का मूवर मैं हूं, आप इनको देख लीजिए, दस्तखतकर्त्ता के नीचे सब से पहले मेरे दस्तखत हैं बाद में सब दस्तखत हुए हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मैं डाक्टर साहब के बाद बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने जब हरिसिंह का नाम पुकारा तो बोल चुके वह, उन्होंने कहा, मेरा नाम है। मैंने कहा, तीन हरिसिंह हैं। वह बोले, मेरा नाम है। आप थे नहीं शायद।

श्री जगदीप धनखड़ . मैं डाक्टर साहब के बाद बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब का नाम ही नहीं है इसमें कहीं।

डा. हरिसिंह : मेरा नाम ही नहीं है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक हरिसिंह का इसमें जो 9 नम्बर विधान सभा क्षेत्र के हैं, आपका नम्बर कौनसा है?

डा. हरिसिंह : यह हो ही नहीं सकता। सब से पहले दस्तखत ही मैंने किये हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने डाक्टर साहब के कहने से दस्तखत किये थे। मेरे से डाक्टर साहब ने दस्तखत कराये थे।

श्री अध्यक्ष : तो वह हरिसिंहजी (महुआ) जबरदस्ती बोल गये फिर।

डा. हरिसिंह : मैंने सबसे पहले दस्तखत किये थे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय, आप अपने अध्यक्षीय अधिकारों का उपयोग करके डाक्टर साहब को बुलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बोलिये। आप बोलिये, डा. साहब।

डा. हरिसिंह : यह मोशन मैंने बनाया, दस्तखत मैंने किये, मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, धनखड़ साहब को धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाडी (चौमूं) : डाक्टर साहब, आप सही-सही बात बता देना कि अपने को बिजली कितने घण्टे मिल रही है। मैं आप पर विश्वास करता हूं,

(श्री घनश्याम तिवाडी)

आमेर में, चौमूं में जो बिजली मिल गयी वह आप बता दें। (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आप चौमूं से आते हैं। आपको मालूम पड़ जायेगा जब आप चौमूं जायेंगे।

डा. हरिसिंह : अध्यक्षजी, विद आल ड्यू रिगार्ड्स, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो व्यवस्था देते वक्त इसको महत्वपूर्ण नहीं माना, मेरे दिल में बड़ी चोट लगी पर आपने इतने बड़े समुदाय.....

श्री अध्यक्ष : इस पर आप भाषण देंगे ? मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कृपया, इस पर भाषण नहीं दें। अध्यक्षीय व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया। यह टेक्निकल मामला है।

डा. हरिसिंह : आत्मा का दु:ख तो सुनाऊं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो आप अध्यक्ष का नाम मत लीजिये। यह कहिये बड़ा अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है या उसके दो-चार विशेषण और आपको याद हों तो लगाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर अध्यक्षीय व्यवस्था की बात मत करिये।

डा. हरिसिंह : अध्यक्षजी, आपने विशेषण लगा दिये अब मैं क्या लगाऊंगा इसमें। किसान और बिजली के मामले में मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व में कई बार आन्दोलन किये हैं। बिजली कितने घण्टे मिलनी चाहिए, इस मामले में भी आन्दोलन किये हैं, बिजली की रेट नहीं बढ़नी चाहिए इस मामले में भी आन्दोलन किये हैं। लेकिन जब उनके हाथ से काम आया, काम किया है उलटा। जब-जब वह मुख्य मंत्री बने, बिजली कम मिली। कांग्रेस के राज से भी कम मिली और रेट भी उन्होंने बढ़ा दी। यह तो है उनकी कथनी और करनी का अन्तर।

बिजली डिपार्टमेंट आज पुलिस डिपार्टमेंट से भी ज्यादा लोगों में भयानक डर का विषय बना हुआ है क्योंकि जब-जब किसान बिजली के कनेक्शन के लिये अप्लाई करता है और जो एस्टीमेट बनता है तब से उसको लूटना चालू होता है। जब तक फाइल एक्स. ई. एन. के दफ्तर तक आती है, बगैर पैसे के वह फाइल आगे खिसकती ही नहीं है। आगे कितना क्या होता है, मैं समझता हूं 90 प्रतिशत तो करप्शन यहां से चल जाता है। लाइनमैनों के घर और उनके मकान, उनकी बिल्डिंग्स देखिये, आप ताज्जुब करोगे, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में जाकर देखिये, लाइनमैनों की हैसियत, वह मेरे ख्याल से आई. ए. एस. और आई. पी. एस. से कम नहीं हैं। तो जब तक यह लाइनमैनों का करप्शन जो हैं, फ्लैट रेट जब की थी उसमें मैं भागीदार था, तो उसका एक मैन कारण यह था...

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : डाक्टर साहब यह सब आपकी तरफ से

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

बनाया हुआ मामला है अब आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, आपने सिखाया है उनको ।

डा. हरिसिंह : इसीलिए किया था कि अगर इस लाइनमैन से किसान का पीछा छूट जाये तो काफी हद तक मुक्ति मिल जायेगी । विक्टिमाइजेशन किसान का होता है, बिजली डिपार्टमेंट का दायित्व कोई नहीं है । मीटर जल जाय तो वह उसका दायित्व, है बिजली नहीं आये तो डिपार्टमेंट का कोई दायित्व नहीं, किसान की फसल जल जाये, तो कोई दायित्व नहीं । इससे उस पर, जितनाभार जितना उस पर शिकंजा कसा जाता है, बिजली डिपार्टमेंट कसता है और किसान को जब-जब बिजली डिपार्टमेंट के कारण से नुकसान होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती । किसान की फसल सात दिन बिजली नहीं आयी, ट्रांसफार्मर नहीं लगा, चौपट हो गयी तो उसको बिजली डिपार्टमेण्ट मुआवजा देता है क्या ? मैं आज मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बिजली डिपार्टमेण्ट की गलती से अगर किसान को नुकसान होता है तो उसके लिये क्या व्यवस्था है ? किसान के लिये कोई व्यवस्था नहीं, मामला एक तरफा है । किसान को तो खाये जाओ और बिजली डिपार्टमेंट जो भी काम करे वह सही और किसान को नुकसान हो उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती । दो-तीन एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताऊं कि इस सरकार से तो ऐसी आशा ही नहीं की जा सकती क्योंकि यह साम्प्रदायिक सरकार है, किसान विरोधी सरकार है । इससे किसान को राजस्थान में आशा ही नहीं करनी चाहिए कि यह उसके लिये क्या कर सकती है । यह किसान का मन तो बना हुआ है सारे राजस्थान में । अब कुछ गलती हुई, किसान की मर्जी के खिलाफ में आप लोग कुछ कारणों से आ गये, कुछ हमारी गलती के कारण से आ गये (व्यवधान) आप तो उसी गलती के कारण से आये, श्रीमान्जी । आपको अगर टिकट दी जाती तो आपकी जमानत जब्त होती !

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो आते रहना ।

डा. हरिसिंह : हां, मैं तो आता रहा हूं और आगे देखा जायेगा । पब्लिक चाहेगी तो आ जाऊंगा । तो मैंने आपको कहा कि किसान की फसल जल जाती है, क्या बिजली डिपार्टमेंट कम्पनसेशन देता है ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कमिटमेंट चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब किसान बरबाद हो जाये बिजली डिपार्टमेंट की कमी के कारण तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान बरबादी से बचे ? सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है । बिजली अभी कहीं एक घण्टे मिलती है और कहीं दो घण्टे मिल रही है और खास तौर से मेरे एरिया में जहां रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन के अन्दर कम से कम एक घण्टा तो धोरे में लग जाता है तो जब तक धोरे में पानी जाता है क्यारी तक जाने से पहले कट जाती है और वह फिर सूख जाता है । और फिर (व्यवधान)

(श्री हरिसिंह)

यह सजेशन तो आपका है ठीक है। फावड़ा लगाने के लिये सबको (व्यवधान) हां यह कह रहे हैं। और फिर लड्डू खा लो रोटी नहीं है तो, कहने का यही मतलब है ना आप का। तो कहने का मतलब यह है कि सारा मामला किसान का तंग करने के लिये है। बिजली डिपार्टमेंट ने ऐसी-ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिससे किसान तंग हो और उसके बावजूद किसान सहन कर रहा था इस बात को। अब जब बिजली दो घण्टे मिलती है, किसान ने 10 घण्टे के हिसाब से बुवाई की हैं। इससे राजस्थान का किसान बरबाद होगा। किसान की फसल बरबाद होगी तो किसान बरबाद होगा और यह मानकर चलिए कि किसान बरबाद होगा तो यह प्रदेश भी बरबादी से बच नहीं सकता। किसान की बरबादी इस प्रदेश की बरबादी है। किसान की आबादी इस प्रदेश की आबादी है। इसलिए इस मामले में बड़ी गम्भीरता से कम से कम 8 घण्टे बिजली की व्यवस्था करें। चाहे आप आसपास से उधार लाइनें खरीद कर लाइये। किसान को बिजली उसकी फसल तक दीजिए। जयपुर में बिजली सड़कों पर बन्द कर दीजिए। म्यूनिसिपैलिटी में जो आज यहां लाखों यूनिट शहरों में लगते हैं, वह बन्द कर दीजिए क्योंकि राजस्थान के किसान को बचाना है। जयपुर की सड़कों पर आप सूई पिरो सकते हैं। जौहरी बाजार में 12 बजे, एक बजे रात को सूई में डोरा डाल सकते हैं आप और किसान की मोटर बन्द पड़ी है। मुख्य मंत्रीजी, जरा सोचिए इस बात को। और क्या व्यवस्था की जा रही है मरकरी लाइटें कौन-सी अल्ट्रामार्डनाइज है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हो। यह तो व्यवस्था यहां चल रही है और किसान के खेत में मोटर बन्द पड़ी है। यह क्यों है? यह इसलिए है कि यह सरकार किसान विरोधी है।

कारखानों के लिये आपने कितनी सख्ती की? कितने कारखानों में कितने करोड़ रुपया बकाया हैं? किसान के साथ आपने क्या किया? कितना करोड़ रुपया बकाया है? आंकड़े तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बड़े--बड़े कारखानों में इतना करोड रुपया बकाया है जिसका वन पर्सेण्ट भी किसानों में बकाया नहीं है। तो आप कम्पेरीजन कीजिए इस बात का

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

कि किसानों में कितना बकाया है और इन इण्डस्ट्रीज में कितना बकाया है। इनको कितनी रियायत दी जाती है। आपने पिछली दफा जब मुख्य मंत्री बने तो तुरन्त योजना में खूब लूटा किसान को और इनडिस्क्रिमिनेटली पैसे जमा करा लिये, फिजीबिलिटी नहीं देखी। किसानों के आज तक कई कैसेज ऐसे हैं जिनके पैसे बिजली डिपार्टमेंट में जमा हैं और उनको बिजली नहीं मिली। उनका ब्याज भी नहीं दिया आपने और न उनके पैसे लौटाये। तो इनडिस्क्रिमिनेटली पैसे जमा करवा लिये, बिजली आप दे नहीं पाये, यह किसान विरोधी नीति नहीं है तो और क्या है, मुख्य मंत्रीजी, आप बताइये?

अन्त में मैं एक बात और बताता

(डा. हरिसिंह)

चाहता हूं। बिजली डिपार्टमेंट का कन्ज्यूमर जो खास तौर से किसान है, उसके साथ जो ज्यादातियां हैं उनको दूर करने के लिये मेरा एक सुझाव है। यह मांग तो है ही कि आप 10 घण्टे बिजली दीजिए। 10 घण्टे बिजली नहीं देंगे तो मैं आपको जन-प्रतिनिधि की हैसियत से आगाह कर देता हूं कि इस राजस्थान के सचिवालय में बैठकर आप सरकार नहीं चला पायेंगे। यह मेरा आपसे आगाह करना है। इसको देख लेना महीने-डेढ़ महीने में। 10-5 दिन में नहीं किया तो आपको पता लग जायेगा। आपको सब को छोड़ कर भागना पड़ेगा, इस सचिवालय को। अब कहां जायेंगे यह तो आप सोच लीजिए।

मैं सुझाव यह दे रहा था कि किसान की समस्या एस्टीमेट बनाने और फाइल की समस्या, शिफ्टिंग की समस्या के लिये हाउस की एक कमेटी बनाइये। वह कमेटी बिजली डिपार्टमेंट के कन्ज्यूमर को सुनकर आपको सुझाव दे, बिजली बोर्ड के कानूनों में संसोधन हों, सरलीकरण हो ताकि किसान को राहत मिले। अन्त में यह मांग करता हूं कि 10 घण्टे अगर बिजली नहीं दी तो, अध्यक्ष जी, यह राजस्थान की सरकार ये किसान चलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष जी, राजस्थान राज्य और जनता के सामने वास्तव में बड़ा ही जबरदस्त संकट है। इसको केवल किसान का संकट ही नहीं माना जा सकता, गांव का संकट ही नहीं माना जा सकता। किसान के भाग्य से राजस्थान का पूरा विकास जुड़ा हुआ है। व्यापार और उद्योग भी इससे अलग नहीं हैं।

मान्यवर, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब ने जब शपथ ली तब किसान और बिजली की आंख मिचौली थी। यह आंख मिचौली राज्यपाल के अभिभाषण के साथ खत्म हो गयी और किसान को एक तरीके से अंधकार में डाल दिया। आज किसान भयंकर रूप से पीड़ित है। उसके सामने बिजली की साधारण समस्या नहीं है। मान्यवर, बिजली आती नहीं, आती है तो उसकी क्वालिटी पुअर है। उसके संचालन करने वाले आदमी मार्मिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। उसको बिजली दी जाती है, थोड़े बहुत समय के लिये, इनकन्वीनियंट आवर्स में। भारी भेद-भाव हो रहा है। यह पूरी समस्या, मान्यवर, क्यों पैदा हुई, यह मूल प्रश्न है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ले-देकर समस्या डिमाण्ड और सप्लाई की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, राज्यपाल शासन से पहले आप मुख्य मंत्री थे, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है क्योंकि बिजली के प्रोडक्शन के लिये आप जितना करना चाहते थे, किन्हीं कारणवश नहीं कर पाये और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड रहा है।

मान्यवर, यह समस्या दलगत राजनीति

(श्री जगदीप धनखड)

की नहीं हो सकती। यह समस्या विकास से जुड़ी हुई है। इस समस्या का यदि समाधान नहीं किया गया समय रहते हुए तो आने वाले समय में विकास को धक्का लगेगा, समाज की व्यवस्था भी बिगड़ेगी।

इस अवसर पर, मान्यवर, मैं कुछ ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार का, जिन पर माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, बिजली कम है या ज्यादा, आप इस भेदभाव को मिटाइये, गांव और शहर के भेदभाव को मिटाइये। शहर में बिजली आती है, गांव में नहीं आती है, क्या कारण है? क्या गांव के लिये अलग कानून है, शहर के लिये अलग कानून हैं? क्या गांव के अन्दर विद्यार्थी पढ़ते नहीं? मान्यवर, उद्योग और खेती में भी भेदभाव मिटाइये। ऐसा देखा गया है और आपके शासन में देखा गया है कि 5 हार्स पावर के कनेक्शन के लिये किसान को 5 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा और 500 हार्स-पावर के उद्योग के कनेक्शन को 5 दिन में दिया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक है कि राजनीति से ऊपर उठकर सरकार एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जिससे राजस्थान के लिये पावर जनरेशन के मामले में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि चाहे किसान हो, चाहे उद्योग हों, समस्या नहीं आये। इसके लिये मान्यवर, कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार के समक्ष देना चाहता हूं।

मान्यवर, इसमें सरकार को शार्ट टर्म और लांग टर्म स्ट्रेटेजी शीघ्र आउण्ट करनी चाहिए। शार्ट टर्म स्ट्रेटेजी, मान्यवर, यह है कि यदि किसान पर ध्यान इस समय नहीं दिया गया तो किसान की फसल बरबाद हो जायेगी। किसान की फसल बरबाद होने का सीधा असर राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, व्यवसाय पर पड़ेगा, उद्योग पर पड़ेगा। तो निश्चित रूप सरकार इस चीज की व्यवस्था करे, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किसान को 12 घण्टे बिजली की मांग की है। उस मांग का हम समर्थन करते हैं ताकि किसान की फसल बच सके। मान्यवर, लांग-टर्म मेजर्स में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि कोई कसर बाकी नहीं रखें। वह राजस्थान के विकास पर अमिट छाप छोड़ जायेंगे। यदि पावर जनरेशन के मामले में उन्होंने कुछ कर दिया। अब तक सब कुछ होते हुए भी पावर जनरेशन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाये। इस बार भी कहीं ऐसा नहीं हो कि यह ट्रेक रिकार्ड वैसा ही जारी रहे। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं कह चुका हूं भेदभाव को खत्म कीजिए। यह भेदभाव हमारी साइकोलोजी को कुंठित करता है। इस भेदभाव की वजह से हमें महसूस होता है कि गांव में रहना गलत है। गांव के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है।

मान्यवर, किसान के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई के जो और साधन हैं उन साधनों को भी विकसित किया जाये

(श्री जगदीप धनखड)

इससे बिजली की बचत होगी । मैं किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

(13.20 बजे)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

1993 के मध्य में वहां बाढ़ आयी और अराई के करीब-करीब सभी तालाब नष्ट हो गये, उनकी रिपेयर अभी तक नहीं की गयी । यदि उनको रिपेयर किया जाता तो निश्चित रूप से बिजली की कुछ कमी को वह तालाब पूरा कर देते । क्योंकि किसान उन पर ही आश्रित रह सकता था ।

मान्यवर, आप अपने बोर्ड को भी सुधारिये । वैसे तो पूरे देश में बोर्ड की जो हालत है, बड़ी चिन्ताजनक है । आपने मुख्य मंत्री बनते ही नियुक्ति की है, अच्छा किया, अनुभवी आदमी है, मैं ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता पर आपकी नाक के नीचे आपने प्रेस कान्फ्रेन्स करवायी और विकास की बात की और किसान अंधकार में ही डूब गया । हाथ जोड़ कर विनती है, किसान का मामला है । मगर मच्छ के आंसू आप लोगों ने डंकल पर बहाये कि किसान को डंकल के कुप्रभाव से बचायेंगे । इस बिजली वाले मामले के अन्दर किसान पर कुप्रभाव को आप समझते हैं, पूरा सदन समझता है, पूरा प्रान्त समझता है, इस मामले में आप बचाइये और इसको राजनीति का मुद्दा न बना कर शार्ट टर्म और लांग टर्म, मेजर्स को इमीजियेटली इनीशियेट कीजिये ।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, एक हिदायत दें । बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका रवैया गांव वालों के प्रति ठीक नहीं है । हिदायत की इसलिए आवश्यकता है कि वह एक सामन्तवादी तरीके से बात करते हैं । आदमी अस्पताल में जाये और डाक्टर एक दूसरा तरीका अपनाये तो मरीज के ऊपर बड़ा गलत असर होता है । ट्रान्सफार्मर नहीं है तो वह ऐसा कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है । लाइन मैन है, किसी अधिकारी से कम रौब नहीं रखता है । वह आपकी तरफ से निश्चित रूप से गाइडलाइन्स जानी चाहियें कि वह जनता के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लायें ।

अंत में, मान्यवर, एक इमरजेन्सी क्लिनिक की व्यवस्था करें कि जहां भी कहीं किसान को समस्या है ट्रांसफार्मर की या अन्य कोई समस्या है वह वहां सूचित कर सके ताकि आपके ध्यान में यह बात आये और किसान की समस्या का निराकरण निश्चित रूप से हो सके ।

मान्यवर, इस समस्या के निराकरण में बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते । यदि इसकी शीघ्र घोषणा नहीं हुई, हम जिम्मेदार प्रतिपक्ष है, हमारी पार्टी की रीति-नीति है, हमारी पार्टी ने एक मेनीफेस्टो जारी किया है, डाक्टर साहब ने जो भावना व्यक्त की है वह कोई चुनौती नहीं है, वह

(श्री जगदीप धनखड़)

भावना यह नहीं है कि हम आपको वहां बैठने नहीं देंगे, मैं डाक्टर साहब की बात में अपने आप में शरीक मानता हूं कि यदि किसान की समस्याओं का निराकरण समय रहते हुए नहीं किया गया तो, मान्यवर, मजबूरन आप हम लोगों को आन्दोलन पर जाने के लिये फोर्स करेंगे। जिस तरीके से आप सत्ता में रहना सीख रहे हैं, हम भी विपक्ष में रहना सीख रहे हैं, वह सशक्त आन्दोलन होगा। ऐसी नौबत न आये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला। (अनुपस्थित) श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं हमारा हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग सिंचाई के साधन हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में नदियों का अभाव है, वर्षा की कमी है और ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों को इस समय बिजली न देकर उस प्रान्त में, जो कृषि प्रधान हो कृषि को बचाया नहीं जा सके, यह मैं करीबन सन् 1980 से यहां इस हाउस में सुनता आ रहा हूं, हमारे बुजुर्ग नेताओं को अच्छी तरह से मालूम है कि यहां हमेशा बिजली के बारे में चर्चा होती है और बिजली की समस्या हमेशा रहती है, इस बिजली की समस्या का समाधान कर लिया जाये और किसानों की काश्त को बचा लिया जाये तो हमारे इस प्रान्त के अन्दर फिर से बहबूदी आ सकती है। सभापति महोदय, कारखाने के अन्दर बैठा मजदूर रात को बिजली जला सकता है, उसको न सर्दी की जोखिम है, न किसी जानवर का जोखिम है लेकिन हमारे बुजुर्ग लीडर और प्रान्त को चलाने वाले सबको अच्छी तरह से मालूम है कि किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में रात को पानी देने जाता है और बिजली की निश्चितता होती नहीं है। बिजली आती नहीं है उससे पहले ही वापस चली जाती है। किसान अपनी फसल तक जाता है फिर भाग कर वापस आता है। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से कि कम से कम दो महीने तक किसानों को दिन में बिजली दी जाये और 12 घण्टे भी नहीं तो 10 घण्टे तो अवश्य बिजली दी जाये जिससे किसानों की फसल बचायी जा सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के गांव दादिया रामपुरा में एक 33 के. वी. का ग्रिड स्टेशन लगा हुआ था उस ग्रिड स्टेशन में दोनों ट्रांसफार्मर जले हुए कम से कम पांच महीने हो गये हैं, यह छठा महीना चल रहा है। वहां पहले खरीफ की फसल के टाइम में, आखिर में जब फसल पक रही थी तो ट्रांसफार्मर जलने की वजह से पानी नहीं दिया जा सका। बार बार निवेदन करते करते भी यह ट्रांसफार्मर अभी तक वहां

(श्री महादेव सिंह)

नहीं पहुंचा इसलिए यह फसल यहां नहीं बोयी गयी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि दादिया रामपुरा के 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर जल्दी भिजवायें जिससे काश्तकारों को राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक जानकारी देना चाहता हूं सन् 1988-89 में विधान सभा क्षेत्र, खण्डेला की बस्ती में 132 के.वी ग्रिड स्टेशन पास किया गया था और वर्तमान, चेयरमैन साहब उस समय भी चेयरमैन थे और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही काम चालू करवाऊंगा लेकिन 1990 के बाद वहां न बना कर 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन श्री माधोपुर के पास एक जालपाली गांव हैं वहां बनाया गया जबकि जालपाली और मोपतपुरा के बीच 5 किलोमीटर का फासला है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन क्यों करना चाहता हूं? विधान सभा क्षेत्र खण्डेला का बहुत लम्बा चौड़ा एरिया है, एक ग्रिड स्टेशन उधर सीकर की तरफ पिपराली में है, वहां से बिजली आती है तो कम से कम 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और दूसरी मोपतपुरा से जाती है तो उसमें भी 50-60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इसलिए काश्तकारों को पूरा वोल्टेज मिल नहीं पाता है। बिजली वहां पहुंच नहीं सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में भी 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन लगवाने की कृपा करें। यही मेरा सुझाव था।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, मुझे किसी आवश्यक कार्य से जाना है, मुझे अगर पहले आप मौका दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है वह न सिर्फ अविलम्बनीय लोक महत्व का है बल्कि सर्वाधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है क्योंकि खेती के ऊपर न सिर्फ किसान की खुद की आजीविका और उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर है बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था भी उसके उपर निर्भर है। आज अगर खेती खत्म होती है तो देश के रिजर्व भण्डारों के ऊपर भारी असर पड़ता है। आज अगर खेती खत्म होती है तो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज के ऊपर असर पड़ता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर असर पड़ता है, व्यापार के ऊपर असर पड़ता है और कन्जूमर के ऊपर तो सबसे ज्यादा असर पड़ता ही पड़ता है और जो उत्पादक किसान खुद है उसकी तो कई वर्षों के लिये एक साथ आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है। इसलिए यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है, जबरदस्ती विरोध करने का भी सवाल नहीं है और जबरदस्ती इसका पक्ष करने का भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक तथ्य है कि आज कृषि के लिये बिजली की जितनी जरूरत है उसके मुकाबले

(श्रीमती कमला)

में बहुत कम बिजली मिलने से और जबर-दस्त सर्दी का मौसम होने से फसलों के खत्म होने की नौबत आ रही है। इसलिए बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले। इसके लिये गवर्नर साहब ने भी अपने भाषण में कहा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उनकी पार्टी ने भी समय-समय पर अपने भाषणों में कहा है कि किसान को हम पर्याप्त बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे। यह कहने बात नहीं है, यह होनी चाहिये। अगर यह नहीं होती है फलस्वरुप जो बरबादी होगी, खेती और उसके कारण से जो हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई फिर दो महीने बाद भी नहीं हो सकती। वह खत्म हो गयी तो खत्म हो वह गयी, पुनर्जीवित नहीं हो सकती। इसलिए इस दृष्टि से हमें इस मुद्दे पर बड़ी, गम्भीरता से, बड़ी संवेदनशीलता से उत्तरदायित्व को मानते हुए, जरूरी मानते हुए करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि सुबह 6 से 12 और 12 से 6 दिन में और उसके बाद में इसी तरह से रात में बिजली 6-6 घण्टा देकर 12 घण्टा बिजली पूरे रुप से इस वक्त मिलनी चाहिये। यह दो-ढ़ाई महीने का समय है इस वक्त अगर अपन ने फसल को बचा ली तो हम इस प्रदेश के लिये, किसानों के लिये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व का निर्व-हन कर सकेंगे और अगर यह नहीं निभता है तो हम समझते हैं हमने अपनी जिम्मे-दारी नहीं निभायी और जिस उम्मीद और आशा से लोगों ने आपको भी उधर की तरफ वोट दिये हैं और इधर भी भरपूर वोट दिये हैं तो वह हम लोगों की जिम्मेदारी के निर्वहन की बहुत बड़ी कमजोरी साबित होगी।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कांग्रेस के शासन में जब कभी इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, उस वक्त बिजली विभाग ने, सरकार ने, जितने और हमारे बिजली के उपभोक्ता हैं, चाहे वह उद्योग हों, चाहे वह व्यापारिक संस्थान हों, चाहे सरकारी विभागों में बिजलियां जलती हैं रात में भी, उनको बन्द करने का है या बहुत सारे बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं उनको करने का है, उस सबमें कटौती करके दो-ढ़ाई महीने खेती को बचाने के लिये इस तरह की व्यवस्था की गयी है। उद्योग भी हमारा एक बहुत इम्पार्टेण्ट सैक्टर है स्टेट की तरक्की का लेकिन वह उद्योग वेट कर सकता है और उसको वेट करने के बाद चलाने के लिये कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सी ऐसी औद्यौ-गिक इकाइयां हैं जिनको एक बार बंद कर दें तो चालू करने में काफी समय लगता है, नुकसान भी होता है उनके लिए कैप्टिव यूनिट्स रखने के लिये हिदायतें की हुई हैं कि जब कभी ऐसा मौका आयेगा वह अपनी उन यूनिट्स का उपयोग करेंगे। इसलिए आज उनको उन यूनिट्स का उपयोग करेंगे। इसलिए आज उनको उन यूनिट्स का उपयोग करना चाहिये और तमाम बिजली आज काश्तकारों की खेती को बचाने के लिये हमें देनी चाहिये।

(श्रीमती कमला)

सभापति महोदय, जिस तरह की व्यवस्था आज है उसमें बहुत-सी खामियां हैं। मैं विभाग के अधिकारियों से भी कई बार चर्चा कर चुकी हूं और, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे भी निवेदन करती हूं कि एक इमरजेन्सी पीरियड मानकर हमें यह हिदायत करनी चाहिये कि छोटे से लाइनमैन से लेकर चीफ इंजीनियर और चेयरमैन तक इन दो-ढाई महीने में इतने अलर्ट होने चाहिये राउण्ड-दी-क्लाक मानीटरिंग के लिये कि किसी भी जगह कहीं लाइन की खराबी है, कहीं ट्रांसफार्मर की खराबी है, कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं है, उन सबको अटैण्ड करने के लिये और रफा-दफा करने के लिये, जो गलतियां हैं उसके लिये हमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आयी 1990 में तो कितने ज्यादा चार्जेज बढ़ाये हैं। चाहे वह पोल के चार्जेज थे, चाहे कनेक्शन लेने के थे, चाहे बिजली के यूनिट्स के थे। वे किसानों ने दिये। अपने जेवर गिरवी रखकर दिये, अपनी जमीन गिरवी रखकर दिये, सब कुछ सहन करके दिये और इसलिए दिये कि अगर बिजली मिलती रहेगी तो उसकी अर्थ व्यवस्था किसी तरह से भी कायम रहेगी। इतना भार उठाने के बाद भी आज अगर उसकी फसल नष्ट हो गयी और उसकी अर्थव्यवस्था डावांडोल हो रही है तो, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत दर्दनाक स्थिति है और किसी भी हुकूमत के लिये इसकी अनदेखी करना उचित नहीं होगा। मैं जानती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को समझते हैं और करने की चेष्टा भी करेंगे लेकिन उसके लिये किसी और जगह कमी करना लाजिमी है। जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है और हम लोग करते भी रहे हैं कि ऐसे वक्त हम बाहर के राज्यों से ऊंची कीमत पर भी बिजली लेकर किसानों को देते रहे है इसलिए चाहे ऊंची कीमत पर बिजली लायें, चाहे कटौती करें, चाहे रेगूलेशन में, और चाहे ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ीकरण करें, उनको किसी तरह से सेविंग करके बिजली देवें। किसी भी तरह से आज किसान की खेती बचनी चाहिए।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज के दिन जैसे मेरे यहां पर बिजली का जो दफ्तर था वह उठाकर दूसरी जगह रखा हुआ है, आज उस पूरे एरिया, जो 11--12 पंचायतों का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको संभालने वाले इतने कोसों दूर बैठे हैं, इस वक्त भी अगर सरकार और बिजली बोर्ड इस जिद पर आमादा रहे कि किसी वक्त किसी व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने गलती की उसकी सजा पूरे इलाके को आप देते ही रहेंगे तो मैं समझती हूं यह कोई सहन करने लायक बात नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस दफ्तर, जो वर्षों से राड़ावास में कायम था, को तुरन्त वहां पर कायम किया

(श्रीमती कमला)

जाये। जिससे कि आज की खराब हालत के अन्दर वह किसानों को अटैण्ड कर सकें और उनको सही समय पर बिजली दी जा सके।

इसी तरह से मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहती हूं कि अगर यह बिजली आपने सही समय से नहीं दी तो जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था इसका पीने के पानी से सीधा सम्बन्ध है, आज जहां बिजली नहीं जाती है वहां पीने के पानी का इतना संकट हो जाता है कि उनकी टंकियां नहीं भरी जातीं, उन्हें पानी नहीं मिलता और पास के जो खातेदारी के खेत हैं उनके कुओं से दो-दो, चार-चार किलोमीटर दूर जाकर हमारी बहिन और बच्चियां पानी लेकर आती हैं, उनको भारी संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेगूलर मिले। मेरे शाहपुरा के आस पास छह घंटा सुबह में होता है लेकिन पीछे से जहां से हमें बिजली सप्लाई होती है वह फौरन कह देते है कि आपने ओवर ड्रा कर लिया, आप काट दीजिये। छः घंटे के बजाय तीन घंटे ही उनको बिजली मिलती है और बचा हुआ समय उनको वापस नहीं मिल पाता है। इस तरह की जहां पर दिक्कत है उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये और किसी भी हालत में फसल का नुकसान न हो इस बात के लिये हमें पूरी देखभाल करनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि यह सरकार भी, माननीय मुख्य मंत्री जी भी और अधिकारीगण भी बहुत ज्यादा गम्भीरता से, संवेदनशीलता से देश और समाज और काश्तकार के हित में ध्यान करके इस बात की व्यवस्था करेंगे। यह समय कोई लम्बा नहीं है ढाई महीने का समय है उसमें अगर हम उद्योगों को या दूसरे खर्चों को कम कर सकते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो जरूरी है वह अपने कैप्टिव प्लांट्स से अपना काम चला सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत--बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : जो लिस्ट थी उसमें हमारा नाम था। उन्होंने पढ़कर सुनायी थी इसीलिए हमने पूछा था और उसमें हमारा नाम पहले है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पूरी लिस्ट बता दी गयी... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं जिनका नाम बोल रहा हूं .. (व्यवधान) आपका नाम था तो आ जायेगा। मैंने नाम पुकारा है सिर्फ परसादीलाल जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पूरी लिस्ट बता दी गयी है।

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : सभापति महोदय, एक तरफ महिला है, एक तरफ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। आप न्याय करें।

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी घोषणा कर दी उसके बाद भी... (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये। श्री परसादी लाल जी. आप बोलिये ना।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज विपक्ष के नेता ने बिजली के संकट के बारे में जो चिन्ता सदन के सामने रखी उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए सरकार को बताना चाहूंगा कि बिजली का संकट आज सारे राजस्थान में किस तरह फैला हुआ है। आज चारों तरफ किसानों की एक ही मांग है, किधर भी जाओ, बिजली दो दिन से नहीं आयी, बिजली तीन दिन से नहीं आयी, बिजली दो घंटे आयी, बिजली रात में आयी, बिजली सुबह आयी, बिजली शाम को आयी। इस तरह की कहानियां आज किसानों के मुंह से सुननी पड़ रही हैं। चुनाव में मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह आम सभाओं में कहा था कि बी. जे. पी. की सरकार बनेगी तो हम किसानों को बाहर घंटे बिजली देंगे। किसान को हम बिजली चाहे कहीं से भी लाकर दें। पर जब 13 दिसम्बर को बिजली का संकट यहां पैदा हुआ तो दो-तीन दिन बाद ही बिजली बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति आयी कि उद्योगों पर जो कटौती लागू की गयी थी उसको समाप्त कर दिया गया है। पर यह कहीं भी उस विज्ञप्ति में नहीं लिखा था, किसान के लिये जो कटौती लागू की गयी थी, जो चार घंटे बिजली देने की बात की गयी थी, उसको बढ़ाने की बात सरकार की ओर से या बोर्ड की ओर से नहीं हुई।

सभापति महोदय, आज किसानों को चिन्ता इस बात की है क्या हमको इस संकट से उभरने का मौका भी मिलेगा? क्या सरकार हमको बिजली भी दे पायेगी? इस पुस्तक में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी बातें हैं उसमें एक जगह तो कह दिया गया कि हम चाहे कहीं से भी बिजली लाकर देंगे पर किसानों को पूरी बिजली देंगे। एक जगह यह भी लिख दिया गया कि गत वर्ष से भी ज्यादा इस वर्ष बिजली का उत्पादन हो रहा है। गत वर्ष तो बहुत अच्छी बिजली मिली थी राष्ट्रपति शासन में। आज क्या बात है किसान को दो घंटे-तीन घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती। एक कठिनाई और है। कभी लाइन इधर आती है तो मोटर उलटी घूमने लग जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। कभी इधर ठीक करें तो उधर घूमने लग जाती है। इस तरह की बिजली विभाग की जो अव्यवस्था है और किसानों की आज जो चिन्ता है वह एक आन्दोलन का रूप लेने राजस्थान में जा रही है और हो सकता है सरकार ने आज इस स्थगन प्रस्ताव पर कोई ठोस निर्णय लेकर किसान को आश्वासन नहीं दिया तो किसान जगह-जगह आपके जो पावर स्टेशन बने

(श्री परसादीलाल मीणा)

हुए हैं गांवों में, उन पर स्वयं कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके सरकार को मजबूर कर देंगे कि चाहे बिजली कहीं से लेवें, बिजली दें। यह सरकार के मंत्री-संतरी बैठे हैं इनको मैं आगाह कर दूं कि बिजली संकट से उबरने के बाद ही गांवों में जायें। मैं पिछले दिनों लालसोट गया था, सुना कि नरेन्द्र कंवर आ रही है इधर से, हम उनका रास्ता रोकेंगे परन्तु नरेन्द्र कंवर पता नहीं इधर-उधर से निकल कर आ गयीं। इस तरह की स्थिति किसानों की है। बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। परन्तु आज तक इस संकट से उबरने के लिये सरकार ने कोई ठोस निर्णय लेने की नीयत इस अभिभाषण में नहीं रखी है कि हम बिजली लायेंगे, बिजली देंगे। बिजली आयी, बिजली गयी।

सभापति महोदय, यह आडिट रिपोर्ट आयी है। आज किसानों के ऊपर एक महीने का बिल बकाया हो तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इस आडिट रिपोर्ट में 21 उद्योगपतियों की सूची है जिनके ऊपर, 21 के ऊपर 64 करोड़ और कुछ रुपया बाकी है। क्यों नहीं कनेक्शन काटते हैं? क्यों नहीं उनका कनेक्शन बंद करके किसान को देते हैं? किसान के ऊपर 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार बकाया है, किसी पर करोड़ है। इस सरकार के नुमाइन्दे है उनको यह उद्योगपति चन्दा देते हैं इसलिए यह कनेक्शन नहीं कटता है। उनसे चन्दा लेकर चुनाव लड़ते है इसलिए कनेक्शन नहीं कटता है। किसान के ऊपर एक महीने का बकाया हो तो अभियंता तुरन्त कनेक्शन काटने पहुंच जाता है। यह दोहरी नीति ...

श्री भंवर सिंह : सभापति महोदय, यह सदन के सदस्यों के आचरण के ऊपर आक्षेप है। चन्दा लेने की बात कही गयी है। ऐसे नहीं बोलें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बता दें सरकार की ओर से, आडिट रिपोर्ट में कहा गया है, यह उद्योगपति कौन से हैं। आप कटवाइये कनेक्शन सरकार से। किसान के ऊपर एक पैसा बकाया नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : परसादीलाल जी, यह कांग्रेस के सरकार राज से बकाया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको बोलने का अधिकार नहीं हैं। माननीय सदस्य, चौमूं से लड़ने के बाद आप में तो चौमूं का असर हो गया है इसलिए आपकी बात तो सारी बेअसर है। आप तो कुछ कहने लायक ही नहीं हैं। चुपचाप बैठने लायक हैं, चुपचाप बैठे रहने में आपका फायदा है। यह किसानों का इलाका है। यदि किसानों के खिलाफ आप बोले तो चौमूं जाना बंद हो जायेगा और अपने घर में बंद हो जाओगे। आपने देखा नहीं है चौमूं के किसानों के आक्रोश को अभी। देखने को मिलेगा आप जाओगे तब।

मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, जब किसान जयपुर में आता है तो कहता है जयपुर में तो 24 घण्टे बिजली दी जाती

(श्री परसादीलाल मीणा)

है, हमारे गांवो में तो आधी–आधी रात तक, दो-दो दिन तक अंधेरा छाया रहता है। आप भी, सभापति महोदय, गांव से आते हैं, गाँव की क्या हालत है ? जयपुर शहर में बिजली की क्या हालत है। आपके ज्यादा से ज्यादा पांच आदमी तो हारेंगे जयपुर से, आप बिजली काट दीजिए पूरे जयपुर की। हम जयपुर को बिजली देने को तैयार नहीं हैं गांव में किसानों को देंगे, काट दीजिए, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। पांच एम. एल. ए. ही नाराज होंगे। पांच नहीं अब तो चार हीं नाराज होंगे बाकी तो सारे गांव वाले एम. एल. ए. खुश होंगे कि जयपुर की बिजली काटकर गांव को दी है। मेरा अनुरोध है, सभापति महोदय, जैसी डाक्टर साहब ने चिन्ता बतायी कि सरकार ने ठोस निर्णय लेकर किसानों को आश्वासन नहीं दिया तो राजस्थान के किसान गांव-गांव में जगह-जगह इनके बिजली के कार्यालय हैं उनमें तोड़फोड़ मचायेंगे और यह कहेंगे कि इन हाण्डीकुन्डों को उठाकर ले जाओ इनकी कोई जरूरत नहीं है, किसान कोई बिजली का बिल जमा नहीं करायेगा, ऐसी स्थिति आ जायेगी। उसमें सरकार और सरकार के नुमाइन्दे कहां रहेंगे, इनको सोचना चाहिए। शहरों की बिजली की कटौती करें उद्योगों में कटौती करे, किसानों को बिजली दें। आधी रात में कितनी सर्दी पड़ती है ? वह रात भर खड़ा रहता है, अपने कुएं पर बैठा रहता है, उसको इन्तजार है कि मेरी बिजली कब आयेगी। कभी तो आती है 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे और कभी कभी तो, सभापति महोदय, बिजली आने का नाम ही नहीं है दो-दो दिन तक, ऐसे-ऐसे भी इलाके हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है जो अपने आपको किसानों का नेता बताते हैं, जिन्होंने जगह-जगह चुनाव सभाओं में कहा था कि हम किसानों के हिमायती हैं, हम किसानों को 12 घण्टे बिजली देंगे। परन्तु मुख्य मंत्री पद भार ग्रहण करते ही, पता नहीं शनिवार को शपथ ग्रहण करते ही क्या ग्रहण लग गया और किसानों को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि आज उनकी फसलें सूख गयी हैं, चौपट हो गयी हैं। मुख्य मंत्रीजी आराम से विधान सभा चला रहे हैं। जैसा उन्होने कहा कि हम तो यहां लालटेन से भी विधान सभा चला लेंगे। दे दीजिए आप किसानों को बिजली, हम तो यहां अंधेरे में बैठकर भी विधान सभा चला लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे संकट के समय हम विधान सभा चलाकर बिजली के उजाले का फायदा लें। आप तो विधान सभा बंद कर दीजिये परन्तु गांवो में किसानों को बिजली दीजिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजली की अव्यवस्था 13 दिसम्बर के बाद हुई है। चाहे आपको कहीं से भी बिजली लेनी पड़े, चाहे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल, से, मध्य प्रदेश से लेनी पड़े कहीं से भी लें पर आप बिजली लेकर किसानों को समुचित बिजली दीजिये और दिन में दीजिए। इस सर्दी में राजस्थान का किसान रात भर खड़ा होकर खेती नहीं कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, यह सरकार किसान

(श्री परसादीलाल मीणा)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

विरोधी होती जा रही है। इसलिए सरकार के लोगों को और नुमाइन्दों को सद्बुद्धि आये कि वह किसानों की हिमायत के लिये मुख्य मंत्रीजी को प्रेस करें। उन्होंने कोई विद्युत मंत्री भी नहीं बनाया जिसको हम कहें। सारे लोग मिलकर इसके लिए मुख्य मंत्रीजी पर दबाव डालें। चाहे जयपुर वह में अंधेरा करना पड़े बरदाश्त हो जायेगा। यहां कोई गेहूं पैदा नहीं हो रहा है, यहां कोई किसान मर नहीं रहा है, यहां कोई चिल्ला नही रहा है, यहां कोई मांग नहीं कर रहा है, आप राजस्थान के किसानों को बिजली देने के लिये सरकार को निर्देश दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली की योजना परियोजनाओं के बारे में बहुत कुछ चर्चा की गयी परन्तु यहां पर बिजली की बहुत आवश्यकता हो रही है किसानों के लिये उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आज हमारे दल वाले यह जो एडजोर्नमेंट मोशन लाये हैं उसका यही कारण है कि किसान इतना परेशान है कि वह हमें गाँवों में नहीं जाने दे रहा है। हम आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनायेंगे जिनका असर तीन साल चार साल बाद मिलेगा उसकी चर्चा तो हमने सुन ली किन्तु आज हमें वो यह बतायें कि हमारे किसान इतने परेशान हो रहे हैं, रात भर जागता रहता है और घण्टा-दो घण्टा भी उसको बिजली नहीं मिल रही है, उसके बारे में, उसको 10 घण्टे बिजली देने के बारे में वे क्या करेंगे। यह सही है कि बिजली बहुत ज्यादा नहीं है, बिजली की कमी है किन्तु यह निर्णय करना भी सरकार का काम है और मुख्य मंत्री का काम है कि आवश्यकता कहां ज्यादा और कहां कम है। आज जयपुर शहर के बारे में जैसा और साथियों ने बताया कभी बिजली बंद नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊं कि सजावट के लिये भी बिजली लगायी जा रही है सारे जयपुर को सजाने के लिये भी बिजली लगायी जाती हैं किन्तु गांव के किसान तड़प रहे है, जिनके खेत सूख रहे है, जिनके बच्चे देख रहे है कि उनको खाने के लिये अनाज नहीं मिलेगा, वहां बिजली नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार किसानों के लिये क्या करना चाहती है यह हम जानना चाहते है।

दूसरी, एक बात और बताना चाहती हूं कि जिन बाँधों से बिजली के अलावा डीजल इंजनों से भी पानी लिया जा सकता था उन बाँधों की मरम्मत का काम, जिनके लिये रुपया भी मंजूर कर दिया गया, शुरू नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारे सांगानेर में रूलर का बंधा है उसके लिए रुपया मंजूर पड़ा है लेकिन उसके लिये

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

काम शुरू नहीं किया गया है। चिरोटा का बांध टूटा पड़ा है, रामचन्द्रपुरा का बांध टूटा पड़ा है और चन्दलाई का बांध टूटा पड़ा है। आप बतायें, किसान कहां जायें। किसानों को रोने और देखने के अलावा कोई जगह नहीं है। बिजली नहीं दे रहे हैं, बांध टूटे हुए हैं, उनसे पानी ले नहीं सकते किसान क्या करें? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनको बिजली दी ही जाये। बिजली का प्रबन्ध तो तुरन्त करें लेकिन इसके साथ-साथ बांध हैं जिनसे दूसरे स्रोत बन सकते हैं उनको ठीक करने का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाये।

मेरा एक छोटा निवेदन और है, बिजली विभाग के बारे में। बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं उसके बाद एक महीने तक वह बदले नहीं जाते हैं। बिजली की खराबी होती है इंजीनियर से कहकर थक जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। बिजली विभाग इतना नहीं कर सकता कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं वह एक कानून बनाये कि अगर 8 दिन के अन्दर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जायेगा या चार दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जायेगा तो उसकी सूचना देनी होगी बड़े अधिकारियों को, चेयरमैन साहब तक सूचना जानी चाहिए कि यह कितने दिन में बदला गया, क्यों बदला गया, इतने दिन क्यों लगाये गये? मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार का कुछ प्रबन्ध तुरन्त नहीं किया गया तो हमारे किसान बहुत मुसीबत में हैं और उसका साथ हमें देना पड़ेगा। यह बात सही है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी समय रहते किसानों की मदद करें और उनको बिजली दें। जो रात भर जाग रहे हैं, उनको रात की जगह दिन में बिजली दें। जो उद्योग हैं। उन को आप दिन में नहीं देकर रात में भी दे सकते है क्योंकि वह कमरों के अन्दर उद्योग चलते है। उनको कम भी दी जा सकती है, उनको बन्द भी की जा सकती है। किन्तु किसान रात भर तड़प कर ठण्ड में बीमार हो जाता है। उसको सांप-बिच्छू खा जाते है इसलिए उसको दिन में ही बिजली दी जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दोरा

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने है। बिजली पर्याप्त है, यह मेरा सरासर आरोप है, लेकिन बिजली की प्रायोरिटी जो सरकार द्वारा होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी है। मेरा कहने का अर्थ है कि गंगानगर का किसान बिजली के रूप को भूल गया है बिजली के रूप को इस लिए भूल गया है कि यहां बैठी हुई सरकार ने जिस प्रकार की प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है उससे किसान बिजली को देख नहीं पाया है। जब किसान रात को सोता है तो बिजली आती है और जब किसान जगता है तो बिजली चली जाती है। गंगानगर जिले में दो तरह के सिंचाई के स्रोत हैं एक तो गंग कैनाल के जरिये नहरों में पानी आता है और सिंचाई हो जाती है

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

और दूसरा सिंचाई की पूर्ति के लिये नहर के किनारे किनारे जो ट्यूबवैल लगे हैं उनके द्वारा पानी खेतों में डालकर फसल को पकाया जाता है। आज हालत यह है कि जब किसान सोते हैं तो बिजली दी जाती है और वह भी एक-दो घण्टा और जब उठते हैं तो बिजली नदारद हो जाती है। मेरा सरासर आरोप है इस सरकार पर कि इसने जो बिजली डिस्टीब्यूशन की प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है वह बिलकुल गलत कर रखी है। एक तरफ चकाचौंध और दूसरी तरफ अंधेरा। इससे किसानों में बहुत रोष है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां ट्यूबवैल चलते हैं वहां रात को बिजली दी जाती है। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग रात को पानी नहीं लगाने देते और किसान भी अपनी बिजली का उपयोग रात को नहीं कर पाता। इसलिए आज बहुत जरुरी है कि सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों के हित में बिजली की प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री और सामने बैठी सरकार यदि चिन्तित हैं तो किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध कराये। नहीं तो हालात ये हो जायेगें कि जिन किसानों ने नहरी पानी से अपनी फसलें उगा दी हैं, उन्हे दूसरा-तीसरा पानी लगाना है और बिजली मिल नहीं पाती हैं ट्यूबवैल के लिये तो बरबाद हो जायेंगे।

भारत वर्ष कृषि आधारित क्षेत्र है। यदि यहां की सरकार नहीं चाहती कि यह कृषि आधारित क्षेत्र रहे, यहां का महत्व खत्म हो जाये, किसान उजड़ जाये तो इस प्रकार का इसका सोचना, इस प्रकार का विचार यह साबित करेगा कि सामने बैठे एम.एल.ए गांवों में नहीं जा सकेंगे, मेरा साफ-साफ आरोप है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बिजली उपलब्ध नहीं होती है। बिजली उपलब्ध नहीं होती तो शहरों में जो शादी ब्याह होते हैं, जो रौनक होती है किसान उससे वंचित क्यों रहें। किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह कटौती करके उद्योगों में कटौती करके शहरों में कटौती करके यदि किसान को बचाना है तो बिजली बच सकती है पर यदि उनका मन किसान के प्रति नहीं है, यदि वे किसान के प्रति रुचि नहीं रखते हैं तो दूसरी सोचने की बात है। बिजली की प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसानों को 12 घण्टे से ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए वह भी दिन में। यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमराज भाटी। (अनुपस्थित) श्री नरेन्द्र बुडानिया

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बिजली का। आज स्थिति यह बनी हुई है कि हमारे गांवों में बैठा किसान जिसको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है वह बहुत दुःखी है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : आप जरा तेज बोलिये, आवाज नही आ रही।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय सदस्य

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

काली चरण जी, आप जयपुर सिटी से चुनकर आये हैं। मेरी आवाज आपको इसलिए सुनाई नहीं आ रही क्योंकि बिजली का सामना आपको करना नहीं पड़ रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : किसानों के हक में तो जरा बुलंदी से बोलिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : हम लोग ऐसे क्षेत्रों से चुनकर आये हैं, उन गरीबों का वोट लेकर आये हैं, उन किसान भाइयों का वोट लेकर आये हैं जो आज वास्तव में तकलीफ में हैं। आज हम कोई आपकी क्रिटिसिज्म करने के लिए खड़े नहीं हुए। आज हम लोग खड़े हुए हैं हमारे दिल की आवाज से। आज हमारे दिल में दर्द है इस बात का कि जो हमारा पेट भरता है, मेहनत-मजदूरी करता है उसके सामने उसके हाथों से बोयी फसल जल रही है। हमारी सरकार के प्रति ऐसी धारणा बन गयी है किसानों की कि वह किसानों के प्रति जागरूक नहीं है। यदि वह जागरूक होती तो आज किसानों की बिजली की कटौती नहीं करती। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने दो घण्टे की बात कही किसी ने चार घण्टे की बात कही लेकिन मेरा यह मानना है कि बिजली बोर्ड और उसके अधिकारी इतने होशियार हो गये हैं कि वे कागजों में तो बिजली दो घण्टे भी दिखा सकते हैं, चार घण्टे भी दिखा सकते हैं लेकिन किसान के पास बिजली कितनी पहुंची है यह देखने का विषय है। मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं घनश्याम जी तिवाड़ी, जब जायेंगे चौमूं तो इनको पता लगेगा। मैं कल वहां से आया हूं। मुझे पूछ रहे थे लोग कि वे कब आयेंगे इधर। क्योंकि किसान देख रहे हैं इनकी तरफ। आज आप सब लोग जो सामने बैठे हैं सब किसानों से वोट लेकर आये हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि चुनावों में आपके सबसे पहले ये शब्द होते थे कि किसान भाइयों, हमारी सरकार बनाओ, हम आपकी तकलीफों की तरफ ध्यान देंगे। गरीब भाइयों, आप हमें वोट दो, हम आपका उत्थान करेंगे, बिजली की कमी को पूरा करेंगे और आपको भरपूर मात्रा में बिजली देंगे। 12-14 घण्टे और पता नहीं कितने घण्टे के वादे आप लोगों ने किये। आप यहां आने के बाद उस बात को बिल्कुल भूल गये ? क्या आपकी आत्मा में बिलकुल दर्द नहीं उन किसानों के प्रति ? आज वे बिजली की तरफ देख रहे हैं और इधर हमारे शहरों में, बड़े-बड़े मर्करी बल्ब, स्ट्रीट लाइट और उद्योग धन्धों में किस प्रकार बिजली का नुकसान हो रहा है। यह बहुत गम्भीर और चिन्तनीय विषय है। आज किसान और गरीब जो झोंपड़ी में बैठा है उसकी धारणा यह बन चुकी है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यदि आप यह सुनना पसन्द नहीं करते हैं तो आपको तुरन्त इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आज आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि सरकार 12 घण्टे से कम बिजली किसानों को नहीं देगी। आज जिन किसानों के कुए बने हुए हैं वे सिंचाई के लिये बिजली की तरफ देखकर तड़प रहे हैं। किसानों ने अपने बीवी-बच्चों के सब

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

के जेवरात और पता नहीं घर की क्या-क्या चीजें गिरवी रखकर अपने कुएं बना रखे है, वे बिजली की तरफ देख रहे हैं।

मेरी अभी एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति से बात हुई। मैंने पूछा, बाबा, वोट किसको दिया आपने? तो मुझे वे कहने लगे, बेटा, मैंने वोट किसी को ही नहीं दिया। मुझे इस बात का दर्द हुआ कि प्रजातन्त्र में जो वोट देने का अधिकार मिला है वह लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला है। यह वोट क्यों नहीं दिया आपने? तब मुझे वे कहने लगे आंखों में पानी लाकर कि किस बात का वोट दूं, आज मेरा कुआं बने पांच साल हो गये, मेरे बच्चे, बच्चे की बहू के गहने रखकर मैंने कुआं बनाया, आज पांच साल से मैं बिजली का इन्तजार कर रहा हूं।

(1400)

किस बात पर वोट दें, किस हक से हम वोट लेना चाहते हैं? तो, माननीय सभापति महोदय, आज यह देखना पड़ेगा, सब साथियों को मिलकर, चाहे इधर बैठें हों, चाहे उधर बैठे हों, हमको यह देखना पड़ेगा कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर लोगों की प्रजातंत्र में भावना बनी रहे, गांवों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली देनी पड़ेगी और यह बात भी आप मानकर चलिये, मेरे सामने जो भाई बैठे हैं, किसान भाई बहुत जागरूक हो चुके हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं वह, यदि हमने इस पर निर्णय नहीं लिया, यदि उसकी फसल जल गयी तो न तो वह विधान सभा में आने देगा और न मन्त्री महोदय को सचिवालय के अन्दर जाने देगा। गांव में तो, खैर, आप जायेंगे नहीं। इसलिए उसकी मर्जी की बात नहीं लेकिन वहां भी आपको जाने नहीं देगा, चढ़ाई कर देगा। वह क्यों करेगा? क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है उसके पास।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां पर किसानों फसल जल रही है। उसके साथ साथ मैं आज बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सारी की सारी परियोजनाएं जो पानी पीने के लिये बनी हैं, बन्द पड़ी हैं। मैं 60 गांवों का दौरा करके आया हूं। उनमें से दो गांवों को छोड़कर 58 गांवों के अन्दर लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो अकाल का मुकाबला कर रहे हैं वे गरीब लोग झोंपड़े में बैठे हुए, लोग तो अपनी मजदूरी की बात सोच रहे हैं दूसरी तरफ उनको अपने पशुओं के लिये, खुद के लिये दो-दो, तीन-तीन आदमियों को दिन भर दस-पन्द्रह कोस से पानी लेकर आना पड़ता है, यह हालत है।

इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा, आप स्वयं पता कर लें अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर पता कर लें कि जो पीने के पानी की परियोजनाएं हैं, जो कि डीजल पम्प से चल रही हैं उनमें भी कटौती करके तीन घण्टे जनरेटर्स चालू कर दिये गये हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : दो घण्टे की डिबेट को बढ़ा दिया ? दो बजकर पांच मिनट पर दो घण्टे हो गये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय सदस्य, यह हमारा अधिकारी है। बड़ी ज्वलंत समस्या है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसीलिए कह रहा हूँ कि बढ़ाइये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप बोलिये, आपको बोलना है, बढ़ाना पड़ेगा टाइम। और यह हमारे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनके दिल की बात हम समझते हैं। माननीय सभापति की बात भी हम समझते हैं, इनके दिल में दर्द है इस बात का, लेकिन ये बोल नहीं सकते क्योंकि पाबन्द हैं। इनकी बातें भी हम बोलना चाहते हैं। इशारा कर रहे हैं. माननीय सदस्य डाक्टर साहब कि आप और बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने इतनी सी बात कहूंगा कि सरकार इस बात को गम्भीरता से ले और किसानों को बिजली देने में प्रायोरिटी दे। जो बिजली आज रात को दी जा रही है वह दिन में दे और 12 घण्टे से पहले किसी भी हालत में न तो यह सदन स्वीकार करेगा और न हम करेंगे, न गांव में बैठा किसान स्वीकार करेगा। जो परियोजनाएं आपकी चल रही हैं बिजली से पानी की, उन पर आप तुरंत ध्यान दीजिए। वहां लोग तड़प रहे हैं। एक तरफ अकाल से तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ पानी से तड़प रहे हैं। उसकी तरफ आप गम्भीरता से ध्यान दीजिये। बिजली बोर्ड पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। उसकी अकांउटेबिलिटी फिक्स करनी होगी तब जाकर कहीं आपको इस बिजली की राहत मिलेगी। इस काम को करने के लिए आपको चाहे उद्योगों की बिजली में कटौती करनी पड़े, चाहे बन्द करनी पड़े, चाहे बड़े-बड़े शहरों में जो मर्करी लाइटें जल रही हैं उनको बन्द करना पड़े लेकिन कृपा करके आप गरीब किसानों की बात को सुन लीजिए, आपकी आत्मा को आशीष देंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार देर से बिजली आती है उसी प्रकार से देर से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली की समस्या पर आज जो यह (व्यवधान) .. आप तो शान्त रहिये, किसानों की बात को सुनें, आप दुकान में बैठकर किसानों की बात को क्या जानो। दुकान पर बैठे होंगे, किसान का गला घोटा होगा, कम तौला होगा आपने। दुकान पर बैठकर एक किलो का 900 ग्राम और मार पड़े तो जय सियाराम। क्या जानो आप किसानों की बात को (व्यवधान) एक किलो

(92)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में 900 ग्राम तौलकर किसानों को देते हो और किसानों को बिजली नहीं देते हो और राम का नाम लेकर आप किसान का गला घोटते हो, +++आनी चाहिये आपको +++आप। बैठ गये यहां सत्ता में आ करके (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, ये किसान विरोधी नेता है, आप इनको बिठाइयें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय खंगार सिंह जी, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप किसानों की बात को सुनते नहीं और दुकान पर बैठकर बातें करते हो। आज आप अगर किसान....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये, आप आसन की ओर देखकर बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, उधर से व्यवस्था बनायें, ये बीच-बीच में बोल कर के विरोध करते हैं।

श्री सभापति : आप मेरी तरफ देखकर बोलिये, आप उधर देखते है इससे व्यवधान होता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपकी तरफ देख रहा था, वे बीच में बोले थे। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं दुबारा कह रहा हूं एक किलो में 900 ग्राम और मार पड़े तो जय सियाराम। अगर गलत है तो आप कह दो इस बात को। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किसानों की बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गम्भीर समस्या है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज हमारे राजस्थान के किसान को रात में जो बिजली मिलती थी उसको वह रात की बिजली भी गायब हो गयी है।

सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि किसानों को जो बिजली नहीं दी गयी है उसके परिणाम क्या निकले हैं? किसानों की बुवाई रह गयी है, उसके खेत पड़े हुए हैं। पानी बोरिंगों के अन्दर पहले ही वहां कम है। अगर बिजली लगातार आती है तो दो-दो, चार-चार घन्टे उसके बोरिंग चलते हैं, फिर उसमें पानी रुक जाता है। अगर बिजली लगातार नहीं आती है तो दो घण्टे का पानी कब निकलेगा वह। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान आज किसान को हो रहा तो यह हो रहा है, उसकी फसल बगैर बोयी

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हुई रह गयी है। आज वह पैदा कहां से करेगा फसल ही नहीं बोयी जब उसने। और कुछ की हालत यह है कि जिसने बोयी उसमें महंगा खाद दिया, उसके अन्दर महगा बीज दिया, सारी तैयारी कर दी लेकिन बिजली नहीं मिलने के कारण वह फसल आज तैयार नहीं हो रही है। खेत में ज्यों की त्यौं खड़ी हुई है। सोचो आप, अगर किसी का बचपन में बच्चा बीमार हो जाये, उसको रोटी नहीं मिले, दूध नहीं मिले उसके लिये तो कितनी मां पर गुजरती है। ये मेरी बहिनें जो उधर बैठीं हुई हैं उनसे पूछो कि बच्चा जो होता है उसकी हालत क्या होती है। उसको आप दूध नहीं पिलाते हैं तो क्या उस पर गुजरती है। ऐसे मेरे किसान की छोटी फसल छोटे बच्चे के रूप में आज जो खड़ी हुई है उसको बिजली नहीं मिल रही है ऐसे समय में तो किसान पर क्या गुजरती होगी, यह बतावें आप। आप और हम सब किसान के+++ हैं (व्यवधान) आप बैठ जाइये, किसान की बात को सुनना पसन्द करो। आप तो किसान हैं, कम से कम आपको शोभा नहीं देता। इन दुकानदारो को बोल लेने दीजिये क्योंकि कोई दुकानदार विरोध करे तो ठीक लगे, आप किसानों का विरोध करते हैं .. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पाईंट आफ आर्डर सर। .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय खंगार सिंह जी, मैं आपको बोलने का समय दूंगा, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह था कि आपने माननीय सदस्य को बोलने का जो सुअवसर दिया, उधर से जो व्यवधान हुआ उसको एक्सपंज कीजिये क्योंकि आपने उनको बोलने की इजाजत नहीं दी, आपने उनको बोलने का कोई अवसर नहीं दिया। इसी से सदन की व्यवस्था रहेगी। स्वाभाविक है, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, आसानी से सच्चाई बरदाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो व्यवधान उत्पन्न किया गया और जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन हाउस के लिये किया, उसको एक्सपंज कीजिये।

श्री सभापति : मैं, माननीय सदस्य, आपसे भी यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय को गम्भीरता से लें। आप उधर नहीं देखिये, इधर देखिये। और गम्भीरता से लीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं गम्भीरता से ले रहा हू। आप उनको बन्द करें जो डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : हां, कर दिया। उनको बोलने का समय दूंगा मैं बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था और

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दें कि जब तक सदन चले तो सुबह जब खाना खाकर आयें तो हरी मिर्च कोई सदस्य न खाकर आयें।

श्री सभापति : मैं माननीय मीणा साहब से यही कह रहा हूं कि इसको गंभीरता से ही लें। व्यर्थ की उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं गम्भीरता से ले रहा हूं। आप गम्भीरता से लो और सदन गम्भीरता से ले....(व्यवधान) आप अमूल्य समय जो किसानों की बात का है, बेकार खर्च कर रहे हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप चौमूं जाओगे तब हरी मिर्च का पता लगेगा।

श्री सभापति : बिराजिये, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसान की जो फसल आज तैयार हो रही है, बिलकुल छोटे रूप में है और ऐसे समय में बिजली नहीं मिल पाती है। मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का निवेदन करूंगा कि आप अभी तो कह रहे थे, कोई कह रहा था 8 घण्टे बिजली मिल रही है, कोई कह रहा था 6 घण्टे बिजली मिल रही है, आज तीन दिन हो गये, लगातार तीन दिन से टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में एक घण्टा भी बिजली नहीं मिली, इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक घण्टा भी बिजली नहीं दे सके। क्या गुजर रही होगी वहाँ के किसानों के साथ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय जो बिराजमान हैं, लाल बत्तियां जो आपकी गाड़ी में लग रही हैं, यह आपकी शान नहीं, यह आपके खतरे की निशानी बन चुकी है। अब अगर आप इन लाल बत्तियों को लेकर के कम से कम मेहरबानी करें, नेशनल हाईवे के ऊपर इधर आगरा की तरफ तो जाना नहीं, मेरा क्षेत्र पड़ता है वहां रास्ते के अन्दर, अगर किसानों ने आपको घेर लिया तो जाने क्या-क्या आपके साथ करेंगे। मेरे और आपके क्या-क्या भार लगा दें, इसका पता नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय को यह हिदायत दे दें कि उन क्षेत्रों के अन्दर नहीं जायें, किसानों के अन्दर भयंकर रोष है। अगर कोई वारदात इनके साथ हो गयी, कुछ बात हो गयी। या तो इनकी गाड़ी की लाल बत्ती खुलवा दें जब उधर से जायें। नहीं तो यह खतरे की घण्टी इनके साथ चली तो इनका जीवन खतरे में हो सकता है। मैं घोषणा कर रहा हूं सदन के बीच में, यह मेरी नहीं, यह किसानों की आत्मा की आवाज है। अब वह समय चला गया जब आप स्वागत करवाते फिर रहे हैं जा रहे हैं अपने क्षेत्र में स्वागत करवा रहे हैं क्योंकि किसान मर रहा है +++ और वह रात को

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सर्दी के अन्दर खड़ा रहता है और देखता रहता है कि बिजली कब आयेगी, बिजली नहीं आयी और उसकी जगह मंत्रीजी आ गये तो आपकी हालत खराब कर दी जायेगी। अगर बिजली की जगह मंत्री महोदय, कहीं नजर आ गये .. (व्यवधान)...

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने तख्ती काहे की लटका रखी है ?

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय सदस्य ने...

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, मैंने तख्ती यह लटका रखी है कि "किसानों को 12 घण्टे दिन में बिजली देओ।"

श्री सभापति : वह तो आप बोल चुके हैं। वह मिनट्स में आ गया है।

श्री महादेव सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं इसलिए जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री सभापति : यह जिनको कल छापना है उन्होंने भी देख लिया है। अब आप बिराजें।

श्री महादेव सिंह : सभापति महोदय, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है। इसलिए मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति : अब आप बिराजें, जानकारी मिल गयी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह तख्ती आपने नहीं लटकाई है, यह तख्ती सब के हृदय में लटकी हुई है। अगर कोई किसान का बेटा है तो उसके हृदय में वेदना है, सब को लटकानी पड़ेगी यह तख्ती। अगर हमने इस तख्ती की ओर ध्यान नहीं दिया तो आपका और हमारा जीवन अब खतरे के अन्दर है। आज हम तो बिजली के अन्दर बैठे हुए हैं और राजस्थान की विधान सभा चल रही है। बड़े +++ की बात है, अगर राजस्थान विधान सभा आज अंधेरे में चलती तो पता लगता कि हम किसानों के हिमायती हैं। इसलिए सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए, माननीय सभापति महोदय (व्यवधान)....आप बैठ जायें।....(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : गुजरात में क्या हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप साहूकारों की बात करिये, किसानों की बात क्या जानो। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : बोलिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा कहना यह है कि जब इस पक्ष का कोई सदस्य बोलता है तो आसन के लिये सारे बराबर है... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है । अब बैठिये आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : ये व्यवधान कैसे पैदा कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : कौन सी आंख खोली जानी चाहिए, यह तो आसन के देखने का काम है ।

श्री सभापति : आप बैठ जायें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर आज 3 दिन हो गये, 3 घण्टे वहां बिजली नहीं जा रही है, क्या आपने इसका पता लगाया ? यहां सरकार चुपचाप बैठी हुई है, विचार कर रही है कि हम बिजली दिलवायेंगे । बिजली देंगे कहां से इनके पास बिजली है ही नहीं तो ? मैं कहना चाहता हूं कि सारी बिजली की जयपुर के अन्दर खपत हो रही है । 24 घण्टे जयपुर में बिजली मिल रही है । हमारी विधान सभा को और इन दुकानदारों को मिलती है जो किसानों+++के हैं । आप इनकी बिजली बन्द करें, कल से इनकी बिजली बन्द कर दीजिए । कल सारी चर्चा चाहे अखबार हो, रेडियो हो टेलीविजन हो, सब में यह जाना चाहिए कि सदन के अन्दर सबसे ज्यादा आज बिजली के बारे में चर्चा हुई तो किसानों के बारे में हुई थी, दुकानदारों के बारे में चर्चा नहीं हुई ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को बिजली दिन में दिलवाई जाये और जो बिजली दी जा रही है वह कम से कम 12 घण्टे दी जाये । मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार 3 दिन से बिजली नहीं जा रही है इसकी तुरन्त इन्क्वायरी करवाई जाये वरना अधिकारियों के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कुछ उनके साथ क्षेत्र के अन्दर होगा उस सब के जिम्मेदार हमारे मंत्री होंगे । यह पहले अधिकारियों को दंडित करवाना चाहते हैं, उन + + + को पिटवाना चाहते हैं, उनका घेराव करवाना चाहते हैं । मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा, कि आप निश्चिन्त रहें अब जब भी हमारे मंत्री महोदय, उधर पधारेंगे सबसे पहले घेराव अधिकारियों का नहीं करेंगे, आपका घेराव करेंगे । आना आप मेरे क्षेत्र में, निमंत्रण है । मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर आपको आने का निमत्रण देना चाहता हूं । आप पधारे, वहां का किसान आपका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ है । पता चलेगा आपकी ताकत का । महावीरजी, इशारा करके क्या कह रहे हैं आप ? आप चलिये मेरे साथ, मैं करवाता हूं आपका स्वागत । या तो बिजली लेकर आ जाना....

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपनोदित किया गया ।

श्री सभापति : आप उनका इशारा क्यों देख रहे हैं। आप जरा नजरें इनायत इधर रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आपने जोजा का स्वागत करवाया, वैसा ही करवाना।

श्री रामस्वरूप मीणा : वरना आप मजाक करना भूल जायेगें। इस बात के लिये हम सबको आनी चाहिए। किसान मर रहे हैं बिजली के बगैर और आप बिजली के बारे में मजाक कर रहे है

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए पुनः यही निवेदन करूंगा कि आप किसानों को 12 घण्टे बिजली दिन में दिलवायें और हमारे शहरों के अन्दर 24 घण्टे बिजली दी जा रही है उसकी कटौती कर दी जाये हमारी विधान सभा की बिजली की कटौती कर दी जाये और किसानों को बिजली दी जाये।

श्री सभापति : अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, जिस विषय को लेकर आज पूरा प्रदेश चिन्तित है उसके बारे में निवेदन करूंगा। मांग और आपूर्ति में जो अन्तर रहा है उसके लिये कोई जवाबदेह है तो राजस्थान में आज से पहले जितनी भी राजस्थान की सरकारें रही हैं वह हैं चाहे वह कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे श्री भैरोंसिंहजी की सरकार रही हो। जो किसान इस देश का और इस प्रान्त का अन्नदाता है उसके साथ सौतेला व्यवहार आज तक राजस्थान की धरती पर होता रहा है। जब से इस सरकार ने शपथ ली है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज किसानों को एक घण्टे बिजली नहीं मिल रही है। किसानों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार राजस्थान की धरती पर हो रहा है वह नाकाबिले बरदाश्त है। जिस फसल को नवम्बर माह के अन्दर किसान बो रहा था, राजस्थान की सरकार के 8 घण्टे के आदेश थे। जिस सीकर के धोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं वहां जैसे ही किसान की फसल बढ़ने लगी, बिजली बढ़नी चाहिए थी उसके स्थान पर बिजली को घटाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को 12 घण्टे बिजली दी जाये। जैसे किसी भी डिपार्टमैण्ट में खर्च करने के लिये प्रायोरिटीज निश्चित की जाती हैं, आज किसान के लिऐ सबसे बड़ी आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो किसान को 12 घण्टे बिजली दी जाये। 8 घण्टे उसको वापस करके बढ़ाते रहे। ज्यों ही समय बढ़ता है, फसल बढ़ती है उसको 12 घण्टे बिजली दी जाये मेरी सरकार से मांग है, अनुरोध है। इस बिजली के लिए, मैं समझता हूं, बिजली बोर्ड के चेयरमैन के रूप में वह चाहे राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस की सरकार के लाड़ले हो सकते हैं, भैरोंसिंहजी के लिए लाड़ले हो सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता के लिये तो वह अभिशाप है। जिसने राजस्थान के किसानों की फसल को जलाया, जिसने बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जो आज दर-दर की ठोकर

(98)

(श्री अमराराम)

खाते फिर रहे हैं बिजली बोर्ड के इंजीनियर्स ने, उस चेयरमैन के खिलाफ 40 माननीय विधायकों ने भी लिखकर दिया था उसके बावजूद तीन दफा उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जो अपने आप में सक्षम नहीं हैं वह राजस्थान के किसानों को और राजस्थान की जनता को बिजली देंगे ? कितनी नाइंसाफी है कि जिस समय पूरा राजस्थान 10 बजे रात को सोता है, राजस्थान की सरकार और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दे दिये जायें कि पानी के अन्दर खड़े हो जाओ। उस समय हमारा एक हाथ भी बाहर रह जाये तो सर्दी लग जाये, सुबह डाक्टर को बुलाना पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं सरकार और अधिकारियों से कि किसानों को राजस्थान में 10 और 12 बजे रात को पानी के अन्दर खड़ा होना पड़ता है इससे बड़े +++की बात हो नहीं सकती है। राजस्थान की सरकार जो अपने आप हुंकार भरती है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, अगर किसानों के हमदर्द हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह आज ही सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि किसी भी तरह से बिजली लानी पड़े, 12 घण्टे बिजली देंगे। तो मैं राजस्थान की सरकार का स्वागत करूंगा। वरना मेरे भाई जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं जो आज बड़ी लड़ाई की बात करते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा कि राजस्थान की सड़कों पर किसानों के साथ लड़ने की बात करें। निश्चित रुप से राजस्थान का जो अन्नदाता है वह राजस्थान की सड़कों को और सरकार को बन्द कर देगा, जिसे अपने बच्चे से ज्यादा फसल से प्यार है। जो इस देश की बहबूदी और इस प्रदेश के विकास के लिये सबसे पहले जरुरी चीज है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा, सभापति महोदय, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण विषय मानते हुए सरकार इस ओर ध्यान देगी और किसान हित में अपना कार्य करेगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापतिजी, जब कोई घायल हो जाता है तो वह यह उम्मीद करता है कि उसके कोई मलहम लगायेगा और मलहम की जगह उस पर कोई नमक छिड़क दे तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इस सदन में जब यह प्रस्ताव रखा गया था तब इसके महत्व को उस महत्ता से नहीं लिया गया, जिस प्रकार की गम्भीरता थी उस गंभीरता से नही लिया गया। आज हम यहां आये हैं तो सदस्य बाद में हैं पहले किसान हैं, जिस क्षेत्र से हम आये हैं उस क्षेत्र के किसानों की भावना से इस सदन को अवगत कराना और उसका समाधान करना, यह हमारा पहला प्रयास है। आज जो बिजली की

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भरत सिंह)

स्थिति है ऐसी विकट स्थिति गांवों में पहले कभी देखी नहीं। जो न्याय करते हैं और जिससे हम न्याय की उम्मीद करते है, प्रश्न यह होता है कि उसके मस्तिष्क में न्याय करने की नीयत है या नहीं? इस बात की पीड़ा है। आज स्थिति यह है कि बिजली विभाग के पास जो बिजली है, वह जितने घण्टे बिजली की बात करता है उससे एक तिहाई वास्तव में उस कोने तक पहुंच रही है क्योंकि वह भी उसी प्रकार है जिस प्रकार कि और सब योजना जो बनायी जाती हैं और कब जा करके गांवों में पहुंचती हैं। यह बिजली की व्यवस्था है।

आज सिंचाई करने की बात करते हैं, लोगों की फसलों में पानी देने की बात करते हैं कि पानी नहीं मिलेगा तो फसल नष्ट हो जायेगी। मैं तो उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां किसान आज तक यह प्रयास कर रहा है कि सूखी जमीन को पानी लग जाये। कब तो वह पानी लगेगा और कब वह बुआई करेगा। ऐसी विकट स्थिति है। किसान को कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है उसके घर में महीने की महीने पैसे का बिल नहीं आ जाता है जैसा हम सदस्यों के पास आ जाता है। इस सदन में बिजली गुल नहीं होती, ये झाड़ फानूस रोज जल रहे हैं। इसलिए जो आदमी किसान का बेटा नहीं है, वह शायद महसूस ही नहीं कर पाता कि किसान की पीड़ा क्या है और यह विडम्बना है इस सदन की। जब तक हमें 12 घण्टे बिजली नहीं मिलेगी; 12 तो मिनिमम है, बिजली ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप जोड़ कर बाद में ज्यादा दे सकें। स्थिति यह है कि आज हमारे गांवों में आप जाओ, आप देखेंगे कि रात में आदमी इस उम्मीद में कुए के ऊपर बैठा हुआ है कि बिजली आयेगी। बिजली आती है, वह पम्प चालू करता है, खेत तक जाता है कि बिजली वापस चली जाती है और नतीजा यह है कि 10 दिन के अन्दर 10 बीघा जमीन की सिंचाई भी नहीं कर पाता। जमीन में पड़त पड़ी हुई है और फसल सूखने की नौबत आ रही है।

जब आपके पास बिजली की कमी है तो उसका बंटवारा सभी जगह बराबर होना चाहिये। यह बात सदन में पहले आ चुकी है मगर यह भेदभाव राज करने वाले लोगों की नीयत में है। जहां वे रहते हैं, अपने घरों में बिजली वे दे रहे हैं। म्युनिसिपल एरियाज में कोई किसी प्रकार का बिजली का बेन नहीं है। चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो जोधपुर का एरिया हो, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध बिजली का वहां नहीं है। वहां किसी बड़े अधिकारी का, बड़े नेता का, और किसी बड़े आदमी का फार्म है उस पर लगातार बिजली मिलती है। यहां लगातार बिजली मिलती है मगर वास्तव में जो आदमी बिजली पर निर्भर है, जिसकी पूरी जीविका बिजली पर निर्भर है उसको बिजली नहीं दे रहे हैं और कोई इस बात को कर नहीं रहा कि हम हमारी नीति में परिवर्तन करेंगे, हम किसान को पांच घण्टे बिजली दे रहे हैं तो शहर वाले

(श्री भरत सिंह)

को भी पांच घण्टे बिजली देंगे।

शायद इसका एक कारण यह है कि सदन के माननीय नेता इस बात को कहते हैं कि हमारी पार्टी को शहर में वोट मिलते हैं, कांग्रेस को नहीं मिलते हैं। इसलिए नहीं मिलते हैं आपको गांवों के वोट क्योंकि आप गांवों के लोगों के साथ न्याय नहीं करते, न्याय करने की आपकी नीयत नहीं है।

बिजली को पैदा करने की स्थिति, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिये मैं अपने सुझाव, मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के नेता के पास पहुंचना चाहता हूं। एक तो आपकी जो व्यवस्था है, आप अधिकारियों को हिदायत करें कि वे तहसील मुख्यालय पर जायें और वास्तव में इसका जायजा लें कि अगर आप पांच घण्टे बिजली दे रहे हैं तो वह वास्तव में उन लोगों को मिल रही है। क्योंकि आप तो पांच घण्टे की बात कर रहे हैं वह भी आज किसानों को नहीं मिल रही है।

एक तरीका और है कि माननीय निर्दलीय सदस्य, मुझे पता नहीं वो सदन में हैं या नहीं, मगर मैं मानता हूं कि अगर उसमें वो सहयोग दें, हर कीमत पर 12 घण्टे तो क्या 24 घण्टे बिजली अपने को मिल सकती है और वो तरीका यह है कि वे निर्दलीय सदस्य उठकर हमारी तरफ आ जायें....(व्यवधान) तो मैं समझता हूं बिजली पैदा हो जायेगी....(व्यवधान) आओ मत, आकर तो दिखाओ....(व्यवधान) यह बात, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय खंगार सिंह जी, आप कृपया व्यवधान नहीं डालें। आपको बोलने का समय दूंगा, आप तैयार रहिये।

श्री भरतसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह बात हंसी-मजाक में नहीं कही, इसके कहने का तात्पर्य इतना ही था कि जो किसान की चिन्ता है उसे हम अपनी चिन्ता समझ लेंगे तो हमारे मन में वही चिन्ता, वही पीड़ा हो जायेगी जो किसान की है और उस चिन्ता को सदन के माननीय नेता के पास पहुंचाने का एक तरीका यही है कि वे सदस्य उठकर इधर आ जायें। आकर दिखा दो तो उनको चिन्ता हो जायेगी और बिजली लाने की व्यवस्था कर लेंगे वह....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इस अव्यवस्था से यूं तो सब किसान पीड़ित हैं मगर सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वह सबसे छोटा और गरीब किसान है।

डी.आर.डी.ए.के माध्यम से हमने सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजना चालू की है। मैं हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं कम से कम 10-20 सामुदायिक लिफ्ट योजना जिसमें छोटे काश्तकार हैं उनकी अधिकांश जमीन को बिजली के अभाव में एक भी बार पानी नहीं लगा है क्योंकि बिजली के वोल्टेज सही नहीं मिलते है तथा मोटरें तो कम से कम 3-3 बार जल चुकी हैं। उनमें एक भी बार पानी नहीं

(श्री भरत सिंह)

लगा है। यह स्थिति है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सदन के माननीय नेता को इस बात की गम्भीरता को जतायेंगे, किसानों को कम से कम 12 घण्टे बिजली मिलेगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (हिण्डौली) माननीय सभापति महोदय, बिजली की कमी के बाबत मुख्य मंत्रीजी ने जो बात यहां पर बतायी, मैं समझता हूं, वह गम्भीरता से कोसों दूर है। इतना बड़ा संकट और इस संकट के समय अगर सरकार गम्भीरता से विचार नहीं करेगी, इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगी तो राजस्थान की जनता के साथ और किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। गम्भीरता को इसलिए बताना चाहता हूं कि तीन साल राज में रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सदन के नेता यहां पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है कोटा डिवीजन में, जहां पर अणुशक्ति भी है, हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था है, थर्मल भी है, गैस बेस्ड पावर प्लांट भी है, एक बार भी उन्होंने किसी भी बिजली के कारखाने में जाकर नहीं देखा।

अगर वो इस समस्या के ऊपर थोड़े भी गम्भीर थे तो कम से कम एक बार तो जाकर अपनी आंखों से देखते कि किन हालातों में चल रही हैं ये यूनिट्स और क्या वजह है जिनसे उनमें बार-बार व्यवधान पैदा होते हैं। अभी 4 दिसम्बर को नयी सरकार ने शपथ ली और 13 दिसम्बर से बिजली का अकाल चालू हुआ 13 दिसम्बर को कोटा थर्मल में रिसाव पैदा हो गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही बिजली की समस्या पैदा हुई। एक तरफ तो आप कहते हैं, दूसरे स्टेट्स से महंगी से महंगी बिजली खरीद कर यहां के किसानों को देंगे और दूसरी तरफ आप ही के लोग कहते हैं, बिजली बोर्ड के जो लोग बैठे हैं वे कहते हैं, एक रुपया 56 पैसा एक यूनिट की लागत आती है और एक रुपया 24 पैसे में हमें बिजली देनी पड़ती है।

आदरणीय चतुर्वेदी साहब यहां विराजमान हैं, आपने भी बिजली की एक प्रेस कांफ्रेंस ली और वे ही बातें बतायी कि ये करेंगे, वो करेंगे लेकिन आज नतीजा क्या हुआ? यह देखिये इतना बड़ा संकट है और इस बात को सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति गम्भीरता से लेने को तैयार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चतुर्वेदी जी गम्भीर हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल : अगर ये गम्भीर हैं तो भी समस्या दूर हो जाये लेकिन इनको गम्भीर होने नहीं देते। आर एस. ई. बी. के चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 3000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कहां से पूरा करेंगे आप ? यह जो आप सपने दिखा रहे हैं किसानों को कि हम देंगे, देंगे, देंगे और ये असत्य बोल कर के उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, यह कब तक चलेगा ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, + + + शब्द को एक्सपंज कराइये। यह अनपार्लियामेंट्री है।

श्री शांती कुमार धारीवाल : सरकार की गम्भीरता की बात बताऊं, इतना बड़ा संकट था और एक मुख्य अभियन्ता को पंजाब भेज दिया गया। पंजाब क्यों भेजा है, कि वहां पर पावर प्लांट चालू नहीं हुआ है इसलिए उसको दिखवाने के लिये भेजा है। इतना बड़ा असत्य है, इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है बिजली के मामले में। किसान को कितनी बड़ी पीड़ा है, अनाज का कितना लॉस होगा इस बात को देखने को कोई तैयार नहीं है और इधर-उधर की बात करते हैं कि हम यह करेंगे, वो करेंगे।

एक मेगावाट बिजली तो पैदा हुई नहीं आपके वक्त में, कोई नया प्लांट आपके वक्त में चालू नहीं हुआ, न कोई योजनाए हैं। जो कुछ योजनाए बनकर आयी हैं उनमें किसी न किसी तरह का व्यवधान आपकी तरफ से है या यह एतराज है कि यह साइट ठीक नहीं है। आपकी जिद है कि नहीं, यही साइट होनी चाहिए ताकि वह लंबित पड़ी रहे। बकाया आप पर इतना है कि उसकी कोई हद नहीं। नेशनल पावर ग्रिड 256 करोड़ रुपये का बकाया मांग रहा है, पैसा आपके पास है नहीं देने को और फिर आप कहते हो कम बिजली लेंगे। कहां से लोगे ? कौन देगा आपको बिजली ? आपके पास की चारों स्टेट्स में आपकी रेपूटेशन खराब है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रेपूटेशन खराब है। वे आपको बिजली नहीं देना चाहते क्योंकि आपके पास उनको चुकाने के लिये पैसा नहीं है। ये सारी समस्यायें मौजूद हैं और उसके बावजूद इस समस्या से बचकर निकलना चाहते हो, कन्नी काटना चाहते हो ?

सभापति महोदय, मेरा आपकी माध्यम से राजस्थान सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे और खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है कि इस समस्या को गम्भीरता से लें वरना यह समस्या विकराल रूप धारण करेगी, जगह-जगह आन्दोलन होंगे, आपके लिये परेशानियां खड़ी होंगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, यह सरकार इसलिए बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रही है क्योंकि इन्होंने नासिक के छपे हुए करोड़ों और

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लाखों नोट उद्योगपतियों से लिये हैं इसलिए यह उद्योगपतियों की बिजली की सप्लाई एक मिनट भी कम करने वाली नहीं है। इन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाये, चाहे राजस्थान के किसान की खेती नष्ट हो जाये, चाहे बरबाद हो जाये लेकिन उद्योगपतियों, जिन्होंने अपने भारी-भारी सूटकेश हल्के किये हैं और इनको चुनावों में चढा दिया है, को कोई कमी नहीं होगी। उद्योगों की बिजली एक मिनट भी कम नहीं की गयी है, यह बड़े शर्म की बात है संवेदनशील सरकार के लिये, स्वच्छ प्रशासन वाली सरकार के लिये।

हमारे दौसा जिले में 5 में से 4 कांग्रेस के विधायक जीते हैं इसलिए जान-बूझकर भेदभावपूर्ण तरीके से, मेलाफाइड, बायस्ड प्रिजुडिस होकर वहां बिजली दी जा रही है। दौसा के अन्दर यह स्थिति है कि दो घण्टे भी बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही है। रात भर किसान इन्तजार में रहता है, ठिठुर जाता है, 5 मिनट होती है, वह क्यारी तक भागता है और क्यारी तक पहुंचने से पहले बिजली बन्द हो जाती है। वापस आता है, कुएं पर बैठा रहता है, अलाव जलाता है, उसके बाद फिर भागता है और भागने के बाद क्यारी तक पानी नहीं पहुंचता और बिजली बन्द हो जाती है। इस तरह से जान-बूझकर क्षेत्रवाद और भेदभावपूर्ण तरीका बरता जा रहा है।

इसके अलावा एक बात और है जो मुख्य बात है। वह यह है कि नगर निगम व राजस्थान में जितने भी महानगर हैं, डिवीजनल हैड-क्वार्टर हैं वहां सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डे-टाइम में बिजली दिये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। कोई भी संवेदनशील सरकार इन नगरों में चकाचौंध करने के लिऐ या गैर जरुरी आवश्यकताओं के लिऐ बिजली नही दे लेकिन यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है। यहां पर जो बी.जे.पी. के विधायकगण जीतकर आये हैं वे अधिकांशत: महानगरों से जीतकर आये हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के पांच नगर निगम के जो एरिया हैं, डिवीजन हैड-क्वार्टर हैं नगर परिषद् हैं उन सबमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक एक घण्टे के लिये भी बिजली नहीं दी जाये. टोटल पावर कट किया जाये तब जाकर राजस्थान के किसानों के साथ न्याय हो सकेगा, अन्यथा न्याय का कोई सवाल नहीं है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी उद्योगपतियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमसे वादा कर रखा है कि उद्योगों की बिजली में कोई कटौती नही होगी क्योंकि इसी आधार पर उन्होंने चुनाव में भारी रकम दी थी और हमसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वादाखिलाफी करने की कोई मंशा नहीं है। मेरा यह भी कहना है कि अभी जो व्यवस्था हो जायेगी 5 या 6 घण्टे में 4 ब्लाक बनाने की बात है,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यह बिलकुल गलत है। 6-6 घण्टे बिजली कहीं नहीं दी जा रही है। 6 घण्टे की जगह एक घण्टा, 15 मिनट, 10 मिनट दी जा रही है और यह सब कृषकों के साथ धोखाधड़ी है।

इसके अलावा मेरा कहना है कि राजस्थान के समस्त महानगर जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर हैं, जहां पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं उन नगरीय सभ्यता वाले इलाकों से बिजली हटा दी जाये और मेरा कहना है कि राजस्थान की विधान सभा की बैठक कैंडी लाइट में आयोजित की जाये तब माना जायेगा कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह भेदभाव करने वाली सरकार नहीं है। अन्यथा यह नगरीय सभ्यता और संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करने वाली संवेदनशील सरकार मानी जायेगी।

ग्रामीण जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, ग्रामीण जनता का ये कोई भला नहीं चाहते और यही बात है कि आज जयपुर नगर निगम दीवाली मना रहा है, "नगर निगम आपका स्वागत करता है", दूसरी तरफ किसान आंसू बहा रहा है ठंडे पानी में ठिठुरते हुए। सुबह के 4 बजे जब आप रूम-हीटर लगाते हैं, जब आप रजाई में रहते हैं, जब आप नगरीय सभ्यता में चकाचौंध रहते हैं, सोडियम लाइट है एक आदमी नहीं गुजर रहा है, हर महानगर निगम में, हर नगर परिषद् एरिया में, नगरपालिका एरिया में चकाचौंध हो और किसान के पास पानी मोड़ने के लिये बिजली से मोटर नहीं जलती है तो क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसको संवेदनशील सरकार कहा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को कभी भी संवेदनशील सरकार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसकी किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। क्योंकि किसानों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, ग्रामीण इलाके से कांग्रेस के प्रत्याशी अधिक जीतकर आये हैं इसलिए यह भेदभावपूर्ण नीति है।

इस सरकार को यह भी मालूम होना चाहिये कि ग्रामीण जनता के साथ ऐसा नहीं किया जाये। मेरा सुझाव है कि अरबन एरिया में डोमेस्टिक लाइन का बिजली का पावर कट करना चाहिए। इमरजेन्सी की जगह जैसे हास्पिटल है, स्कूल है या और कोई संस्थान है वहां बिजली दी जाये अन्यथा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली बन्द की जाये। इसके अलावा जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं उनका कच्चा माल पेरिशेबल नेचर का होता है जिसके कारण यह खराब हो सकता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, किसान की खेती एक ऐसा फेंसिबल प्राडक्ट है जिसको अगर समय पर पानी नहीं दिया गया तो वह समय के बाद दुबारा नहीं होगी, वह रि-जनरेट नहीं हो सकती और ऐसी स्थिति में यदि महीने-डेढ़ महीने के लिये उद्योग-धंधों पर कटौती की जाये तो मैं समझता हूं यह ग्रामीण जनता के लिये राहत की स्थिति होगी।

इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि बिजली की कटौती ग्रामीण जनता के हित में नहीं की, यदि उद्योग धन्धों पर नहीं की तो निकट भविष्य में वह दिन आयेगा जब राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही में बिजली की मांग को प्राथमिकता के रूप में ग्रामीण जनता के हक के लिये एक तरह से अगुवाई की जायेगी और बात की जायेगी । इसके अलावा शासन सचिवालय में जो सुगमता से, सरलता से, निर्बाध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में मंत्री काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया जायेगा । उनको रोका जायेगा, उन पर जोर दिया जायेगा कि वे बिजली की सप्लाई अधिकतम घण्टों के लिए, 12 घण्टों के लिये जारी रखें । और अगर आप यही चाहते हैं आप चाहते हैं कि ना पक्ष के लोग सचिवालय को घेरें, आप हमें इसके लिये मजबूर करें कि हम ऐसा करें, आप ग्रामीण जनता के लिये इस हद तक हमको संघर्ष की राह पर ले जाना चाहते हैं तो आपकी संवेदनशील सरकार के लिये धन्यवाद है, अन्यथा मेरा यह निवेदन है कि समय रहते हुए इसका हल निकाला जाये ।

किसान की साल भर की कमाई का सवाल है, उस किसान को जो बिजली मिलती है उस बिजली के द्वारा वह पानी खेतों में मोड़ता है और उसके द्वारा पशुओं के लिये चारा और आपके लिये गेहूं पैदा होता है । वह उस पर निर्भर है । अगर गेहूं के दाम बढते हैं, काश, गेहूं मिलना बन्द हो जाये तो देखिये आपकी नगरीय सभ्यता का क्या होगा ? इसलिए मेरा निवेदन है, सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय रहते चेतावनी दी जाती है कि वह बहुत जल्दी से जल्दी इस बात की घोषणा करे कि यह जनता कि आकांक्षा है, जन मानस की भावना है और इस पर भेदभाव नहीं बरता जायेगा । इसमें किसी तरह बायस्ड, प्रिजुडिस या मेलाफाइड होकर काम नहीं किया जायेगा । जनहित में. किसानों के हित में यह घोषणा करें कि राजस्थान के उद्योग उनके मुखापेक्षी नहीं रहे क्योंकि बिजली में कटौती कर दी गयी है और डे टाइम में जितने भी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन है कौंसिल हैं उन्हें बिजली नहीं दी जायेगी और किसानों को दिन में बिजली दी जाती है ।

रात में जब किसानों को बिजली दी जाती है, अन्धेरा रहता है और, माननीय सभापति महोदय, अन्धेरे में एक क्यारी भरकर ओवर फ्लड हो जाती है और बाहर रास्तों में पानी चला जाता है । इस तरीके से किसानों को रात में बिजली देना एक तरह से बिजली की भी खराबी है इसके अलावा जो पानी है उस पानी का भी आधिक्य हो जाता है, पानी का भी फैलाव हो जाता है और ढंग से पानी रात के अन्धेरे में नहीं मोड़ा जाता या उसके लिये भी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, ज्यादा आदमी लगाने पड़ते हैं । तो मैं समझता हूं कि यह संवेदनशील सरकार समय रहते कोई न कोई आज ही

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

घोषणा करेगी और हमारे को ऐसा मौका नहीं देगी कि हम यहां पर और कोई प्रक्रिया अपनायें जन दबाव के लिये, किसानों के दबाव के लिए और शासन सचिवालय में हम हमारी बात करें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब कोई भी अधिकारी लाइट दिन में नहीं जला सकेगा, कोई भी अधिकारी या मंत्री बिजली की जो खपत कर रहा है उसको नहीं करने दी जायेगी, मेरी यह चेतावनी है।

मैं बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं। बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र के करीब सिकन्दरा एक तिराहा है जहां से अलवर के लिये धौलपुर के लिये और आगे भरतपुर के लिये जाया जाता है। यदि कोई भी राज्य सरकार का मंत्री उस तिराहे से निकला और बिजली की व्यवस्था में समुचित उपाय नहीं होते हैं, सुधार नहीं होते हैं, तो मेरा दावा है कि वो सिकन्दरा तिराहे से आगे नहीं बढ़ पायेगा और उसको जन भावनाओं का कोप भाजन बनना पड़ेगा। आप यह चाहते हैं कि आपकी ऐसी स्थिति कर दी जाये कि जनता आपको घेरे, जनता आपके साथ बदसलूकी करे और जनता यह कहे कि समय रहते हुए आपने वो कार्य नहीं किया, जिसके लिये आप यहां उत्तरदायी हैं, संवेदनशील सरकार बनाकर आये हैं, तो यह एक अलग बात है। मैं समझता हूं कि समय रहते हुए आप चेतेंगे और आप ऐसा कोई कदम उठायेंगे और इसकी घोषणा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वो आज ही यह घोषणा करें कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जितने भी महानगर हैं, नगर—

(14.42 बजे)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

परिषदों के इलाके हैं, नगरपालिकाओं के इलाके हैं, वहां पर बिजली की सप्लाइ बन्द की जायेगी, किसानों के हित में।

दूसरा मेरा यह भी सुझाव है कि जो भारी उद्योगों पर बिजली जारी है उस पर बिलकुल पाबन्दी करें, बन्द करें। राजस्थान की यह सरकार किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान समर्थक बरकर अपनी घोषणा करें, जिससे कि इनके मंसूबे साफ हों और जो नासिक के नोट करोड़ों की संख्या में चुनाव के चंदे के रुप में उद्योगपतियों से ले लिये गये हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनको बन्द करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के ऊपर चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों को दुःख

(श्री फतेह सिंह)

है इस बात का। पूरे प्रदेश में किसानों के हित में यह बात है और आज सभी जानते हैं, सभी माननीय सदस्य, मन्त्रिगण और मुख्य मन्त्री जो भी यह जानते हैं कि किसान इस देश को जिन्दा रखने वाला है, अन्न पैदा करता है और लाखों रुपया खर्च करके उसने अपनी मोटरें भी लगायी हैं, कनेक्शन लिये हैं और आज बिजली की कमी के कारण से उस पैदावार को घाटा होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं यह चाहूंगा कि बिजली की व्यवस्था सही तरीके से की जाये ताकि किसानों का पूरी तरह से नुकसान न हो और इस देश में अनाज की कमी न आये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विद्युतीकरण प्रदेश में किया गया उसके अनुपात में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, जैसे बिजली का विस्तार यानि जिन गांवों को विद्युतीकरण में लिया जा रहा है उसके अनुपात में कितने लोगों को कनेक्शन देना पड़ेगा, बिजली कहां से पैदा होगी। इस प्रकार के जिन लोगों को कनेक्शन दिया उनको बिजली मिलेगी, इसका ख्याल नहीं किया गया। लेकिन मैं आगे यह उम्मीद करता हू कि बिजली की व्यवस्था सही तरीके से हो, लोगों को यानि किसानों को राहत मिले। यह कह देना कि बिजली शहरों में काटी जाये या किसी संस्थाओं में काटी जाये, मेरा तो यह सुझाव है कि शहरों के अन्दर बिजली अगर काटेंगे तो शहरी लोग जागरूक हैं और किसान इतने कमजोर हैं, बिखरे हुए हैं कि वो इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ पायेंगे। इसलिए यह जब भी शहरों या किसी संस्था में बिजली की कटौती होगी वो आन्दोलन करेंगे, सरकार को घेर लेंगे, लोग मजबूर करेंगे। तो यह चाहूंगा कि कटौती के बजाय आप शहरों को बिजली देवें, किसी इण्डस्ट्री को भी बिजली देवें, उद्योग जहाँ खुले हुए हैं उनको भी देवें लेकिन साथ-साथ किसानों का भी ख्याल रखा जाये, किसानों को बिजली दी जाये।

बांसवाड़ा का जहां तक सवाल है, ग्रामीण इलाके में लोगों ने मोटरें लगा रखी हैं, कनेक्शन ले रखे हैं लेकिन बांसवाड़ा के ग्रामीण इलाके की यह स्थिति है कि पांच-पांच, दस-दस दिन तक बिजली नहीं मिलती'। 'अब लोग यह चिल्ला रहे हैं कि हमने कनेक्शन लेकर, मोटरें खरीदकर और इतना खर्चा करके खेत में बीज डाल करके क्या लाभ उठाया। इससे तो अच्छा था हमारा गांव विद्युतीकरण में नहीं आता। बड़े किसान, रहते हैं उस इलाके में, छोटे किसान भी रहते हैं। छोटे किसानों की भी हालत खराब है। इसलिए यह चाहूंगा कि शहरी और ग्रामीण इलाके में जो बिजली देनी चाहिए वो सही तरीके से देवें और 8 घण्टा बिजली मिले, दिन को मिले और लोगों को राहत मिले। देश को जिन्दा रखने के लिये किसान सरसब्ज बने यानि शहरी और ग्रामीण लोगों को जिन्दा रखने की व्यवस्था हो, इतना ही करता हूं। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) एक-एक बोलेंगे तो समझ में आयेगी ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, मामले की गम्भीरता को देखते हुए .. (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : हमारे कई प्रस्ताव हैं, जो आप....

एक माननीय सदस्य : जिनके नाम हैं, उनको तो बोलने देंगे ही ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।...(व्यवधान) आप बैठिये । देखिये, आज पूरा दिन आप का है जिसमें 295 हैं और काल अटेन्शन हैं और अभिभाषण पर लोग बोलने वाले हैं । दो घण्टे का समय होता है एडजोर्मेन्ट मोशन पर डिबेट का, जो आपके रूल्स में मैक्सिमम है । उसके बजाय पौने तीन घंटे का समय हो चुका है और मैं समझता हूं कि रूल्स के मुताबिक दो घण्टे के बाद डिबेट ऑटोमैटिकली टर्मिनेट होती है । यह आप रूल पढ़ लीजिए । नहीं तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं ।....(व्यवधान) आप एक मिनिट सुनिए । सवाल यह है कि....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कुछ तो व्यवस्था रखिये आप । मेरी बात नहीं सुनेंगे ?

श्री भगराज चौधरी : मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मोशन एडमिट किया जाता है तो दो घण्टे की होती है और अगर मोशन एडमिट नहीं किया जाता है और जनरल डिबेट अलाउ की जाती है तो उसके लिये समयावधि दो घण्टे की नहीं है, समयावधि बढ़ायी जा सकती है और बढ़ायी जानी चाहिए । आप थोड़ी सी कृपा करके ...

श्री अध्यक्ष : अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि बिजली की समस्या आपने रखी अब उसका समाधान क्या है, आपके सामने आ रहा है । अब जैसाकि मैंने आपको कहा, उसके लिये अलग से चैम्बर मीटिंग होकर के डिस्कस होकर के जो उसका समाधान निकले वह आपके सामने आ रहा है कि किसानों को बिजली ज्यादा मिलनी चाहिए । समाधान में इण्ट्रेस्टेड हैं या आप बोलने में इण्ट्रेस्टेड हैं । .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग समस्याएं हैं, अध्यक्ष महोदय, इनको दो-दो मिनिट दे दीजिए ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य केवल बोलना नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण में आपने सबको शामिल किया है, हम अपने इलाके की समस्याएं बतायेंगे ।

श्री विष्णु मोदी : आपने जब उसमें एडमिट ही नहीं किया तो दो घण्टे की समय सीमा की कहां बात आयी ।

श्री अध्यक्ष : यह बताया गया कि लिस्ट एग्जास्ट हो चुकी, सब बोल चुके ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

एक माननीय सदस्य : किसने कह दिया । .. (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सबके नाम पुकारे गये हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता ही नहीं कि कौन रह गया । इन्होंने लिस्ट ही नहीं लगायी है । अच्छा बोलिये आप । मोदीजी, आप बोलिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिजली की बात को शुरू एक कहानी से करना चाहता हूं, जो हकीकत है । एक राजा शिकार पर जा रहा था । उधर काफी दलदल होने की सम्भावना थी । उसने काफी गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य को बुलाकर पूछा कि भाई मैं शिकार पर जाने वाला हूं, वहां कोई बारिश की सम्भावना तो नहीं है । तो उन्होंने सारा अपना खोलकर देखा । कहा, राजन्, जिधर तुम शिकार पर जा रहे हो, वहां अगले ...

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम कहानी में समाप्त हो जायेगा ।

श्री विष्णु मोदी : 30 दिन बारिश की कोई सम्भावना नहीं है । तो वह शिकार पर चला गया । जब वह शिकार पर जा रहा था, तो इधर से एक कुम्हार आ रहा था, उसने कहा, हे राजन, तुम जिधर जा रहे हो, उधर घनघोर बारिश आने वाली है । राजा आगे चला गया । घनघोर बारिश आयी और दलदल में फंस गया । दो दिन बाद में आया । वापस उन्हीं सब ज्योतिषाचार्यों और गणितज्ञों को बुलाया और कहा-भाई, तुमने तो यह कहा था ।

उन्होंने फिर यह सब देख कर कहा, हां, साहब, इसमें तो कहीं बारिश की सम्भावना नहीं थी । उसको बुलाया कि भाई, तुमने कैसे कहा । वह डर गया । बेचारा कहता है हुजूर, मुझे पता नहीं, मेरी जब गधी के कान सीधे खड़े होते हैं, तो घनघोर बारिश होती है ।

तो, मान्यवर, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, बड़े-बड़े सरकारी आफिसर हैं, वह जब आपको सारी बात पढ़ायें और जिस तरह आपको बतायें, वह तो सही बात है । लेकिन हम लोग भी जन-प्रतिनिधि हैं, जनता से चुन कर आते हैं और जो विद्युत की स्थिति आज बनी हुई है और जो किसान को तकलीफ है, उसका कोई सोल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा, तब तक हमारी इस सारी बहस की सार्थकता ही नहीं है ।

श्री बृजराज सिंह (बयाना) : कान किसके खड़े हुए ?

श्री विष्णु मोदी : आप नहीं समझें तो मुझे दुःख है, खेद है । मैं समझा नहीं

(श्री विष्णु मोदी)

पाऊंगा। मान्यवर, कहने की बात और समझाने की बात एक है, आंकड़े और यह सब कुछ एक बात है लेकिन कुल मिला कर आवश्यकता इस बात कि है कि आज किसान की फसल जल रही है। आज उसको बिजली की भारी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है।

आपने गवर्नर के अभिभाषण में छाप दिया। आपने इसलिये छापा, आपको पता था कि आपने बिजली के कोई यूनिट नहीं लिये; आर.एस.ई.बी. 300 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, आप इसको पैसे देना नहीं चाहते। आप सिर्फ इस तरह की बात करके एक वातावरण बनाकर यह कहना चाहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। यह सब बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। बात तो जब बनेगी, जब आप यह कहेंगे कि हां, चाहे उद्योगों को बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे किसी और चीज को बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन किसान को बिजली मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी और उसकी फसल नहीं सूखने दी जायेगी। तब तो इस बात की सार्थकता है।

मान्यवर, वह दिन दूर नहीं, जब जयपुर शहर के अन्दर 10 घण्टे का, 12घण्टे का कट लगेगा। क्योंकि हमने इसमें जितनी अदूरदर्शिता दिखाई है, जितना बिजली के साथ खिलवाड़ किया है, इसके अन्दर जो हमारी योजनाएं इस तरह धूल चाट रही हैं, बस्तों में पड़ी है और हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है। दो बातें हैं, एक तो फायर-फाइटिंग अरेंजमेंट की, जहां आग लगी हुई है, बुझाने पहुंच गये और एक इस तरह की व्यवस्था होती है हम उसको फोरसाइटेडनेस से यह समझ कर कि कितनी बिजली की हमें जरूरत है और कितनी हमें होगी। मान्यवर, जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके खुद के द्वारा भी एक संगोष्ठी में जो विचार प्रकट किये गये थे, मैं उनके आपको सामने रखना चाहता हूं :—

"बिजली की कमी तो बनी रहेगी। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिये आज की दरों पर 18 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। अब ऊर्जा की बचत के अलावा और कोई चारा नहीं है। बिजली उत्पादन बढ़ाने और उसके उचित उपयोग पर ध्यान देना ही विकास का सबसे बड़ा काम होगा।"

तो दवे ने राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा, "राज्य की अपनी उत्पादन इकाइयां दूसरी परियोजनाओं में हिस्से तथा आवंटन आदि मिलाकर कुल 2809 मेगावाट विद्युत उपलब्ध है, फिर भी उच्चतम मांग के समय हमें कुल 36 प्रतिशत बिजली की कमी पड़ती है। यह कमी अगले साल के अन्त तक 44.9 प्रतिशत, 1343 मेगावाट, 1995 तक 40 प्रतिशत 6870 मेगावाट तक जा पहुंचेगी।"

(श्री विष्णु मोदी)

उनका कहना था कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कमी 3002 मेगावाट आंकी जा रही है। यदि कड़े निर्णय नहीं किये गये, तो बिजली की जो हालात बनेगी उसका अन्दाज करना मुश्किल है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज 3 महीने में जो अभी फसल हैं उसके साथ तो आप बिजली का इन्तजाम करायें ही करायें, लेकिन आगे 1994-95 में नवीं पंचवर्षीय योजना में जो समस्याएं आने वाली हैं उसके लिये भी कड़े निर्णय जब तक आप नहीं लेंगे तब तक हर रोज यही समस्या खड़ी रहेगी।

आप यह कहेंगे कि समय समाप्त हो रहा है और दूसरा विधेयक आज रुका हुआ है और चूंकि हम लोग तो उनको समझाने की स्थिति में नहीं है कि भाई, हमारी कोई लाईन ठीक नहीं है या हमारा सिस्टम ठीक नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि आप अभी तीन महीने, साढ़े तीन महीने जो फसल के टाइम के हैं, उसमें क्या व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद में आगे आने वाले समय में भी क्या इसी तरह की बात होती रहेगी या उसके लिये भी आज आप बात करेंगे कि आगे किसी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले के अन्दर जब से यह बी. जे. पी. गवर्नमेंट आयी है, चाहे आप इसको इसी रूप में ले लीजिए कि सुधार हुआ है और इसीको यदि आप सुधार कहते हैं तो आपका बड़ा भारी गलत सोच है।

अध्यक्षजी, इस किसान विरोधी गवर्नमेंट ने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन से राजस्थान के अन्दर बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गयी। 13 तारीख के बाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर के अन्दर, भोपालगढ़ और बावड़ी, मथानिया और तिवारी, जो जोधपुर जिले का बहुत ही प्रोटेंशियल एग्रीकल्चर एरिया है, उसके अन्दर अव्यवस्था कर दी और अव्यवस्था होने के बाद तीन और चार घण्टे बिजली आज लगातार चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात के अन्दर मैं जब भी गांव गया, सात दिन के पहले रायड़े की पहली पिवाई हमने की थी, उसके बाद 55 दिनों के बाद दूसरी पाण आ रही है तो आप अन्दाज लगाईये कि कांश्तकार की क्या हालत हो रही है। ऐसे वक्त के अन्दर करोड़ों रुपयों की काश्तकार की जो फसल नष्ट हो गयी बिजली के अभाव के अन्दर। बात यह नहीं है, बिजली पांच घण्टे दें 6 घण्टे दें, 12 घण्टें बिजली जब तक नहीं मिलेगी और वह भी 350 और 400 वोल्टेज के बीच बिना फ्लक्चुएशन आये, तब जाकर काश्तकार आने वाला जो भी उनके पास बचा है, बचा तो

(श्री रामनारायण डूडी)

कुछ भी नहीं है, आज छः आना फसल खत्म हो चुकी है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : वोल्टेज की क्या बात है, दुबारा बता दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी : 350 से 400 वोल्टेज आता है, तब आपकी मोटर स्टार्ट होती है। चार या पांच हार्स पावर की घर वाली मोटर नहीं है। वाटर लेवल नीचे जाने के हिसाब से 15-20 फीट नीचे मोटर लगी हुए है और उनको स्टार्ट करने के लिये कम से कम 350 या 400 वोल्टेज के अन्दर बिजली मिले तब जाकर स्टार्ट होती है। आपको क्या पता कि वोल्टेज क्या होता है। घर के अन्दर दूसरे लगाते हैं।

तो, अध्यक्ष जी, इन हालात के अन्दर 12 घण्टा और वह भी पूरे वोल्टेज के साथ यदि बिजली मिले तो काश्तकार अपनी फसल बचा सकता है। नहीं तो यह किसान विरोधी गवर्नमेंट है, इसका घेराव किया जायेगा, हड़तालें की जायेंगी। आज काश्तकार के बच्चे, परिवार के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनका आदमी जाता है बिजली घर के ए. ई. एन. आफिस के अन्दर या जोधपुर जाता है तो बोलते हैं कि बढ़ा कर आये हैं। तीन चार दिन के बाद में आता है। तो कहते हैं कि बिजली तो नहीं बढ़ी, मेरी दाढ़ी बढ़ गयी है, पानी गरम कर, मैं दाढ़ी करूं।

यह हालात हैं आज पूरी तरह से पूरा सिस्टम ओवर-लोडेड है। आपके कैपेसीटर हैं वह फेल, आपकी जो ओ. सी. वगैरह लगी हुई है वह भी खराब पड़ी है। सारा जो आपका सिस्टम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुरानी लाइनों पर है और पूरा ओवर लोडेड है। जी. एस. एस. वगैरह। ऐसे हालात के अन्दर कैसे काश्तकार फसल को बचा पायेंगे, यह एक सोचने का विषय है और आपको इमीजियेटली इस पर विचार करना होगा। कम से कम 12 घण्टे 350 से 400 के बीच वोल्टेज से काश्तकारों को बिजली दी जाये। यही मुझे निवेदन करना है।

(15 00 बजे)

श्री अध्यक्ष : श्री दयारामजी।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की चर्चा जो है कभी भी विधान सभा चलती है तो इस सदन में कहीं न कहीं से आवाज उठती है। इस सदन के इस पक्ष वाले माननीय सदस्य जब इधर बिराजते थे तो वह भी बढ़ जोर-जोर से काश्तकारों की बिजली की बात किया करते थे। अब वह सदस्य उधर बिराज गये तो इधर वाले सदस्य भी कश्तकारों के लिये बिजली की मांग करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार बिजली किसके लिये लेना चाहता है। काश्तकार बिजली अनाज पैदा करने के लिये लेना चाहता है। हम सभी सदन में बैठे हैं वह और इस प्रदेश में रहने वाले सभी हमारे भाई बहिन रोटियां खाते हैं और हम सबको

(श्री दयाराम परमार)

रोटियां खिलाने के लिये वह बिजली लेकर दाने पैदा करना चाहता है।

उसके लिये हम सदन में बैठकर चर्चा करें कि हमको काश्तकारों को बिजली दिलानी है, कम दिला रहे हो, ऐसी चर्चा करें तो यह हमारे सब के लिये शर्म की बात है। मैं, अध्यक्षजी यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी फसल 90 दिन से ज्यादा पकने में समय नहीं लेती है। इसके लिये सरकार को एक ऐसी पालिसी तय करनी चाहिए कि फसलें बोने से लेकर पकने के लिये जितनी काश्तकारों को जरूरत होती है उसकी आपूर्ति करने के लिये चाहे वह शहर से कटौती कर दे, चाहे वह फैक्ट्रियों से उसकी कटौती करे, कहीं से भी कटौती करके तीन महीने तक बिजली दे दे। तो यह प्रश्न बार-बार खड़ा ही न हो। या फिर हम जान-बूझकर ऐसा चाहते हैं कि काश्तकार कोई हमारे महत्व को नहीं समझ रहा है और नहीं महत्व समझ कर वह अनाज उगाता है तो कैसे उगाता है, होता रहेगा, इस मंशा से ही हम सारी व्यवस्था चला रहे हैं इसलिए यह प्रश्न बार-बार खड़ा होता है।

अध्यक्षजी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यहां के काश्तकार, चाहे वह जयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, बहुत जागरूक हैं, वह इतनी बिजली की मांग करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहां सदन में उठाना चाहते हैं और उठा कर वह अपनी आपूर्ति भी कर लेते है लेकिन ट्राइबल एरिया के काश्तकारों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं हैं। ट्राइबल एरिया में पहले तो काश्तकारों को बिजली मिली ही नहीं है और मेरे जैसे गांव में तो खुद ही अभी तक अन्धेरे में हूं, अन्धेरे में ही पैदा हुआ हूं और अन्धेरे में ही अभी तक जी रहा हूं। जिन काश्तकारों को बिजली मिली है, वह बिजली उनको भी तो दो। उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं यहां। उनको तो मिले ही है न मिले, बराबर। मोटरें उनके लग गयीं और मोटरें लगने के बाद अब जो एजेन्ट हैं उनसे पैसा ले लिया और काश्तकारों को बिजली कब आती है, कब जाती है, और वह किस को जाकर कहें। इसकी भी जानकारी नहीं होती है।

इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, अध्यक्षजी, कि सरकार ट्राइबल एरिया में जो गांव अभी तक अन्धेरे में रह गये हैं, बिजली वह जानते ही नहीं हैं कि बिजली कब कितनी ज्यादा आती है, कितनी कम आती है, उसका ही पता नहीं है, तो सबसे पहले तो ट्राइबल एरिया में जो गांव बचे हैं उनका विद्युतीकरण करें और ट्राइबल एरिया में जिन काश्तकारों को बिजली मिली है उनको सही समय पर और बिना मांग किये बराबर मिलती रहे ताकि उनकी फसल पक सके और फसलें पक जायें तो वह खाकर अपना जीवन गुजर कर सके। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर सिंह (अनुपस्थित)

श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी का एक बहुत ही गम्भीर मामला इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने आज दो दिन से उठाया है। इतना गम्भीर मसला है जिसके समाधान के लिये सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो उद्योग - धन्धे हैं, अगर डेढ़ महिने के लिये उन उद्योगों में छुट्टी कर दी जाये तो कोई फर्क उत्पादन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा रॉ- मेटेरियल खेती से पैदा होता है। जब खेती ही नहीं रहेगी, फसल नष्ट हो जायेगी तो जो उत्पादन अनाज के अन्दर आज इतने सालों तक हुआ है उसमें कमी आ जायेगी, अनाज बहुत कम पैदा होगा। इस कारण बहुत ही जल्दी, आज ही हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी 12 घण्टे बिजली देने की घोषणा करें।

हमारे बाड़मेर एरिया, जो लास्ट में हैं, में तो आप 12 घण्टे देगें तो भी ट्रिपिंग होती रहेगी और 12 घण्टे की बिजली आठ घण्टे ही पड़ेगी। पिछले दिनों में हमें 2–3 घण्टे ही बिजली मिली है उसकी कमी को भी पूरा करें ताकि जो फसल पीने से रह गयी है उसको भी जल्दी पिलाया जा सके। आज हमारे जो काश्तकार हैं वह इस विधान सभा के बाहर खड़े हैं, यहां भी आये हैं, वह यही बता रहे हैं, चाहे वह पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे आपको वोट देने वाले हों, चाहे हमको वोट देने वाले हों, सब को बिजली की आवश्यकता है और इस गम्भीर मसले को आप स्वयं भी जानते हैं। आज माननीय सदस्यों के भी सब के परिवारों में उनके खुद के खेत हैं, उन पर क्या बीतती है, यह वह सब जानते हैं लेकीन इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही आपको किसानों को बारह घण्टे बिजली देने का निर्णय लेना है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा (अनुपस्थित)

श्री सुन्दरलाल, श्री नाथूराम अहारी। हां, बोल रहे हैं सुन्दरलाल जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की समस्या के लिये सुबह से बोल रहे हैं। मेन समस्या बिजली की है, इसके अलावा एक और है। जिन किसानों के पास जमीन फालतू है और गरीब चमारों को, कुम्हारों को दे दी, बिजली अब आती नहीं, बारह घण्टे के लिये दे दी कि भई, दस बीघा दस क्विन्टल में मेरे खेत को बो लेना। अब उसने खेत बो लिया, बीज गिरा दिये, बिजली कर दी पांच घण्टे। उसके पास जाती नहीं। दस क्विन्टल और लग गया उसका। उसका हिसाब कौन बैठायेगा, वह बैठा कर दो। यह है सबसे बड़ी समस्या।

बड़े खेत थे उनमें दे दिया कि बीस बीघा जमीन आप बो लेना और बीस बीघा में बीस क्विन्टल तो हमको दे देना और बाकी उपजे वह आप ले लेना। वहां बिजली मिलती नहीं है। वह कहते हैं, सरकार के घर जाकर आप रोओ, मैं तो

(श्री सुन्दरलाल)

रोकूंगा नहीं, मैं तो मेरे-मेरे जितना पानी आयेगा वह दूंगा। इस समस्या का हल नहीं होगा तो हमारे तो दुबारा मार पड़ गई फिर। यह राज आते ही मार पड़ती है, चाहे किसी भी बल पड़े, पड़ेगी क्योंकि गरीबों के तो कोई न कोई ऐसी बिठाता है, या तो आज घोषणा करें मुख्य मंत्रीजी कि बारह घण्टे बिजली देंगे और नहीं करें तो यह घोषणा करें कि दूसरे का खेत एक क्विन्टल गेहूं में जो बोया है उसको वह अनाज नहीं देगा। दोनों में से एक घोषणा जरूर करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बहुत अच्छा है। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी इस बिजली के बारे में जो समस्याएं हैं, आपको बताना चाहता हूं। बिजली एक ऐसी चीज है जिससे हिन्दुस्तान में काश्तकारों को अनाज पैदा करने में मदद मिलती है और उस पर हम जितने भी लोग हैं वह सब जिन्दा हैं। लेकिन इसकी गम्भीरता को लिया नहीं जाता है और यहां कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई बोलने उठता है तो उसकी मजाक-सी करके उसकी गम्भीरता को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है. इस समस्या को बहुत गम्भीरता से निपटाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी जैसा कि अपनी घोषणाओं में कहते हैं, चुनावी घोषणाओं में कहते हैं उसके अनुसार काश्तकारों को बिजली मिलनी चाहिए।

हमारे डूंगरपुर में खास करके पहले तो कांग्रेस सरकार थी उसमें सस्ती बिजली मिलती थी और उनका कोई बिजली लगाने में पैसा नहीं लगता था लेकिन अभी बीजेपी की सरकार आयी तब से सात हजार, आठ हजार प्रति पोल का पैसा कर दिया और एक भी काश्तकार कम से कम हमारे उधर तो लगा ही नहीं पाता है। एक यह भी पालिसी है विभाग की कि गांव में ट्रांसफार्मर लग गये तो वह समझते हैं कि विद्युतीकरण हो गया। लेकिन ऐसे कई गांव हैं हमारे जहां कि ट्रांसफार्मर लगा है और एक भी लट्टू नहीं है, उसको भी विद्युतीकरण में मान लिया गया है। तो उसको कृपया देख कर जहां-जहां भी ऐसे गांव हैं उन गांवों को विद्युतीकृत करें। मतलब गांव में, घरों में, कुओं पर बिजली लगे तभी उसको माना जाये कि यह विद्युतीकरण हुआ।

इसके साथ ही गत दो-तीन साल से ट्राइबल एरिया के जो मजरे, ढाणी और गांव थे उनके लिए जनजाति विभाग से पैसा मंजूर किया था अस्सी-अस्सी हजार, नब्बे-नब्बे हजार, एक-एक लाख रुपये, उन लोगों को भी बिजली नहीं दी गयी है। कम से कम मेरे डूंगरपुर में आज चालीस-पचास गांव ऐसे हैं जहां कि जनजाति विभाग से पैसा दिया है इसके बाद भी उन गांवों को बिजली नहीं दी गयी है। मेरे यहाँ हीराता एक ऐसा गांव हैं जहां पचास-साठ घर हैं, सिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, चमार लोग रहते हैं, वहां भी हमने मांग की लेकिन उस गांव का विद्युतीकरण नहीं

(श्री नाथूराम अहारी)

किया गया। डूंगरपुर में तो कम से कम इस तरह की हालत है कि बिजली नहीं के बराबर है। तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें और हमारे डूंगरपुर जिले में जो भी पैसा जमा कराया हुआ है और उन लोगों को बिजली नहीं मिली है उनको यथाशीघ्र विभाग दिखवा कर बिजली उपलब्ध करवाये।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसिंह (अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : जो नहीं हैं उनको बाद में देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं दूंगा। मैंने इसीलिए लिस्ट कम्पलीट कर दी है।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले करीब 15 दिन से यह संकट चल रहा है। बिजली का संकट पैदा किया गया है, विशेषकर मौजूदा सरकार के बनने के बाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही है कि बिजली का संकट पहले से ही था मगर उस स्थिति को हमने संभाल लिया है और आने वाले दिनों में बिजली की स्थिति ठीक हो जायेगी। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि जो अभिभाषण सरकार की ओर से तैयार किया गया और राज्यपाल महोदय के द्वारा पढ़ा गया, आज सरकार उससे मुकर रही है।

ऐसा लगता है कि सरकार दूसरे प्रान्तों से बिजली लेने की चेष्टा नहीं कर रही है और बिजली की आपूर्ति के बारे में गम्भीर भी नजर नहीं आ रही है। अगर गम्भीर नजर आती तो क्या कारण है कि ऐसी विकट स्थिति पैदा होती। माँग, आपूर्ति और खपत में इतना बड़ा अन्तर एकदम से आना समझने वाली बात नहीं है।

पिछले वर्ष और खास करके जब आपकी सरकार नहीं थी, मुख्य मंत्री जी, जब आप मुख्य मंत्री के पद पर आसीन नहीं थे तो बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिये और औद्योगीकरण के लिये अबाध गति से दस-दस, बारह-बारह घण्टे हो रही थी। अब एकदम उसमें कमी किस कारण से आयी, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि सप्लाई के बारे में जो व्यवधान पैदा हुआ है, बिजली की आपूर्ति की समयावधि 8 घण्टे से घटाकर 5–6 घण्टे की गयी है इसके पीछे आपकी सरकार की मंशा किसानों को बिजली आपूर्ति करने की नहीं है। यह सरकार किसान विरोधी है। अगर मैं बड़े शब्दों में यह कहूं कि सरकार उनकी दुश्मन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मुझे दुःख के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े मगर किसानों की फसल को बचाने के लिये भरसक कोशिश करिये। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी सरकार का चलना एक मिनट भी मुश्किल

(श्री भगराज चौधरी)

हो जायेगा। बाद में आप इस बात को गम्भीरता से लेंगे। आप इस को नजरंदाज मत करिये। स्थगन प्रस्ताव के जरिये हमने लाखों करोड़ों किसानों की मंशा को आपके सामने जाहिर किया और कर रहे हैं। इस पर अगर आज कोई उचित कदम नहीं उठाते हैं और आज से ही बिजली की आपूर्ति जो गड़बड़ा गयी है, जो कम दे रहे है आप उसको बढ़ाकर 12 घण्टे नहीं करते हैं तो मौजूदा हालात में हमें सदन के अन्दर धरना देने की स्थिति के लिये मजबूर होना पड़ सकता है। अगर आप जल्दी-बाजी में सदन स्थगित भी कर देते हैं तो फिर आपको सदन के बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आप सदन से बाहर निकल जाते हैं तो आपको सचिवालय में बैठने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह वार्निग मत दीजिए आप। भगराज जी, Please don't warn the Chair.

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप चेयर को वार्न मत कीजिए।

श्री भगराज चौधरी . No. I am not warning.

श्री अध्यक्ष : This is a contempt of the House and the Speaker both.

श्री भगराज चौधरी : I am not warning.

श्री अध्यक्ष : Don't challenge the Sepaker.

श्री भगराज चौधरी : I am not....

श्री अध्यक्ष : You can say whatever you want to say against the party but not against the Speaker.

श्री भगराज चौधरी : आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि एडजोर्न कर देंगे तो आपको.. (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं केवल आपको एड्रेस करते हुए सरकार को कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, सरकार को कहिये। एडजोर्न तो मैं करूंगा, सरकार थोड़े ही करेगी।

श्री भगराज चौधरी : मैं खाली सरकार का घेराव करने की बात कह रहा हूं। मैं आपको एड्रेस करते हुए आपके माध्यम से मेरे विचार सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंनें बार-बार यह बात कही है। मैं आपके बारे में कहीं किसी प्रकार का एस्पर्शन कास्ट नहीं करना

(श्री भगराज चौधरी)

चाहता, न कोई आपके बारे में मेरी दूसरी मंशा है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में गम्भीरता से विचार करे और जहां कहीं से भी लेनी पड़े, लेवें। जैसा कि अभिभाषण में यह बात कहलायी गयी है कि महंगी बिजली लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे एवं हर हालत में किसानों को कम से कम 12 घण्टे देंगे, इन्हीं शब्दों पर आप दुबारा अटल रहते हुए मेहरबानी करके 12 घण्टे बिजली दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारी पार्टी के नेता से भी यह निवेदन है कि आप 12 घण्टे बिजली की सप्लाई से कम का उनसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट मत करिये। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या से उद्वेलित होकर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से आपके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। हमने सबके भाषण सुने। माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार गम्भीर नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम जो माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने प्रस्ताव दिये हैं वह भी उतने गम्भीर नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। आपकी तरफ से नाम पुकारे जा रहे हैं, माननीय सदस्य गायब मिलते हैं। मान्यवर, यहां व्यवस्था हो चुकी है पहले। मैं पेश कर सकता हूं आप कहेंगे तो। आसन की तरफ से नाम पुकारे जाने के बाद अगर कोई बोलने वाला माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हो तो It is an insult of the House. यह अपमान है। माननीय सदस्य नाम लिखवा देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। मैं इस बात को समाप्त करके मेरे पांइट पर आता हूं।

मान्यवर, भाषण बहुत हो गये। अब सवाल यह हो रहा है कि इस मामले में क्या कहा जाये? सब कुछ कहा गया। मुझे एक बात याद आ रही है की रूस की क्रान्ति के बाद जब लेनिन को सत्ता मिली तो लेनिन ने सबसे पहले अपने प्रशासकों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और वैज्ञानिकों को बुलाकर एक ही प्रोग्राम उनके सामने रखा कि मैं मेरे रूस को इस तरह का सशक्त बनाना चाहता हूं कि उसके मुकाबले में दुनियां में कोई दूसरी ताकत नहीं हो, इसका मुझे रास्ता बताया जाये। वह रास्ता उन्होंने पहले से ही पूछ रखा था। वह बोले, आप क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप सारे रूस को इलेक्ट्रिफाइड कर दीजिए, मेरे किसान को बिजली दे दीजिए, तमाम कारखानों को बिजली दे दीजिए। उसके बाद रूस के बराबर कोई सशक्त देश दुनिया में नहीं रहेगा। मान्यवर, उसके बाद रूस ने वह तरक्की की। बिजली का प्रोग्राम उसके बाद ही लिया गया। लेकिन राजस्थान में तो बिजली का प्रोग्राम पहले भी है।

मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों

(श्री रामनारायण चौधरी)

को, जिनके हाथ में बिजली का प्रोडक्शन है, जिनके हाथ में बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन है, यह आदेश दीजिए कि बिजली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ायें, कहां से बढ़ायें। एक दिन में बढ़ने वाला है लेकिन जितना है उसका, डिस्ट्रिब्यूशन ठीक ढग से हो यह आप आदेश दीजिए। मेरा कोई विरोध नहीं है, आपने आर. सी. दवे साहब का कार्यकाल बढ़ाया है। कांग्रेस के राज में भी बढ़ा था। योग्य अफसर है, गुणवान हैं, प्रभावशाली हैं, उनका दबदबा है। आप उनको यह कहिये कि किसान को बिजली 12 घण्टे मिलनी चाहिए। कोई दलील आप न सुनें; इधर की या उधर की। कहीं से भी कटौती की जाये, कहीं से भी आपको मोल लेनी पड़े, कहीं से भी आपको भीख मांगनी पड़े राजस्थान के किसान के लिये आपको करना चाहिए।

मुझे मालूम है, आप किसी राजा के घर पैदा नहीं हुए। आप भी बहुत छोटे जागीरदार के, जो किसान के बराबर भी नहीं था, पैदा हुए। यह आपका सौभाग्य है कि आप अपने बलबूते पर तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। इस राजस्थान के अन्दर अपने बलबूते पर मुख्य मंत्री बनने वाले स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास, स्वर्गीय मोहन लालजी सुखाड़िया, हरिदेवजी जोशी, उसके बाद अपनी ताकत और अपने संगठन के बल पर आप तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। औरों पर कई तरह की मेहरबानियां रहीं। यह, चार ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान में अपनी ताकत दिखाई। मैं आपकी कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता, जो मैं महसूस कर रहा था वह बताया है। आप 12 घण्टे बिजली काश्तकारों के लिये एनश्योर कीजिए। आपने तो, अध्यक्ष महोदय, वह आन्दोलन चलाये हैं, आपके क्रान्तिकारी, ओजस्वी भाषण होते थे और आज मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पावर भी आपके पास है, ऊर्जा भी आपके पास है, उसके बाद जितने कमजोर मुख्य मंत्री आप मुझे प्रतीत हो रहे हैं अबकी बार, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा।

आप अपोजीशन में बैठते थे, जो आन्दोलन आपने बिजली का चलाया कांग्रेस के खिलाफ, जब हरिदेवजी जोशी चीफ मिनिस्टर थे, आपने झुन्झुनूं, के अन्दर, सीकर के अन्दर, सारे राजस्थान में काश्तकारों की बिजली की समस्याओं को लेकर उस आन्दोलन का नेतृत्व किया था और झुन्झुनू में एक आदमी आपके आन्दोलन के फलस्वरूप शहीद हुआ था, बालूराम शहीद हुआ था आपके कारण। आप कृपा करके यह योजना, बनाइये, आज इस बात की घोषणा कीजिये, काट दीजिये सब इण्डस्ट्रीज के अन्दर, कौनसा फर्क पड़ता है। सीमेंट नहीं बनेगा, एक महीने बाद बन जायेगा। लोहे का काम दो महीने बाद हो जायेगा। जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं, मैं नहीं कहता कि आप सड़कों की लाइटों को गुल कर दो, वह एक दूसरी और समस्या पैदा हो जायेगी लेकिन इण्डस्ट्रीज हैं उनका क्या है, सीमेन्ट दो महीने बाद हो जायेगी। लोहे के कारखाने से क्या फर्क पड़ता है, और दूसरे कारखाने से क्या फर्क पड़ता

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। मैं प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि किसानों को 12 घण्टे बिजली दी जाने की घोषणा आप करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के प्रति विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यगणों ने जो विचार प्रकट किये हैं उन विचारों से मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हुआ आपके समक्ष अपनी बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के आखिरी पृष्ठ 16 पृष्ठ की उस अवधारणा के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें--

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भागभवेत्।।" कहा गया है।

इसका अर्थ यह है कि सब सुखी रहें, निरोग रहे, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुख के दिन नहीं देखें। यह अवधारणा आप सब रखते हैं। राजस्थान के किसान आज बिजली से कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान है इसके बारे में आज गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि बिजली इस युग में बहुत आवश्यक है। इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में काफी असन्तुलन है। जहां तक मेरा अन्दाज है राजस्थान में 28 सौ मेगावाट बिजली कुल मिलाकर उपलब्ध है जबकि 4 हजार मेगावाट की आज के दिन आवश्यकता है। राजस्थान के बिजली दफ्तरों में हर जगह हजारों दरख्वास्तें नये कनेक्शन की विचाराधीन हैं। आपने बिजली को इतना महंगा कर दिया। किसानों ने कनेक्शन के लिये 40-40 हजार रुपया उसमें कुछ मिला कर लगा दिया उसके बावजूद किसान सुखी नहीं है। जब हम लोग रात को सोते हैं तब किसान जगते रहते हैं, उनकी महिलाएँ, बच्चे खेत में पाणत करने के लिये जाते हैं। कई बार उनकी जानवरों से मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह के उदाहरण भी हमारे क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों में देखने को मिले हैं। मैं 5-7 दिन गांवों में लगातार गया, सब जगह एक ही तरह की मांग सामने आयी कि गांवों में बिजली मिले, 12 घण्टे बिजली मिले।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं जब उस समय आन्दोलन किया था तब भी मैं यहां पर मौजूद था, उन्होंने बहुत जोर-शोर से बिजली की दरों के मामले को उठाया। विपक्ष में जब आप बैठते हैं तो आपका नजरिया कुछ दूसरा हो जाता है और सत्ता में जब आप बैठे हैं तो आपका नजरिया बदला हुआ राजस्थान के सामने आये, यह बात उचित नहीं लगती है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिजली के मामले में आप निश्चित रूप से किसानों के साथ जो अन्याय राजस्थान में हो रहा है उसको बहुत गम्भीरता से लें। आपने इसमें यह भी दर्शाया कि हम किसी भी कीमत पर देंगे, चाहे हमको राजस्थान के बाहर से बिजली लाने की आवश्यकता होगी तो हम लायेंगे। अभिभाषण में आपका यह जो कथन है उसके विपरीत जो स्थिति

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान में पैदा हो रही है वह बहुत गम्भीर है और किसान आन्दोलनात्मक रुख अपनाये हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि झुन्झुनू के आन्दोलन में आप अग्रणी थे, आप क्यों भूल रहे हैं इसको उसके आधार पर आज राजस्थान में ऐसी व्यवस्था और ऐसी नीति घोषित कीजिये ताकि राजस्थान के किसान, जो आज परेशान हैं, को राहत मिल सके।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड हैं, जले पड़े हैं उनको दिखाने के लिये भी जब किसान दफ्तरों में जाते हैं, धक्कें और गाली लेकर वापस आते हैं। तो कृपा करके आप यह तय कर दीजिये कि 15 जनवरी तक. राजस्थान में जितने ट्रान्सफार्मर खराब हैं। उनको बदल देंगे। या एक महिना या 15 दिन और ले लीजिये। व्यवस्था कर दीजिये। ट्रांसफार्मस की व्यवस्था बिलकुल गड़बड़ हो रही है। इससे मोटरें जल रही हैं, किसान बरबाद हो रहा है। इस बरबादी को रोकने के लिये कोई नीति निर्धारित आप करें। इसके लिये किसी को जिम्मेदार ठहरायें। अधिकारी और कर्मचारी सुनते नहीं हैं। किसान बहुत परेशान हैं। जो रेटस बार-बार मीटर्स की गड़बड़ी के कारण आती हैं उसके महीनों बाद साल भर बाद 20 हजार के बिल, 10 हजार के बिल, 8 हजार के बिल आडिट में आते हैं। उस सब व्यवस्था को आप ठीक करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह। आपको बोलना है? नहीं बोलना।

श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बिजली की कमी को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं उसको सदन के अन्दर यह लोक महत्व का मुददा आया है सरकार यह जानती है। जब नेता महोदय विपक्ष में थे तब किस तरह से बिजली की समस्या को लेकर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे परन्तु आज भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र के पश्चात कि हम 12 घण्टे बिजली देंगे, शपत लेने के बाद सरकार का पहला काम हुआ कि बिजली की आपूर्ति को कम कर दिया गया। किसानों ने जो फसलें की 10 घण्टे के हिसाब से, 12 घण्टे के हिसाब से बुवाई की, आज पिवाई नहीं कर पा रहे हैं और फसल नष्ट हो रही हैं।

मैं जानता हूं इस बात को कि सरकार यही कहेगी कि हम प्रयास कर रहे है। हमको देखना पड़ेगा कि वह किसके भरोसे यह बात कहेगी, राजस्थान विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली किस तरह की है, क्या वास्तव में वह बिजली के अन्दर सुधार लाना चाहता हैं। किस तरह से बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ते-बढ़ते एक हजार करोड़ तक का हो गया है। यह किसके कार्यकाल में हुआ आज हमको यह देखना पड़ेगा। जो बिजली हमारे पास उपलब्ध है। और उसके जो लोसेज हो रहे हैं, जो नेशनल स्टेण्डर्ड है वह साढ़े पन्द्रह प्रतिशत के करीब है और नेशनल एवरेज 20 प्रतिशत के करीब आता है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हमारा सिरमौर है, इस मामले में 30 प्रतिशत के लगभग लासेज राजस्थान में हो रहे हैं । यदि हम इसको ठीक कर दें तो भी बिजली काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकती है । इसके बारे में सरकार को जरुर कार्यवाही करनी चाहिये । किस जगह लासेज होते हैं, उसकी मानीटरिंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं , हमको यह बात देखनी पड़ेगी । जिस तरह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको नहीं बदलने से भी भारी दिक्कत किसानों के सामने आती है । उनको खुद को चक्कर काटने पड़ते हैं विभागों के ।

आज बिजली के साथ पानी की भी भयंकर किल्लत है और यह समस्या साथ में जुड़ी हुई है । पानी की जो योजनाएं हैं यदि हम उनको बिजली प्राथमिकता से नहीं दें, जिस तरह से हम किसानों की बात कर रहे हैं, गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, पेयजल योजनाएं जो कि आर. एस. ई. बी. से जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि सरकार प्राथमिकता के साथ में बिजली, जितनी उपलब्ध हो, पेयजल योजनाओं को दें ताकि गांवों के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड ने चुनाव के पहले किस तरह इस बात का प्रचार किया कि हम पांचवीं यूनिट शुरू कर देंगे, दिसम्बर में हम शुरू कर देंगे । किस तरह राजनैतिक लाभ लेने की बात कही गयी परन्तु आज तक वह पांचवीं यूनिट शुरू नहीं हुई । उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि कार्यवाही की जाये । मैं चाहूंगा कि किस तरह कोटा के अन्दर आप लोड फैक्टर बढ़ाने की बात करते हैं यूनिट के अन्दर । जबकि आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कई बार दूसरी स्टेट्स के अन्दर, आज तो हालत अलग है परन्तु मैं इसलिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा की किस तरह से दूसरे स्टेट्स के अन्दर जब बिजली सरप्लस होती है और हमारी जो लोड डिस्पेच विंग है राजस्थान विद्युत बोर्ड की, उसके पास में इस बात के टेलीग्राम और सूचना आती है कि हम आपको पचास पैसे यूनिट में बिजली देना चाहते हैं । तब हमारे यहां जो महंगी बिजली हम कोटा में पैदा कर रहे हैं उस यूनिट को कम नहीं करते, जो एक रुपये बीस पैसे यूनिट पर पैदा कर रहे हैं, उसको हम बन्द नहीं करते हैं, उस घाटे को पूरा करने की कोशिश हम नहीं करते हैं । इस बात की भी आप जांच करायें ।

मुख्य मंत्रीजी, इस बात की जांच करवा कर देखें कि इस तरह से वहां से जो टेलीग्राम आता है और हम वह बिजली लेते नहीं और हम महंगी बिजली पैदा करते हैं और हमारे घाटे को हम बढ़ाये जा रहे हैं । इसलिए मेरा आप से निवेदन है, अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न है और आप भी मदन की भावना से अवगत हैं और माननीय सदस्य जो उधर सत्ता पक्ष में बैठे हैं वह भी इस बात को जानते हैं कि यह किसानों का मामला है, गांवों का मामला है, बिजली से सम्बन्धित मामला

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है इस पर जरूर कार्यवाही करके 12 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जाये।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने बिजली के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि मैं 4 मार्च, 1990 से 15 दिसम्बर, 1992 तक राजस्थान का मुख्य मन्त्री रहा। विधान सभा का रिकार्ड उठा कर के देख लें, उस समय बिजली की समस्या पर इस प्रकार से कभी चर्चा नहीं हुई। जितनी बिजली उपलब्ध हो रही थी काश्तकारों को सन्तोष था, जितने गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए उससे ज्यादा विद्युतीकरण कराया गया, जितने कुओं का उर्जीकरण होना चाहिए उतने कुओं को बिजली का कनेक्शन भी दिया गया।

ढाई वर्ष में पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई। हालांकि इस बात की कई बार चर्चा हुई कि बिजली के वितरण में सुधार किया जाये और उस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि आज बिजली बोर्ड का इतिहास उठाकर देख लें, ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के जितने एफर्ट्स इस ढाई वर्ष के काल में किये गये पहले कभी नहीं किये गये। वह एफर्ट्स आज भी चालू हैं और यह मैं मानता हूं कि बिजली की कमी का और बिजली की कमी की चुभन का एक सबसे बड़ा कारण है ट्रांसमिशन सिस्टम और उसके आगे भी उसकी वितरण प्रणाली में दोष। यह दोष किस प्रकार से घटें, किस प्रकार से उनको समूल नष्ट किया जाये, इसके लिये आवश्यक है कि ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाये।

इस सम्बन्ध में भी हमने पूरे एफर्ट्स किये हैं और इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य जो बोल रहे थे कि हम तो किसानों के दुश्मन हैं ढाई वर्ष में किसानों को बिजली की जिस प्रकार की सुविधायें मिली हैं यह उसी का परिणाम है कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और बाकी के लोग जीत कर आये हैं। अगर उस समय ढाई वर्ष में बिजली की कोई समस्या होती और किसानों को किसी प्रकार की कोई चुभन होती तो हालत वही होती जो आपकी हुई और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह ढाई वर्ष का काल तो भूल जाएं (व्यवधान) अब देखिये, मैंने किसी के मामले में कोई दखल नहीं किया

श्री मोहन लाल मोदी : सारा राजस्थान जानता है कि कौन सत्ता में लाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मोदी जी, 10 साल के बाद में आये हो, थोड़ा शांति से बोलो।

श्री मोहन लाल मोदी : 8 वर्ष के बाद ही आया हूं, 10 नहीं हुए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खैर, कोई बात नहीं, मैं दो वर्ष की भूल वापस लेता हूं ।

मैं इतना निवेदन कर रहा था, कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, खास तौर से उन माननीय सदस्यों के प्रति जिन्होंने बहुत सी रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कहा कि राज चलने नहीं देगें, सचिवालय में बैठने नहीं देंगे सड़कों पर जाने नहीं देंगे. गावों में घुसने नहीं देगे। मैं उनको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि, हम लोग जनता में हैं, जनता ने हम को चुनकर भेजा है, सरकार में रह कर हम जनता से दूर होना नहीं चाहते और न होंगे । अब ऐसी स्थिति में आप कहें कि सचिवालय में बैठने ही नहीं देंगे, मेरे समझ में नही आता सचिवालय में जनता ने बैठाया है, आपने नहीं बैठाया है अगर आपने बैठाया होता तो निकाल कर ले आते (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निर्दलियों ने बैठाया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, सुनते जाइये। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सुन रहा था, आप खूब आलोचना कर रहे थे और मैंने बिलकुल शांति से सुना

एक माननीय सदस्य : इसको डाइल्यूट नहीं करें, सीरियसली लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं सीरियसली आ रहा हूं, आप इसकी चिन्ता मत करो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं और डाईल्यूट करूंगा, तथ्यों पर भी मैं सारी बात आपको बता दूंगा । लेकिन यह कहना कि हम सचिवालय में बैठने नहीं देंगे इसका मतलब उस जनता के अधिकारों पर आप अतिक्रमण करना चाहते हैं जिस जनता ने हम को बहुमत देकर इस सचिवालय में बैठाया है ।

अब प्रश्न यह आता है कि आप यह कहें कि हम सड़क पर चलने नहीं देंगे। मैं किसी भी माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आज बिजली की कमी है जहां भी मुझे बुलाना चाहें मैं बिना पुलिस के वहां जाऊंगा। इतनी ताकत रखता हूं कि बिजली की कमी है उसके बारे में किसानों को समझाऊंगा उस बिजली की कमी के कारण क्या हैं, यह किसानों को समझाऊंगा और आप यह मत समझो कि किसान आप से कम समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार है । और इसलिए यह कहना कि सड़क पर नहीं चलने देंगे, मकान में नहीं बैठने देंगे, इस प्रकार की बात से समस्या का समाधान नहीं होगा और इसलिए मैंने कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करुंगा। आखिर बिजजी का संकट है, इसको कोई मना नहीं करता ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह बिजली का संकट कोई इस सरकार के कारण से पैदा हुआ है, यह भी मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेगा और न कहा है। केवल इतना सा कहा कि हम किसान विरोधी है। अब उसका जवाब देने की कोई आवश्कता नहीं है। हमारे में भी किसान बैठे हैं, हम भी किसानों के वोट लेकर आये है, आपने भी किसान के वोट लिये हैं। हम दोनों मिलकर किसानों की समस्या का किस प्रकार से समाधान कर सकें, आज इस चर्चा की आवश्यकता थी। कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन कुर्सी पर नही बैठेगा इसकी आवश्कता नहीं थी, लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि जिस प्रकार का सकट उत्पन्न हो गया उस संकट का समाधान हम मिल-जुलकर किस प्रकार से करें आप कोई यह समझें कि आज मैं एक मिनट में बिजली पैदा कर देऊंगा, इसकी तो कोई सम्भावना नहीं है और आप यह समझें कि यह संकट केवल राजस्थान में है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह संकट हरियाणा में भी है, यह संकट उत्तर प्रदेश में भी है। यह संकट मध्यप्रदेश में भी है यह संकट कई राज्यों में इस प्रकार का संकट है और कई राज्यों में मुख्य मंत्रियों के पुतले जलने लगे हैं। इसलिए यह मत समझो कि मेरे अकेले के ही पुतले जल रहें है। या जलेंगे जहां कांग्रेस का शासन है वहां के मुख्य मंत्रियो के भी पुतले जल रहे है। यह पुतले जलाने की परम्परा का यदि आपको निर्वहन करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं उसका स्वागत करूंगा लेकिन मैं स्वागत इस बात का करूंगा कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न आता है तात्कालिक समस्या का समाधान कैसे हो और इसकी दीर्घकालीन योजना क्या हो? माननीय सदस्य, जो पुष्कर से जीत कर आये हैं उन्होंने दो भागों में इस समस्या का विभाजन किया, एक तो यह कि इसका तात्कालिक समाधान क्या हो सकता है और दूसरा, इसका दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है? उनके मन में केवल एक बात है कि बिजली बोर्ड या राजस्थान की सरकार या भारत सरकार अपने फाइनेंसेज से बिजली के उत्पादन का काम शुरू नहीं कर सकती और जल्दी से जल्दी बिना झिझक के मुझे प्राइवेट सैक्टर को आमंत्रित कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं....

श्री विष्णु मोदी : मैं इण्ट्रप्ट नहीं कर रहा हूं, साहब, यह मेरी भावना कतई नहीं है लेकिन मैं चाणक्य की आपको एक जरा-सी बात कहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, आप बीच में मत बोलो, मैं भी आपकी बात सुनता रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : जहां राजा हो व्यापारी, उसकी प्रजा भिखारी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सही है, इसीलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपकी भावना से आपको नाराज नहीं होना चाहिए। -मैं भी चाहता हूं और मैं भी यह साफ कहना चाहता हूं कि न धन हमारे पास है, न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है और न भारत सरकार से हमें धन मिलने वाला है - हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बाहर की एजेंसीज से या तो हमको धन मिले या हम जिनके पास पूंजी है उन लोगों को आमंत्रित कर यह नये कारखानों को चलाने का या नये कारखानों में बिजली उत्पादन करने का काम दें। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। और आपको शायद जानकारी होगी कि राजस्थान में जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है, आपने जिनका जिक्र किया मैं कहना चाहता हूं 1984 में इस पावर प्रोजेक्ट्स की योजना बनायी, वह चाहे धौलपुर हो, वह चाहे चित्तौड़ हो, वह चाहे माण्डलगढ़ हो, चाहे सूरतगढ़ हो। यह सारी योजनाएं 1984 में बनीं और मैं आपको बता सकता हूं कि 1990 में जिस समय मैंने चार्ज लिया यह सारी योजनाएं बस्ता-ए खोमोशी में पड़ी थीं। किसी न किसी प्रकार का फाइनेंशल रोड़ा हो, चाहे एनवायर्नमेण्ट का उसमें कोई विवाद हो, चाहे लोकेशन का विवाद हो, इस विवाद के कारण से सारी योजनाऐं बस्ता-ए-खामोशी में पड़ी थीं। मैंने आते ही इन योजनाओं को देखा और देखने के बाद में यह क्यों बस्ता-ए-खामोशी में गयीं उसके कारणों को देखा और कारणों का निराकरण करने की कोशिश की। पहली कोशिश के रूप से सूरतगढ़ का पावर प्रोजेक्ट....

श्री परसराम मदेरणा (नेता,प्रतिपक्ष): वहां तो कोल लिंकेज था

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बता दूंगा, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो कोल लिंकेज का मामला था, नहीं तो प्रोजेक्ट तो करीब-करीब सैकड़ों इकोनोमिक सैंक्शन हो गयी थी। बस्ता -ए खामोशी में नहीं रहा। यह इकोनोमिकली हो गया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आप स्वयं भी जानते हैं कि चाहे कोल लिन्केज का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो यह मामला प्रगती पर नहीं था। प्लानिंग कमीशन में इसका अप्रूवल नहीं हुआ। कोशिश करके मैंने इसकी प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल ली और अप्रूवल लेने के बाद में ही इस पर काम चालू हुआ। काम चालू हमने अपने रिसोर्सेज से ...

श्री विष्णु मोदी : एक यूनिट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक हो चाहे आधा हो, हमने अपने रिसोर्सेज से काम चालू किया और काम चालू करने के बाद आपको मालूम होगा, आज के तीन- चार महीना पहले जो इसकी एनवायर्नमेण्टस क्लिरेंस दी हुई थी उस क्लियरेंस को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विदड्रा कर लिया और 24 तारीख को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनवायर्नमेंट मिनिस्टर को कि उनके सामने जब हमने सारी समस्या रखी उन्होंने तुरन्त एनवायर्नमेंटस क्लियरेन्स दे दी और उस पर पुनः काम चालू हुआ।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, धौलपुर का प्रश्न है। धौलपुर के मामले में मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हू कि धौलपुर में एनवायर्नमेंट का भी झगड़ा था ताज का भी झगड़ा था। जब पहले प्रश्न उठा तो ताज का प्रशन था मैंने कहा कि ट्रपीजिअम एरिया से इसको यदि बाहर ले लेते हैं तो ताज भी सुरक्षीत रहेगा। आखिर जो ट्रपीजिअम एरिया इसका है उसके बाहर धौलपुर के प्लांट का लोकेशन तय किया। फिर क्वेस्यन आया वन बिहार का और इसी प्रकार से चम्बल नदी का। इन सारे प्रश्नों के ऊपर एक्सपर्ट से कमेटी बैठी। उन एक्सपर्ट्स कमेटी पर हमने काफी रुपया खर्च किया। सब प्रकार का क्लियरेन्स किस प्रकार से मिल सकता हैं, उसके लेने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान ही हमारी यह सरकार चली गयी।

मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी सिन्सियरिटी पर यदि कोई सन्देह करता है, तो मैंने प्रधान मन्त्रीजी से स्वयं भेंट करके और पत्र लिखकर उनको बार-बार कहा कि धौलपुर का प्रोजेक्ट मंजूर हो जाये तो पानी नजदीक हैं और ब्रॉड-गेज लाइन के कारण से हमें कोयला सस्ता मिल सकता है, राजस्थान में यह एक पाइण्ट है जहां से हम सस्ता कोयला ला सकते। कोयला लाने की और पानी की इन दो आवश्कताओं को नजर रखते हुए हमने इस पर काफी दबाव डाला लेकिन उस समय मैं कामयाब नहीं हो सका। आज मैं आपको कहता हूं कि जो बातचीत उस समय हुई थी, दो दिन पहले परसों जब प्रधान मंत्री यहां आये, मैंने धौलपुर का मामला उनके सामने फिर रखा, मुझे आशा है कि धौलपुर का मामला निश्चित रूप से क्लियर हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने धौलपुर और सूरतगढ़ की बात इसलिए कही कि कोई यह नहीं कहे कि हमने अपनी तरफ से किसी प्रकार के एफर्ट्स में नहीं किये। हमने पूरे एफर्ट्स किये और अब भी मै कहता हूं कि इह प्रकार के एफर्ट्स यह कोई मेरी देन नहीं होगी, मैं इसका कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि राजस्थान का विपक्ष और हम, दनों मिलकर भारत सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालें कि धौलपुर को भी क्लियर करें और बरसिंहसर के मामले में एन. एल. सी. से जो एम. ओ. यू. कांग्रेस के राज में किया था, उसमें थोड़ा संशोधन करके मैंने किया और एन एल. सी. फिर बैक-आउट कर गयी, बैक-आउट न करे नम्बर एक, और बैक-आउट करती है तो हम जिस प्रकार से दूसरी पार्टी से नेगोशियेशन करें, भारत सरकार के पैरामीटर्स के अनुसार नगोशियेशन करें उससे वे हमारा सहयोग दे तो धौलपुर, बरसिंहसर, सूरतगढ़ वह कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

के आधार पर राजस्थान भविष्य की ओर अपनी नजर डाल सकता है कि हमारी समस्याओं का इस प्रकार से समाधान होगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मथानिया में जो 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा का थर्मल प्लाण्ट है, इसके लिये हम कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें यह प्लाण्ट मिलना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार कि उस प्लाण्ट की सारी टेक्निकल स्टडी कर ली गयी है और 30 मेगावाट का प्लाण्ट पहला नम्बर तो राजस्थान का है, मैंने फिर प्रधान मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में बात की, मैंने कहा राजस्थान इस से उपेक्षित न रह जाये। मैं चाहूंगा कि अपोजिशन के लीडर और माननीय धनखड़ साहब और मोदीजी, इनका दिल्ली में बहुत-प्रभाव है, हर मन्त्री के पास यह पहुंच जाते हैं बिना संकोच के बिना टाइम लिये, तो कम से कम वह इस प्रभाव का उपयोग करते हुए इस 30 मेगावाट के सोलर एनर्जी वाले प्लाण्ट को राजस्थान के हिस्से में लाने का प्रयत्न करेंगे। मैंने पहले कहा कि उसका क्रेडिट यह लें या विपक्ष ले, मुझे क्रेडिट देने और लेने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान की इस समस्या का हम समाधान कर पायें इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस आधार पर मैंने आपका सहयोग मांगा है। अध्यक्ष महोदय

श्री विष्णु मोदी : पूरा

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां।

श्री विष्णु मोदी :पूरा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, पूरा मिलेगा तो कामयाब होंगे। ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैं नहीं समझता कि हम सब मिलकर भारत सरकार से आग्रह करेंगे तो हमारी बात को अस्वीकार किया जाये। वह बात निश्चित रूप से स्वीकार होगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि बिजली की कमी है। मैंने इस बिजली की कमी को छिपाया नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : मनोवैज्ञानिक ढंग से डराया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने छिपाया नहीं है, बल्कि गवर्नर साहब ने जिस समय भाषण दिया, 31 दिसम्बर को, उस भाषण में आप तो बड़े नाराज हो रहे थे कि पांच पेज इसमें लिख दिये, कोई कह रहा था ढाई पेज लिख दिये, कोई कह रहा था, डेढ़ पेज लिख दिये, मैंने लिखा इसलिए कि इसके ऊपर चर्चा हो। माननीय सदस्यों से चर्चा मैंने आमंत्रित की है वरना राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं करता तो भी काम चल सकता था। मैंने जान बूझकर यह ढाई पेज या डेढ़ पेज जो कुछ भी है वह गवर्नर के एड्रेस में इसलिये लिखा कि सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर, इस विषय पर उनके सुझाव मांगू। आप तीन दिन से इस सम्बन्ध में चर्चा कर रहे है लेकिन आप यह समझते थे कि चर्चा कम है, और चर्चा कम है इस आधार पर आज आपने समय लिया और सइमें भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सुझाव आये हैं।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख आया था कि 12 दिसम्बर तक बिजली की कोई समस्या नहीं थी। 12 दिसम्बर तक। अब जैसे एक माननीय सदस्य जो आहोर से आये हैं उन्होंने कहा कि समस्या हमने पैदा की है। अब पैदा करने की जिम्मेदारी कहां से आ गयी ?

श्री राधेश्याम : 15 दिसम्बर तक बिजली नहीं थी आप कह रहे हैं कि 12 दिसम्बर तक ...

श्री अध्यक्ष : आप, राधेश्यामजी, प्लीज पूरा होने दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बम्बई हाई गैस में गैस के कण्ट्रोल में यदि खराबी हो जाय। वह मेरे बस की बात थी क्या ? गैस कम सप्लाई हुई जिसके कारण से बिजली का उत्पादन कम हुआ और हमें जितनी बिजली मिलनी चाहिये थी, उतनी बिजली नहीं मिली। अब इसके लिये कोई मुझे जिम्मेदार ठहराये कि बम्बई हाई गैस में जो कण्ट्रोल में..(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : इस प्रान्त के चीफ मिनिस्टर आप हैं और लोगों को आप पर ही उम्मीदें हैं और आप द्वारा यह कार्य हो सकते हैं इसलिये आप अपनी बात दूसरों पर मत टालिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की जनता को इस बात की उम्मीद मुझसे ही है कि मैं इस समस्या का समाधान कर पाऊंगा। मैं इसके लिये राधेश्याम जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं... (व्यवधान) अब आप बैठ जाओ।

श्री राधेश्याम : यह तो ऐसा है, जब आप डेमोक्रेसी में मुख्य मंत्री की सीट पर बिराजमान हैं तो आप पर ही उम्मीदें है, इसमें कोई दो राय थोड़े ही है। मैं एक निवेदन करता हूं, एक बहुत मामूली-सा मेरा सुझाव है, अगर आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। मैं कोई इजाजत नहीं देता। आप बिराजिए, मैंने पहले भी नहीं दी। बिना इजाजत तो खड़े हो रहे हैं आप, फिर इजाजत मांग रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पंजाब से हमको 40 से 60 लाख यूनिट प्रतिदिन मिलने वाली विद्युत रोपड तथा भटिण्डा की थर्मल इकाइयां बंद होने के कारण से नहीं मिली। अब इसमें मैं समझता हूं कि मेरे या मेरी सरकार के बस का कोई काम नहीं है। दोनों ही इकाइयां बन्द हो गयीं और बंद होने के कारण से जितनी बिजली उपलब्ध होनी चाहिये थी उतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो पायी एन. टी. पी. सी. में; अध्यक्ष महोदय, रिहन्द पर पांच सौ मेगावाट की इकाई 13 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक बंद रही। अब वह भी न तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कण्ट्रोल में है, न राजस्थान सरकार के कण्ट्रोल में है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोटा तापीय परियोजना में चौथी इकाई में वाइब्रेशन और हाइड्रोजन लीक होने के कारण इस इकाई को 18 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक बंद करना पड़ा। अब यह भी ऐसी चीज नहीं है कि जान बूझकर कोई बात की गयी। एन. टी. पी. सी, की रिहन्ददादरी की पांच सौ के. बी की लाइन में एक पोल का तार टूट गया, उस तार को बदलने में समय लगा और उस कारण से जो बिजली हमें आनी चाहिये वह बिजली सिंगरोली से हम नहीं ले पाये। यह ऐसे अपरिहार्य कारण थे जिनको हम रोक नहीं सकते थे और उसके कारण से बिजली का उत्पादन कम हुआ। और बिजली की उपलब्धि कम हुई।

अब, अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर केवल इतनी ही बात नहीं है। मैं विपक्ष के नेता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक अन्य सन्दर्भ में यह कहा था कि भाखरा और पौंग डैम और गांधीसागर में पानी कम आया है इसका असर बिजली के उत्पादन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अब यह आप सब जानते हैं कि भाखरा में पानी कम आया, पौंग डैम में पानी कम आया और इस कम आने के कारण से हमें 20 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कम बिजली मिली। अब यह भाखरा में और पौंग डैम में पानी की कमी आयी उसका परिणाम है। यह परिणाम आज मैं हूं? हमारी सरकार भोग रही है तो पंजाब की सरकार भी भोग रही है और हरियाणा की सरकार को भी इसको भुगतना पड़ रहा है। आर. ए. पी. पी की एक यूनिट जिससे 18 लाख यूनिट प्रतिदिन हमको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही। वह बन्द पड़ी है।

मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि आर. ए. पी. पी. की एक यूनिट बन्द रहती है, दोनों यूनिट एक साथ कभी चलती नहीं और चलती हैं तो सट-डाउन जल्दी से हो जाता है। यह भी एक इस प्रकार की समस्या थी नरोरा एटामिक पावर स्टेशन की दोनों इकाइयां मार्च, 93 से बन्द थीं उसके कारण से भी कमी हुई। दिसम्बर में एक इकाई चालू हुई है, अब पांच लाख यूनिट बिजली हमें वहां से मिलने लगी है। अब ऐसी स्थिति में बिजली की कमी है इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन कमी कोई जान बूझकर की गयी है इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमें सस्ती बिजली बाहर से मिलने वाली है पर हम कोटा के अन्दर महंगी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा यदि वह मुझे बता दें कि कहां से 70 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। मैं तो उसे खरीदने में प्रिफर करूंगा और यहां कोटा ताप इकाई पर में बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये कह दूं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहूंगा कि आज जो विद्युत की उपलब्धि है वह जनवरी, 1993 में 419, लाख यूनिट, विद्युत की मांग है 470 लाख यूनिट और आपूर्ति 470 लाख यूनिट है। उसी प्रकार से जनवरी, 1994 में 433 लाख यूनिट की विद्युत उपलब्धि थी, विद्युत की मांग है 510 लाख यूनिट और आपूर्ति के लिये चाहिए 470 लाख यूनिट। यह सब कमी है। मैंने आपको आंकड़े केवल इसलिए दर्शाये हैं कि आप यह समझ लें कि वास्तव में बिजली की कमी है। अब इस कमी की पूर्ति किस प्रकार से की जाये? माननीय सदस्यों ने कहा 12 घण्टे बिजली दी जाये। मैं 1952 से लेकर अब तक राजस्थान विधान सभा का कुछ समय को छोड़कर सदस्य रहा हूं और बिजली के बारे में मुझे भी पूरी जानकारी है कि राजस्थान में किस समय कितना-कितना उत्पादन हुआ, किस समय कौनसा प्लाण्ट लगा, उसके कारण से कितना उत्पादन हुआ, कितने ट्रांसमिशन लासेज हैं, कितना खर्चा है और कितना नहीं है।

लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिजली बोर्ड की स्थिति क्या है। आज पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि तीन सौ करोड़ रुपये का घाटा है। घाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन आप यह जानते है, कि यह पहली स्टेट होगी हिन्दुस्तान में, यही राजस्थान की स्टेट जिसने इक्विटी पार्टी सिपेशन करके इस बिजली बोर्ड को घाटे से उबारने की कोशिश की। यह पहली स्टेट होगी कि बिजली बोर्ड के ऊपर जितना हमारा कैपीटल इन्वेस्टमेंट का इन्ट्रेस्ट था वह इन्ट्रेस्ट हमने राइट-आफ किया और यह पहली स्टेट होगी हिन्दुस्तान में कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अनुसार जिस प्रकार से विद्युत बोर्ड चलना चाहिए उस प्रकार से इकानॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर यह बिजली बोर्ड चला है।

इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्लांट लोड फैक्टर में हिन्दुस्तान में राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबसे आगे आया है और आज फिर आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कितना इम्प्रूव्ड है, हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा और वर्ल्ड बैंक ने हमारे सारे ट्रांसमिशन सिस्टम की इम्पूवमेंट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस बिजली बोर्ड को, इस देश के छह बिजली बोर्डों में माना है जो इस बात के लिये फिट है वर्ल्ड बैंक इनको फाइनेंशल असिस्टेंस दे। हम उसके लिये भी तैयारी में है। आज फाइनेंसेज की कमी है इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री विष्णु मोदी : काम अच्छा किया है, मान्यवर, पर घाटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं समझता हूं बहुत सीनीयर सदस्य होने वाले हैं, पार्लियामेंट के मैम्बर भी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं और फिर मैं जोर से बोलूंगा तो

(श्री अध्यक्ष)
कहेंगे आप नाराज हो रहें है। इसलिए मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि कृपया शान्त रहें, पूरा जवाब सुनें और अपने जज्बात को थोड़ा कन्ट्रोल में रखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, आप जोर से मत बोलिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति है और उस स्थिति में आप चाहें 12 घंटा बिजली देओ। इस सदन के जितने भी पुराने माननीय सदस्य बैठे हैं सिवाय वर्षा ऋतु को छोड़कर, वर्षा ऋतु में तो 12 घण्टे भी मिल सकती है, 16 घण्टे भी मिल सकती है, कंजूमर होते नहीं है और 18 घण्टे भी मिल सकती है। आज तक राजस्थान में कभी 12 घण्टे बिजली दी है क्या? अब आप सब जानते हैं कि बिजली की कमी है और मेरे से डिमाण्ड कर रहे हैं कि 12 घण्टे बिजली दो। बिजली की कमी नहीं होती और आप मांग करते कि 12 घण्टे बिजली दे ओ, तो मुझे कोई संकोच नहीं होता, 12 घण्टे लो, 16 घण्टे लो। लेकिन आज जिस प्रकार का संकट-कालीन समय है उस समय आप मांग कर रहे है 12 घण्टे बिजली दो। राजस्थान में मैंने आन्दोलन भी किया उनके कारण दूसरे है लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि राजस्थान में किसी भी सरकार ने 12 घन्टे बिजली दी है। यह बात सही है कि 8 घंटे बिजली दी गयी है।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी (ओसियां) : ओसियां में पांच साल पहले 10 और 12 घंटे बिजली मिलती थी और यही चेयरमैन बिराजे है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ओसियां में आपकी और चेयरमैन साहब की कोई दोस्ती होगी वह तो मैं कह नहीं सकता।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी : दोस्ती तो आपसे हुई हैं अब।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी तो आपसे भी है।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : मेरी भी आपसे बहुत घनिष्ठता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी तो आपसे बहुत दोस्ती भी है और घनिष्ठता भी है।

श्री अध्यक्ष : मगर यह दोस्ती हमारे आड़े आ रही है। Plese let him Speek. समय के आड़े आ रही है। सदन का समय कम है।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी चैलेज करें कि इस हाउस में कोई नहीं बोल रहे कि 10 या 15 घण्टे बिजली मिली हो, मैं चुप रहूं?

श्री अध्यक्ष : वह अपनी बता रहे हैं कि मिली नहीं, इसका बयान है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : कई पीरीयड्स में 12 घण्टे मिली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कमला जी, मुझे बोलने दो। मैं बोल रहा हूं,

आज भी मैं कहता हूं कि ब्लाक सिस्टम में जो दिन में ब्लाक में आ जाते हैं और रात के ब्लाक में नहीं आते वहां भी 12 और 14 घण्टे बिजली मिलती है। यह मत कहिए। आज भी मिलती है। इसलिए कमला जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर है। आप कल फिर बोल लेना बाद में बोल लेना। अब ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कभी घोषणा की हो कि 12 घण्टे बिजली मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से घोषणा की हो कि 12 घण्टे बिजली मिलेगी, मुझे तो याद नहीं पड़ता। भाटी साहब ने बिजली ले ली, उनकी चतुराई की मैं प्रशंसा करता हूं। किस प्रकार से ली, कैसे ली, लेकिन उन्होंने बिजली ले ली बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज सारे राजस्थान पर उसको फैलाकर देखें, । कितने घण्टे बिजली मिली। आठ घण्टे मिली। और इस आठ घण्टे बिजली में जब कमी होती है तो निश्चित रूप से काश्तकारों को चुभन होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मैं आज सदन के माध्यम से किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों को आठ घण्टे बिजली मिलेगी। परन्तु छह घण्टे दिन में मिलेगी और दो घण्टे रात में मिलेगी। और दो घण्टे के लिये मैं फिर कहता हूं यह मिनिमम कहता हूं कि ब्लाक सिस्टम के अन्दर अगर सिस्टम इस प्रकार का बन जाये जिसके कारण से रात को लोगों को ज्यादा बिजली मिल सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। अब एक तरफ तो फसल बरबाद होने का प्रश्न आता है और दूसरी तरफ रात को बिजली लेकर सिचाई करने का प्रश्न आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान का किसान इसकी नाइसिटीज में नहीं जाता उसको फसल पैदा करनी है और उसको बिजली किस समय कितनी मिले, इस झगड़े में नहीं जाता, बिजली मिलनी चाहिए। तो मैं राजस्थान के काश्तकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी। अब अध्यक्ष महोदय, यहां बार बार...

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): सीमावर्ती क्षेत्र में रात को बी. एस. एफ वाले पानी नहीं देने देते है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये तो आपको दिन में देनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं।

(16.00)

आज ही इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड को मैंने कहा और फिर आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी पानी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के सम्बन्ध में चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना पड़े वह ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूव करें लेकिन इस सदन में और जनता की ओर से इस बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि अमुक पी.एच.ई.डी की स्कीम बिजली की कमी के कारण से बन्द हुई है और वहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

(134)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में चाहूंगा कि इस पर तत्परता से कार्य किया जाये और इस समस्या का समाधान किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में यह चर्चा हुई कि उद्योगपतियों की बिजली काट दी जाये । लेकिन आप सब लोगों को जानकारी होगी कि हम बिजली ओवर ड्रा कर रहे हैं, हम बिजली खरीद कर ला रहे हैं और खरीद कर ला रहे हैं तो हमने एग्रीमेण्ट यहां तक किया है कि सात दिन का एडवांस पेमेण्ट कर दें। एडवांस पेमेण्ट करके हम बिजली ले रहे हैं । अब आप मुझे बता दीजिये कि इस एडवांस पेमेण्ट के लिये राशि कहां से आने वाली है । आज जो उद्योग में बिजली जा रही है वह आप यह मत समझो कि यह उद्योगपति का इन्ट्रेस्ट है । वहां लेबर का इन्ट्रेस्ट है । लाखों की संख्या में मजदूर भी लगे हुए हैं । आज अगर किसी उद्योग को बन्द करूं तो ठीक है काश्तकार मेरी वाहवाही करेंगे लेकिन वे सारे मजदूर जो काश्तकारों से ज्यादा खराब हालत में हैं, त्राहि-त्राहि करेंगे मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा और बैलेंस के साथ ही आवश्यक बात यह है कि जो धन राशि मुझे एडवांस में जमा करनी पड़ती है वह हाई टेन्शन के लाइन के कंजूमर से ही मैं वसूल कर सकता हूं, दूसरों से वसूल नहीं कर सकता ।

यहां यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि बिजली की पूरी कटौती सेन्ट-पर्सेन्ट उद्योगों पर कर दी जाय तो आपको जो मैं छह घंटे की बात कह रहा हूं कि दिन में बिजली मिलेगी, यह ज्यादा से ज्यादा साढे छह घंटे हो सकती है, पौने सात घंटे हो सकती है लेकिन आठ घंटे बिजली उनकी बिजली बंद करने के कारण से आपको मिल जायेगी इस प्रकार का एश्योरेंस कोई एक्सपर्ट भी आपको नहीं दे सकता । इसलिए यह आवश्यक है कि बिजली खरीद करने के लिऐ पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो पैसा सरकार कहां से लायें ? आप यह समझो कि सरकार ही रिएम्बर्स करें तो मेरी समझ में यह नहीं आता की बिजली का उपयोग तो कोई करे और पैसा मैं सारी जनता से वसूल करूं ? आवश्यकता इस बात की है कि जो जिस चीज का उपयोग करता है वह उसका पेमेंन्ट करें, सर्विस कास्ट उसको देनी चाहिए ।

इसलिए आप इस बात को लेकर चलें कि हम तो उद्योगपतियों के सहारे से ही चुनाव लड़ते हैं, आप इस बात को भूल जाओ । उद्योगपतियों के सहारे से नहीं, हम काश्तकारों के सहारे से जीत कर आये हैं, हम मजदूरों के सहारे से जीत कर आये हैं, हम गरीबों के सहारे से जीत कर आये हैं । उद्योगपतियों के सहारे से चुनाव जीतने वालों के तो कुछ और ही आयाम होते हैं और मैं समझता हूं उनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । ...(व्यवधान) आप पहचानते हैं, मैंने तो इतना ही कहा है । आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया है । आप पहचानते हैं । ...(व्यवधान) ...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ठीक है, आपको मालूम नहीं होगा, बड़ी खुशी की बात है लेकिन कोई तो एक्सपर्ट है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस मांग को लेकर, आज आपको मालूम है, आपने कहा कि उद्योगपति को तो पांच दिन के अन्दर बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, आज मुझे उद्योगों की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान में राजस्थान का औद्योगीकरण कर उनकी बराबरी में आना है। आप गुजरात में जाइये, आप महाराष्ट्र में जाइये, आप कर्नाटक में जाइये, उद्योगपति ट्रेन से उतरता है, उस समय से लेकर वहां के उद्योग विभाग के अधिकारी उसका पीछा करते हैं, इंतजाम यहां तक करते हैं कि आपको चूल्हे के लिये गैस चाहिए, गैस मिलेगी, आपको लड़को के लिये एडमिशन चाहिए, कालेज या स्कूलों में एडमिशन करायेंगे, आपको वहां पर किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, मकान किराये का चाहिए, मकान किराये का दिलायेंगे। आज इस इण्डस्ट्रियल युग में इस काम्पीटिशन में यदि हम खड़े हैं तो आप इण्डस्ट्रीज को धक्का मार कर नहीं चल सकते और यह नहीं कह सकते कि इण्डस्ट्रीज बन्द हो जायें। मैं इण्डस्ट्रीज को भी चालू रखूंगा और काश्तकारों को भी आठ घंटे बिजली देऊंगा, यह मैं आपके सामने वचन देता हूं, मैं इसको पूरा करूंगा।

श्री राधेश्याम : आप उद्योगपति को जनरेटर की सुविधा दीजिए। वह जनरेटर से अपना कार्य चलायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां दो-तीन बातें कही गयी हैं। ट्रांसफार्मर्स के सम्बन्ध में यहां बात कही गयी है। मैं भी इसका भुगतभोगी इस रूप में हूं, लोग मेरे पास में भी रोज आते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया और इन ट्रांसफार्मर के जलने के कारण से ट्रांसफार्मर बदला नहीं और काश्तकार परेशान हैं। मैं उसकी टेक्नीक में नहीं जाना चाहता कि ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से यूज किया जाये और यूज करने की इस प्रकार की किसानों की आदत डवलप हो।

लेकिन मैं यह निश्चित मानता हूं कि यह जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाये तो उसके कारणों की जांच तो बाद में करें लेकिन उपभोक्ता किसी प्रकार से परेशान न हो। वह ट्रांसफर्मर तुरन्त लगना चाहिये और इस दृष्टि से मैंने आज ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा है कि 10 दिन के अन्दर ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिये और नहीं बदलता है तो रेस्पांसिबिलिटी आपको फिक्स-अप करनी है कि सुपरिन्टेण्डिग इंजीनियर की जिम्मेदारी है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी है या असिस्टेंट इंजीनियर की या जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी है। अगर ट्रांसफार्मर समय पर बदलते गये तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं चाहूंगा कि इसका कड़ाई से मैं

(136)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पालन कराऊं और मैं दखूंगा कि कौन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर जिनकी भी यह रेस्पांसिबिलिटी आज फिक्स करते हैं उस रेस्पांसिबिलिटी का डिस्चार्ज ईमानदारी से नहीं करता और ट्रांसमार्मर खराब पड़े रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में कुछ समितियों का गठन होता है जिसमें वह समितियां डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखती है, सुपरविजन भी करती हैं। 1980 तक वह कमेटियां काम कर रही थीं और वह कमेटियां बाद में सक्रिय नहीं हुईं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सारे अधिकारी और मैं अपने स्तर पर इस बात की कोशिश करूंगा कि सब जगह वह कमेटियां सक्रिय हो जायें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उन समितियों का मार्गदर्शन भी मिले और कम से कम किन लोगों की रेस्पांसिबिलिटी है, कहां बिजली नहीं पहुंची, किस प्रकार से पहुंची, कहां ट्रांसफार्मर खराब हुआ, उन सारी बातों का वह विशेष रूप से ध्यान रखेंगी।

मैं इसी आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का संकट है, इस संकट के समय इस सकट को ज्यादा उबारने की आवश्यकता नहीं है। इस संकट को उबारने से आप राजनैतिक लाभ उठा सकते हैं लेकिन किसानों का लाभ नहीं होगा। आज कोई यह कहे कि हम इस समस्या को उबार कर इतना ऊपर ले जायेंगे, हमारी और आपकी, सब की मंशा एक है कि किसान को बिजली मिले, बिजली मिलने में किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो रही है, मैं विपक्ष को आज के लिये नहीं सदा के लिये इस प्रकार का निमंत्रण देता हूं कि जहां भी उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का दोष मालूम हो, वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष मालूम हो, बिजली की उपलब्धि में किसी प्रकार का दोष मालूम हो तो खुले रूप से कह सकते हैं, बाकी उबारने के स्थान पर जैसा मैंने कहा कि हमें लोगों की आदत डालनी चाहिए, संकट आया है इस संकट के अवसर पर हम किस प्रकार से इस संकट का समाधान कर सकें उसकी चिन्ता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि ट्रांसमिशन लासेज लगभग राजस्थान में 21 पर्सेण्ट हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन, लेकिन मेरी दृष्टि से 21 पर्सेण्ट है। मैं यह चाहूंगा कि एक मेगावाट बिजली पैदा करने में जितना खर्चा आता है अगर हम एक पर्सेण्ट भी बिजली का ट्रांसमिशन लासेज को कम कर पायें तो उससे बढ़िया बिजली के उत्पादन का कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में भी मैं एक मोटी बात कहना चाहूंगा कि बिजली की चोरी खूब होती है। राजस्थान में दूरी तक ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उसके कारण से नुकसान होता है। वह अपरिहार्य है। हम उसको किस सीमा तक रोक सकते हैं, मैं आज के दिन नहीं कह सकता लेकिन बिजली की चोरी भी होती है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी बिजली की चोरी की आदत पड़ गयी है या जो बिजली की चोरी करते हैं, वह दूसरे का हक मार लें, उन लोगों को सरकार यह हक मारने की अनुमति नहीं देगी और जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह सख्ती से कानूनी कार्यवाही करेगी और उसके लिये जितने स्टाफ की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राजस्थान की सरकार अपनी ओर से स्टाफ उपलब्ध करायेगी। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की चर्चा से उन्होंने यह सारे मामले सदन के ध्यान में लाये और सदन के ध्यान में लायें तो उसी प्रकार से मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि बिजली का संकट आप अपने माध्यम से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर किसानों को और जनता को बतायें कि यह संकट किस प्रकार से आया है, इस संकट के समाधान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और सरकार क्या कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि संकट आपका भी है और संकट मेरा भी है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों ने चर्चा उठायी, उन सब बातों का उत्तर देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे हाथ में जितनी क्षमता है और जितनी मेरे में कैपेसिटी है, पूरी क्षमता और कैपेसिटी का उपयोग करते हुए राजस्थान में इस बिजली की समस्या का समाधान किया जाये और समाधान हो, इसका पूरा प्रयत्न करूंगा और इसमें आपके सहयोग की आशा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद देता हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों में सिंचाई सम्बन्धी कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

2. श्री नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की पंचायत रूपगढ़ के प्रशासक द्वारा दिनांक 17-11-93 को की गयी पानी के फूलों की नीलामी को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति लालसोट में पंचायत कोथून से श्यामापुराकलां तक की अधूरी पड़ी सड़क को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(138)

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पुलिस स्टेशन पहाड़ा को जीप गाड़ी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुहाना तथा कल्याणपुरा के गूलर के बन्धा के सुधार के अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में।

6. श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि मण्डी जैतारण द्वारा भेजे गये कतिपय सड़कों के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक ग्रामों व ढाणियों की गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

8. श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में कुओं का पानी खारा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर सरोवर में वर्षा के साथ आयी मिट्टी को निकाले जाने तथा इस कारण जलाशय में पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री बद्री प्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया एवं ऊपरमाल क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

11. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर से जयपुर चल रही अवैध वीडियो कोच (बसों) को बन्द कर रोडवेज की सुपर डीलक्स बसें चलाने के सम्बन्ध में।

12. श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटखावदा तथा चाकसू के मध्य ढूंढ नदी पर पुल व चाकसू से दौलतपुरा व सामरिया से देहलावाला तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कतिपय पेयजल योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

14. श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा

(श्री ग्रध्यक्ष)

की ग्रोर से पंचायत समिति बौंली तहसील बामनवास के गांवों में बिजली की भारी ग्रव्यवस्था होने से किसानों में व्याप्त ग्रसन्तोष के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत यह सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी । उनका उत्तर उनको मिलेगा ।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाग्रों के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें ।)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम....

श्री जगदीप धनखड (किशनगढ़) : ग्रध्यक्षजी, मैंने एक चिट दी थी उसका समय यदि मुझे दे दिया जाये....

श्री ग्रध्यक्ष : बोलिये ।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड (किशनगढ़) : माननीय ग्रध्यक्ष जी, राजनीतिक कार्यकर्ताग्रों जो जन- ग्रान्दोलन कई बार करना पड़ता है । प्रशासन ग्रौर तत्कालीन सरकार ऐसी स्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता को फौजदारी मुकदमों के ग्रन्दर लिप्त कर लेती है ग्रौर यह मुकदमें कई सालों तक लम्बित रहते हैं । बड़ी परेशानी होती है । ग्रापके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सालों से जो मुकदमें राजनीतिक कार्यकर्ताग्रों पर लम्बित हैं उनको सरकार विदड्रा करे ग्रौर सरकार विदड्रा करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो ग्रधिकारी हैं वह मामले को गम्भीर बनाने के लिये मुकदमों को इस प्रकार का रूप दे देते हैं जैसे सरकार की सम्पति को हानि पहुंचायी या किसी सरकारी ग्रधिकारी पर ग्राक्रमण किया ।

ऐसी स्थिति में, मान्यवर, ग्रापके माध्यम से मैं सरकार से ग्रनुरोध करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र लिबरल तरीके से ईंटरप्रेट करते हुए राजनीतिक कार्यकर्त्ताग्रों को इस फौजदारी प्रकरण की कार्यवाही से वंचित रखा जाये ग्रौर यह मुकदमे विदड्रा किये जायें ।

धन्यवाद ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि काफी लम्बे समय से राजनीतिक कार्यकर्ताग्रों पर विभिन्न ग्रान्दोलनों से सम्बन्धित ग्रौर विभिन्न बातों को लेकर मुकदमे पैण्डिंग पड़े हुए हैं ग्रौर काफी लम्बे समय से मुकदमे पैण्डिंग है तथा बहुत बड़ी समस्या उनके सामने हैं । ब्यावर में है, सोजत में हैं, डीडवाना में है, सवाई माधोपुर फैक्ट्री के ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में हैं । मैं बात कह रहा हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : ग्राप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं ना ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन कार्यकताग्रों, उन लोगों, जिनके खिलाफ 307

(140)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के, 302 के सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे दर्ज हैं उनको तो विदड़ा नहीं किया जाये, बाकी राजनीतिक आधार पर जिन कार्यकताओं पर आन्दोलनों से सम्बन्धित और इस प्रकार के मुकदमे हैं, राज्य सरकार तुरन्त इस प्रकार के मुकदमों को विदड़ा करें। यह सारे सदन की भावना है और यह सभी प्रकार के कार्यकताओं के मुकदमे विदड़ा करने चाहिये। आपके माध्यम से मैं सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बोल रहे है। आपका नाम भी आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहां गये ? किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्या ने, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी ने जो बात कही इस बात में बजन है। मैं इन दोनों सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाऊस के और सदस्यों की भी राय ले लें। किस प्रकार के मुकदमे विदड़ा किये जायें उसके पैरामीटर्स तय कर लें। किन-किन धाराओं के मुकदमें... (व्यवधान) मेरे को दिक्कत आती है। दिक्कत यह आती है जैसे आपने कहा कि सरकारी प्रोपर्टी का जिन्होंने नुकसान किया उनका नहीं किया जाये और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मुकदमा बनाने के लिये दो-तीन धाराएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से जोड़ी जाती हैं।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप दोनों से सलाह ले लें, पैरामीटर्स तय कर दें। उन पैरामीटर्स में जितने भी मुकदमे आने वाले हैं वह मुकदमे मैं विदड़ा करवाऊंगा। यह सदन का आदेश है, मैं इसकी पालना करूंगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री कुबेर सिंह (अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): खेरली का जो किसान आन्दोलन था। जैसे आप कह रहे हो उसी प्रकार का एक ग्लेरिंग केस है और आप स्वयं जानते हैं कि किसी भी इंडियन पीनलकोड की इन्ग्रेटिएंट्स को उसमें आबिट में लेने के लिये पुलिस को ही महारथ है। इसका एक एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं कि इस प्रकार का केस जैसा पालिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है वह खेरली का किसान आन्दोलन है जिसमें निर्दोष लोगों का चालान किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसीलिए कहा कि यह दोनों वकीलों की सलाह और ले लें। आपसे यह सलाह ले लें, पैरामीटर्स तय कर दें। मैंने भी आपको बताया है इस प्रकार के छोटे मोटे मुकदमे उनके ऊपर कुछ धाराओं का ऐसा कलेवर चढ़ाया जाता है कि विदड़ा करने में कई बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं उन सबसे राय ले लें और पैरामीटर्स मुझे दे दें। यह मुकदमें चल रहे है, कोर्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में वर्षों से चल रहे हैं, इन्वेस्टीगेशन में पड़े हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, परेशान होते हैं, उनका कोई निर्णय नहीं निकलता। उधर तो लिटीगेशन कम होगा और इधर लोगों की परेशानी कम होगी। इसलिए उनको विदड्रा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा हो कि इस प्रकार के पैरामीटर्स निर्धारित कर लिये जायें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में ही उनकी यह इच्छा है और वे चाहते हैं कि पालिटिकल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स किन्हीं कारणों से उसमें फंस गये तो इसकी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: लेबर भी शामिल है

श्री रामनारायण चौधरी: तो इसकी समीक्षा आपके लेवल पर आप करिये और उन माननीय सदस्यों, जिनको ठीक समझें को आप साथ करिये। इसकी समीक्षा आपके लेवल पर हो कि कौनसा केस फिट फार विदड्रा है कि नहीं। आप माननीय सदस्यों को उलझा देंगे। यह क्या पैरामीटर्स तय करेंगे। आप अपने लेवल पर यह समीक्षा करवाइये। आप इनको बुलाइये, जिनको, ठीक समझें उन अधिकारियों को बुलाइये तथा देखिये कौन-कौनसे ऐस केस हैं जिनकी हम समीक्षा कर सकते हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री कुबेर सिंह (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं उसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के विश्वास मत पर और धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस प्रकार की चर्चा हुई है, मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बहस का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। जिस प्रकार के मुद्दे इसमें उठे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के लिये भी है। और भारतवर्ष के लिए भी भी है। इस अभिभाषण पर इस कारण पीड़ा है, पहले काले रंग का कागज आया था, पहले लाल रंग का कागज आया था, इस पर ज्यादा चर्चा हुई। इसमें जो तथ्य दिये गये हैं उन पर चर्चा कम हुई है।

मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला मुद्दा उठाया गया कि राजस्थान की सरकार को केवल 38.2 पर्सेण्ट वोट मिले हैं और जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा उठाया गया कि भारत में इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तीसरा मुद्दा उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले समय में काम बहुत कम किये हैं। इन मुद्दों के आधार पर मैं सबसे पहले विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन

(142)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करना चाहूंगा, वह बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं।

(16.20 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

जिस समय सरकार बनाने की बात चल रही थी उसमें उन्होंने एक बात साफ कही थी कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिये और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिये। अगर सरकार बनानी हो तो नेता हरिदेव जोशी को चुना जाये और विपक्ष में बैठना है तो मुझे नेता चुना जाये। मुझे खुशी है कि आज वह विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हैं। यह राय जनादेश के आधार पर उन्होंने दी। ...(व्यवधान) यह राजस्थान पत्रिका में। उनका स्टेटमेंट छपा है। बड़े स्पष्टवादी आदमी हैं, आपकी तरह लाग-लपेट नहीं रखते हैं। उसी जनादेश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन यह पर्सेन्टेज का सवाल उठता है तो कांग्रेस पार्टी वह पार्टी थी, लोक सभा में चुनाव सुधारों के लिये जो समिति बनी थी उस समिति ने जो सिफारिशें की थीं कि 51 प्रतिशत वोट आने पर सरकार बनायी जाये, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया बाकी सब पार्टियों ने उसका समर्थन किया। जब उसमें यह आया कि सूची पद्धति के आधार पर चुनाव कराये जायें और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलें उतने प्रतिशत सदस्य उसके भरे जायें, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। जनता दल ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और कम्युनिष्ट पार्टी ने उसका समर्थन किया इसी को अगर आधार बनाकर चला जाये तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बेअन्त सिंह साहब की जो सरकार पंजाब में है वह सरकार किस जनादेश के आधार पर काम कर रही है जिसको 10 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय असम में आन्दोलन चल रहा था उस समय हितेश्वर सैकिया की सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनायी थी। सौ-सौ और सवा-सवा सौ वोट लेकर एम. एल. एज को जिता दिया था, पुलिस के साये में और उन्होंने सरकार बना दी थी। कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा चुनावों में आज तक 51 प्रतिशत वोट एक बार लेकर सरकार बनायी है। इसके अलावा सरकार नहीं बनी और आज की नरसिम्हा राव जी की जो सरकार है वह भी 33 प्रतिशत वोट लेकर बनी है। इसलिए यह कहना यहां पर कि 38.2 प्रतिशत वोट लेकर राजस्थान की जनता का आदेश प्राप्त नहीं किया गया है, यह राजस्थान की जनता का अपमान है। अगर आप चाहते हैं कि उस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये तो चाहे सीटों के आधार पर, चाहे पर्सेण्टेज के आधार पर वोट पड़ने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी तैयार थी।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के बजाय राजस्थान में साढ़े 12 प्रतिशत अधिक

(श्री घनश्याम तिवाडी)

वोट प्राप्त किये हैं और वोटों की गिनती में भी आपसे अधिक वोट प्राप्त किये हैं। आपका पर्सेण्टेज आफ वोट भी बढ़ा है लेकिन आपका पर्सेण्टेज आफ वोट हमारे पर्सेण्टेज आफ वोट के अनुपात में नहीं बढ़ा एक और निवेदन करना चाहता हूं चार राज्यों में चुनाव हुए..

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। पर्सेण्टेज दोनों का शामिल था, 90 में आप अकेले यह चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जनता दल और आपका सीटों का जो विभाजन हुआ था, उससे बिलकुल ऊपर जो आप 12 प्रतिशत जम्प कर रहे हैं लांग लीप, यह तो बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आप इसका अन्दाज लगा लीजिए कि जिन सीटों पर जनता दल लड़ रहा था वहां पर जनता दल को जो वोट दिये गये थे वह हमारे खाते में नहीं आये। इसलिए वह वोट अगर निकाल दें तो 12.5 पर्सेण्ट होते हैं। लोक सभा के चुनाव में हमने 93 सीटों पर लीड की थी जब हम अकेले लड़े थे और इस बार 95 सीटों पर हमने लीड की है, उससे भी हमने हमारा बढ़ाकर आपको बताया है।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं,। इस प्रकार की अगर चर्चा चली तो कांग्रेस पार्टी आज कहां पर खड़ी है ? हिंदुस्तान में इन पांच राज्यों में जो चुनाव हुआ है, उनमें 30 पर्सेण्ट हिन्दुस्तान के मतदाता निवास करते हैं और इस 30 प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ने 36.2 प्रतिशत वोट प्राप्त किये हैं और कांग्रेस पार्टी ने 35..18 प्रतिशत वोट प्राप्त किये हैं और इन पांचों राज्यों में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को एक करोड़ वोट ज्यादा प्राप्त हुए हैं। माननीय मदेरणा साहब, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो एक करोड़ वोट ज्यादा प्राप्त हुए हैं वह 200 लोक सभा क्षेत्रों में 50-50 हजार वोटों से लोगों को जिता सकते हैं और यह इंडीकेशन देते हैं इस बात का, कि हम ने कहा था पहले पांच प्रदेश और फिर सारा देश। भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा को जनता ने साबित किया है कि पहले पांच प्रदेश और फिर पूरा देश।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार की चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी कहां हारी ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 14.8 प्रतिशत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को 34.6 प्रतिशत वोट मिले हैं और वहां पर जो राज करने वाली पार्टी है जिसका आपने समर्थन किया है उसको कितने वोट मिले हैं? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो राज करने वाली सजपा और बसपा है, उससे 43 लाख वोट अधिक मिले हैं। अगर जनादेश को मानना है तो उन जनादेश को मानकर आप कांग्रेस पार्टी को कहते कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में आयी थी उसको सरकार बनाने के

(१४४)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये ग्रामन्त्रित करें। ग्रापके तो मापदण्ड ही ग्रलग हैं, राजस्थान में ग्रलग हैं।

हम कहते हैं कि दिल्ली में जो हमने सरकार बनाग्री है, तो कई माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि दिल्ली की सरकार नगरनिगम की तरह से सरकार है ग्रौर हिमाचल प्रदेश की बहुत तुलना करते हैं। हिमाचल क्या है? जयपुर जिले की जनसंख्या 49 लाख, हिमाचल की जनसंख्या 50 लाख 63 हजार ग्रौर जयपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले हैं, 15 सीटों पर उतने वोट कांग्रेस पार्टी को सारे हिमाचल प्रदेश में नहीं मिले हैं। ग्रकेला जयपुर जिला ही उसके लिए पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हारी है। यहां पर जमानत जब्त की चर्चा की गयी। माननीय मदेरणा साहब ने की, भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटों पर जमानत जब्त हुई। मैं कहना चाहता हूं, जरा ग्रपने गिरेहबान में झांककर देखते। उत्तर प्रदेश जिसने ग्रापको कई प्रधानमन्त्री दिये हैं। वहां ग्रापकी सीटें तो घटकर ग्राधी हो ही गयीं। कांग्रेस के 222 लोगों की जमानत जब्त हुई है, एम. एल. एज. की। यह ग्रापका राष्ट्रपति शासन लागू करने का उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ग्रौर 222 स्थानों पर ग्रापकी जमानत जब्त करा दी। 60 में से 48 सीटों पर दिल्ली में ग्रापकी जमानत जब्त हुई है। खुद के जमानत जब्त के ग्रांकड़े भूल जाते हैं। राजस्थान में 7 जगह ग्रापकी जमानत जब्त हुई है। खेत सिंहजी, इन ग्रांकड़ों भी को थोड़ा याद करिये स्मरण शक्ति तो इस उम्र मे जाकर कुछ कमजोर हो जाती है लेकिन ग्रांकड़ों को थोड़ा याद करने की कोशिश करिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो तिहाई मैजोरिटी थी उत्तर प्रदेश में, वहां कल्याण सिंह जी का शानदार राज था वह कहां गया ग्रौर कहां ग्राप उड़ गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ग्रापकी स्मरण शक्ति का दोष है। उत्तर प्रदेश में हमारी पिछली बार 212 सीटें ग्रायी थीं, इस बार हमको ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या? ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): इनको तो यह चिन्ता है, खुद का नाम कट जाये उसका दुःख नहीं है, पड़ौसी का नाम कटना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उठाया कि हमने राष्ट्रपति शासन लागू किया, यह जनादेश राष्ट्रपति शासन के खिलाफ है। छह दिसम्बर की घटना में एक ग्रयोध्या में ढांचा गिरा ग्रौर राजस्थान की सरकार गयी। हमारे यहां शेखावटी मे कहावत है, "ढोलक बाजे ढाणी में खुटको हो पिलानी में।" कहाँ ढांचा गिरा ग्रौर कहां सरकार बरखास्त की? राजस्थान की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब ग्रापको दिया, उसको मान लेना चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं यहां मुद्दा उठाया गया, अयोध्या में आपने कर दिया। अयोध्या में हमने क्या कर दिया ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अयोध्या के बारे में सारी बात बता दी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अयोध्या का राम मन्दिर का मुद्दा जो आन्दोलन था, जो था वह मन्दिर का मुददा नहीं था वह भारत की राष्ट्रीयता का मुद दा था और हिन्दुस्तान में भारत की राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बहस हो रही है। उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की आज वही हालत हो रही है जिस प्रकार की रचना की गयी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अब मुसलमानों को संगठित करो, दलितों को संगठित करो। कांग्रेस ने इस बार उसी तरह का प्रयत्न किया, जो भारत की आजादी के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने हिन्दुस्तान का विभाजन कराने के लिये षड्यंत्र रचा था, यह भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि दलितों को साथ लेकर, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिये इस राष्ट्रीयता की भावना को पनपायेगी।

लेकिन नैतिकता की बात भी की थी। 6 दिसम्बर को ढांचा गिरा और जिसमें आडवानी साहब और उनको गिरफ्तार किया और कोर्ट से बिना चार्ज लगाये बरी किया, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती तो आप मांफी मांगते। आपने माफी नहीं मांगी। कार सेवकों को आपने गिरफ्तार किया, कार सेवकों को बिना चार्ज लगाये छोड़ा गया, आपने नहीं माना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया वह भी आपने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में चले गये। उसके बाद में आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंगदल पर प्रतिबंध लगाया उस प्रतिबंध पर आपको धूल चटा दी, उसके बाद भी नहीं माने। एक-एक करके 30 गलतियां आपने की और 30 की 30 गलती में या तो आप जनता में हारे या आप न्यायालयं में हारे। लेकिन नैतिकता आपमें कहां थी जो उस पराजय को स्वीकार करके आप इस्तीफा दे देते। नैतिकता की बात करने का आपको अधिकार नहीं है।

फिर यहां पर दलबदल की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने दलबदल किया। यह निर्दलीय माननीय सदस्य जो जीतकर आये हैं वह दलबदल करके नहीं आये हैं। वह निर्दलीय जीतकर आये हैं। वह आपकी तरफ निर्दलीय के रूप में रहते तब तो बहुत प्यारे थे और हमारे साथआ गये आपको तो बहुत अखरने लगे। दलबदल की बात कांग्रेस पार्टी करती है, आज तक इस देश में 4318 दलबदल हुए हैं उनमें से 3223 दलबदल कांग्रेस पार्टी ने कराये हैं। और इसमें तीन आदमियों को मुख्य मन्त्री बनाया हैं आपने। जी. एम. शाह का नाम आपको ध्यान होगा। और एक तो ऐसे है कि जो पूरी की पूरी फर्म का नाम ही बदलकर भजनलाल एण्ड कम्पनी करके बैठ गये और वे आज भी आपके मुख्य मंत्री बनकर बैठे हैं। यह पार्टी दलबदल की बात करे। 212 दल-बदलुओं को आपने मिनिस्टर बनाया। पहले तो दलबदल में दिये जाते थे मंत्री पद और इस बार लोक सभा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में विश्वास मत प्राप्त करने के लिये, लोक सभा में आपके ऊपर चार्ज लगे हैं कि श्यामलखन सिंह यादव वगैरह छह आदमियों को, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए आपने दलबदल कराया और करोड़ों रुपये दिये। अब तो आप प्रतिभूति घोटाले और बोफोर्स के मुद्दे के आधार पर दलबदल करा रहे हैं। जो पार्टी इस प्रकार दलबदल कराये वह दलबदल की क्या बात करे। आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह राज्यपाल के एड्रेस पर भाषण हो रहा है या कोई पब्लिक प्लेटफार्म पर बोल रहे हैं? राज्यपाल के भाषण से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : बिलकुल ठीक हो रहा है, जैसा आपने कहा उसका जवाब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि दलबदल की वे चर्चा न करें, हिन्दुस्तान में पहला दलबदल खेतसिहजी ने किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दलबदल खेतसिहजी ने भी किया था और पहला दलबदल राजस्थान में स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने कराया था बलबीर सिंह जी का, आपको याद हो तो। 1967 में भी आपने कराया था। आप तो उसके आदि गुरु हैं, आप तो जगत गुरु हैं दलबदल के। हिन्दुस्तान में इस समय जो आपकी स्थिति है वह क्या है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर जनता से कांग्रेस की टिकट पर जीतकर आये हैं? पूरी फर्म चेंज करके बैठे हैं उसका दर्द नहीं है।

महाराष्ट्र में शिव सेना के छगन भुजबल को तोड़कर बहुमत प्राप्त किया हुआ है, आपको याद नहीं? छगन भुजबल शिव सेना के थे और शिव सेना में विभाजन कराके राजस्व मंत्री बनाकर आपने मैजोरिटी प्राप्त की वहां। वह याद नहीं है आपको। आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम का विभाजन कराके आपने बहुमत प्राप्त किया वहां, वह याद नहीं। एक-एक करके याद करिये। और कांग्रेस पार्टी तो इस प्रकार के साये में बैठी है कि उसको तो नैतिकता की जैसी बात उठाने का साहस ही नहीं करना चाहिए। नैतिकता तो आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है क्योंकि नैतिकता को तो आप धर्म के अन्तर्गत मानते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल : आपने कराया तब भी तो हम कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक तरफ तो आप कहते हैं निर्दलीय है, तो उसके दल बदलने का सवाल नहीं होता। मैं तो खुद ही निर्दलीय था, इधर आ गया तो भैरोंसिहजी का बड़ा जीव जला। यह कोई बात है? ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस समय दलबदल रोकने का कानून नहीं था इस-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए आपने उस फ्रीडम का लाभ उठाया। जीतकर आये थे दूसरी पार्टी से और कांग्रेस में चले गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त भी मैं निर्दलीय ही था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्दलीय ही थे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर कांग्रेस में गये?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, कांग्रेस में गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पहले कोई नहीं गया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मेरे से पहले शायद आपने कोशिश की थी लेकिन आपका मामला जमा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कोशिश की थी आपको अपनी तरफ लेने की लेकिन वे ज्यादा उस्ताद निकले पहले ही ले गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन मैं बड़ी गम्भीरता से सदन में निवेदन करना चाहूंगा दलबदल के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी की सिफारिशों को मानने में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मधुलिमये, वी. एम. तारकुण्डे, ऐसे आदमियों ने दलबदल के बारे में सिफारिश की थीं। उस सिफारिश में यह था कि दलबदल करने वाले चाहे ग्रुप के रूप में करें, चाहे किसी रूप में करें, विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें। इसका विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने। तीन बार यह विधेयक आया और आपके कारण से रुका। फिर स्वर्गीय राजीव गांधीजी में जो बिल पास किया वह सिर्फ एक तिहाई का। लगा कि कहीं मेरी सरकार नहीं गिर जाये। आपने सचेतक के आदेश के उल्लंघन पर दलबदल माना, इस बात को नहीं माना।

अगर वास्तव में दलबदल को रोकना है तो आप यह घोषणा कराइये, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिये पहले से तैयार है कि दलबदल करने वालों को एक साल तक कोई पद नहीं मिलेगा और दलबदल करने वाला अगर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो चुनाव लड़कर आ जाये। उसको अनअटैच्ड और अटैच्ड करके आप क्या करना चाहते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में अगर शुद्धिकरण करना हो तो कांग्रेस पार्टी से शुरू होना चाहिए। इस देश में सारी बीमारियों की जड़ कांग्रेस पार्टी में घुसी हुई है। और फिर सदन में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। मैं एक बात साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि राम मन्दिर का जो मुद्दा था उसे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुद्दे ने देश में और प्रान्तो में एक सांस्कृतिक बहस शुरू की है उस बहस का पहला मुद्दा है जो आप धर्म विहीन राजनीति बनाना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में धर्म विहीन राजनीति नहीं बनेगी और जो लोग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं देखना हो अगर आपको तो भारत का ओरिजिनल सविधान देखिये। उसके पहले चित्र पर वेदों के उदाहरण और वेदकालीन सिक्के हैं। फिर राम, लक्ष्मण और जानकी की फोटो लगी हुई हैं उस पर। फिर गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण की फोटो उस पर लगी हुई है। जिस संविधान में गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण की फोटो है, जिस संविधान में राम, लक्ष्मण और जानकी की फोटो है और जिसमें वेदों की फोटो है वह सविधान कभी भी भारत को धर्म विहीन राज्य बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। इसीलिए राम की चर्चा करना, कृष्ण की चर्चा करना, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, साम्प्रदायिकता का प्रतीक नहीं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मिसइण्टरप्रिटेशन के भाषण चुनाव में खूब दे लिये अब तो सही इण्टरप्रेट करो उसको कि राम, धर्म और संस्कृति के नाम पर चुनाव का काम नहीं होना चाहिए। मतलब इतना-सा है। अब उसको आप मिसइण्टरप्रेट करो कि इसमें से आत्मा निकाल ली धर्म की, आत्मा निकाल ली संस्कृति की, कौन निकाल रहा है। सच्ची राजनीति और धर्म में तो कोई फर्क नहीं होता है लेकिन आप उसको मिसइण्टरप्रेट कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात को यूपी के माइनोरिटीज ने खूब अच्छी तरह से समझा है। आपको मालूम है, पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में माइनोरिटीज ने फैसला किया कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने का ?

श्रीमती कमला : उसने भी खूब समझा है कि वहां से बीजेपी को साफ कर दिया, वह भी अपने आप से धीरे से जमींदोज हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर एक भी अल्पसंख्यक नहीं जीता।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : आपके कौन जीता है ?

श्रीमती कमला : ये तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करें उस बारे में बोल रहे थे। इसलिए उसका सम्बन्ध किसी से नहीं है, वह तो जनता ने अपने आप ही जहां जिसकी जगह थी-धर्म की, भगवान की, संस्कृति की स्थापित कर दिया।

श्री घासीराम यादव : मुख्य मंत्री जी, आपके यहां कौन मुसलमान जीता है ? आप एक मुसलमान बताइये जीता हो आपके यहां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह प्रसंग नहीं लाता, कल माननीय कमला जी ने ही धर्म की चर्चा की थी।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत की लोक सभा में गये हुए सदस्य यहां पर हैं राज्य सभा में गये हुए सदस्य भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाये हुए सदस्य भी हैं। लोक सभा में अध्यक्ष का जो आसन है उस पर लिखा है, "लोकतंत्र रक्षणाय धर्मचक् प्रवर्तनाय"। स्पीकर बैठता है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये और धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिये। राज्य सभा में अगर प्रवेश करते हो तो दरवाजे पर लिखा है "सत्यवंद् धर्मम् च"। और इस सिंहासन पर भी लिखा हुआ है "सत्यमेव जयते"। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है "यतो धर्मस्ततो जय" इस देश से धर्म को निकालने का प्रयत्न नहीं कर सकते।

श्रीमती कमला : मैं यह कह रही थी कि धर्म को धर्म की तरह इण्टरप्रेट करिये, राजनीति की तरह से उसको इण्टरप्रेट मत करिये। धर्म तो सब के अन्दर होना अत्यावश्यक है। धर्म का मतलब सत्य है और सत्य का मतलब भगवान है। भगवान में और सत्य में कोई फर्क नहीं है।

श्री सभापति : कृपया डिबेट नहीं बनाइये।

श्रीमती कमला : लेकिन आप वोट लेने के लिये जो धर्म और भगवान का नाम लेते हैं वह आपने उनकी तौहीन की है, उनको इज्जत नहीं बख्शी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि धर्म के बिना भारत की राजनीति नहीं चल सकती।

मैं एक बात और कहकर इस विषय पर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस देश में महाभारत का युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिये हुआ। कृष्ण ने आकर कहा था "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजायहम्"। भारत में जब-जब धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यहां पर धर्म विहीन राजनीति करने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने किया, रावण ने यह प्रयत्न किया, कंस ने प्रयत्न किया, कौरवों ने प्रयत्न किया। हिन्दुस्तान की धरती पर राजनीति को धर्म विहीन करने वालों का वही हश्र होगा जो कौरवों का, कंस का या रावण का हुआ, यह मैं साफ आपसे कहना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : धर्म का दुरुपयोग करने वालों का क्या हश्र होता है?

श्री सभापति : कृपया इण्टरप्ट नहीं करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धर्म यह है कि आसन के आदेश से मैं बोल रहा हूं और अधर्म यह है कि बिना आसन के आदेश से मुझे टोका जा रहा है। यह धर्म और अधर्म की परिभाषा है।

श्रीमती कमला : धर्म को परिभाषित सही करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही कह रहा हूं ना, यह परिभाषा है इसकी। तो मैं, सभापति महोदय, इस विषय में एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि इस बात को साम्प्रदायिकता करार दिया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप धर्म के नाम पर वोट मत मांगिये। कांग्रेस पार्टी ने केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करके सरकार बनायी है जिसके लिये जगन्नाथ मिश्र विपक्ष के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाना चाहती है तो पहले केरल में मुस्लिम लीग से अपने सम्बन्ध तोड़े। कांग्रेस पार्टी अगर धर्मनिरपेक्षता और असाम्प्रदायिकता की बात करना चाहती है तो मिजोरम में ईसाइयों को बाइबिल के आधार पर राज में आने का जो मैनीफेस्टो जारी किया था उसको बदले।

कांग्रेस पार्टी अगर साम्प्रदायिकता से पिण्ड छुड़ाना चाहती है तो मल्लापुरम और डिण्डिगुल डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर कायदे जिल्लत करने का जो काम किया है उससे अपना रास्ता साफ करे। कांग्रेस पार्टी अगर यह करना चाहती है तो जहां पर 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थी हों वहां पर शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाये इस प्रकार के करूणाकरन के आदेश को वापस ले। हिन्दुस्तान में अगर सम्प्रदायवाद के आधार पर अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वह कांग्रेस पार्टी है। इसलिए सम्प्रदायवाद के आधार पर द्विराष्ट्रवाद को मानकर भारत का विभाजन कराया और भारतीय जनता पार्टी इस द्विराष्ट्रवाद के जिन्ना के सिद्धान्त को ठुकराती है। वह कहते हैं कि भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और भारत की राष्ट्रीयता भारत के भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है।

सभापति महोदय, यह छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि हिन्दुस्तान के जिस हिस्से में जब भी इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वालों की संख्या कम हुई है वह हिस्सा देश से अलग हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अल्पसंख्यकवाद का सिद्धान्त भी झूठा है और कांग्रेस की वोट लेने की चाल है। अल्पसंख्यकवाद का सिद्धान्त यूरोप में पैदा हुआ था। रिलीजन के आधार पर पैदा नहीं हुआ था, नस्ल के आधार पर पैदा हुआ था। ब्रिटिश और आइरिश की नस्ल के आधार पर पैदा हुआ था। गोरे और काले, नीग्रो की नस्ल के आधार पर हुआ। दक्षिणी अफ्रीका की लड़ाई नस्लवाद के आधार पर है। यह माइनोरिटिज्म का सिद्धान्त यूरोप की पैदाइश है और वह नस्ल के आधार पर है।

भारत में हिन्दू और मुसलमानों की नस्ल अलग-अलग नहीं है। हिन्दू भी आर्यों की सन्तान हैं, मुसलमान भी आर्यों की सन्तान हैं। इनके और हमारे पूर्वज एक हैं। मुसलमानों के आक्रमण से पहले मुसलमान हिन्दुस्तान में थे। इस्लाम इस देश में पनपा है, उनकी भाषा पनपी है, हम कुरान शरीफ का भी स्वागत करते हैं, इबादत का भी स्वागत करते हैं, मुसलमानों के सब तौर-तरीकों का स्वागत करते हैं लेकिन इस देश में रहने वाले भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार करें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी) :

यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। इसलिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी असाम्प्रदायिक पार्टी है बाकी सभी पार्टियां साम्प्रदायिकता के कटघरे में हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : शाहबानो की याद दिलाओ इनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर ज्यादा लम्बे जाने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : घनश्यामजी, इसलिए दो प्रतिशत ब्राह्मण 22 प्रतिशत आफिसर्स की पोस्टें होल्ड किये बैठे हैं भारतवर्ष में, यह धर्म है आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है कि इस देश में दलितों के उत्थान की बातें नहीं की जा रही है, ब्राह्मणों को नीचे गिराने की बात की जा रही है। मैं किसी जातिवाद का पक्ष नहीं लेता लेकिन जिस व्यवस्था में जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर आये हैं वे ब्राह्मण हैं उनका भी स्वागत है, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उनका भी स्वागत है, अगर वे राजपूत आ जायें तो उनका भी स्वागत है। अब राजपूतों की संख्या इसमें कम है इसका मैं क्या करूं? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : भैरोंसिंहजी के जाते ही जबान बदल दी, अभी होते तो कहते, हां, हुजूर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राजपूतों की तो इनको तकलीफ नहीं है, यह मुझे कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों हैं। मैं पूछता हूं कि नरसिम्हा रावजी ब्राह्मण क्यों हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ब्राह्मण क्यों हैं, आपके सेना के अध्यक्ष ब्राह्मण क्यों हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : घनश्यामजी मैंने आपकी इतिहास की परिभाषा पर आक्षेप किया है।

श्री सभापति : कृपया, इन्हें समाप्त करने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सेनाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया, राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया और प्रधान मन्त्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं उनसे तो पूछ लो क्यों बैठे हैं वहां पर?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पूछना ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यहां पर चर्चा की गयी कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव किसलिए पास करें, आपकी सरकार क्या करने वाली है? मुझे बड़ा दुःख हुआ जब सदन की वरिष्ठ

(182)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदस्या माननीय श्रीमती कमलाजी ने विश्वास प्रस्ताव के टाइम कहा कि सड़कें नहीं बनीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो पढ़ती हैं उसमें चश्मा उतारकर पढ़ती हैं क्यों कि नजदीक की आंखें ठीक हैं, दूर की खराब हैं ... ...

श्रीमती कमला (बैराठ) : आप किसको कोट कर रहे हैं ? मैंने यह कहा कि जो सड़कें मंजूर करके गये थे उनको आते ही इन्होंने बन्द कर दी। यह कहा था। मैंने खूब बनवाई हैं सड़कें अपने कार्यकाल में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन साल में जयपुर जिले में 1100 किलोमीटर सड़कें बनीं और 111 किलोमीटर आमेर में ही बनी हैं। वह नजदीक की तो इनको दिखायी देनी चाहिये थी वह दिखायी नहीं दी। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा........

श्रीमती कमला : आपको अपने इलाके की तो दिखायी नहीं दे रहीं, आमेर की दिखायी दे रही हैं। आपको दूर का सही दिखता हैं और मेरे को नजदीक का सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह क्यों प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों प्राप्त कर रहे हैं। यह यहां पर चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलें बन्द कर दीं। भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलें बन्द नहीं कीं। कुछ केन्द्रों के नाम पर कांग्रेस पार्टी गांवों में सरकार के पैसे के आधार पर पालीटिकल एजेण्ट पैदा करना चाहती थी उस प्रक्रिया को हमने बन्द किया है और अब हम........

श्रीमती कमला : स्कूलों को बन्द करके पढ़ते हुए बच्चों को घर बैठा दिया लाखों को।

श्री सभापति : कृपया इण्टरप्ट नहीं करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : इनको तो इण्टरप्ट करने की आदत पड़ गयी है।

श्रीमती कमला : गलत बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप हर सेण्टेन्स मे इण्टरप्ट कर रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रस्ताव हम इसलिए पास करवा रहे हैं ....

श्रीमती कमला : गलत मत बोलो। नहीं, गलत नहीं बोलना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 54.5 करोड़ रुपये खर्च किये, दूसरी में 102.74 किये। सात पंचवर्षीय योजनाएं और बीच के दो साल का जो कार्यकाल था जब योजना नहीं थी और कामचलाऊ योजना बनायी थी उसमें टोटल मिलाकर इन्होंने 7101.55 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने एक आठवीं पंच-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की बनायी इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया जाये।

आपने 41 साल तक राजस्थान का शासन किया और 41 साल के शासन में आपने राजस्थान को कहां पहुंचाया ? माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा हिन्दुस्तान में शिक्षा का साक्षरता का प्रतिशत 52 .11 है, राजस्थान में 38.81, हिन्दुस्तान में विद्युतीकृत हुए गांव 21.34 राजस्थान में 74.9, 10 प्रान्तों में हण्ड्रेड पर्सेण्ट विद्युतीकरण हो गया। वहां भी कांग्रेस का राज था, यहां भी कांग्रेस का राज हैं। आपने क्या किया यहां पर ? और उसके बाद में आप रेल की हालत देखिये। रेल हिन्दुस्तान में 17. 8, राजस्थान में 12, कहीं 14 वां स्थान, कहीं 12 वां स्थान। सेवन्थ प्लान में आउट ले में हमारा नम्बर था 12 वां।

इस प्रकार से हर स्थान पर, परकेपिटा कन्जम्पशन में, बिजली पैदा करने में, खाद का उपभोग करने में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को नीचे के 13 स्थानों पर रखा और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस आठवीं पंचवर्षीय योजना के 11500 करोड़ रुपये के आधार पर घोषणा करती है भारतीय जनता पार्टी कि आगे आने वाले समय में जब आप चुनाव में वोट मांगने जायें तो डामर के ढोल के वोट नहीं मिलेंगे, बिजली के पोल के नहीं मिलेंगे, स्कूल के बोर्ड के वोट नहीं मिलेंगे। हर गांव में स्कूल होगी, एक हजार तक का गांव सड़क से जुड़ जायेगा और सारा राजस्थान विद्युतीकृत होगा। इसलिए धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चौमूं से आये दिखते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, चौमूं से इस सदन के और बाहर के जितने भी लोग हैं उनका सीधा सम्बन्ध है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए मैं दो ही बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। समापति महोदय, इस प्रकार मैं निवेदन कर रहा था, यह कह रहे थे कि आपकी पार्टी क्या काम करना चाहती है ? मैं बात करना चाहता हूं डंकल प्रस्ताव की। कल डंकल प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा हुई थी और प्रणव मुखर्जी ने जो कुछ कहा था वह घनखड़ साहब ने यहां पर कहा। तीन बार (व्यवधान)....

श्री सभापति : आपके लिये तो काफी समय हैं, आप तो बोलिए ... .

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा। डिबेट ही अब शुरू हुई हैं। पहला स्पीकर है, चलाइये दो घण्टे और, बोलने दीजिये। हमारे भी कई अच्छे-अच्छे बोलने वाले हैं। आपकी बात सुनकर क्या हम घर चले जायेंगे ?

श्री सभापति : आज तो दिनभर आपकी ही बात सुनी है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, आप समय बढ़वाइये ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा हो तो सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डंकल प्रस्ताव के बारे में यह कहा गया है कि डंकल प्रस्ताव का कुप्रभाव हम किसानों पर नहीं पड़ने देंगे । कांग्रेस पार्टी जो यह कहती थी कि डंकल प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसानों के हित में उसको स्वीकार नहीं करेंगे और लोक सभा में बहस कराने से कतराते रहे । अब कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि डंकल .... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें । वरना ये बोलते रहेंगे अगले एक घण्टे में भी, एक घण्टा बढ़ा दिया गया है, बिराजिये ना, बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बोलेंगे फिर ?

श्री कालीचरण सराफ : (जौहरी बाजार) हमारी पार्टी का टाइम ले रहे हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत जिस समय आजाद हुआ था, 22 लाख स्टैण्डिंग बैलेंस था भारत के पास आज हालत कांग्रेस पार्टी ने यह कर दी है कि 3 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा हमारे ऊपर हो गया है । हर व्यक्ति पर 3 हजार का कर्जा है । हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 35 प्रतिशत हमको ब्याज के रुप में चुकाने पड़ता है और 52 प्रतिशत हमको सकल राष्ट्रीय उत्पादन का घरेलू कर्जा है उसके लिये चुकाना पड़ता है ।

इन सारी बातों को मानकर कांग्रेस पार्टी ने विश्व बैंक के दबाव में आकर डंकल प्रस्ताव स्वीकार किया । अमेरिका के दबाव में आकर स्वीकार किया और यह डंकल प्रस्ताव स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी भारत की प्रभुसत्ता के साथ समझौता कर रही है । डंकल का सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ेगा । किसानों की बिजली समाप्त होगी । आज कांग्रेस पार्टी वाले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बिजली की मांग कर रहे थे........(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : श्री घनश्यामजी, उप नेता ने क्या कहा है डंकल प्रस्तावों पर ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलिए।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी : आप बताओ. ना ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं ?

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : आपके बिलकुल विपरीत कहा है वहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने........

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : उपनेता ने लोक सभा में क्या कहा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके कहा है कि डंकल सबसे बड़ा दुश्मन है भारत के किसानों का। इसकी 1984 में बात-चीत शुरू हुई थी तो जो देश आज इस बात का समर्थन करते हैं कि 3 प्रतिशत अनाज का आयात करना चाहिए था उन्होंने उसका विरोध किया था उस समय। उनके पास चार हजार टन अनाज का संचित भण्डार था। आज आस्ट्रेलिया, अमेरिका अरब कन्ट्रीज सम्पूर्ण विश्व को पांच वर्ष तक अनाज खिला दे इतना अनाज है उनके पास। इसलिए विकासशील देशों के ऊपर यह बात थोपी जा रही है कि जितना अनाज पैदा करते हैं उसका 3 प्रतिशत अनाज मंगाना पड़ेगा। भारत सरकार को प्रतिवर्ष 6 हजार टन अनाज अमेरिका और आस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ेगा और भारत के किसानों को समर्थित मूल्य नहीं दिया जायेगा।... (व्यवधान)... भारत के 10 करोड़ किसान इस डंकल के कारण से बेकार होंगे।

कांग्रेस पार्टी जो स्वदेशी और महात्मा गांधी की बात करती थी, दुनिया भर में जितने किसान हैं उनमें से 80 करोड़ किसान चीन और भारत में हैं, 40 करोड़ किसान अकेले भारत में हैं, वह सब छोटे किसान हैं, 50 लाख किसान इन देशों में हैं, इन 50 लाख किसानों का हित, फायदा करने के लिये भारत के किसानों को अमेरिका के दरबार में गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और डंकल का पहला असर हमारे ऊपर पड़ेगा।

उसके बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डंकल प्रस्तावों के कारण से बिजली महंगी हो जायेगी। आज जो बिजली हमें 45 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, भारत सरकार ने डंकल प्रस्ताव स्वीकार किया तो 2 रुपये प्रति यूनिट राजस्थान सरकार को जो बिजली देती है, वह डण्डा मारकर कहेगी कि 2 रुपये यूनिट की बिजली करो। आज जो साढे तीन सौ रुपये में खाद का कट्टा बिकता है वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

700 रुपये में बिकेगा। 20 फैक्ट्रियाँ बन्द हो चुकी हैं हिन्दुस्तान में खाद की। विदेशी खाद आज तो सस्ता है लेकिन जिस दिन वह खाद महंगा होगा उस समय भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। खाद महंगा होगा, बीज महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, सब्सिडी खत्म होगी, समर्थन मूल्य खत्म होगा और अमेरिका और आस्ट्रेलिया के 50 लाख किसानों के लिये भारत के 40 करोड़ किसानों के हित हैं वह बलि पर चढ़ जायेंगे।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, आज जो आप तुलसी का पत्ता लेते हैं, आंवला लेते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं उनके दर्शन आपके लिये दुर्लभ हो जायेंगे। एक कितना बड़ा काम किया है उसमें जो तटीय प्रदेश हैं, उनमें बहुत बढ़िया वनस्पति है इस वनस्पति का पेटेंटीकरण किया जा रहा है। आज तुलसी का पत्ता घर-घर में है, कल अमेरिकन कम्पनी आविष्कार करेंगी कि तुलसी के पत्ते के यह गुण हैं, तुलसी उसका पेटेंट पौधा होगा और हमारे घर में लगी हुई तुलसी, जो हमारे यहां पीढ़ियों से लगी हुई है उसकी लेवी हमको अमेरिका को देनी पड़ेगी। आयुर्वेद की दवाइयां हमको नहीं मिलेंगी, आंवले का सारा पेटेंटीकरण हो जायेगा। यह हमारी विरासत पर उनका सबसे बड़ा हमला होगा।

इसी प्रकार से कृषि एवं कपड़े की जो नीति है, कपड़े पर असर होगा, जीवन रक्षक दवाइयां महंगी हो जायेंगी, 10 साल में जाकर भारत अमेरिका का आर्थिक दृष्टि से गुलाम बन जायेगा। भारतीय जनता पार्टी इस डंकल प्रस्ताव से भारत के किसानों को गुलाम नहीं बनने देगी, भारत के व्यापार को नष्ट नहीं होने देगी। इसीलिए इस अभिभाषण में लिखा है कि डंकल प्रस्ताव से होने वाले कुप्रभावों से बचाने के लिये भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। हम इस डंकल प्रस्ताव को लागू नहीं होने देंगे।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा कि आपकी सरकार कैसे काम करती है। सिद्धमुख नहर, का आपने प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत हुए बिना प्रधान मंत्रीजी से शिलान्यास करवा दिया। प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं हुई। इस सरकार के आने के बाद में प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति हुई और 33 किलो-मीटर लम्बी फीडर अब तक बनकर तैयार हो चुकी है। हम स्वीकृति करवा कर काम करते हैं। श्री खेतसिंहजी चले गये, कल प्रश्न उठा रहे थे, बोल रहे थे कि अनाज नहीं आयेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने प्रश्न उठाया और 20 हजार मैट्रिक टन इस बार और 40 हजार मैट्रिक टन अगले महीने के लिये अतिरिक्त कोटा भारत सरकार से स्वीकृत करवा कर ले आये हैं। यह काम करने का तरीका है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि यह सारा प्रस्ताव राजस्थान के विकास का दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले तीन साल में जो काम किये थे उसके कारण से जनता ने हमको मेण्डेट देकर भेजा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव देश में नेगेटिव नहीं था, पाजिटिव वोट का चुनाव था और पाजिटिव वोट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गया है और अब लड़ाई सिद्धान्तों के आधार पर होने वाली है। जो धारा 370 को रखने वाले हैं, वह साम्प्रदायिक हैं, जो राम मन्दिर का विरोध करते हैं वह साम्प्रदायिक है, जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नहीं मानते, वह साम्प्रदायिक हैं, जो 50 पर्सेण्ट स्टूडेंट्स के आधार पर शुक्रवार को छुट्टी करने की घोषणा करते हैं वे साम्दायिक है और भारतीय जनता पार्टी इन साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेगी और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह राजस्थान के विकास का दस्तावेज है और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इसका समर्थन करें।

इन शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेह सिंह।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, मेरी बजाय श्री पूंजालालजी बोलेंगे।

श्री सभापति : श्री पूंजालालजी आप बोलिये।

श्री पूंजालाल (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर संभाग के सम्बन्ध में कहूंगा जहां पर अधिकांश अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं। उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास और चहुंमुखी विकास के लिये इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मात्र इतना ही इसके अन्दर बताया गया है कि हमें इस बार इन वर्गों का सम्बल प्रदान हुआ है और हमारे दायित्व बढ़ गये हैं। इस अभिभाषण में जो यह स्वीकृति दर्शायी गयी है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन वर्गों की उपेक्षा हुई है तो अब मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि अब और इस तरह की उपेक्षा यह सरकार इस क्षेत्र के लोगों की नहीं करेगी और उनका सर्वांगीण विकास करेगी।

पिछली बार जब विधान सभा के चुनाव होने वाले थे, 1990 से पहले जब माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने चुनावों के पहले भारतीय जनता

(श्री पूंजालाल)

पार्टी के सम्मेलनों में जो बात कही थी,

(17.00)

सदन के सामने रखना चाहूंगा और यह भी बताऊंगा, पत्रिका की यह फोटो काफी आपके सामने हैं, यह माननीय शेखावतजी का भाषण भी हो रहा है और सामने कार्यकर्ता और जनता भी बैठी हुई है और उसमें मोटे अक्षरों में यह लिखा है, "जनजाति क्षेत्रीय विकास परिषद के गठन से ही आदिवासियों का कल्याण सम्भव-शेखावत" । इस तरह से उनके मन में, माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिल में इन ट्राइब और कास्ट के लोगों और पिछड़े और गरीब क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास की मंशा है तो वे जरूर इस अभिभाषण में उसका जिक्र करते लेकिन मुझे खेद है, इस सम्बन्ध में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है ।... (व्यवधान)... जिक्र केवल मात्र यह ही हुआ है कि हम इनको विकास के कार्यक्रमों से और मुख्य धारा से जोड़ें या जोड़ने का प्रयास करेंगे ।

केवल मात्र इतना कह देने से कोई काम चलने वाला नहीं है । इस तरह से पिछले समय से उपेक्षा होती आ रही है और फिर भी होती रहेगी । उनका विकास करने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने धरियावद में और ऋषभदेव में भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में इस प्रकार की जो घोषणाएं की थीं और पिछली बार के उनके शासनकाल में माननीय सदस्य आज भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया था तो इन्होंने कह दिया कि इस तरह की बात या जनजाति क्षेत्रीय परिषद के गठन का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है । यह बात कहकर उन माननीय सदस्यों को भी चुप कर दिया गया ।

लेकिन मेरी मान्यता है कि अगर वास्तव में उन क्षेत्रों में, बांसवाड़ा जिला, उदयपुर सम्भाग या डूंगरपुर जिला ट्राइबल क्षेत्र का विकास सही मायने में करना है तो उस क्षेत्र में आटोनामस बाड़ी के रूप में जनजाति क्षेत्रीय विकास परिषद, स्वायतशासी परिषद का गठन किया जाये, यह मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं ।

दूसरी बात जो हर माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कही है कि पंचायती राज के चुनाव शीघ्र कराये जायें और पंचायतों के अधिकार, ग्राम स्तर पर जो शासन है उसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी बहाल की जाये । केवल मात्र यह विधान सभा और लोक सभा के अन्दर प्रतिनिधि चुनकर आ जायें, उससे ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती । ग्राम शासन और ग्राम स्तर पर जो जनता के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी है, जिससे उनको ग्राम शासन या स्वशासन का अहसास हो सके, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इन संस्थाओं को समाप्त कर दिया है, भंग भी नहीं किया है, समाप्त कर दिया है, उनको पुनर्जीवित किया जाये । उनके तीन साल होने जा रहे हैं इससे गांवों के लोगों में घोर निराशा व्याप्त है । उनकी

(श्री पूंजालाल)

समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वे अनपढ़, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अपनी बात को सही ढंग से अधिकारियों के सामने भी नहीं कह सकते और अधिकारी भी उनकी समस्याओं को नजरन्दाज बहानेबाजी करके कर देते हैं। इससे अपनी समस्याएं और भी बढी हैं। इसलिए पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायें।

अगर मनोनयन करने वाली बात आप करते हो तो अब मनोनयन करके आप इन चुनावों को और कितने समय तक टालना चाहते हैं? पुनर्सीमांकन की बात आप केन्द्रीय विधेयक के अनुरूप भी करने की बात करते हैं जबकि पुनर्गठन में सरकार ने पिछली बार डेढ़ साल पूरा खोया। उसके बाद आपकी सरकार बरखास्त कर दी गयी। वह एक साल पूरा भी हो गया। इस तरह से पुनर्सीमांकन और संशोधन कब तक पेश होंगे और यह चुनाव कब तक होंगे इसका कोई निश्चित समय आपने नहीं बताया है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एक प्रकार से आपने मृत-प्राय: कर दिया है उसको बहाल किया जाये।

बांसवाड़ा जिले के अन्दर माही डेम बना हुआ है और माही डेम से दो पावर हाउस भी चलते हैं, उनके सम्बन्ध में भी कोई जिक्र नहीं आया है। माही डेम बने कई वर्ष हो गये। 10 वर्ष पूर्व उद्घाटन हुआ 1983 में और आज 1993 हो गया लेकिन करीब 88,000 हैक्टेयर क्षेत्र बांसवाड़ा जिले का सिंचित करने का लक्ष्य था। वह अभी 44,000 हैक्टेयर तक हुआ है और उसमें भी आज की तारीख तक जो उस क्षेत्र को पानी पिछले वर्ष मिला है, उसके अन्तिम छोर तक पानी नहीं मिला है। तो आप देखेंगे कि अब यह पानी कब मिलेगा और कब, वह बुआई करेंगे और वह फसल कब कटेगी।

क्या गर्मी के मौसम में रबी की फसल का ठीक ढंग से उत्पादन हो पायेगा? इस सम्बन्ध में माही डेम के जो मुख्य अभियन्ता बैठे हैं, अधीक्षण अभियन्ता बैठे हैं, उन सब अधिकारियों को समय पर पानी पहुंचाने की हिदायत दी जाये। माही डेम में तो पानी खूब है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन उस पर सवाल यह है कि जो बाकी काम रह गया है बाकी क्षेत्र रह गया है. नहरों का काम आनन्दपुरी क्षेत्र में सन् 1986 में फेमिन के अन्तर्गत चलाया गया था उसके बाद बजट के अभाव के कारण या और किसी कारणों से या राजनैतिक कारणों से वह बन्द पड़ा हुआ है।

बजट आबंटन करके नहरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाये और जितनी जमीन सिंचित क्षेत्र में लानी है उसकी सिंचाई शीघ्रातिशीघ्र चालू करायी जाये तो कृषि के क्षेत्र में बांसवाड़ा भी आत्म-निर्भर हो सकता है और वहां के लोगों के लिये अकाल की स्थिति, 2-3 साल में हर बार बन जाती है ऐसी स्थिति में ये दूसरे राज्यों को मजदूरी के लिये पलायन करते हैं वह पलायन होना बन्द हो जाये। इस तरह की बात इस अभिभाषण में

(श्री पूंजालाल)

उल्लिखित न कर बिल्कुल उस क्षेत्र को एक प्रकार से अछूता छोड़ दिया गया है। तो उसका जिक्र आयन्दा हो भविष्य में भी, उस क्षेत्र का ध्यान रखें। बिजली, पानी, सिंचाई, सब तरह से और शैक्षणिक दृष्टि से भी वहां हालत बहुत खराब है उस पर भी सदन के माननीय नेता से निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं इस अभिभाषण के विरोध में हूं, इसका समर्थन कदापि नहीं कर सकता।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण को राष्ट्रपति शासन से मुक्ति का दस्तावेज मानता हूं। एक साल तक इस प्रान्त ने राष्ट्रपति शासन भोगा है। राष्ट्रपति शासन का निर्णय उचित था या अनुचित था, 356 की धारा क्या कहती है, यह भले ही उच्चतम न्यायालय निर्णय करे लेकिन इस प्रान्त ने एक वर्ष तक ऐसा शासन भोगा है जिसमें जनता की आवाज मुखरित नहीं हो सकी, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस सदन में या किसी भी एक जगह पर उसका प्रतिनिधि कोई बोलने वाला नहीं था। राष्ट्रपति शासन के कारण जैसाकि दिल्ली के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जाकर पी. वी. नरसिम्हा राव, जो प्रधान मंत्री हैं, मुलाकात कर कहा था कि इस प्रान्त की योजना का पैसा गैर-योजना में खर्च हो गया, इस प्रान्त की बहुत सी योजनाएं पीछे रह गयीं। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति शासन इस प्रान्त के लिये उपयुक्त नहीं था, उचित नहीं था और जो निर्णय 6 दिसम्बर के बाद में लिया गया वह निर्णय भी बहुत गलत था।

6 दिसम्बर के बाद जो निर्णय लिया गया उससे पूरा देश आन्दोलित था, राजस्थान अकेला पीछे नहीं रह सकता था, यहां की जवानी पीछे नहीं रह सकती थी। यह राष्ट्रीय प्रश्न था, सांस्कृतिक प्रश्न था। एक संघर्ष चल रहा था हिन्दुस्तान के अन्दर। उस हिन्दुस्तान में राजस्थान अकेला नहीं है, राजस्थान का व्यक्ति भी, राजस्थान का जवान भी उसमें भाग लेगा राजस्थान के अन्दर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ललित। किशोर चतुर्वेदी अगर इस्तीफा देकर के अयोध्या की तरफ कूच कर जाते हैं अगर भैरोंसिंह जी शेखावत जाते तथा कार सेवकों का सम्मान करते, माला पहनाते तो वह राष्ट्र के अन्दर सांस्कृतिक संघर्ष है और यह कहते हैं कि 6 दिसम्बर की घटना से राष्ट्र शर्म से झुक गया

(श्री टीकमचन्द कान्त)

जबकि बाहर लोगों की आवाज है कि 6 दिसम्बर की घटना इस देश में गौरव की घटना है। यह अन्तर है। उसके बाद में राजस्थान की चलती हुई सरकार को, इस देश की 4 सरकारों को मात्र इसी नाते बरखास्त कर दिया गया अनुचित था, उचित नहीं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात राम जन्म-भूमि से प्रारम्भ करूंगा। आपको याद दिला दूं, रूस के अन्दर, जब हिटलर ने आक्रमण किया और उसके अन्दर वहां के जारशाही के प्रतीकों को उसने मिटाया उससे रूस का अपमान हुआ। उसके बाद रूस में कम्युनिस्ट सरकार आयी। वह कम्युनिस्ट सरकार इस जारशाही के विरुद्ध लड़कर आयी उसने जारशाही के विरुद्ध क्रांति की। उसकी सरकार आने के बाद कहा कि नहीं इसको हिटलर ने तोड़ा है, उसने राष्ट्रीय अपमान किया है इसी कारण से वे प्रतीक वापस खड़े किये।

इसी प्रकार से अगर बाबर आक्रमण करके इस देश के अन्दर राम के मन्दिर को तोड़ता है, जन्म-स्थान को तोड़ता है तो स्वाभाविक था यह भारत कभी न कभी नींद से उठेगा, कभी न कभी तो उसका खून खोलेगा, कभी न कभी तो इतिहास के अन्दर लगे हुए कलंक का बदला लेगा। वह बदला लेने के साथ इस देश के अन्दर ढांचा गिराया। उसको किस आधार पर मस्जिद कहा जा सकता है?

अरबी, उर्दू और फारसी, सभी लोगों ने लिखा है कि यह मन्दिर गिराकर मस्जिद बनायी गयी थी, बाबरी मस्जिद नाम दिया गया था इसलिए अगर 6 दिसम्बर की घटना के बाद उसकी प्रतिक्रियास्वरुप राजस्थान व अन्य सरकार को गिराया वह राजनीतिक सत्ता का सिर्फ नंगा नाच था, इसके अन्दर कहीं न्याय नहीं था, कहीं संविधान का आदर नहीं था। संविधान का आदर ये क्या जानें, श्रीमान्? पिचयानवें और हम एक सौ पांच होते है। 199 के अन्दर 105 का बहुमत होता है और 5 दिन तक यह कितनी रामायण चलती रही वहां बेरियर्स खड़े किये गये राजभवन के सामने, क्यों खड़े किये गये? क्या उनकी मंशा साफ नहीं थी उस समय? क्या वह असंवैधानिक निर्णय लेना चाहते थे? संविधान के अन्दर लिखा हुआ है कि बहुमत को सरकार बनाने का निमंत्रण देना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी किसी ने कहा पिचयानवें और तीन अठ्वानवें, तो हम वैसे ही थे। 95 तो हमारे फूल पर थे और बाकी जिनको हमने समर्थन दिया था, 98 तो वैसे ही थे। ये माननीय रोहिताश्वजी जो उस वक्त रमा जी पायलट को हराकर आये, उन्होंने कहा था कि जन-पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, भैरोंसिंहजी शेखावत के साथ रहना है। सभापति महोदय, ये मंगलाराम जी कोली जो कठूमर से आये हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर 150 ट्रैक्टर वहां एक साथ

(श्री टीकमचन्द कान्त)

निकले, लोगों का जत्था एक साथ निकला, उन्होंने कहा कि आपको हम जितायेंगे लेकिन आपको यह वादा करना पड़ेगा कि आपको भैरोंसिंहजी के साथ रहना पड़ेगा।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : ये भाजपा को हराकर आये हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : भाजपा को हराया नहीं, जनता का निर्णय था।

सभापति महोदय, नरेन्द्र कंवर भाजपा की हैं, जनसंघ की हैं। ले लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने निर्णय कि टिकट गलत बंटा है जिसके कारण जितायेंगे तो भाजपा को लेकिन भाजपा की इस सदस्या को जितायेंगे। टिकट देने में हमारी थोड़ी-बहुत गड़बड़ हुई होगी और इस तरह 101 तो हम वैसे ही बनते हैं और हमारे साथ में जो गुरजंट सिंह जी आये वे प्रकाश सिंह जी बादल के साथ आये, सभापति महोदय, उस सीमान्त जिले से जहां हिन्दु और सिक्ख के बीच खाई पैदा की है। हिन्दू और सिक्ख के भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रकाश सिंह बादल का हाथ पकड़ते हुए गुरजंट सिंहजी हमारे साथ आये।

अब सुजान सिंहजी की बात तो क्या कहूं। उन्होंने कहा कि जिन्दगी में कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे दिख रहा है कि इस प्रान्त में किसान की सरकार कोई बना सकता है तो वह भैरोंसिंह शेखावत है और वास्तव में किसानों का इनके ऊपर विश्वास है। आप मैं दावे से कह सकता हूं किसानों के लिये जो नीतियां निर्धारित हुई जितनी बार वह मुख्य मंत्री बने, जो उन्होंने इस देश के अन्दर दिशा दी है कि किसानों का भला कैसे किया जा सकता है उस किसान के विश्वास के साथ सुजान सिंहजी आये थे। लोगों ने उस समय पूछा था कुछ ले-दे करके। उन्होंने कहा कि बन्द मुट्ठी आये हैं, खुले हाथ जायेंगे। इस गवर्नमेंट का सीधा किसानों से नाता है इसलिए मैं इसके साथ हूं। किसी ने कहा कि बंधक बनाकर रखा है।

श्री घासीराम यादव : ये समरथलाल जी कह रहे हैं 21 प्रतिशत वोट आये हैं किसानों के और इन्होंने कहा है 21 पर्सेन्ट वोट लेकर आये हैं सुजानसिंह जी किसानों के।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, कह रहे थे कि बंधक बना लिया। गुरजंट सिंहजी खड़े हो तब देख लेना। ये हमारे साथ थे। इनको कोई बंधक बना सकता है? घासीरामजी बना सकते हैं। हमारा स्पष्ट चित्र होते हुए भी इतनी देर क्यों हुई? क्यों कांग्रेस ने यह देर की? क्या यह गिनती उनको नहीं आती थी और। हरियाणा वालों को तो बिल्कुल नहीं आती उनको गिनती बिल्कुल नहीं आती। वे चार्टर्ड विमान लेकर आ रहे हैं, साथ में सूटकेस लेकर आ रहे हैं, जीपें अलग आ रही हैं, राइफलें अलग आ रही हैं। इस राजस्थान के अन्दर क्या होने जा रहा था? क्या करने जा रहे थे वह? क्या राजस्थान का कांग्रेस के अन्दर इतना

(श्री टीकमचन्द कान्त)

भी पानी नहीं कि उसे आकाओं को बाहर से बुलाना पड़ेगा ? यह हालत कर दी। सभापति महोदय, यह लोग संविधान का आदर कहां कर रहे हैं ? संविधान की दुहाई सिर्फ अपने हितों के लिये दे रहे हैं।

सभापति महोदय, बहुत चर्चा हुई वोटों के प्रतिशत की। वोटों में हार गये। आपने जो नारा लगाया था वह हिन्दुस्तान के अन्दर हार गया। 5 राज्यों में हार गये और दूसरा उन्होंने कहा था कि आप तो 50 प्रतिशत से कम वोट लेकर आये हो इस कारण से आपको जनादेश नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सन् 1952 से लेकर जब-जब भी कांग्रेस का शासन आया है, एक समय सन् 1972 को छोड़कर मुझे बता दें कि 50 प्रतिशत से अधिक वोट एक बार भी उन्हें मिला हो। कभी 38 प्रतिशत, कभी 40 प्रतिशत, मेरे पास लिस्ट है कहें तो बता दूं। जब 1972 के अंदर 51 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त किये तो इस देश में आपातकाल लगा। देश को इमरजेंसी के अंधेरे के अन्दर धकेल दिया इन लोगों ने। इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया। इसलिए कांग्रेस को जब भी ज्यादा वोट मिले, उसने इस देश मे वैसा किया।

सभापति महोदय, अब मैं एक और आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह आंकड़े शायद अभी दिये जा चुके है। यह आंकड़ा है 5 राज्यों के चुनावों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी को 3,57,22,615 वोट मिले और अपने आपको राष्ट्रीय पार्टी करने वाली कांग्रेस को 3,59,17,032 वोट मिले। प्रतिशत का अन्तर भी बहुत बड़ा है। सभापति महोदय, भाजपा को 26.18 प्रतिशत वोट मिले हैं और कांग्रेस को 26.24 प्रतिशत वोट मिले हैं।

श्री सभापति : कुछ और भी बोलेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : और बोलेंगे, समय बढ़ाइये। सभापति महोदय, एक निवेदन और है। कुल मिलकर पांच राज्यों में 1083 सीटें है, गिनती करलें, उसमें से भाजपा को पांच राज्यों के अन्दर 445 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 341 वह कहां जा बैठी है। कहां 445 और कहां 341 आईने में देख लें नारा किसका चला है। जनता ने 6 दिसम्बर की घटना का क्या जवाब दिया है वह आपके सामने है।

सभापति महोदय, बाड़मेर में तो बुहारी फेर दी। विरोधी दल के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े चाव से आये थे लेकिन बाड़मेर में उनको साफ कर दिया। वे भी कैसे जीत गये ? क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव आयोग का निर्णय हो चुका है, कुछ चीजें शायद कोर्ट में तय होंगी। गुढ़ामालानी के अन्दर 10 क्षेत्रों में वापस चुनाव कराने पड़ेंगे मैं लोगों की बात कह रहा हूं, सभापति महोदय, वहां जीपों के अन्दर गुण्डे आये, उन्होंने वोट हाथ में लिये और हाथ पर ठपा-ठप कर दी। उन्होंने हाथ पर ठप्पे लगा दिये।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सभापति महोदय, इस घटना से क्या होता है। इससे लोकतंत्र पर सीधी चोट होती है, सीधा आघात होता है। वह भावना समाप्त हो जाती है, इस वोट की कीमत समाप्त हो जाती है।

सभापति महोदय, इस वोट की खातिर तो यह देश नब्बे साल तक स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा था। और क्या था, सारे अधिकार तो थे ही, उस समय भी थे, अब भी हैं। सिर्फ जनता ने यह चाहा था कि यह वोट देने का अधिकार हमको मिल जाये और नब्बे साल तक स्वतंत्रता संग्राम हमने लड़ा था और उस वोट के लिये कीमत चुकाई। चन्द्रशेखर से लगाकर भगत सिंह तक, ठाकुर राममनोहर सिंह तक, अशफ़ाक अल्लाह खां तक जो कीमत हमने उनके बलिदानों की चुकाई उस कीमत का जो वोट हमको मिला है, हमारे उस वोट पर अगर कोई आदमी आकर ठप्पे मार कर चला जाये, सभापति महोदय, उनके आगमन से बाड़मेर जिले के ऊपर एक कलंक लग गया। बाड़मेर जिले की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर एक चोट पड़ गयी। इसका मैं विरोध करता हूं और अब बाड़मेर ने तय कर रखा है कि अब ऐसे किसी प्रत्याशी को वह बाड़मेर के अन्दर जीतने नहीं देंगे, कभी आने नहीं देंगे। इस प्रकार जीते हैं....

श्री घासीराम यादव : आप रोक लेना।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : बाड़मेर जिला आपके ही हाथ में दिखता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : और अभी यह चार के नाम आये थे—सीकर, नावां, हिण्डौली और नैनवां, अखबारों के अन्दर चर्चा आयी थी, गिनती के अन्दर फर्क। यह जनादेश हमको सीधा नहीं था? अगर गिनती करके आदमी देख लें तो सीधा जनादेश हमारे साथ में नहीं था?

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली): आप अखबार में छपा कर ही खुश हो लो।

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, वास्तविकता अब देखेंगे, कोर्ट में जाकर भी देखना पड़ेगा... (व्यवधान) अब देखेंगे, अब देखेंगे ...

श्री कालीचरण सराफ : तभी रिकाउंटिंग नहीं होने दी। अब क्या करवा रहे हो?

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री घासीराम यादव : परसरामजी जायेंगे जब माग जावोगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति ने इस बार एक नयी क्रांति की है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमानतें ही जब्त करवा दी थी आपकी। (व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा करिये, परसरामजी को जयपुर में भेज दो, जमानत जब्त करा कर भेजेंगे ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, 33 ग्रनुसूचित जाति के सदस्यों में से 24 सदस्य इस पार्टी को मिले हैं इसे क्या कहा जाये ? कांग्रेस के ऊपर से दलितों का भी विश्वास उठ गया है, यह सोच लें । इस प्रान्त के ग्रन्दर ग्रनुसूचित जाति के लिये पिछली बार जब-जब भी यह शासन ग्राया, ग्रन्त्योदय योजना को लागू कराया, उनके लिये विशेष इन्स्टीट्यूशन्स खोल कर उनको जितना फायदा पहुंचा सकते हैं वह फायदा पहुंचा कर ग्रनुसूचित जाति की तरफ एक नयी सोच खड़ी की थी इस सरकार ने, इसके नेता ने । इसी कारण से ग्रनुसूचित जाति का मतदाता ग्राज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है ।

सभापति महोदय, बैकलाग की बात कहूं । इतने वर्षों तक शासन रहा कांग्रेस का, ग्रनुसूचित जाति का शोषण करते रहे, उसके सिर्फ वोट लेते रहे, उसकी तरफ कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया ग्रौर जब बैकलाग हमने पिछली बार निकलवाया, सभापति महोदय, साढ़े पांच हजार रिक्तियों का बैकलाग था । साढ़े पांच हजार लोगों का । ग्रौर ग्रगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, मैं कह सकता हूं कि इस प्रान्त के साढ़े पांच हजार ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जन जाति के लोगों को कम से कम इस सेवा में ग्राने का मौका मिलता ।

सभापति महोदय, पंचायत चुनावों की बात करते हैं ग्रगर 15 तारीख को इस राजस्थान प्रान्त की सरकार भंग नहीं होती तो शायद पंचायत चुनाव भी हो जाते ग्रौर सबसे बड़ी बात, पंचायतों के ग्रन्दर सीधे-सीधे सत्ता की भागीदारी ग्रगर किसी ने ग्रनुसूचित जाति, जनजाति को दी है किसी ने श्रीगणेश किया है, किसी ने पहल की है तो वह भारतीय जनता पार्टी है ग्रौर भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के ग्रन्दर हैं । हिन्दुस्तान के ग्रन्दर पहले यह किसी ने नहीं की । ग्रौर ग्रगर कोई कहे कि यह दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने तो राजस्थान की झूठन खायी है ।

सभापति महोदय, यह हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया है । ग्रब स्वाभाविक है उनके ग्रगर ज्यादा लोग इस तरफ चुन कर ग्राये, ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति का मतदाता इस तरफ विश्वास करे । तो वह देख रहा है सीधे के सीधे सत्ता के ग्रन्दर सीधी भागीदारी देने वाला ग्रगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, भैरोंसिंहजी शेखावत हैं । सभापति महोदय, बातें कई प्रकार की होती हैं ।

श्री सभापति : ग्रब समाप्त कीजिए, ग्रौर लोगों को बोलना है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मुझे बोलने दीजिए, सभापति महोदय, बहुत कुछ बोलना है...

श्री सभापति : नहीं, ग्रौर लोगों को भी बोलना है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : और लोग भी बोल देगें, बाद में समय बढ़ा दीजिए।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : धनखड़ साहब बोले थे आधा घण्टा, पौन घण्टा बोले।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए कृपया।

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, मैं कर देता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का टाइम बहुत बचा हुआ है, देख लो आप।

श्री सभापति : आपको दूंगा न मैं वह टाइम, अब इसके बाद में आपका नम्बर है।

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं-नहीं, सभापति महोदय, वह बात तो ठीक है लेकिन साथ-साथ कुछ और बातें भी कहनी आवश्यक हैं....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपको क्यों तकलीफ हो रही है, बैठो न।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, वास्तव में कुछ मुद्दे ऐसे उठाये गये, उसकी बात है। इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता का मुद्दा उठाया गया। हमारे ऊपर दोषारोपण किया गया कि आप साम्प्रदायिक हैं। कश्मीर इस देश से आज अलग हो रहा है वह साम्प्रदायिकता किसने की? जम्मू का वह जिला जिसके के ऊपर जाकर आक्रमण कर रहे हैं कश्मीर के वह आतंकवादी, वह साम्प्रदायिकता किसने खड़ी की? कश्मीर के अन्दर से तीन लाख लोग, इसलिए कि वह हिन्दू हैं, सड़कों पर पड़े हैं। उनकी सारी की सारी पूंजी समाप्त कर दी गयी। उनकी औरतों के साथ क्या व्यवहार किया गया? वह साम्प्रदायिकता किसने खड़ी की?

सभापति महोदय, सामने अभी तक घटनाक्रम कश्मीर का है तो कश्मीर के सामने हजरत बल याद आता है। हजरत बल के अन्दर क्या नाटक खेला गया? सेना मंदिर और गुरुद्वारे में जा सकती है तो सेना फिर मस्जिद और दरगाह में क्यों नहीं जाये? यह साम्प्रदायिकता है, यह न्याय नहीं है, यह निष्पक्षता नहीं है, यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सभापति महोदय, यह क्या है?

श्रीमती तारा भण्डारी : तुष्टिकरण।

श्री टीकमचन्द कान्त : और अगर कोई चाहे इसके लिये तो मैं आपको बता दूं, नवम्बर, 1979 के अन्दर जब तीन सौ सशस्त्र आतंककारियों ने पचास हजार यात्रियों को मक्का की मस्जिद के अन्दर घेर रखा था तो उस समय मक्का के अन्दर सऊदी अरेबिया की सेनाओं ने टैंकों सहित, शस्त्रों सहित आक्रमण

श्री घासीराम यादव : कहां बोल रहे हैं?

श्री टीकमचन्द कान्त : करके उनको छुड़वाया था। तो वहां तो जा सकती है, यहां नहीं जा सकती। सभापति महोदय, इराक के अन्दर जन आक्रोश भड़का था और वहां जो कर्बला की मस्जिद है इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की मस्जिद है, उसके अन्दर सतत गोलियां मारते हुए, गोलियां चलाते हुए इराक की सेनाएं घुसी थीं। उसका गुम्बज, उसकी दीवारें सारी साफ हो गयी थीं, खराब हो गयी थीं। वहां जा सकती है तो हमें हजरत बल के अन्दर क्यों घुटने टेकने पड़े ? यह कौन सी संधि पाकिस्तान के साथ में हुई ? किस प्रकार यह सारा खेल खेला गया ? हिन्दुस्तान की नाक कटी है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का सिर नीचा हुआ है, यह क्या था ? यह साम्प्रदायिकता है, यह तुष्टिकरण है। इस देश को यह कांग्रेस कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकती। जब तक यह कांग्रेस रहेगी, देश विखण्डित होता रहेगा, देश टूटता रहेगा, यह हालत होती रहेगी।

श्री घासीराम यादव : यह तो पार्लियामेंट का भाषण दे रहे हैं, साहब।

श्री कालीचरण सराफ : अब आपमें यह कुव्वत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, गैट और डंकल, बहुत कुछ कहा गया। दो बिलियन डालर का अमेरिका के साथ में हमारा व्यापार होगा उससे और डंकल प्रस्ताव वास्तव में क्या है ? डंकल के अन्दर बाकी सब ठीक है, यह था विश्व के देशों के लिये व्यापार, तटकर, इस सम्बन्धी कुछ समझौते करने की बातें जरूर थीं। आर्थर डंकल अब शायद वह एम.डी. नहीं रहे इसके, महानिदेशक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 20 दिसम्बर, 1991 को पांच सौ पेजों का जो दस्तावेज दिया और उसके अन्दर ट्रिप्स, ट्रिम्ज, गैट, इस नाम के प्रस्ताव रखे तब से डंकल प्रस्ताव इस देश के लिये खतरनाक साबित हो गया है।

सभापति महोदय, आज यह डंकल प्रस्ताव, मैं कह सकता हूं, विश्व के अन्दर, एक वर्ष हो जायेगा, कहां विकसित देश और कहां विकासशील यह भारत, उसके अन्दर आपको खुली छूट देनी पड़ेगी कि वहां का विदेशी कोई भी निवेशकर्ता यहां आकर निवेश कर सकता है। उसको उतनी ही सहूलियतें देनी पड़ेंगी जितनी सहूलियत आप अपने किसी देशी निवेशकर्त्ता को देते हैं। सभापति महोदय, इस डंकल के कारण आपको इस देश के अन्दर से सब्सिडी और राहत और यह समर्थन मूल्य, जैसा कि अभी पहले कहा गया है, सारा समाप्त करना पड़ेगा, वह सारा समाप्त करना पड़ेगा। उस समय क्या हालत होगी उस देश के किसान की और उत्पादनकर्ता की, किसी की भी ?

सभापति महोदय, इसी प्रकार से ट्रिप्स वाले में देखें। वे रिलेटेड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मैजर्स वाली जो बात है, उसको अगर हम देखने जायें, उसके अनुसार क्या होगा ? जैसा अभी कहा, सारी चीजें

(श्री टीकमचन्द कान्त)

पेटेण्ट हो जायेंगी। वह कम्पनियां जो पेटेण्ट कर जायेंगी उन चीजों को बिना रायल्टी दिये हम कैसे उपयोग में लेंगे। बहुत मजाक चली थी। मुख्य मंत्रीजी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आ चुकी है यह बात।

श्री टीकमचन्द कान्त : मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नीम का दातुन नहीं कर सकोगे, और यह बात सच है। सभापति महोदय, सच है मैं नाम बता दूं अमरीका के उस व्यक्ति का, जिसने नीम का पेटेण्ट कराया। आप नाम कांग्रेस वाले लिख लें, रॉबर्ट ला टूनी। उसने नीम का पेटेन्ट किया और उसके कीटनाशक गुण का पेटेण्ट किया। सभापति महोदय, अगर कीटनाशक गुण का पेटेण्ट हो जाये और उसके बाद वो कहे कि इससे दातुन करने से कीटाणु नष्ट होते हैं तो फिर उसकी रायल्टी भी देनी पड़ेगी और नीम जो हमारे यहां उगा वह कैसे हुआ।

राजस्थान पत्रिका का वो जो कार्टून था बिलकुल सही था, एक किसान नीम की दातुन कर रहा है और दूसरा किसान पूछ रहा है कि तू भी आजकल विदेशी चीजों का उपयोग कर रहा है। सभापति महोदय, डंकल प्रस्ताव इस देश के लिये गुलामी का दस्तावेज है। डंकल प्रस्ताव के कारण आयात करना पड़ेगा हमको।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : शुरूआत में 2.5, उसके बाद 3.33 प्रतिशत आयात करना पड़ेगा उन खाद्यान्नों का, जो हमारे यहां आवश्यकता नहीं रहेगी। उस समय क्या हालत होगी, साहब? मेरे कहने का मतलब यह है कि डंकल प्रस्ताव यह लोग जो बोले हैं, मैं चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए और हमें इस हिन्दुस्तान की सरकार को भी कह देना चाहिए कि यह हमें स्वीकार नहीं है।

सभापति महोदय, (व्यवधान) काहे के लिये समय दिया? मैं तो, सभापति महोदय, सरहद के जिले से आया हूं, बाड़मेर से आया हूं। अभी उस संदर्भ को पढ़ रहे थे, माननीय सदस्य माननीय नेता महोदय के, सीने पर गोलियां हम खाते हैं। वहां इसलिये गोलियां खानी पड़ती हैं, इसलिये वहां कमजोर होते हैं हम क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां बिजली बराबर नहीं आ रही है। यह हालात है अभी मैं सरहद के सिवाना में गया हूं, मैंने देखे हैं।

सभापति महोदय, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अगर वह यह कहें कि मैं 1500, 500 और 1000 वाले गांवों को ही सड़कों से जोड़ूंगा, सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा सरहद के जिले के साथ में। आपने देखा होगा, •जनसंख्या का घनत्व बाड़मेर के अन्दर नीचे से सिर्फ दूसरा नम्बर है। प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है 51? अजमेर में 352 अब अगर 51 का घनत्व देखने जायें तो कौनसी उसके

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अन्दर स्कीम लागू होगी फिर 15-16 हजार और 500 के बीच में हम सड़कों से कब जुड़ेंगे ?

सभापति महोदय, पानी की योजनाएं खड़ी हो गयीं। यह कांग्रेस को देखने की आवश्यकता है, योजना खड़ी हो गयी इनके समय में। आज तक ऐसी-ऐसी स्कीम हैं जहां पानी नहीं पहुंचा। अभी तक कई योजना इसलिए बाकी हैं, सभापति महोदय, कि वहां पाइप नहीं पहुंचा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अनुशासन का ध्यान रखियेगा। मैं तीन दफा घण्टी बजा चुका हूं, यह उचित नहीं है। मैं तीन-चार घण्टी बजा चुका हूं और लोगों को भी बोलना है (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, आज तक सिवाना की बात नहीं रखी गयी है इस विधान सभा में ...

श्री सभापति : फिर मौके मिलेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : मेहरबानी करके रखने दीजिए, सभापति महोदय ... (व्यवधान)

श्री सभापति : बाकी लोगों को भी बोलना है। आप एक वाक्य के अन्दर समाप्त कीजिए अपनी बात।

श्री टीकमचन्द कान्त : रामनिवासजी मिर्धा अवश्यमेव वहां के एम. पी. हैं उसमें मुझे बड़ी खुशी है। जे.पी.सी. के चैयरमैन के रूप बैठकर आठ हजार करोड़ रुपयों का प्रतिभूति घोटाला कांग्रेस का खोल दिया। इस व्यवस्था को खोलकर रख दिया लेकिन, श्रीमान् उन्होंने एक दिन भी बाड़मेर का विजिट नहीं किया। वहां के टेलीफोन भी खराब पड़े हैं। यहां से लगाते हैं टेलीफोन नहीं लगते। यह हालात है, सभापति महोदय, वही पानी की, बिजली की। और जगह बिजली आठ-आठ घण्टा पायेंगे जब दूसरे क्षेत्र में आठ-आठ घण्टे मिल रही थी....

श्री सभापति : एक वाक्य में समाप्त कीजिये वरना मैं दूसरा नाम बोलने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, पांच घण्टे किसलिए मिल रही थी ? उसके अन्दर सेचुरेटेट इतना हो गया ट्रांसफार्मर पाजरू और सीणेर में फेज प्रोग्राम में क्यों नहीं आये ? वहां लगना चाहिए था, जी. एस. एस खड़ा होने के बाद, क्यों नहीं आये ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टीकमचंद कांत : 132 के वी की लाइन का सिवाणा को अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला ? यह सारी सोच का विषय है, सभापति महोदय। इसलिए मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर सरहद का जिला है, बरसात के अन्दर बिलकुल टापू बन जाते हैं उसके

(श्री टीकमचन्द कान्त)

गांव के गांव। समदड़ी से कट जाता है। सिणधरी अपने आप जिले से ...

श्री सभापति : माननीय श्री अजय सिंह चौटाला।

श्री टीकमचंद कांत : सभापति महोदय, इसी कारण से उस क्षेत्र में विशेष बजट ...

श्री सभापति : मैं दूसरा नाम बोलता हूं।

श्री टीकमचंद कांत : अकाल की चपेट में पड़ा है अभी। लोगों को रोटी चाहिए एक साल सिर्फ एक बरसात में ...

श्री सभापति : बहुत समय हो गया है।

श्री टीकमचंद कांत : एक बार की वर्षा होती है उसके अन्दर लोग पलते हैं।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री टीकमचंद कांत : कालीचरण जी, एक मिनट मुझे दे दो।

श्री सभापति : बहुत समय हो गया माननीय सदस्य। आपको अनुशासित रहना चाहिए। मैं चार दफा घण्टी बजा चुका हूं।

श्री टीकमचंद कांत : मुझे समय दिया, धन्यवाद। .. (व्यवधान)....

श्री सभापति : यह ठीक बात नहीं है, बाकी लोग क्या कहेंगे। खेतसिंह जी विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विराजे कैसे हुजूर आपके पास एक ही लिस्ट है क्या ?

श्री सभापति : नहीं-नहीं मेरे पास सारी लिस्ट है आपके दी हुई, मैं लिस्ट के मुताबिक ही मैं चल रहा हूं क्योंकि जनता दल को पहले टाइम नहीं मिला था इसलिए अब कालीचरण जी के बाद फिर जनता दल है, फिर मेघवाल जी फिर बाद में शांति धारीवाल जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, खेतसिंह जी बैठिए.... (व्यवधान)

श्री सभापति : जो माननीय अध्यक्ष महोदय, दे गये हैं वह बोल रहा हूं मैं तो। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायक ने महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 15 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या की घटना का बहाना बनाकर केन्द्र की नरसिम्हा राव सरकार ने प्रदेश में अच्छी खासी चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भंग कर दिया। कहा गया, प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है, जगह-जगह दंगे हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस मित्रों से कि अयोध्या की

(श्री कालीचरण सराफ)

घटना के बाद महाराष्ट्र और गुजरात की क्या स्थिति हुई ? यदि उस समय दंगे के दौरान मरने वालों की संख्या को लें कोई मापदण्ड हो सकता है तो महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों लोग मौत के शिकार हुए परन्तु वहां कांग्रेस की सरकार थी इसलिये उनको भंग नहीं किया गया।

राजनैतिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया, हिमाचल की सरकार को भंग कर दिया गया, राजस्थान की सरकार को भंग कर दिया गया। चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन के रूप में कांग्रेस की सरकारें थोप दी गयीं। चारों प्रदेशों का विकास अवरुद्ध हो गया।

इस एक साल के दौरान राजनैतिक आधार पर अन्धाधुन्ध तबादले किये गये। नौकरशाही का जिस तरीके से राजनीतिकरण इस एक साल के दौरान किया गया उसका कोई सानी नहीं है। राजभवनों को कांग्रेसी कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। सही बात कह रहा हूं। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं रहा और यहां तक हुआ, माननीय सभापति महोदय जब चुनाव की घोषणा हुई और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नेता के पास जाकर कहा कि हम चुनाव का चन्दा कहां से लायेंगे तो इनके नेता महोदय ने कहा कि 10-10 ट्रांसफर्म के नाम ले आइये इससे अपने आप चन्दा हो जायेगा।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इस तरह की बातें वे बुनियाद हैं, आधारहीन हैं, तथ्यहीन हैं, उनको तो नहीं बोलना चाहिए, माननीय सदस्य ऐसी बातें मत बोलिए। (व्यवधान) आपने कण्ट्राडिक्ट पहले भी किये हैं, आगे कर देना।

श्री सभापति : विराजें, आप बैठिए। ... (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको कम से कम अवांछनीय बातों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ।....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : आप विराजिए इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्रीमती कमला : राज्यपाल महोदय, के लिये बोल रहे हैं।

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय, के लिए कुछ नहीं कहा हैं। इन्होंने।

श्रीमती कमला : आप हमें ख्वाहम ख्वाह में उत्तेजना दिलवा रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :-उत्तेजक मत होइये।

एक माननीय सदस्य : राज्यपाल महोदय का नाम नहीं लिया है ....

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय, को इन्वॉल्व मत कीजिएं आप।

श्री कालीचरण सराफ : यहां तक ही नहीं जे.डी.ए., जयपुर विकास प्राधिकरण में अपने मनचाहे अधिकारियों को बैठाकर, आरोप लगा रहा हूं और आप कहेंगे तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा, करोड़ों रूपये की जमीन का कौड़ियों के मोल बेचकर इन्होंने चुनाव का चन्दा इकट्ठा किया ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मथुरा में ऋतम्भरा को किसने कौड़ियों साठे जमीन दी ? क्या आपकी सरकार नहीं थी ? आज भी आपकी सरकार ने आपके कार्यकर्ताओं को करोड़ों रुपये की जमीन...

श्री सभापति : माननीय धारीवाल जी, आपका नाम इस के बाद में है । आप बता दीजिएगा बात को । बीच में मत बोलिए । बीच में इन्टरप्ट मत कीजिए । (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : अभिभाषण पर भाषण करवाओ । आप मत होने दीजिए, सभापति महोदय, यह इर्रेलेवेंट बातें हैं ।

श्री सभापति : आप बैठिए ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह आपको गौर करने की बात है ।

श्री सभापति : इन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का । किसका नाम लिया है ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह अभिभाषण पर भाषण हो रहा है ? आप इस डिबेट को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : मैंने नाम लिया नहीं है । किसी का बैठिए आप ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : बहस का कोई स्तर हो सभापति महोदय । यह तरीका.. (व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, कृपया विराजिए आप । केरी आन, प्लीज ।

श्री कालीचरण सराफ : देर आये, दुरूस्त आये, राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, पांचों राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, राजस्थान में भी चुनाव हुए । सरकारी अधिकारी अपने मनचाहे चुनावो में, मनचाही गड़बड़ियां, परिणामों में परिवर्तन, सबके बाद भी 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और 76 सीटों पर कांग्रेस (इ) जीती । होना तो यह चाहिए था कि जनता ने जो स्पष्ट जनादेश 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीता कर दिया उसका कांग्रेस के लोग सम्मान करते और खुशी-खुशी यह कहते कि हम 76 हैं वो 95 हैं, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए ।

(श्री कालीचरण सराफ)

परन्तु यहां भी इनको + + + नहीं आयी, भ्रस्टाचार के लिये मशहूर, खरीद-फरोख्त के लिये मशहूर, आये दिन अपनी फर्मों का नाम परिवर्तित करने वाले हरियाणा के मुख्य मंत्री 40 सूटकेस के साथ हवाई अड्डे पर उतरे और एक पांच सितारा होटल में बैठकर निर्दलीय विधायकों को लालच देकर करोड़ों रुपयों में खरीदने की नाकामयाब कोशिश की।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सभापति महोदय यह 40 सूटकेस की बात जो कही है, उसका प्रूफ बताइये, प्रूफ बताने की कृपा करें। (व्यवधान) नाम कैसे ले रहे हैं?

श्रीमती कमला : 40 सूटकेस की यह बात कही है, ऐसी बात बोल रहे....

श्री घासीराम यादव जो आदमी यहां मौजूद नहीं है उसके खिलाफ कैसे बोल रहे हैं?

श्री सभापति : कृपया, नाम नहीं लें, नाम नहीं लें,

श्री रामनारायण चौधरी : नाम लेकर जो आरोप लगा रहे हैं माननीय सदस्य, इसका प्रूफ दें।

श्री सभापति : नहीं, नाम नहीं लिया। नाम लिया है, तो काट दीजिएगा। आप विराजिए (व्यवधान) नाम कटवा दिया है मैंने। बैठिये। नाम नहीं लीजिए कृपया।

श्री कालीचरण सराफ : मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन निर्दलीय विधायकों को, उन्होंने स्पष्ट जनादेश का सम्मान किया और आदरणीय, परम् आदरणीय + + + को कहा कि हम लालच में नहीं आयेंगे।

श्री सभापति : नाम नहीं लीजियेगा।

श्री कालीचरण सराफ : प्रलोभन में नहीं आयेंगे। हम जनता के जनादेश का आदर करेंगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में बनी।

श्रीमती कमला : क्या समर्थन किया?

श्री कालीचरण सराफ : जब सरकार बन गयी तो कांग्रेस के लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण विरोधी सरकार है, गांवों में विकास नहीं करना चाहती। मैं पूछना चाहता हूं, 10 हजार तक के किसानों का कर्जा किस सरकार ने माफ किया? 340 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया जिसके कारण 15 लाख किसान परिवार इस प्रदेश के लाभान्वित हुए।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, यह तो वसूली हो रही है अभी।

+ + + नाम शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(एक माननीय सदस्य)

गांवों में अभी वसूली हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : गांवों में नहीं देखा, शहरों में नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं बारानी भूमि का लगान कौन सी सरकार ने माफ किया ? तो चारों ओर से एक ही आवाज आयेगी कि भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने बारानी भूमि का लगान माफ किया, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता दल भी शामिल था।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें तो अच्छा रहेगा। बोलने दीजिए उनको।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं, वार्षिक योजना में जितना खर्च हुआ राजस्थान के इतिहास में पहली बार उसका 62 प्रतिशत भैरोंसिह शेखावत की सरकार में ग्रामीण विकास पर खर्च हुआ, कांग्रेस की सरकार में नही हुआ। 'अपना गांव अपना काम', 'तीस जिले तीस काम' यह इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में लागू की, जो किसी भी हालत में ग्रामीण विरोधी नहीं कही जा सकतीं।

यही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये इतने कल्याणकारी काम माननीय भैरोंसिह शेखावत की सरकार में हुए जिसका यह परिणाम है कि आज 57 आरक्षित सीटों में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर से चुनकर आया हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है और एक सीट पर तो कांग्रेस के आदरणीय जो जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं, उनकी जमानत भी जब्त हुई है इसलिए जयपुर के बारे में कुछ सुझाव राज्य सरकार को देना चाहूंगा जिससे जयपुर का समुचित विकास हो सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहला सुझाव यह है कि आपको मंत्री बनाया जाय।

श्री कालीचरण सराफ : आप चिन्ता मत करो, यह हम सोचेंगे। आपका नम्बर नहीं आने वाला, (व्यवधान) कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाओं के लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा टाइम जाया कर रहे हैं यह।

मैं पहला सुझाव देना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जयपुर शहर को 'मेट्रोपोलिटन सिटी' घोषित किया जाये। क्योंकि 74 वे संविधान संशोधन विधेयक में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों

(श्री कालीचरण सराफ)

के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। जयपुर को 'मैट्रोपोलिटन सिटी' घोषित करने से भारत सरकार से मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि होगी जिससे जयपुर का समुचित विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में भी यह मांग की थी और इस बार भी यह सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर में पुलिस-कमिश्नर पद्धति लागू की जाये। आज शहर में जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते दबाव के कारण जो कानून-व्यवस्था शहर की लचर होती जा रही है, यदि पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू हुई और जुडिशियर्स पावर पुलिस को मिले तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में जो कर्मचारी रहते हैं, मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित होने से उनकी तनख्वाहों में भी वृद्धि होगी।

जयपुर में, माननीय सभापति महोदय, नगर निगम की घोषणा तो कर दी गयी परन्तु केवल नगर परिषद् का नाम पलट कर नगर निगम बना दिया जाये, यह पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि निगम के चुनाव हों उससे पहले वास्तव में नगर निगम जयपुर शहर में बने, इस बात का एक्ट में संशोधन होना चाहिए। जयपुर की बिजली की व्यवस्था, जयपुर की पानी की व्यवस्था, जयपुर की यातायात की व्यवस्था, शहर की कानून-व्यवस्था, इनको नगर निगम के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण को भंग करके डवलपमेंट का काम भी नगर निगम के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नगर निगम का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए और जो आस-पास के कस्बे हैं, चाहे वह चौमूं हो, चाहे फागी हो, चाहे चाकसू हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे शिवदासपुरा हो, चाहे बस्सी हो या जमवारामगढ़ हो और चाहे आमेर हो, इनको भी जयपुर नगर निगम की सीमा में लिया जाना चाहिए। जयपुर की जनसंख्या का दबाव जिस तरह से निरन्तर बढ़ रहा है इसको ध्यान में रखकर इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए कि शहर में जनसंख्या का दबाव कम हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि शहर के नजदीक के जो कस्बे हैं उनको सैटेलाइट टाउन्स में परिवर्तित किया जाये, सैटेलाइट टाउन्स के रूप में उनको विकसित किया जाय। आवासन मण्डल को इस प्रकार के निर्देश दिये जायें कि वह इस प्रकार के कस्बों में आवासीय योजनाओं का निर्माण करें। माननीय सभापति महोदय, इन कस्बों को जयपुर से द्रुत यातायात से जोड़ा जाये। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी तो निश्चित रूप से जयपुर में जनसंख्या का दबाव भी कम होगा और सैटेलाइट टाउन्स के रूप में आस-पास के कस्बे परिवर्तित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है जयपुर शहर का कि शहर में पानी की

(श्री कालीचरण सराफ)

सप्लाई 500 ट्यूबवैल के आधार पर इस समय की जा रही है। यह बात सही है कि अभी जयपुर शहर में पानी का संकट नहीं है परन्तु ट्यूबवैल से पानी की सप्लाई करने के कारण से जो जल स्तर जयपुर की भूमि का निरन्तर गिरता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं कि जयपुर शहर में पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा, कि बीसलपुर योजना में राज्य सरकार ने तय किया हुआ है कि उसके द्वितीय चरण में जयपुर को जोड़ा जाये, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर शहर को बीसलपुर योजना के द्वितीय चरण में नहीं, क्योंकि द्वितीय चरण तो कब चालू होगा पता नहीं, प्रथम चरण में ही जोड़ा जाये जिससे कि जयपुर की पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर की बाहर की कॉलोनीज में सीवरेज लाइन की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने 300 लाख रुपये, 3 करोड़ रुपये जयपुर की सीवरेज लाइन के लिये सैंक्शन किये और आज मैन सीवरेज लाइन का काम बाहरी कॉलोनियों में लगभग पूरा भी हो गया है। परन्तु अभी तक डिस्ट्रीब्यूटरीज लाइन नहीं बनी हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बार इस योजना को हाथ में लें। क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण आज जयपुर शहर का सारा भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब सारे जयपुर शहर का भूमिगत जल प्रदूषित हो जायेगा और लोगों को प्रदूषित जल पीना पड़ेगा। भयंकर बीमारियां फैलेंगी। तो इससे बचने के लिये सीवरेज लाइन की व्यवस्था वक्त रहते कर लेनी चाहिए।

सभापति महोदय, जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन की अभिभाषण में चर्चा की गयी। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछली बार सरकार ने नियमन का फैसला किया था। आदेश भी जारी हो गये थे परन्तु दुर्भाग्य से राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू हो गया और उस आदेश पर रोक लगा दी गयी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जल्दी ही इस प्रकार के नियमन की घोषणा जयपुर शहर के कृषि भूमि पर बने मकानों के लिये होनी चाहिए जिससे जयपुर शहर के चार लाख लोग राहत की सांस ले सकें।

सभापति महोदय, जयपुर शहर में कच्ची बस्ती की भी एक विकराल समस्या है। जयपुर शहर के लगभग पांच लाख लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में सर्वे हुआ उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। यह सिस्टम है कि जब भी जनगणना होती है उसके बाद कच्ची बस्तियों का सर्वे होता है परन्तु 1981 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ।

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा यह मांग करना चाहूंगा राज्य सरकार से

(श्री कालीचरण सराफ)

कि नयी जो वोटर लिस्ट बनी है विधान सभा के चुनावों में जनवरी 1993 की जनसंख्या के आधार पर यह मतदाता सूचियां बनी हैं। नयी वोटर लिस्ट के आधार पर कच्ची बस्तियों का सर्वे किया जाये, जिनका सर्वे हो गया उनको भूखण्ड आवंटित किये जाये। और कच्ची बस्ती के समुचित विकास को योजना बनाकर जहां सड़क नहीं है, सड़कें बनायी जाये जहां नालियां नहीं हैं वहां नालियां बनायी जाये और जहां पानी की समस्या है वहां पानी की समस्या का समाधान किया जाये और जहां बिजली की समस्या है वहां बिजली की समस्या का समाधान किया जाये तो निश्चित रूप से कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर की जिस तरीके से निरन्तर जनसंख्या बढ़ रही है, यहां एस.एम.एस. हॉस्पिटल के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी छोटे-छोटे सैटेलाइट हास्पिटल्स हैं, जयपुर शहर की जनसंख्या को देखते हुए यहां पांच-छः बड़े अस्पताल तीन-तीन सौ, चार-चार सौ बैड के यदि विभिन्न इलाकों में खोले जायें तो निश्चित रूप से इससे जयपुर की जनता को और प्रदेश की जनता को फायदा होगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायक ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, राज्यपाल का अभिभाषण विकास की गंगा बहाने का एक नायाब दस्तावेज है, इसका मैं स्वागत करता हूं और पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेहसिंह (अनुपस्थित)

माननीय श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली): सभापति महोदय, बनीपार्क से जो रिटर्न हुए विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो अपना धन्यवाद का प्रस्ताव रखा तो राज्यपाल का सदन में आने का तो वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं लेकिन इनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अभी कई बातें घनश्याम जी तिवाड़ी विराजमान हैं, साम्प्रदायिकता पर बोले, डंकल पर भी हां पक्ष के लोग बोले। मैं यह पूछना चाहता हूं कि डंकल की बात करें, चाहे गैट मसविदे की बात करें, क्या बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली से यह देश बाहर रह सकता है? जरा सोचिये आप, रह सकता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, रह सकता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 117 देशों के समझौते से बाहर रखकर इस भारत को ले कहां जाना चाहते हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चीन चालीस वर्ष तक रहकर 12 प्रतिशत ग्रोथ से दुनिया के बराबर आ गया, आप भी आ सकते थे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह तो आपके आर्ग्युमेंट हैं। आपने या तो डंकल को पूरा पढ़ा ही नहीं है या पूरा आप इस मसविदे को समझे ही नहीं हैं। सात वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद कई विकासशील देशों के साथ भारत ने जो कुछ इस मसविदे में परिवर्तन करवाया है यह मानिये आप कि जितना कुछ नुकसान होने वाला है उससे भी ज्यादा होता ....(व्यवधान) अब आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते। किसी बात को

श्री सभापति : कृपया आप आपस में नहीं बात करें चेयर को एड्रेस करें।.... (व्यवधान)।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनको रोकने की कृपा करें आप।

श्री सभापति : आप इधर बोलेगे तो जवाब आयेगा इन्टरप्ट होंगे आप। इसलिये आप मेरी तरफ बात कहें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसानों की सब्सिडी बरकरार रहेगी, किसान जो बीज की पैदावार करेगा उसका एक हिस्सा किसान के पास रहेगा। सिर्फ बीस पर्सेण्ट दवाइयों पर डंकल प्रस्ताव का असर जरूर पड़ेगा। सिर्फ 20 पर्सेण्ट पर। (व्यवधान)

सभापति महोदय, यह क्या भारत की विजय नहीं है कि भारत ने कामर्शियल बैंक्स को और इंश्योरेंस को इस मसविदे में शामिल करवाया? यह क्या भारत की विजय नहीं है। हमें यह देखना होगा कि कई जो बड़े और विकसित देश हैं, जिनकी इकानामी जबरदस्त है क्या उनको झटका नहीं लगेगा इससे? अमेरिका के विमान उद्योग को झटका नहीं लगेगा? फ्रांस के फिल्म उद्योग को झटका नहीं लगेगा? क्या ब्राजील के जूते के उद्योग को धक्का नहीं लगेगा? क्या सारा नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा? ऐसा कौनसा समझौता है, तिवाड़ी जी, आप यह बताइये जिसमें कि....

श्री सभापति : कृपया चेयर को एड्रेस करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिसमें फायदे ही फायदे हों और नुकसान न हो। ऐसा कोई समझौता हुआ है आज तक? आप इस समझौते को समझने की कोशिश करिये, डंकल के प्रस्तावों का अध्ययन कीजिए और उसके बाद डंकल पर बोलने की कोशिश कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनकी समझ के बाहर की बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह ठीक उसी तरह का प्रचार है सभापति महोदय कोटा में जब बैराज का उद्घाटन हुआ था और बैराज के उद्घाटन के बाद जब वह पानी नहरों में जाकर किसानों के खेतों पर पहुंचा तो यही हां पक्ष के नेता किसानों को जा-जाकर यह कहते थे कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

यो पाणी की काम को, ई पाणी की तो तीन तीन बार बिजलियां काड़ ली कांग्रेस ग्रानां ने। यह ठीक उसी तरह का प्रचार डंकल के खिलाफ कर रहे हैं ग्राज इन बातों को समझने की जरूरत है इस देश को निगाह के सामने रखो। देश का ग्रागे क्या भविष्य बनने वाला है, 117 देशों के साथ जुड़ कर के फायदा होगा या कहां होगा ? जो बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है उससे क्या हम दूर रह सकेंगे, वह सोचने की बात है।

साम्प्रदायिकता पर बोले। यह दो मुंह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उस पर ग्रापत्ति पेश करता हूं। 370 के लिये ग्राप लोग बराबर कहते रहते हैं....(व्यवधान) 370 की बात करते हैं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 370 लगायी गयी थी केन्द्रीय मन्त्री मण्डल के सदस्य नहीं थे ? कभी उन्होंने विरोध किया ? सन् 1977 में ग्राडवाणी जी ग्रौर ग्रटलजी केन्द्रीय मन्त्री परिषद के सदस्य बने, जब तक वह ढाई साल तक सदस्य रहे एक बार भी 370 के खिलाफ उन्होंने ग्रावाज नहीं उठायी।

श्री टीकमचंद कांत : उसके लिये जीवन दे दिया उन्होंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि 370 हटा दो ग्रौर जब कुर्सी से हट गये....

श्री टीकमचंद कांत : 370 परमानेंट थोड़े ही था। परमानेण्ट था क्या ? बातें कर रहे हो।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय एक घण्टे ग्रौर बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : यह ग्रापका प्रेरोगेटिव नहीं है। कृपया जारी रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खतम हो जायगा समय। Then he will continue tomorow.

श्री सभापति : हां वह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में जो पक्ष में लोग हैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कौन प्रचार करता है देश में कि मुसलमान स्वभावतः ग्राक्रामक होते हैं, एक हजार साल से हिन्दुग्रों को दबा रखा है, मुसलमान चार बीबी रखने का हकदार है इसलिए इस देश में धीरे धीरे पच्चीस सालों में हिन्दू की ग्राबादी कम हो जायेगी ग्रौर मुसलमान की ग्राबादी बढ़ जायेगी ?

यह कौन कहता है कि मुसलमान ग्रपने वोट बैंक के रूप में राष्ट्र को ब्लैकमेल करना चाहता है ? उनकी शिक्षण संस्थाग्रों के बाबत, उनकी उर्दू भाषा के बाबत इन बातों पर हमला कौन करता

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है ? कांग्रेस के लिये कौन लोग कहते हैं कि यह तुष्टिकरण की नीति अपनाती है ? वह कौन लोग हैं, आज देखने की जरूरत इस बात की है कि वह कौन लोग हैं जो हिन्दू धर्म का एक नया ही अर्थ बताते हैं। हिन्दू को प्रतिशोध के रूप में नये संस्कार की बात करते हैं ? वह कौन लोग हैं जो भारतीय राष्ट्रीयता के साथ नयी--नयी शर्तें जोड़ते हैं ? चतुर्वेदी साहब देखिये 6 दिसम्बर....

श्री सभापति : सदन की बैठक कल दिनांक 7 जनवरी, 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे शुक्रवार, 7 जनवरी, 1994 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट - 1

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

शेरगढ़ तहसील में कार्यरत अध्यापकों का विद्यालय वार विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	उपप्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्यता विषय	व्याख्यता संख्या	वरिष्ठ अध्यापक विषय	वरिष्ठ अध्यापक संख्या	अध्यापक	लिपिक	चश्रेक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	रासीउमावि, शेरगढ़	01	....	....	हिन्दी	1	अंग्रेजी	1	5	2	6
					वाणिज्य	2	गणित	1			
					ना शा.	1	विज्ञान	1			
					इतिहास	1	सामान्य	1			
					जीवविज्ञान	1					
2.	रासीउमावि, सेतरावा	01	....	....	वाणिज्य	3	अंग्रेजी	1	4	1	6
					हिन्दी	2	गणित	1			
					ना. शा.	1	विज्ञान	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					इतिहास	1	सामान्य	1			
					कृषि	1					
3.	रासीउमावि, बालेसार	01	01	....	वाणिज्य	3	अंग्रेजी	1	2	2	5
					हिन्दी	1	गणित	1			
					ना. शा.	1	विज्ञान	1			
					इतिहास	1	सामान्य	3			
					जीवविज्ञान	1					
					कृषि	1					
					संस्कृत	1					
4.	रासीउमावि, बैलवा	01	01	....	हिन्दी	2	अंग्रेजी	6	3	3	4
					ना. शा.	1	गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
5.	रामावि, तेना	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	2	2	3
							गणित	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
6.	रामावि, देचू	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	....	2	3
							गणित	1			
							सामान्य	3			
7.	रामावि, चाका	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	2	2	2
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
8.	रामावि, सोमेशर	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	2	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
9.	रामावि, सयिन्तरा	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	....	1	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							सामान्य	3			
10.	रामावि, सोलखियाकलां	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	3	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
11.	रामावि, खिरजावास	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	3	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
12.	रामावि, राइसर	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	6	1	2
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
13.	रामावि, नाथडाऊ	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	4	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							सामान्य	3			
14.	रामावि चामु	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	4	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
15.	रामावि ठाठड़िया	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	3	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
16.	रामावि बालेश्वर दुगावता	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	2	2	3
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
17.	रामावि प्रागोलाई	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	2	2	5
							गणित	1			
							विज्ञान	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							सामान्य	3			
18.	रामावि केतुकला	....	....	1	....	....	अंग्रेजी	1	5	1	4
							गणित	1			
							विज्ञान	1			
							सामान्य	3			
19.	राउप्रावि मुगड़ा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
20.	राउप्रावि चौंरडिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
21.	राउप्रावि वादसमा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	3	....	....
22.	राउप्रावि दसानिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
23.	राउप्रावि गढ़ा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	7	....	....
24.	राउप्रावि जठाणिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
25.	राउप्रावि जाठीमाड	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
26.	राउप्रावि कलाऊ	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
27.	राउप्रावि खियासरिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
28.	राउप्रावि पाड़ूसर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
29.	राउप्रावि संगरा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	3	...	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	राउप्रावि सुवालिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
31.	राउप्रावि सोईन	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
32.	राउप्रावि तिवना	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
33.	राउप्रावि ऊंठवालिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	7	....	1
34	राउप्रावि भ्रासरलाई	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
35.	राउप्रावि मोडधारणी	....	....	....	....	....	सामान्य	1	2	....	....
36.	राउप्रावि कुन्थलियाठोर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
37.	राउप्रावि गुमानसिंह की ढाणी		....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
38.	राउप्रावि तुलेश्वर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
39.	राउप्रावि बारनाऊ	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	—
40.	राउप्रावि वस्तुवा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
41.	राउप्रावि बावरलो	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
42.	राउप्रावि बिराई	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
43.	राउप्रावि मालूकलां	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
44.	राउप्रावि बालूश्वरसत्ता	....	....	....	....	....	सामान्य	1	10	....	....
45.	राउप्रावि डेडा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	7	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	राउप्रावि देवातु	....	....	....	....	—	सामान्य	1	4	....	1
47.	राउप्रावि मिलाकोर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
48.	राउप्रावि गोपालसर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
49.	राउप्रावि जुडिया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
50.	राउप्रावि केतुहामा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	3	....	....
51.	राउप्रावि खारीबेरी	....	....	....	....	....	सामान्य	1	9	....	....
52.	राउप्रावि खुडिवाला	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
53.	राउप्रावि कनोडियापुरोहितान		....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
54.	राउप्रावि कोईन्दा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
55.	राउप्रावि लोड़ताप्रदालावत	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
56.	राउप्रावि नीबोकागांव	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
57.	राउप्रावि सेखला	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
58.	राउप्रावि सुराणी	....	....	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....
59.	राउप्रावि ठाठीया	....	....	....	....	....	सामान्य	1	6	....	....
60.	राउप्रावि उठाम्बर	....	....	....	....	....	सामान्य	1	8	....	1
61.	राउप्रावि पालरावना	....	..	....	....	....	सामान्य	1	4	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	राउप्रावि, धीरजीकीढाणी	....	....	....	....	....	सामान्य	1	7	....	....
63.	राउप्रावि, नयावेरा	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
64.	राउप्रावि, जीनजीनग्राली	....	....	....	....	....	सामान्य	1	5	....	....
65.	राबाउप्रावि, सेरगढ़	....	....	....	....	....	सामान्य	1	7	....	....
66.	राबाउप्रावि, तेना	....	....	....	....	....	सामान्य	1	3	....	....

विद्यालयवार रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	उपप्रधाना	प्रधाना	व्याख्याता मा.वि.विषय	व्याख्याता पदों की संख्या	द्वितीय श्रेणी विषय	द्वितीय श्रेणी पदों की संख्या	तृतीय श्रेणी	लिपिक	च.श्रे.क.	कुल पदो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	रासीउमावि, शेरगढ़	×	01	×	भौतिक	1	सामान्य	01	×	×	×	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रसायन	1	×	×				
					जीवविज्ञान	2 = 4						
2.	रासीउमावि, सेतारावा	....	01	....	अंग्रेजी	1	....	....	01	....	....	05
					रसायन	1						
					कृषि	1						
3.	रासीउमावि, बालेसर	....	....	....	भौतिक	1	....	....	....	....	....	04
					रसायन	1						
					गणित	1						
					अंग्रेजी	1						
4.	रासीउमावि, बेलवा	....	....	....	अंग्रेजी	1	....	....	....	....	....	02
					संस्कृत	1						
5.	रामावि, तेना	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
6.	रामावि, टेचू	....	....	....	....	....	जीवविज्ञान	01	....	....	....	01
7.	रामावि, चाबा	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
8.	रामावि, सोईन्तरा	....	....	....	....	....	....	....	....	01	....	01
9.	रामावि, रायसर	....	....	....	....	....	....	....	....	01	....	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	रामावि, ठाठणिया	....	....	01	....	....	....	....	....	....	...	01
11.	रामावि, भ्रागोलाई	....	....	....	....	....	....	...	01	....	....	01
12.	रामावि, केसुकला	....	....	....	....	....	....	....	....	01	....	01
13.	राउप्रावि, भुगड़ा	....	....	....	....	....	सामान्य	01	...	....	....	01
14.	राउप्रावि, चोरडिया	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
15.	राउप्रावि, गड्डा	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
16.	राउप्रावि, खियासरिया	...	....	....	....	....	सामान्य	01	01	....	....	02
17.	राउप्रावि, पाबूसर	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
18.	राउप्रावि, सगरा	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
19.	राउप्रावि, सोई	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
20.	राउप्रावि, ऊठवालिया	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
21.	राउप्रावि, भ्रासरलाई	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
22.	राउप्रावि, गुमानसिंह ढ़ाणी	....	....	....	...	....	....	....	01	....	....	01
23.	राउप्रावि, राईसर	...	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
24.	राबाउप्रावि, शेरगढ़	....	....	....	....	....	....	....	01	...	....	01
		....	02	01	....	13	....	09	10	03	....	38

(191)

विद्यालयवार रिक्त पदों की सूचना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बस्तवा	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	02
2.	बिराई	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
3.	पालूकला	....	....	....	....	....	सामान्य	01	01	....	....	02
4.	बालेसरसत्ता	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
5.	देडा	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
6.	देवातु	....	....	....	....	....	सामान्य	01	05	....	....	06
7.	जुडिया	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
8.	केतुरामा	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
9.	खुडियाला	....	....	....	....	....	....	....	02	....	....	02
10.	लोडता अचलायता	....	....	....	....	....	सामान्य	01	....	....	....	01
11.	सेरवाला	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	01
12.	सुराणी	....	....	....	....	....	....	....	01	....	....	....
		....	02	01	....	13	....	16	23	03	....	58

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 63 का विवरण

(1) तहसील नैनवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत दो वर्षों में निम्नानुसार स्वीकृतियां जारी की गई है :—

योजना	1991–92			1992–93		
	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	योग	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	योग
इन्दिरा आवास योजना	....	....	....	31	12	43
माडा योजना	....	10	10	....	....	....
आवासीय अनुदान योजना	17	7	24	36	7	43

(2) उपरोक्त योजनाओं तहत वर्षानुसार आवास निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :—

क.सं.	योजना/वर्ष	प्रारम्भ किये गये			पूर्ण किये गये			कार्य प्रगति पर			कार्य प्रारम्भ नहीं			उपयोग में लिये		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
वर्ष 1991—92																
1.	इन्दिरा आवास योजना	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	माडा योजना	....	10	10	....	10	10	....	....	....	....	....	....	....	10	10
3.	आवासीय अनुदान योजना	17	7	24	17	7	24	....	....	....	....	....	....	17	7	24
वर्ष 1992—93																
1.	इन्दिरा आवास योजना	27	9	36	19	5	24	8	4	12	4	3	7	19	5	23
2.	माडा योजना	....	....	....	....	....	....	....	...	....	....	....	....	....	....	
3.	आवासीय अनुदान योजना	36	7	43	36	7	43	....	....	....	....	....	....	36	7	43

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

भीलवाड़ा जिले की अधूरी योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	अधूरी योजना का नाम	तहसील	योजना की कुल लागत लाखों में (1992 की बी.एस.आर. के आधार पर)
1.	शकरगढ़	जहाजपुर	211.65
2.	वेई गेसूला	,, ,,	35.29
3.	झालरा बावडी	,, ,,	44.04
4.	सरसिया चारण	,, ,,	33.48
5.	नेगडिया गुडा	,, ,,	35.70
6.	गणेशपुरा	,, ,,	79.39
7.	पचानपुरा	,, ,,	30.12
8.	सरलासागर	कोटडी	50.07
9.	घोला दांता	,, ,,	39.93
10.	मोतीपुरा	मांडलगढ़	96.41
11.	देवरी नाला	,, ,,	103.34
12.	बोरियापुरा	रायपुर	36.47
13.	गंगदेह	गंगापुर	37.41
14.	कंटालिया	आसीन्द	48.24
15.	मोमलिया	जहाजपुर	47.15
16.	श्यामसागर	मांडलगढ़	36.39
17.	काबरिया	,, ,,	16.41
18.	दवेलिया	जहाजपुर	60.18
19.	नवरतन सागर	,, ,,	101.83
20.	रतनसागर (बेडुदा)	कोटड़ी	41.77
21.	जूट का नाका	मांडलगढ	121.12

(196)

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि

68. **श्री अमरा राम** (छोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितनी भूमि कमाण्ड तथा कितनी भूमि अनकमाण्ड है ? इस समय प्रथम एवं द्वितीय चरण के कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ?

(2) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितनी धनराशि अब तक खर्च हो चुकी है, द्वितीय चरण के पूरा होने तक कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी तथा कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में 5.43 लाख हैक्टेयर कमाण्ड तथा 5.09 लाख हैक्टेयर अनकमाण्ड क्षेत्र है। द्वितीय चरण में 10.12 लाख हैक्टेयर कमाण्ड तथा 8.48 लाख हैक्टेयर अनकमाण्ड क्षेत्र है। वर्ष 1992-93 में प्रथम चरण व द्वितीय चरण में क्रमशः 6.15 लाख व 0.71 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई।

(2) इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण पर मार्च, 1993 तक 285.36 करोड़ रुपया तथा द्वितीय चरण पर 700.84 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च हो चुकी है। द्वितीय चरण के कार्यों को पूरा करने के लिये कुल 2463 करोड़ रुपयों की अनुमानित आवश्यकता है जिसमें वर्ष 1992 क पश्चात मूल्य वृद्धि सम्मिलित नहीं है।

जिला सवाई माधोपुर के विद्यालय

69. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने सैकेण्ड्री एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूल हैं ? इनमें कितने छात्र एवं अध्यापक हैं तथा कितने स्थान अध्यापकों के कब से रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों पर कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा ?

(2) टोडाभीम एवं नादौती तहसील में मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर हायर सैकेण्डरी की कितनी कन्या पाठशालायें कहां हैं ?

(3) क्या सरकार कन्या पाठशाला, गुढ़ाचन्द्रजी एवं टोडाभीम को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में 29 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इनमें 30262 छात्र/छात्रायें है तथा 137 माध्यमिक विद्यालय है जिनमें 38612 विद्यार्थी है। इन विद्यालयों में 2392 अध्यापक है जिनमें से 86 पद रिक्त है। इन पदों में से 11 पद 1/91 से 12/91, 24 पद 1/92 से 12/92 एवं 51 पद 1/93 से 12/93 तक रिक्त है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग को अर्चना भेजी जा चुकी है। आयोग से योग्य आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर पद भरे जा सकेंगे। अन्य पद नये सत्र के प्रारम्भ तक भर दिये जा सकेंगे।

(2) टोडाभीम तहसील में 01 मा0 वि0, 01 उ0 प्रा0 वि0 तथा नादौती तहसील में 01 मा0 वि0 एवं 3 उ0 प्रा0 वि0 कन्या विद्यालय है।

(3) आगामी वर्षों में कन्या पाठशाला गुढ़ाचन्द्रजी एवं टोडाभीम की क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने, बजट की उपलब्धता एवं क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर इन विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

मरु विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम

70. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या विशिष्ट योजना सगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मरु विकास कार्यक्रम के तहत कितने एवं कौन-कौन से गांवों का चयन कर प्रस्तावित सूची में सम्मिलित करने हेतु सूची भारत सरकार को भेजी गई ? क्या अजमेर जिला भी उसमें सम्मिलित है ? यदि हां, तो जिले के कौन-कौन से गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं ?

(2) उपरोक्त कार्यक्रम हेतु राज्य को कितना-कितना बजट पिछले तीन सालों में आवटित हुआ एवं उसका उपयोग किस प्रकार हुआ ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988 में मरु विकास कार्यक्रम तथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में स्वरूप एवं आकार-प्रकार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में जिन चार जिलों के 502 गांवों को मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु सुझाव भेजे गये, उसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। जी हां, प्रस्तुत ज्ञापन में अजमेर जिले के किशनगढ़ एवं अजमेर तहसीलों के क्रमशः 57 व 59 गांवों को कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सुझाव थे। अजमेर जिले को प्रस्तावित गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(198)

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

(2) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में आवंटित बजट (धनराशि) एवं उसके उपयोग का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन में 502 ग्रामों को सम्मिलित किये जाने के संदर्भ में प्रस्तावित सूची।

जिला : उदयपुर

तहसील : भीम :— (विकास खण्ड अब राजसमन्द के अन्तर्गत)

1. अजीतगढ़
2. आखेगढ
3. अमरपुरा
4. अमनेर
5. अन्तालीः
6. बडनी
7. बागड़
8. बघना
9. बाली
10. कंसावाड़ी
11. बैंर
12. बरार
13. बारीया हीरा
14. बरजाल
15. बीलियावास
16. बीरम गुढ़ा
17. भारीरी खेड़ा
18. भारतवा
19. भील खेड़ा
20. भैरा गुढ़ा
21. भीम
22. भोपालगढ़
23. बोरवा
24. चंता
25. भापली
26. डाबजर
27. दनसारिया
28. दावेर
29. डेहरिया
30. डेग्रो खेड़ा
31. धावलकला
32. धावला खुर्द
33. धोती
34. डींगर खेड़ा

35. फत्ता खेड़ा
36. घाटा
37. गुरहा घाट
38. गुढा केहा
39 हथून
40 जयनगर
41. हीता खेड़ा
42. जैतगढ
43. जैतपुरा
44. जसवंतपुरा
45. झीटीया
46. नीतरा
47. कच्छबाली
48. काहरी
49. कालाडेह
50. काला गुमान
51. कालोतरा
52. कनिया खेड़ा
53. कनियाना
54. करकारा
55. काथर
56. केसरपुरा
57. खीमागुढ़ा
58. खेड़ा जस्सा
59. खेरी का खेड़ा
60. खेता खेड़ा
61. कुकरा
62. कुकर खेड़ा
63. लागेट खेड़ा
64. लाखा गुढ़ा
65. मऊआ नागला
66. मण्डावर
67. मिंकीबास
68. मुठिया
69. मोटा गुढ़ा
70. नाब्री
71. नालोई लालपुर
72. मण्डावत
73. नया गांव
74. पालड़ा
75. पीपली
76. पीथा गुढ़ा
77. पीपरेलू
78. राजोर
79. सामेलिया
80. सरोठ
81. शेखाकस
82. श्योपुरा
83. सुनार कुरी
84. स्वाजना चैतपुरा
85. टीबाबा
86. तीतरी
87. तेलरा
88. ठीकरावास कलां
89. ठीकरावास खुर्द
90. ठोरिया
91. तेगी
92. उदयपुरा
93. उमर बाउड़ी
94. उम्मेदपुरा

(200)

जिला : उदयपुर

तहसील : (विकास खण्ड अब राजसमन्द के अन्तर्गत)

1. अजना
2. अम्बा खेड़ा
3. अनोपपुरा
4. अर्जुनगढ़
5. बडीया
6. बागा का खेड़ा
7. बनिया हतरी
8. बंजारिया
9. बारवालों का खेड़ा
10. बाटेरी
11. बेना का खेड़ा
12. बेरावास
13. भाचारडिया
14. भगतपुरा (ए)
15. भागरपुरा (बी)
16. भैरु खेड़ा
17. भरतसिंह जी गुढ़ा
18. बुरवाड़ा
19. बीलाखी
20. बीर देओगढ़
21. बियाना
22. बुम्हड़ा
23. चाक कालार्जुन
24. चनवालारल का खेड़ा
25. चारड़ा
26. चेता आसन (ग्रामीण)
27. चूंडी
28. डाला का खेड़ा
29. डंडी
30. दांतरा
31. दारदा
32. देअगढ़ (ग्रामीण)
33. देपुरा
34. देवारिया
35. डोडिया खेड़ा
36. डौलाजी का खेड़ा
37. डोलपुरा
38. डूडलिया
39. घाटी
40. गुनिया
41. हुडवा का बास
42. हालेला
43. हीरा का खेड़ा
44. हीरा की बस्सी
45. हीरा की बस्सी (बी)
46. इसरमण्ड
47. जडसा
48. जकरा
49. जावडी का खेड़ा
50. जीरन
51. जेमा खेड़ा
52. जोगेला

53. काकरेड
54. कालागुण
55. कलालेन की ग्रन्ती
56. कालेसरिया
57. कामेड़ी
58. कामला (ग्रामीण)
59. कनवाड़ा
60. कावम का गुढा
61. केरपुरा
62. खाखरदा
63. खरनिया
64. खुमा खेड़ा
65. किशनपुरा
66. कीटों का वाडिया
67. कोटड़ा
68. कुम्राथल
69. कुण्डेली
70. कुण्डवा
71. कुराछोन का खेड़ा
72. कुवारिया
73. लाटजी का खेड़ा
74. लसानी
75. लकनीपुरा
76. माड
77. माडा की बस्सी
78. मदारिया
79. महासिंहजी का खेड़ा
80. मालाजी का गुढ़ा
81. मल्क मालिया
82. मालियों का बास
83. मालजी का खेड़ा
84. मालकेट
85. मण्डावारा
86. माताजी का गांव
87. मियाला
88. मोडिया खेड़ा
89. मोयना
90. मुण्डवास
91. नन्दवा
92. नराना
93. नरदास का गुढा
94. नीमजार
95. पानीया
96. पनड़ी
97. पर्दी
98. पातो की ग्रांती
99. पीथा खेड़ा
100. फारालिया
101. फुक्या का थार
102. पीतमपुरा
103. पुनियां
104. पुसालेन का खेड़ा
105. रलायता
106. रन
107. रश्मी
108. रतना गुढा
109. रुघनाथपुरा
110. रुघनाथपुरा
111. सालिया का खेड़ा
112. समर नाका

113. संगावास (ए)
114. संगावास
115. संग्रामपुरा
116. सांसरियो
117. सावाद्री (ए)
118. सावाद्री (बी)
119. सेंद का खेड़ा
120. शोपुरी
121. सोलंकियान का गुढा
122. सुलिया
123. सुरतपुरा
124. सुरजी का खेड़ा
125. ताल
126. तपालों का खेड़ा
127. तीखी
128. तेगी
129. तेली खेड़ा
130. टोकरा
131. उण्डावासन
132. विजयपुरा (ग्रामीण)

जिला जयपुर

तहसील आमेर

1. सिरसीबेगस
2. मागंल गोविन्द
3. किशनपुरा
4. हाबू का बास
5. अष्टीकला खुर्द
6. बागडो का बास
7. मुतेडा
8. माधो का बास
9. उदगावर
10. छोटा गुढा
11. घोदसर
12. सिगोद खुर्द व कला
13 वाघावास
14. हस्तेडा

तहसील दूदू

1. ज्योडोरवा
2. मारवा

तहसील फुलेरा

1. रामसिह पुरा
2. रंजीतपुरा
3. रेनवाल
4. नाथी का बास
5. सनवात का बास
6. बसरी खौड़

7. रलावता
8. मिलखपुरा
9. रानीपुरा
10. सुरपुरा
11. घरनवास
12. तुरक्यावास
13. लुनियावास
14. गढी
15. राठी
16. इटावा
17. कवरपुरा
18. जुनसया
19. देबा का बास
20. दीसा
21. बागावास
22. लालसर
23. डूंगरीखुर्द
24. डूंगरीकला
25. हरसोली
26. चारणवास
27. देवल्या
28. डूंगरी का बास
29. समदडो
30. मुंडियागढ़
31. प्रतापुरा
32. रामजीपुरा का लाघ
33. राजीपुराखुर्द
34. बचकादिया
35. मीनडी
36. नन्दरी
37. संदलपुरा
38. सालगरामपुरा
39. खेरीमलिक
40. सुकलपुरा
41. सलादीपुरा
42. श्योसिहपुरा
43. मोईनदोत
44. प्रतपुरा
45. मंढाभीमसिंह
46. भैसलाना
47. मादवा
48. देयोल्डी
49. गीघा का बास
50. मूण्डवाडा
51. सिनोदिया
52. खटवाडी खुर्द
53. खटवाडीकला
54. काजीपुरा
55. स्योंद
56. स्योंदा
57. मीरावाटा
58. रिजनी
59. कल्याण
60. कोरसीना
61. सरधाला
62. होडवाडा
63. नांगल
64. जावली
65. छपडी
66. गोविन्दपुरा

67. सीतारामपुरा
68. ग्राईदान वास

तहसील कोटपूतली

1. देवता
2. बानर
3. छारदर
4. पोनाडा
5. बंकरी
6. धावास
7. हसनपुरा
8. कायमपुरा
9. भेपतपुरा
10. चौरी
11. पावालाराजपुर
12. नवलकुशलपुरा
13. कुमडा
14. खाराव
15. पुरषोतमपुरा
16. बेरी
17. धंघासुन्दरपुरा
18. दांतिल
19. कल्याणपुरा कल्याण

जिला अजमेर

तहसील किशनगढ

1. भीलावत
2. झाग
3. नेसल
4. एऊ
5. सिनेडिया
6. वाकडवालया
7. मादून
8. पालडी मोपतेतान
9. जखोलत
10. किशनपुरा
11. कोटडी
12. करलदा
13. खतपुरा भेड़वाल
14. ऊजोली
15. जाजोटा
16. पनेर
17. मानपुरा
18 गितेती
19. दरदून्द
20. नोवान
21. राजपुरा
22. रघुनाथपुरा
23. कल्याणपुरा
24. रामगढ़
25. कोरिया की ढाणी
26. करकेडी

27. परसोली
28. मोखमपुरा
29. पडंगा
30. अमरपुरा
31. पनवारेन की ढाणी
32. छतमोजीपुरा
33. रोडेवास
34. मोतीपुरा
35. संगरमाला
36. सिगारा
37. बंसरा
38. थाल
39. छेनोनदंपुरा
40. सिगला
41. सलेमीबाद
42. नदंपुरा
43. कबीर
44. मोरडी
45. रयोद
46. सुरसर
47. रूपनगढ
48. कठोढा
49. जूंडा
50. तित्यारी
51. पीगालेद
52. पालडी
53. गुडली
54. कल्याणपुरा
55. छोतारखेडा
56. कुचील
57. ब्रजपुरा

तहसील अजमेर

1. बवाईयना
2. हानाल्यावास
3. माजेरी
4. अरारेखा
5. होशियारा
6. नरवर
7. चतेचियावास
8. छारसे
9. पदमपुरा
10. कंवरीलाल
11. खारी
12. होनकरा
13. मम्कडवाले
14. कंडेल
15. देवनगर
16. कोसार
17. छरसल्यावास
18. लोहायल
19. तिलोरा
20. बंसेली
21. नंदैया
22. सीसंरी

(206)

23. कोटडा
24. नासर
25. पुष्कर ग्रामीण
26. गनेन्ड़ा
27. हाथीखेड़ा
28. किसानपुरागोयालों
29. रामपुरानंद
30. नंद
31. सुरजकुंड
32. खरखारी
33. लसवा
34. गोविन्दगढ़
35. भगवानपुरा
36. पिछेलिया
37. सेथा
38. फतेहपुरा
39. रामपुराडावला
40. बुधवारा
41. नोरियावास
42. दांतरा
43. पीसांगन
44. रिछमालिया
45. पांगडा
46. झनमेतपुरा
47. कलेसर
48. सरसर
49. नोद
50. प्रतापुरा
51. मेवाडिया
52. भटसूरी
53. नगलेक
54. भक्तावरपुरा
55. जैतगढ
56. धोवरिया
57. करमनेस
58. रतनगढ
59. मानवता

जिला सिरोही

तहसील शिवगंज

1. मनदर
2. रेवडा
3. गोला
4. अल्पा
5. झाडोली
6. पुरारखेडा
7. लास
8. तातेडा
9. लोतीवर छोटा
10. लेटीवाडाबडा
11. उम्मेदगढ
12. नरदरा
13. सिउदा
14. सावली

15. अरवपुरा (ग्रामीण)
16. मदानी
17. ओरा

तहसील सिरोही

1. सतपुरा
2. मनोरा
3. छुतगांव
4. जमोतरा
5. वराडा
6. देलदर
7. मंडावंरिया
8. वरलूट
9. वाग्रोलीव
10. नावरा
11. गुढा
12. मोहवतपुरा
13. कलदरी
14. फूंगी
15. घड्ग्राल
16. तोवेरी
17. नून
18. अकूना
19. नीवोरा
20. जैलो
21. मंडिया
22. कोटरा
23. सवराता
24. हलीवाडा
25. तुम्रा
26. मेरतंदवाडा
27. सिरोडंकी
28. सीलदर
29. रामपुरा
30. रोग्रडाखेडा

तहसील रेवदर

1. अन्नपुरा
2. नीवाज
3. कोशवा
4. वाडवाज
5. जालमपुरा
6. कोलापुरा
7. अमरपुरा
8. रायपुरा
9. हदमत

परिशिष्ट "ब"

मरु विकास कार्यक्रम

सैक्टर के अनुसार बजट आवंटन एवं व्यय

(रु. लाखों में)

सैक्टर,	1990-91		1991-92		1992-93	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1. भू-संरक्षण	540.00	660.86	461.53	421.83	513.91	518.14
2. जल संसाधन विकास	622.37	826.48	624.08	575 70	530.89	519.54
3. वन एवं चारागाह विकास	1689.87	2135.11	1792.37	1776.51	1753.23	1579.76
4. अन्य गति-विधि	516.88	723.19	798.97	574.45	670.00	692.33
5. संस्थापन	333.33	334.84	318.05	309.97	332.66	337.81
योग :—	3702.46	4680.48 ×	3995.00	3658.46	3800.69	3647.58

× अधिक व्यय गत वर्षों के बचत राशि द्वारा

शिवगंज (सिरोही) की सिंचाई योजनायें

71. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही विधान सभा क्षेत्र की शिवगंज एवं सिरोही तहसील में वर्ष 1990-93 में सरकार द्वारा कुल कितनी सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत की गई? कितनी योजनाएं पूर्व से मंजूर हैं तथा अधूरी है ?

(2) शिवगंज तहसील की सुकड़ी इननडेशन योजना पर अब तक कितना काम हुआ है तथा क्या अब भी कार्य चालू है ?

(3) उपरोक्त योजना को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिरोही विधान सभा की शिवगंज एवं सिरोही तहसील में वर्ष 90-93 में (90-91, 91-92 एवं 92-93) राज्य सरकार द्वारा दो सिंचाई योजनायें स्वीकृत की गई एवं दो योजनाएं पूर्व में मन्जूर हुई जो अधूरी है।

(2) शिवगंज तहसील की सूकड़ी इनन्डेशन योजना पर अब तक (माह नवम्बर, 93) रु. 85.74 लाख का काम हुआ है एवं अभी कार्य चालू है।

(3) इस योजना को वर्ष 1994-95 में पूरा करना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र दौसा एवं जमवारामगढ़ के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

72. **डा. रामराय शर्मा** (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दौसा एवम् जमवारामगढ़ के विभिन्न स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बापी काफी पुराना स्कूल है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में कब तक क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बजट की उपलब्धता एवं विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर, राज्य के अन्य विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र दौसा एवं जमवारामगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बापी 1977 में प्राथमिक विद्यालय से क्रमोन्नत हुआ। आगामी वर्षों में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने, बजट की उपलब्धता एवं क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के

210

(शिक्षा मंत्री)

आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बापी के क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकेगा।

मोरेल बांध की भराव क्षमता

73. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार मोरेल बांध की भराव क्षमता बढ़ाने के लिये बांध का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है?

उत्तर

जी हां।

वर्ष 1980 में मोरेल बांध के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गयी थी। बांध की ऊंचाई निर्धारित स्तर तक बढ़ा दी गई है। स्पिलवे के आधुनिकीकरण का कार्य विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया है, जिसके तहत स्पिलवे के डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पंचायत समिति बालोतरा की संस्कृत प्राथमिक शाला

74. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या शिक्षा (संस्कृत) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार द्वारा बाग जी बाबल की ढाणी, डोली कला पंचायत समिति बालोतरा में संस्कृत प्राथमिक शाला स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या वहां अध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, जी नहीं, क्योंकि बागजी बाबल की ढाणी, डोलीकला प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

सैंथल सागर बांध से दौसा विधान सभा क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के ग्रामों की सूची

1.	बोरोदा	10.	सैंथल बाढ़
2.	विनयवाला	11.	राजधर
3.	उद्यावला	12.	चक हबीबवाला
4.	बापी	13.	बिसनपुरा
5.	चोरड़ी	14.	धर्मपुरा
6.	चैनपुरा	15.	काबलेश्वर
7.	खरताला	16.	बड़ोली
8.	श्री माधो गोविन्दपुरा	17.	रामपुरा
9.	झाझरवाड़ा	18.	काली पहाड़ी

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची

वर्ष 1992..93 में प्रकाशित पुस्तकें

मौलिक

1. दुग्ध रसायन शास्त्र................... प्रो. वीर बहादुर सिंह.............. 62.00
3. हिन्दी शिक्षण....................... श्री पुरुषोत्तम लाल तिवारी... ... 53.00
3. शिक्षा एवं भारतीय समाज.......... श्री गणपतिराय शर्मा,..........
   श्री हरिश्चन्द्र व्यास........ 75.00
4. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम.... श्री भगवान श्रीवास्तव.......... 56.00
5. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का भूगोल.... डा. रामकुमार गुर्जर... ...... 63.00
6. दर्शन का परिचय........................डा.आर.एस.भटनागर...,... ......27.00
7. पशु पोषण में कृषि एवं उद्योगों के उपोत्पाद .... डा. वी. डी. मुद्गल, डा. के.के. सिहल 75.00

212

संस्करण

8. मुद्रा एवं बैंकिंग (मौद्रिक अर्थशास्त्र) (तृ. सं.) .... डॉ. टी. एन. चतुर्वेदी 52.00
9. भारत में शाकोत्पादन (द्वि. सं.)....... डॉ. प्रतापनारायण बाजपेई, डॉ राजेन्द्र कुमार शुक्ल......... 43.00
10. मध्यकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं (तृ सं.)........ घनश्याम दत्त शर्मा ...... — 40.00
11. सामाजिक ज्ञान शिक्षण (तृ. सं.) ..... अमीर चन्द जैन.. .... 37.00
12. प्रकाशिकी (द्वि. सं.) .... डॉ एम. जी. भाटवडेकर, डॉ. टी. एल. इशोरा......... 39.00
13. गणित शिक्षण (तृ. सं.)......... एस. एल. जैन........ 56.00
14. भारतीय दार्शनिक समस्याएँ (तृ. सं.)..डॉ. नन्दकिशोर शर्मा........ 18.00
15. जलवायु विज्ञान के मूल तत्व (तृ.सं.)...डॉ. अनिल कुमार तिवारी...... 58.00
16. पुस्तकालय संगठन एवं संचालन (छ.सं.)......... डॉ सुभाष चन्द वर्मा, डॉ. श्याम नाथ श्रीवास्तव.......30.00
17. भारतीय शिक्षा का समाज शास्त्र (च.सं.)......... सत्यपाल रुहेला 30.00
18. समाज शास्त्र विवेचन (छ.स.).........डॉ. नरेन्द्र कुमार सिंघी, वसुधाकर गोस्वामी 53.00 (अप्राप्त)
19. राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण (द्वि. सं.)......... डॉ. के. एस. सक्सेना........20.00
20. किशोर मनोविज्ञान (द्वि. सं.)......... ऊषा भार्गव......... 52.00
21. नागरिक शास्त्र शिक्षण (तृ. सं.).......डॉ. हेतसिंह बघेला, हरिश्चन्द्र व्यास......... 41.00
22. ज्ञान मीमांसा (द्वि. सं.)......... प्रो. दया कृष्ण......... 15.00
23. स्वास्थ्य विज्ञान (पं. सं.).........डॉ. सत्यदेव आर्य......... 37.00
24. पाश्चात्य दर्शन का इतिहास भाग-1 (तृ. सं.).........सम्पा. प्रो. दया कृष्ण......... 60.00

25. तुलनात्मक लोक प्रशासन (च. सं.)....डॉ. रमेश कुमार अरोड़ा............26.00

(सूची वर्गीकरणानुसार विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

1 अप्रेल 1993 से 31 दिसम्बर 1993 तक प्रकाशित पुस्तकें

मौलिक

1. यूरोप का भूगोल......................डॉ. एम. एन. निर्मल,
श्री भंवर लाल गर्ग,
श्रीमती भावना माथुर...........175.00
2. अन्तर्राष्ट्रीय विपणन....... ....डॉ. पी. के. श्रीवास्तव... ....88.00
3. राजस्थान का भूगोल ....सम्पा. डॉ. महेश नारायण निगम,
प्रो. ए. के. तिवाड़ी................165.00
4. वेदान्त : एक नवीन दृष्टि..........कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य,
अनु. डॉ. के. एल. शर्मा 260.00
5. राजस्थानी चित्रकला ....डॉ. जयसिंह नीरज.... ....116.00
6. स्थानीय प्रशासन . ...डॉ. सरोज बाला चौपड़ा...........77.00
7. राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत........डॉ. बी. आर. पुरोहित...........140.00

संस्करण

8. प्रशीतन एवं वातानुकुलन (द्वि.सं.)... नरेन्द्र कुमार मंगल... ....76.00
9. अधिवास भूगोल (द्वि. सं.)........... लक्ष्मीनारायण वर्मा....................53.00
10. राजनीतिक समाज शास्त्र (च. सं.) डॉ. धर्मवीर..............................71.00
11. भारतीय जन जातियाँ (तृ. सं.)....डॉ. हरिश्चन्द्र उप्रेती....................80.00
12. समाजशास्त्र विवेचन (अ. सं.)........डॉ. नरेन्द्र कुमार सिंघी,
वसुधाकर गोस्वामी 83.00
13. समाजशास्त्र पद्धति के नियम (तृ.सं.)..इमाइल दर्खीम, अनु. हरिश्चन्द्र
उप्रेती.......... ....28.00
14. क्षेत्रीय भूगोल (पं. सं.)....... ....डॉ. निरंजन मिश्र.......................154.00
15. भारतीय कृषि का अर्थतंत्र (पं.सं.)... डॉ. एन. एल. अग्रवाल...........120.00

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची

तहसील लालसोट में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, एवं उच्च प्राथमिक में रिक्त पदों की विद्यालयवार सूचना निम्नानुसार है :—

	नाम विद्यालय	रिक्त पद का नाम						
		प्रधाना.	उपप्रधाना.	प्र.अ.	व्या.	II ग्रेड	III ग्रेड	कुल
1.	रासीउमावि, लालसोट	....	....	....	1	....	....	1
2.	रासीउमावि, रामगढ़ पचवारा	....	1	....	3	....	....	4
3.	रामावि सोनड	....	....	....	....	3	....	3
4.	रामावि दालतुपुरा	....	....	....	....	1	....	1
5.	रामावि शिवसिंहपुरा	....	....	....	....	2	....	2
6.	रामावि बिनोलाकला	...	....	1	....	....	....	1
7.	राबामावि मण्डावरी	....	....	1	....	...	....	1
8.	राउप्रावि हेमल्यावाला	....	....	....	....	1	....	1
9.	राउप्रावि तलावगांव	....	....	....	....	1	....	1
10.	राउप्रावि निर्झरना	....	....	....	....	1	....	1
11.	राउप्रावि महारिया	....	....	....	....	1	....	1
12.	राउप्रावि रामपुरा	....	....	....	....	1	....	1
	योग	....	01	02	04	11	...	18

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

क्र सं.	फर्म का नाम	किस्म अनुज्ञापत्र
1.	अग्रवाल आयल एण्ड फ्लोर मिल, रामगढ़	संयुक्त व्यापारी
2.	अनिल आयल एण्ड फ्लोर मिल, रामगढ़	"
3.	मदन लाल एण्ड ब्रादर्स, रामगढ़	"
4.	आशा नन्द घनश्यामदास, रामगढ़	व्यापारी
5.	शिव इण्डस्ट्रीज, रामगढ़	"
6.	नेमीचन्द विनोद लाल, रामगढ़	"
7.	ताराचन्द राजेन्द्र-प्रसाद, रामगढ़	"
8.	मनफूल मक्खन लाल, रामगढ़	"
9.	मोरे लाल नत्थू लाल जैन, रामगढ़	"
10.	गोविन्दराम सुदर्शन कुमार, रामगढ़	"
11.	रामदास जैन क्लोथ एण्ड जनरल मर्चेन्ट	"
12.	लहरी प्रसाद मंगल राम, रामगढ़	"
13.	तेजपाल बनवारी लाल, रामगढ़	"
14.	जनता आयल एण्ड फ्लोर इण्डस्ट्रीज	"
15.	हुकमचन्द चिम्मन लाल, रामगढ़	'क' वर्ग दलाल
16.	गोवर्धन लाल तोताराम, रामगढ़	"
17.	प्यारे लाल सैनी भोमाराम सैनी	"
18.	दासू राम विशम्भर दयाल, रामगढ़	फुटकर व्यापारी
19.	पोखर दास गुलशन दास, रामगढ़	"
20.	चिम्मन लाल बंशी लाल, रामगढ़	"
21.	जगदीश लाल रमेश चन्द, रामगढ़	"
22.	पूरणमल जगदीश प्रसाद, रामगढ़	"
23.	किशन लाल रामजी लाल, रामगढ़	"
24.	पुरषोतम दास ढोला राम,	"
25.	नारायण दास हरिश कुमार, रामगढ़	"
26.	बलदेव राम सुरेन्द्र कुमार, रामगढ़	"

(216)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूचियां एवं आदेश की प्रतियां

परिशिष्ट—"अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना द्वारा निर्मित सड़कें जो पूर्ण हो चुकी हैं :

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	दूरी (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	बाडेला बस स्टेण्ड से गांव	1.00	1.29
2.	छापरी खुर्द बस स्टेण्ड से गांव	1.00	3.00
3.	खुनखुना से खरेस	4.00	5.35
4.	खरेश से खोजात	4.00	6.47
5.	छोटी खाटू चारोंये से गांव	1.50	2.01
6.	लाडनू से सुनारी सड़क	1.50	2.04
7.	छोटी खाटू से बडावरा	3.00	5.42
8.	खोजात से गावड़ी	2.00	2.00
9.	गावड़ी से तोसीणा	3.90	3.03
10.	बेरी जतनपुरा से बनवासा	3.50	4.56
11.	निमोद से बाँसा	3.00	7.65
12.	खाटूरानी गांव से पावा	3.00	5.06
13.	खुनखुना से सानियां	3.00	6.14
14.	खारड़ा माता मंदिर से रामसाबास	2.00	4.64
15.	नागौर डीडवाना रोड से मन्डारी	2.00	4.80
16.	रामसाबास से खातियाबासनी	2.50	6.00
17.	डीड़वाना सूपका रोड से खीचिमा बासनी	1.50	3.96
18.	दौलतपुरा से ननावटा	1.50	3.04
19.	जसवन्तगढ़ से कसूम्बी	3.00	5.89
		योग	82.43

परिशिष्ट—"ब"

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना की निम्नलिखित सड़कों का कार्य निर्माणाधीन है :

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	दूरी कि.मी.	वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)
1.	निम्बी जोधा से टॉकी	4.00	8.00
2.	नुग्रा से पायली	3.5	9.90
3.	रामसाबास खातीयावास की रोड से लाडाखास	1.00	3.00
4.	सुदरासन से क्यामसर	1.00	3.60
5.	गोलासर धनकोली रोड से बावडी	3.00	6.66
6.	छोटी छापरी से सरदारपुरा	1.5	4.15
7.	खुनखुना से सानियां (विस्तार)	1.00	4.00
8	छोटी छापरी से सरदारपुरा (विस्तार)	1.00	4.00

218.

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-II) विभाग

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक-प. 13(II) कृषि-II/93 जयपुर, दिनांक 1-6-93

विषय :—8वीं योजना में राज्य में बनाये जाने वाली सड़कों बाबत ।

महोदय,

कृपया 8 वीं योजना में राज्य में बनाये जाने वाली सड़कों के अनुमोदित मास्टर प्लान के सम्बन्ध में आपको लिखे गये पत्र का संदर्भ करें, जिसमें मण्डी समितियों द्वारा मास्टर प्लान की सड़कों के प्रस्ताव मंगाये जाने थे ।

इस सम्बन्ध में कृपया अविलम्ब कार्यवाही करें और आप द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से सूचित कराने का कष्ट करें ।

इसी प्रकार मण्डियों द्वारा बनाये जाने वाली मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा, सड़कों का प्राथमिकता प्लान भी शीघ्र तैयार करवाये, ताकि भविष्य में सड़कों के निर्माण की स्थिति के प्रस्ताव भेजते समय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता का ध्यान रखा जा सके ।

भवदीय,
एस.डी.
(रमेश कुमार जैन)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर ।
2. तकनिकी सहायक, कृषि विपणन बोर्ड को भेजकर लेख है कि आप द्वारा तैयार किये गये मण्डी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर प्लान इस कार्यालय को और निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें ।

एस.डी.
उपशासन सचिव

कृषि (ग्रुप.2बी)विभाग

क्रमांक : प. 15 (2) कृषि /2बी/87/ जयपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 1998

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राज. जयपुर ।

विषय--- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत. नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई 1 किलोमीटर तक कम या ज्यादा करने का अधिकार निदेशक, कृषि विपणन विभाग को दिये जाने के सन्दर्भ में ।

महोदय,

सचिव, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वारा राज्य सरकार को नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त यदा-कदा बोर्ड के सामने यह कठिनाई आ जाती है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़क की लम्बाई स्वीकृत लम्बाई से कम या ज्यादा हो गई है, चूंकि सड़कों की लम्बाई अनुमानित मान कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है ।

अत : इस कठिनाई से बचने के लिये निर्देशानुसार निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि भविष्य में स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण में 1 किलोमीटर तक सड़क की लम्बाई कम या ज्यादा किये जाने पर निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी जावें :-

1 केवल नवीन सम्पर्क सड़कों की ही लम्बाई 1 किलोमीटर तक कम या ज्यादा की जावेगी ।

2. नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई कम या ज्यादा करने से पूर्व यह भी देखा जावेगा कि सम्बन्धित मण्डी समिति के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है ।

220

3. स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जावेगा ।

भवदीय

ह.

(गुलाब चन्द करोड़ीवाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
2. सचिव, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
3. रक्षित पत्रावली ।

ह.

उप शासन सचिव

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का विवरण

प्रपत्र—"अ"

ग्राम	खसरा नम्बर	अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल बीघा	अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल बिस्वा	कृषक का नाम
1.	2.	3.		4.
रूटकड़	793	....	04	सिवाय चक लगानी
"	794	....	18	भंवरलाल भ्रा. देवीलाल
"	827	3	15	सिवाय चक लगानी
"	826	....	04	गोपाल भ्रा. मोती कुम्हार
"	816	....	03	धूला भ्रा. खाना मीणा
"	828	....	02	धूला भ्रा. खाना मीणा
"	829	....	02	सिवाय चक लगानी
"	830	....	12	मोहन भ्रा. हीरा मीणा
"	831	....	18	मोहन भ्रा. हीरा मीणा

1	2	3	4	5
रूटकड़	836	1	16	बद्रीलाल ग्रा. घासी
"	837	1	02	श्योकरण ग्रा. सिद्धा
"	838	....	12	माधो ग्रा. केसरा मीणा
"	839	....	17	सिवाय चक लगानी
"	840	....	05	सिवाय चक लगानी
"	841	....	13	बजरंगा ग्रा. गोपी मीणा
"	883	1	19	रंगलाल ग्रा. सावला मीणा
"	885	2	00	भंवरलाल ग्रा. श्री किशन [श्री किशन ग्रा. कबरा मीणा]
	योग	16	 02	

प्रपत्र — "ब"

ग्राम	खसरा नम्बर	अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल		कृषक का नाम
		बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5
रामपुरा	141	4	7	बिलानाम
"	136	0	7	बद्री श्रा. किशनलाल
"	133	0	1	बिलानाम
"	165	5	5	बिलानाम
"	162	0	4	जगदीश श्रा. अबिकालाल
"	164	0	4	बिलानाम
"	262	2	2	बिलानाम
"	252	3	1	बिलानाम
"	429	1	14	बिलानाम
"	346	0	4	बिलानाम
"	347	0	1	घासी श्रा. मागा
"	348	0	1	जगन्नाथ व अम्बा श्रा. गणेश
"	349	0	1	मोती व रामकिशन श्रा. ग्यारसिया व पाच्या श्रा. माधो

1	2	3	4	5
रामपुरा	350	0	1	लक्ष्मण ग्रा. गोविन्दा
,,	351	0	1	किशना व बिशना ग्रा. भज्या हिस्सा 1/2 व गट्टियों ग्रा. भूरा व रामकिशन व श्योकरण ग्रा. गणपत हिस्सा 1/2
,,	352	0	1	जेल्या ग्रा. गोविन्द मीणा
,,	422	0	8	माधोलाल ग्रा. बिशना श्रोत्तर ग्रा. लट्टूर मीणा
,,	421	0	8	उपरोक्त
,,	420	0	3	नोनीलाल ग्रा. छोगालाल
,,	437	0	6	मोती रामकिशन ग्रा. ग्यारसीलाल व पाच्या ग्रा. माधो ग्यारसा ग्रा. भोला व देवीलाल ग्रा. रूपा गोमुदा व भोला ग्रा. भवरिया

1	2	3	4	5
रामपुरा	439	0	2	उपरोक्त
,,	418	0	5	नोलीलाल ग्रा. छोगालाल
,,	442	0	18	श्री महादेवजी महाराज पुजारी किशनदास
,,	444	0	6	बिलानाम
,,	480	2	0	जगन्नाथ व अम्बा ग्रा. गणेश मीणा
,,	481	0	14	उपरोक्त
,,	511	2	5	बिलानाम
	27 योग	25	10	

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट--11

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 79 का विवरण

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

(राशि लाख रुपये में)

जवाहर रोजगार योजना पंचायत समिति :....कोटड़ी

क. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
		वर्ष 89-90		वर्ष 90-91		वर्ष 91-92		वर्ष 92-93		वर्ष 93-94	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जीवनधारा कूप	2.35	1.97	2.50	1.58	4.50	3.55	7.00	0.90	3.00	2.42
2.	जीवन धारा एनीकट	11.35	9.15	8.50	10.53	—	—	—	—	—	—
3.	इन्दिरा आवास	3.77	1.24	3.77	3.45	2.65	2.57	2.00	1.61	1.00	2.47
4.	20% रक्षित राशि	2.45	1.04	2.35	1.45	—	—	—	—	1.70	1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	पंचायतों के माध्यम से कार्य	12.03	8.36	17.58	15.78	30.14	20.28	28.44	22.62	13.77	12.71
पंचायत समिति :—जहाजपुर											
1.	जीवनधारा कूप	9.42	6.01	4.00	3.02	6.50	4.43	2.00	3.52	3.00	2.80
2.	जीवनधारा एनीकट	—	—	13.15	12.90	8.70	8.04	0.40	0.40	—	—
3.	इन्दिरा आवास	1.67	1.17	3.57	1.67	2.88	1.23	4.24	3.95	2.00	1.66
4.	20% रक्षित राशि	—	—	1.20	0.40	—	—	—	—	0.10	0.05
5.	पंचायतों के माध्यम से कार्य	13.57	12.17	30.14	20.28	28.68	25.80	49.35	41.04	23.38	22.40

नोट :—उक्त राशि नियम एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकृत एवं उपयोग हुई है।
उक्त सूचना पंचायत समितियों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर तैयार की गई है।

ह0—

प्रति0 कलेक्टर (विकास)
भीलवाड़ा

227

228

परिशिष्ट--2

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम/अन्त्योदय योजना :—

वर्ष	पं. स. जहाजपुर स्वीकृतियों की संख्या*	अनुदान (लाख रु.)	ऋण (लाख रु.)	पं. स. कोटडी स्वीकृतियों की संख्या*	अनुदान (लाख रु.)	ऋण (लाख रु.)
89-90	1042	20.24	23.82	683	9.24	17.99
90-91	692	16.99	24.95	563	9.69	20.39
91-92	656	20.83	27.36	615	15.75	28.54
92-93	498	17.88	23.90	455	12.54	23.72
दिसम्बर, 1993 तक	432	17.28	21.60	236	7.42	11.37

* लाभान्वितों की संख्या

ह0
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
पदेन परियोजना निदेशक
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

229

परिशिष्ट—3

क.सं.	नाम पंचायत समिति	निबन्ध राशि योजना स्वीकृत कार्य सं.	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	(राशि लाखों में) विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
		वर्ष 1989—90			
1.	कोटड़ी	3	0.70	0.70	स्वीकृत राशि का उपयोग
2.	जहाजपुर	2	0.50	0.47	सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसियों द्वारा नियमानुसार स्वीकृति के अनुरूप किया गया है।
		वर्ष 1990-91			
1.	कोटड़ी	8	2.20	2.19680	"
2.	जहाजपुर	8	3.10	2.96244	"

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 1991—92			
1.	कोटड़ी	5	2.17	1.71489	,,
2.	जहाजपुर	12	7.70	7.57980	,,
		वर्ष 1992—93			
1.	कोटड़ी	13	4.20	3.88931	,,
2.	जहाजपुर	17	3.75	3.645	,,
		वर्ष 1993—94			
1.	कोटड़ी	3	0.60	0.65706	,,
2.	जहाजपुर	—	—	—	,,
		तीस जिले तीस काम योजना			
		वर्ष 1991—92			
1.	कोटड़ी	4	5.40	5.35823	,,

1	2	3	4	5	6
2.	जहाजपुर	8	6.71	6.97	,,
		वर्ष 1992—93			
1.	कोटड़ी	2.	2.97	1.75785	,,
2.	जहाजपुर	9	6.98	4.11	,,
		वर्ष 1993—94			
1.	कोटड़ी	—	—	—	,,
2.	जहाजपुर	6	5.64	4.70	,,

ह.

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

पदेन परियोजना निदेशक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाडा

(231)

परिशिष्ट–4

मैसिव योजना

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

पं. स. जहाजपुर — पं. स. कोटडी

वर्ष	डीजल पंप सेट		नया कुआं		पुराना कुआं		डीजल पंप सेट		नया कुआं		पुराना कुआं	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
89-90	102	335900/-	17	87376/-	4	12250/-	27	93900/-	12	36451/-	6	9300/-
90-91	89	418216	13	84190	2	4200	23	81400	8	46000	10	18000
91-92	66	320517	21	82342	9	25300	26	35884	10	41330	....	....
92-93	85	424276	....	....	....	....	31	100732	....	....	....	....
93-94 दिसम्बर, 93 तक	98	425966	2	18000	....	....	88	91200	....	....	....	....

ह0
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
पदेन परियोजना निदेशक
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

परिशिष्ट-5

जलोत्थान सिंचाई योजना

पंचायत समिति जहाजपुर

क्र. सं.	वर्ष	नाम योजना	क्रियान्वित योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) ऋण/कृषक हिस्सा	अनुदान	योग	व्यय राशि	मद (अनुदान) मैसिव	माडा	राज्य आयोजना
1.	89-90	सा. ज. सि. योजना	2	3.70	7.87	11.57	11.45	7.00	....	0.87
2.	90-91	,,	2	6,10	9.40	15.50	15.71	4.15	3.98	1.27
3.	91-92	,,	3	9.03	21.83	30.86	31.85	....	....	21.83
4.	92-93	,,	6	26.96	27.87	54.73	53.63	....	....	27.77
5.	93-94	,,	1	1.74	0.96	2.70	2.00	....	....	....

पंचायत समिति कोटड़ी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	89-90	सा. ज. मि. योजना	2	0.62	4.71	5.33	5.69	4.71	....	....
2.	90-91	,,	2	3.582	7.80	11.382	11.382	6.76	....	1.04
3.	91-92	,,	1	2.14	5.91	8.05	8.33	....	....	5.91
4.	92-93	,,	3	15.29	13.04	28.03	29.71	....	....	10.04

स्वीकृत राशि का उपयोग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमानुसार स्वीकृति के अनुरूप किया गया है।

ह0
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
पदेन परियोजना निदेशक
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

माडा योजना

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम मद	89-90		90-91		91-92		92-93		93-94	
		स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय
1.	कुवे गहरे कराना	64	115200	52	93000	15	27000	....	....	....	....
2.	एनीकट	10	900000	1	90000	1	98000	....	....	....	....
3.	डी. पी. एस.	21	210000	10	120000	12	144000	5	60000	....	....
4.	पशु शिविर	2	22000	3	35000	3	33000	3	33000	2	22000
5.	हिस्सा पूंजी अंशदान	159	79500	54	5400	51	5100	60	6000	80	8000
6.	शल्य शिविर	1	25000	1	40000	1	40000	1	40000	....	....
7.	आयुर्वेद शिविर	1	25000	1	40000	....	....	...	....	....	....
8.	हैण्डपम्प	11	165000	3	63000	1	23000	1	तेईस हजार 23000	28	42000

(235)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दुकानों हेतु अनुदान	11	22000	8	16000	3	6000	5	10000	....	....
10.	बैंक सेन्टर	1	55000	1	55000	1	55000	1	55000	....	....
11.	मु. कानूनी सहा.	....	....	....	....	3	1200	3	1200	3	1200
12.	ग्रामीण आवास	140	210000	29	43500	23	34500	28	42000	7	18200

ह0

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

पदेन परियोजना निदेशक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा

परिशिष्ट-7

बिखरी जनजाति योजना

पंचायत समिति, जहाजपुर

क्र. सं.	नाम मद	89-90		90-91		91-92		92-93		93-94	
		स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय	स्वी.	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	परचूनी दुकान	2	40000/-	1	1990/-	....	....	1	2000/-	1	1995/-
2.	सा. डी.पी.एस.	....	....	1	10000/-	....	....	....	....	....	....
3.	हिस्सा पूंजी अंशदान	....	....	....	....	....	....	5	500/-	9	900/-
4.	फ्लोरलास्टिंग	10	13500/-	....	....	....	....	1	1800/-	....	....
5.	हैण्डपम्प	....	....	....	....	1	21000/-	....	....	....	....
6.	ग्रामीण आवास	10	15000/-	....	....	....	....	....	....	2	3000/-

पंचायत समिति, कोटड़ी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	फीब्लास्टिंग	8	10500/-	....	....	6	8700/-	....	....	....	....
2.	हिस्सा पूंजी	....	....	5	500/-	18	1800/-	....	....	17	1700/-
3.	ग्रामीण आवास	5	7500/-	4	6000/-	5	7000/-	....	....	2	3000/-
4.	परचूनी दुकान	1	2000/-	1	2000/-	2	4000/-	2	4000/-	1	2000/-
5.	डी.पी.एस.	....	....	1	10000/-	2	24000/-	....	....	....	....

ह0

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

भीलवाड़ा ।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का विवरण

"परिशिष्ट—अ"

तीस जिले तीस काम एवं अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 दौरान जिलेवार राशि का आवंटन

(लाख रु में)

क्र.सं.	जिला	तीस, जिले तीस काम		अपना गांव अपना काम	
		1992—93	1993—94	1992—93	1993—94
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	68.88	67.92	22.50	....
2.	अलवर	90.52	90.56	27.50	....
3.	बांसवाड़ा	64.84	65.04	12.50	....
4.	बांरा	40.76	40.84	10.00	....
5.	बाड़मेर	81.68	81.60	15.00	....
6.	भरतपुर	63.48	62.96	22.50	....
7.	भीलवाड़ा	69.52	68.24	20.00	....

239

1	2	3	4	5	6
8.	बीकानेर	71.24	71.72	20.00	....
9.	बूंदी	36 64	18.28	10.00	....
10.	चित्तौडगढ़	69.28	69.36	17.50	....
11.	चुरू	71.28	71.52	17.50	17.50
12.	दौसा	39.60	44.92	10.00	....
13.	धौलपुर	29.64	29.40	7.50	....
14.	डूंगरपुर	47.08	47.08	10.00	....
15.	गंगानगर	119.56	119.52	55.00	55.00
16.	जयपुर	143.24	141.28	37.50	....
17.	जैसलमेर	56.08	28.00	5.00	....
18.	जालौर	52.68	52.64	12.50	....
19.	झालावाड़	42.48	20.86	12.50	....
20.	झुन्झुनूं	57.92	58.52	17.50	....
21.	जोधपुर	96 80	48.68	22.50	....
22.	कोटा	50.08	25.42	12.50	....
23.	नागौर	91.72	92.24	25.00	...

1	2	3	4	5	6
24.	पाली	66.80	65.72	20.00	....
25.	राजसमंद	36.24	34.80	10.00	20.00
26.	स. माधोपुर	92.72	88.20	22.50	....
27.	सीकर	68.32	68.68	20.00	....
28.	सिरोही	32.92	36.40	7.50	....
29.	टोंक	45.16	44.40	12.50	....
30.	उदयपुर	102.84	103.96	25.00	....
	योग	2000.00	1858.76	540.00	92.50

गत वर्षों की अवशेष राशि के उपयोगपरान्त जिलों से मांग आने पर राशि का आवंटन किया जाता है। इस क्रम में चुरू, गंगानगर एवं राजसमन्द को उनकी मांग अनुसार राशि का आवंटन कर दिया गया है।

परिशिष्ट—"ब"

92—93 एवं 93-94 में तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत पंचायत समितिवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार सूची

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत समिति	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1992-93 सड़क निर्माण कार्य				
1.	बम्बोली से खूटेटा कलां से शीतल	रामगढ़	5.00	4.85
2.	गोबिन्दगढ़ से खेड़ा महमूद	लक्ष्मणगढ़	5.00	5.00
3.	कोठी नारायणपुर से मजेडा	राजगढ	5.00	4.04
4.	टंहला बाईपास	—"—	2.73	2.66
5.	डहरा मालताना	थानागाजी	1.00	0.92
6.	थानागाजी से कोठी जोधावास	—"—	4.00	2.32
7.	अजबगढ से रामजी का ग्वारा	—"—	3.00	3.00
8.	पहुंच मार्ग भानगढ	—"—	8.96	6.98

1	2	3	4	5
9.	अलवर शहर से बाला किला	अलवर	13.42	14.00
10.	डहरा चूडसिद से हाजीपुर	उमरेन	5.00	5.00
11.	सौंखरी से कठूमर	कठूमर	5.00	1.82
12.	एन.एच. 8 से अहीर धर्मशाला आयुर्वेद चिकित्सालय, शाहजहांपुर	नीमराना	4.91	1.30
13.	वंटेरी से गूंता	बानसूर	5.00	4.63
14.	खोहरी से मुनगडा	मुंडावर	0.18	0.18
15.	सराय कलां से बल्लूवास	—"—	2.39	1.29
16.	रेल्वे स्टे. अजरवा से हरियाणा बार्डर	—"—	4.94	2.50
17.	खानपुर डागरान से जहांगीरपुरी	—"—	2.32	0.02
18.	कोटकासिम से बीलाहेड़ी कान्हडका	कोटकासिम	5.00	0.74
19.	खैरथल शहर में पक्की सड़कों का निर्माण	किशनगढ	2.50	2.43
20.	किशनगढ शहर में पक्की सड़कों का निर्माण	—"—	2.48	0.51
21.	तिजारा भीवाडी से मसीत	तिजारा	1.60	0.43
	योग		89.43	64.62

1993-94 (1) ट्यूब वैल निर्माण कार्य :

1	2	3	4	5
1.	बूढीबाबल	कोटकासिम	2.00	3.07
2.	माचा	किशनगढ	2.50	2.40
3.	पाटन मैवान	किशनगढ	2.00	2.23
4.	बर्ड़ोद में	बहरोड	2.50	2.93
5.	लच्छीवास	—"—	2.00	1.86
6.	कल्याणपुरा	—"—	2.50	2.90
7.	हमीरपुर	बानसूर	1.50	2.80
8.	अलवर स्कीम नं. 8	अलवर	2.00	1.42
9.	अलवर एरोड्रम	—"—	2.00	1.03
10.	राजगढ	राजगढ	1.00	1.01
11.	टहला राजगढ	राजगढ	1.50	0.38
12.	कठूमर	कठूमर	2.00	1.62

1	2	3	4	5
13.	मोजपुर	लक्ष्मणगढ	2.00	0.46
14.	बडेर	उमरैन	2.00	1.81
15.	पाडा	राजगढ	1.00	1.47
16.	हैरमर	थानागाजी	1.50	1.09
17.	बाम्बोली	रामगढ	2.00	3.00
	योग		32.00	31.48

246

क्रमांक	नाम कार्य/स्थान	पंचायत समिति	व्यय राशि
	(11) हैण्ड पम्प निर्माण कार्य (स्वीकृत राशि 12.50 लाख रु.)		
1.	मालाखेडा बाजार	राजगढ़	0. 49
2.	मेहतर कोली बस्ती	,,	0. 43
3.	बड़ी फील्ड महल के पास	,,	0. 49
4.	थाना रोड	,,	0. 55
5.	अनुसूचित बस्ती दहला रोड	,,	0. 47
6.	तहसील में	,,	0. 44
7.	बडी फील्ड महरीन	,,	0. 40
8.	आरटीओ ऑफिस के पास	अलवर	0. 50
9.	मोहल्ला अखेपुरा भौमिया	,,	0. 51
10.	गुंदपुर देहली रोड	,,	0. 40
11.	शिकारीबास (खरबास)	,,	0. 40
12.	जुबली बास का चौराया	,,	0. 43
13.	कच्ची बस्ती विवेकानन्द नगर	,,	0. 32
14.	महादेव बाबा का मंदिर शिकारीबास	,,	0. 35
15.	नया बास	,,	0. 40
16.	पी. एण्ड टी.आफिस, मोती डूंगरी	,,	0. 29
17.	स्कीम नं. 8	,,	0. 28
18.	स्कीम नं. 3	,,	0. 42
19.	स्कूल के पास करौली कुण्ड	,,	0. 38
20.	बाल भारती स्कूल के पास	,,	0. 41
21.	बोहरा मौल्ला, स्कीम नं. 7	,,	0. 45
22.	पार्क के पास, स्कीम नं. 2	,,	0. 39
23.	बुर्ज के पास दाऊदपुर	,,	0. 48
24.	बेरीवाला कप पटेल नगर (दो हैंड पंप)	,,	0. 80

क्रमांक	नाम कार्य/स्थान	पंचायत समिति	व्यय राशि
25.	मेहताबसिंह का नोहरा	अलवर	0. 46
26.	शिव कालोनी पटेलनगर	,,	0. 50
27.	विजय नगर	,,	0. 30
28.	जनकपुरी दाउदपुर	,,	0. 25
29.	रामनगर	,,	0. 31
30.	कर्मचारी कालोनी	,,	0. 30
31.	शास्त्री नगर	,,	0. 31
32.	मूंगसका	,,	0. 23
33.	चौधरी कालोनी खुदनपुरी	,,	0. 30
34.	मौहल्ला खोहरा	,,	0. 18
35.	सिरमोली ग्राम	किशनगढ़	0. 30
36.	मजेड़ा	,,	0. 17
37.	पलखड़ी	अलवर	0. 20
38.	रायबका	किशनगढवास	0. 24
39.	चिकानी	,,	0. 22
40.	गाजीका	,,	0. 13
41.	द्वारापुर	थानागाजी	0. 20
42.	सालेटा	,,	0. 17
43.	प्रतापगढ	,,	0. 15
44.	अजबगढ	,,	0. 19
45.	बीसा का बास	,,	0. 21
46.	थानागाजी	,,	0. 19
47.	आगर	,,	0. 14
48.	खाडा साहिवा	,,	0. 17
49.	कोला हेडा	,,	0. 23
50.	डेरा	,,	0. 36

1	2	3	4
51.	मंढा	थानागाजी	0. 36
52.	काला लाखा	,,	0. 36
53.	मैथना	लक्ष्मणगढ़	0. 27
54.	लक्ष्मणगढ	,,	0. 24
55.	हनीपुर	,,	0. 23
56.	केरवा जाट	रामगढ	0. 30
57.	खेरली रैल	कठूमर	0. 25
58.	शोभापुरा	राजगढ	0. 43
	योग		19.33

परिशिष्ट—"स"

वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में अपना गांव–अपना काम योजना के अन्तर्गत पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण :—

(राशि लाख रु. में)

क्र सं.	पंचायत समिति	1992–93			1993–94		
		कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	बानसूर	10	8.78	8.39	8	5.51	3.97
2.	बहरोड़	10	4.61	6.64	11	6.07	5.18
3.	कठूमर	23	13.03	13.22	6	3.54	6.05
4.	किशनगढ़	13	5.83	6.02	14	9.14	1.82
5.	कोटकासिम	18	11.70	7.55	12	6.98	10.02
6.	लक्ष्मणगढ़	6	2.62	6.86	1	0.44	2.09
7.	मुण्डावर	49	34.73	36.22	32	18.49	14.64
8.	नीमराणा	17	12.85	12.92	3	1.46	2.93
9.	राजगढ़	6	4.17	7.18	3	0.97	1.89

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	रामगढ़	15	7.26	9.30	12	11.69	12.53
11.	रैणी	11	9.03	13.50	8	5.93	5.11
12.	थानागाजी	3	1.70	4.15	3	3.10	3.37
13.	तिजारा	12	7.45	12.22	11	4.45	6.39
14	उमरैण	16	9.70	15.64	9	5.70	5.49
	योग :—	209	133.46	159.81	133	83.47	81:38

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 27, 1993

संख्या एफ. 11 (125) आर.एण्डपी./सकवि/ 46631 :-- राज्य सरकार मण्डल आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में, राजस्थान राज्य के लिये सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची जो कि संलग्न की गई है, को एतद्द्वारा सभी प्रयोजनार्थ राजस्थान में पिछड़े वर्गों की सूची के रूप में मान्यता प्रदान कर अधिसूचित करती हैं।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

संलग्नक

राजस्थान में पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची

क्र.सं.	पिछड़े वर्गों का नाम
1	2
1.	अगेर
2.	अहीर (यादव, गोप)
3.	असद
4.	बडेरा
5.	बाडवा
6.	बागडिया
7.	बाकड, बन्त
8.	बनचडा
9.	बंजारा, गामलिया, बलादिया, सिरकीवाला, लबाना यालमाना, मनु बंजारा, बामनिया बंजारा, बगोरा, डिगोरा
10.	बड़ाहार, बसोड
11.	बढई, अलवासा, बधाई, बाईवाल ढ़गेसर, ढ़िग्गर, जांगिड़ ब्राहाण भांगड़ा- ब्राहाण, कविगर, खाती खोकरमयाल, सुथार, तरखान, विश्वकर्मा
12.	बरार
13.	बरदा
14.	बरगुन्डा
15.	बासोर
16.	बवाचा, बामचा
17.	बेचारी
18.	भाम्टा, घन्टीचोर, परदेशी-भाम्टा
19.	भांनुमति
20.	भारूड़
21.	भाट, चारण
22.	भाहू (साग्रवंशी-माली)
23	भूजी, भड़भूजा
24.	बिरारिया
25.	चक्रवादिया-दसार
26.	चलवाडी, चमनयया

1	2	1	2
27.	चमना		मावची, पदवी, वासवा, वासवे और वालवीं शामिल है)
28.	चीता		
29.	चैना-दसारू, छैना-दसार, होलिया-दसार	51.	गनोहा
		52.	गिरी, गोस्वामी, गोसाई
30.	चिडार	53.	गोडी (मुस्लिम)
31.	छीपा, अपूरवा, भाटी, मगरवाल चौहान, छिप्पा, डायर, जसोद, नामा, नामदेव, पडिहार, पम्मार सोलंकी, सुरागे	54.	गोंड
		55.	गूजर, गुज्जर
		56.	हल्लीर
		57.	हलसार, हस्लार, हुल्लासवर, हलसवर
32.	चौधारा		
33.	डाकोत	58	हजूरी
34.	डकलारू	59.	हेला
35.	दमामी	60.	होलार, बल्हार
36.	दरोगा	61.	होल्या, होलर
37.	दर्जी	62.	जनवा
38.	देशान्त्री	63,	जुलाहा (हिन्दू और मुस्लिम)
39.	धाडी	64.	कबीरपंथी
40.	धाकड	65.	काछी
41.	धनोही	66.	जोगी, नाथ
42.	धीमर	67.	कहार, भोई
43.	धोबी	68.	कैकाडी, कोरच
44.	ओडिया	69.	कालेल
45.	ओर, कावकय्या, कंकैय्या	70.	कन्डेरा
46	डूबला	71.	कंगी, कंगीवाला
47.	गडरिया, चंडालिया, गडरिया, ग्वाला, घोसी, कबीरिया	72.	कानवी
48.	गाडिया-लोहार	73.	कीर
49.	गाडोलिया		
50.	गमित, गस्ता, गवित (जिसमें	74.	खन्ट

1	2	1	2
75.	खरोल	99.	मेरत-कथाट
76.	खटका	100.	मोघिया
77.	किरार	101.	मोगिया
78.	कोल	102.	मुकरी
79.	कोली- महादेव	103.	नाडिया,-हाडी
80.	कोरकू	104.	नगारची
81.	कोशती	105.	नाई
82.	कोतवाल	106.	नायक
83.	कुम्हार	107.	नव-बोद्ध, नीग्रो-बोद्ध
84.	लवेरा	108.	नेरिया
85.	लघा- लौहार	109.	श्रोड
86.	लखेरा	110.	परधी (जिसमें ग्रद्वी चिन्चर व फंसे-परधी भी शामिल हैं)
87.	लिगाडेर	111.	पटवा (फद्दाल)
88.	लोधी	112.	पिंजारा
89.	लोहार, जारडी, खुग्राडी, खुतवाला, लोहार गिरी, मालवी, पचाल, पंचोली, धुरावर, जार्डी	113.	पोमला
		114.	पोवारा
90.	लेक	115.	राईका
91.	महा- ब्राहाण	116.	रनवारी
92.	मल्हार	117.	राव
93.	माली	118.	रथावा
94.	मेहरा	119.	रावणा-राजपूत
95.	मेर	120.	रावत
96.	मेरार्सा, मिरासी	121.	रैबारी
97.	मेरत	122.	सद-सौसी (सेहर)
98.	मेरत-गोरत	123.	साधु

1	2
124.	सरबरा
125.	सतिया- सिंधी
126.	शैनवा, चेनवा, सेदमा, रावत्, शिन्धया
127.	शिगदेव, शिगाद्या
128.	सिकलीगर
129.	सिरकीवाल
130.	सोची
131.	स्वामी
132.	स्वर्णकार
133.	टाक
134.	तेली
135.	ठठेरा
136.	तिमाली
137.	वरली
138.	विठोलिया
139.	वितोलिया, कोतवालिया. बारोदिया
140.	जमराल

आज्ञा से,
कुशल सिंह,
शासन सचिव

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 27, 1993.

No. F. 11 (125) R&P/SWD/92-93/46631 :-The list of other Backward Classes, as included in the Mandal Commission Report and annexed herewith, is hereby recognised and notified as the list of Backward Classes for the State of Rajasthan for all purposes.

This order will come in force with immediate effect.

ANNEXURE

AUTHORIZED AND NOTIFIED LIST OF BACKWARD CLASSES IN RAJASTHAN

S. No.	Name of Backward Classes
1	2
1.	Ager.
2.	Ahir (yadav, Gope)
3.	Asada.
4.	Badera.
5.	Badwa.
6.	Bagdiya.
7.	Bakad, Bant.
8.	Banchada.
9.	Banjara, Gamalia, Baladia, Sirkiwala, Labana ro Lab-

1	2
	hana, Manu Banjara, Bamania Banjara, Bagora, Dlgora.
10.	Barahar, Basod.
11.	Barai, Atwasa, Badhai, Baiwal, Dagesar, / Dingar Jangid Brahman, Jhangra-Brahman, Kavigar, Khati, Khokar, Mayal, Suthar, Tarkhan, Vishwakarma.
12.	Barar.
13.	Barda.
14.	Bargunda.
15.	Basor.
16.	Bavacha, Bamcha.
7.	Bawari.
8.	Bhampta, Ghantichor, Pardesi-Bhampta.
9.	Bhanumati.
0.	Bharud
1.	Bhat, Charan.
2.	Bhauh (Sagavanshi-Mali).
3.	Bhuji, Bharbhuja.
4.	Birarea.
5.	Chakrawadya-Dasar.
6.	Chalvadi, Chamnayya.
27.	Chamana.
28.	Cheeta.
29.	Chena-Dasaru, Chenna-Dasar, Holaya-Dasar.
30.	Chidar.
31.	Chhipa, Apurba, Bhati, Bhagarwal, Chauhan, Chippa, Dayer, Jasod, Nama, Namdeo, Padihar, Pamsar, Solanki, Surage.
32.	Chodhara.
33.	Dakaut.
34.	Dakalaru.
35.	Damami.
36.	Darogo.
37.	Darzi.
38.	Deshantri.
39.	Dhadi.
40.	Dhakad.
41.	Dhanohi.
42.	Dhimar.
43.	Dhobi.
44.	Dhodia.
45.	Dhor, Kakkayya, Kankayya.
46.	Dubla.

1	2
47.	Gadaria, Chandalia, Gadaria, Gavala, Ghosi, Kabiria.
48.	Gadia-Lohar.
49.	Gadolia.
50.	Gamit, Gamta, Gavit (including Mavchi, Padvi, Vasave and Valvi).
51.	Ganohha.
52.	Giri, Goswami, Gosain.
53.	Godi (Muslim)
54.	Gond.
55.	Gujar, Gujjar.
56.	Halleer.
57.	Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar.
58.	Hazuri.
59.	Hela.
60.	Holar, Valhar.
61.	Holaya, Holer.
62.	Janwa.
63.	Julaha (Hindu and Muslim)
64.	Kabirpanthi.
65.	Kachhi.
66.	Jogi, Nath.
67.	Kahar, Bhoi.
68.	Kaikadi, Korach.
69.	Kalel.
70.	Kandera.
71.	Kangi, Kangiwala.
72.	Kanvi.
73.	Keer.
74.	Khant.
75.	Kharol.
76.	Khatka.
77.	Kirar.
78.	Kol.
79.	Koli-Mahadev.
80.	Korku.
81.	Koshti.
82.	Kotwal.
83.	Kumhar.
84.	Labera.
85.	Ladha-Lohar.
86	Lakhera.
87.	Lingader.
88.	Lodhi.
89.	Lohar, Jaradi, Khuadi, Khutwal, Lohargiri, Malvi, Pachal, Pancholi, Thurawar, Zaradi.
90.	Lek.
91.	Maha-Brahman.
92.	Malhar.
93.	Mali

1	2	1	2
94.	Mehra.	118.	Rathawa.
95.	Mer.	119.	Ravana–Rajput.
96.	Merasi, Mirasi.	120.	Rawat.
97.	Merat.	121.	Rebari.
98.	Merat–Gorat.	122.	Sad–Sausi (Sehar).
99.	Merat–Kathat.	123.	Sadhu.
100.	Moghia.	124.	Saradara.
101.	Mogia.	125.	Satiya–Sindhi.
102.	Mukri.	126.	Shenva, Chenva, Sedma, Ravat, Shindhaya.
103.	Nadia, Hadi.	127.	Shingdev, Shingadya.
104.	Nagarchi.	128.	Sikligher.
105.	Nai.	129.	Sirkiwal.
106.	Naik.	130.	Sochi.
107.	Nav–Budhists, Neo–Budhists.	131.	Swami.
108.	Neriya.	132.	Swarankar.
109.	Odd.	133.	Tak.
110.	Pardhi (incloding Advichincher and Phanse-Pardhi).	134.	Teli.
		135.	Thathera.
111.	Patwa (Phadal).	136.	Timali.
112.	Pinjara.	137.	Varli.
113.	Pomla.	138.	Vitholia.
114.	Powara.	139.	Vitolia, Kotwalia, Barodia.
115.	Raika.	140.	Zamral.
116.	Ranbari.		
117.	Rao.		

By Order,

कुशल सिंह,

Secretary to Government.

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची एवं विवरण

परिशिष्ट- अ

जिला सवाई माधोपुर में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की सूची।

क्र. सं.	योजना	नाम छात्रावास (अनुदानित)
1.	अनुसूचित जाति	1. करोली 1. गंगापुर शिटी 2. हिण्डोन 3. गंगापुर सिटी
2.	स्वच्छकार	1. सवाई माधोपुर 2. बोली
3.	अनुसूचित जनजाति	1. सवाई मधोपुर 2. खण्डार 3. नादोती 4. सवाई माधोपुर (कन्या) 5. सपोटरा 6. टोडामीम 7. सिवाड 8. बामनवास 9. मण्डरायल 10. ईसरदा 11. करोली

परिशिष्ट (ब)

जिला सवाई माधोपुर में संचालित छात्रावासों पर किये गये व्यय का विवरण (वर्ष 1990 से दिसम्बर 1993 तक)

वर्ष	योजना का नाम	मैस पर खर्चा	संवेतन	भवन किराया	यात्रा व्यय	अनावर्तक व्यय	चिकित्सा	कार्यालय	योग
90-91	अनु. जनजाति	640989	260340	75936	4992	2743	3003	10045	998048
	अनु. जाति	154328	71338	10800	2012	14492	5444	4994	263408
	स्वच्छकार	78003	38275	9600	986	7501	1464	2002	99556
91-92	अनु. जनजाति	796357	274834	111189	9501	69999	5572	13891	1282343
	अनु. जाति	248297	88384	31046	4993	30316	2936	5996	411968
	स्वच्छकार	99021	41838	33416	1996	....	1928	2010	180209
92-93	अनु. जनजाति	912559	350960	125052	17783	80499	8201	15452	1510506
	अनु. जाति	214315	114856	61339	10091	....	5430	6147	412178
	स्वच्छकार	121381	51956	19600	4169	....	2787	3956	203849
12/93	अनु. जनजाति	657436	258463	67319	7354	3744	3216	9690	107222
	अनु. जाति	221477	95448	30794	2819	....	1895	3970	356383
	स्वच्छकार	90784	50785	10400	1944	....	1497	1108	156488

परिशिष्ट—"स"

प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध सुविधायें :-

1. भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, तेल, साबुन, जुते की सुविधा हेतु 250/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से साढे नौ माह के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60 रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये प्रति छात्र पुस्तकें / स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं।

3. प्रति छात्र को उपयोग हेतु निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :-

   1. दरी
   2. दो कम्बल
   3. एक तकिया मय दो गिलाफ
   4. दो चादर
   5. एक गद्दा
   6. एक थाली
   7. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)
   8. दो कटोरी
   9. चारपाई या तख्ता
   10. अलमारी या लोहे का बक्सा

4. प्रत्येक छात्रावास में कठिन विषयों जैसे- गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को पढाने हेतु विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके लिये प्रत्येक विषय हेतु 200/- रुपये प्रतिमाह नवम्बर से फरवरी माह तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-15

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

[श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)]

चम्बल सिंचित क्षेत्र, कोटा के गांवों में सिंचाई समस्या

चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा परियोजना के तहत बूंदी जिला आता है। किसानों की निम्न समस्याओं को सुधारना अतिआवश्यक है।

1. जाखमूण्ड पंचायत के ग्राम तुलसी, जाखमूण्ड, रामपुरया बल्लौय पंचायत का कैथूदा ग्राम को एक बीघा भूमि भी सिंचित नहीं है अर्थात असिंचित है। नहर का जलस्तर नीचे है जमीन ऊपर है इस कारण लिफ्ट द्वारा पानी दिया जा सकता है जब तक पानी खेतों में नहीं पहुंचता तब तक असिंचित क्षेत्र माना जावें।

2. बून्दी विधान सभा की निम्न पंचायतों के सम्पूर्ण गांव के किसानों को भारी परेशानी है। देहित, तीर्थ, सुवासा, लाडपुर, मंथड़ा, लीलेड़ा, व्यासान, गुमानपुरा, दौलाड़ा, रामगंज, बरूधरा, सीतापुरा, तालेड़ा, जमीतपुरा, बाजड़, नौसाड़ा, बल्लोप सम्पूर्ण नहरों में मिट्टी भरी हुई है, पौधे लगे हुए है, जिससे पानी टेल तक नहीं पहुंचता है। ड्रेने सम्पूर्ण भरी हुई हैं कभी सफाई की नहीं गई इस कारण खेतों में पानी भर जाता है एवं पानी निकलने का रास्ता नहीं है अतः ड्रेनों एवं नहरों की तत्काल सफाई की व्यवस्था की जाय। सम्पूर्ण नहरों क्षेत्र की सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं। मरम्मत ही नहीं होती है। उपरोक्त कारणों से किसान क्षमता रखते हुए भी फसल पैदा नहीं कर सकता।

3. बांई मुख्यतः नहरे बूंदी जिले के लिये है एवं सम्पूर्ण नहरे बून्दी जिले में ही आती है परन्तु दुर्भाग्य हमारा यह है कि अधिकारियों एवं नेताओं ने मिलकर अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय कोटा में खोल रखा है जिससे अधिकारियों से मिलने के लिए बून्दी छोड़कर कोटा जाना पड़ता है। वहां पता चलता है अधिकारी तो क्षेत्र में गये अर्थात अधिकारी आराम करते है यानीकी कार्य में व्यस्त रहते है यह कार्यालय बांई मुख्य नहर के अधिशाषी अभियन्ता। बून्दी जिला मुख्यालय पर ही रहना चाहिये जिससे किसानों को पूरी सुविधा मिल सकेगी तथा अपनी समस्याओं को लेकर किसान अधिकारियों से मिल सकेगें।

4. बांई मुख्य नहर ड्रेनों एवं ग्राम राजस्व रास्तों को ठीक करने एवं सफाई करवाने के लिये अधिक बजट दिया जावे।

अतः मैं अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जावे एवं समस्याओं का समाधान कराया जावे।

[श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)]

रूपगढ़ पंचायत के प्रशासक द्वारा पानी के पूलों की नीलामी

विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की पंचायत रूपगढ़ के प्रशासक द्वारा दिनांक 17-11-93 को गोचर भूमि में जो पानी के पूलों की नीलामी पच्चीस हजार रुपये में कि गई थी। लेकिन जिस व्यक्ति मनोहर सिंह शेखावत के नाम अंतिम आखरी वाली थी। उसके द्वारा रुपये जमा नहीं करवाने के कारण नीलामी को रद्द कर दुबारा नीलामी की कार्यवाही की गई। लेकिन दिनांक 26-12-93 को होने वाली नीलामी को यह कह कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीकर ने इस आदेश से कि राज्य मंत्री महोदय पंचायत राज ने फोन पर निर्देश दिये हैं कि नीलामी को रोका जावे तथा श्री मनोहर सिंह शेखावत को ही यह पूलें दिये जावें। इसके कारण से पंचायत को 30-35 हजार रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि पंचायत राज मंत्री श्री शेखावत को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए ऐसी कार्यवाही की गई है।

मैं पंचायत राज मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप के द्वारा अवैधानिक आदेश से पंचायत रूपगढ़ को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उस नीलामी को पुनः करने के आदेश प्रदान करें।

[श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)]

कोथून से श्यामपुर कलां तक सड़क निर्माण

पंचायत समिति क्षेत्र लालसोट में पंचायत कोथून से श्यामपुरा कलां तक सड़क की स्वीकृति 8-10 वर्ष पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गयी थी। जिसका कार्य भी विभिन्न ठेकेदारों से करवाया गया। सड़क का कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया तीन-चार वर्ष से उक्त सड़क का कार्य बन्द है। सम्बन्धित ठेकेदार ने उक्त सड़क का कार्य अन्य ठेकेदार द्वारा करवाये जाने पर आपत्ति करके जयपुर के मुन्सिफ न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया गया। विभाग द्वारा उक्त स्थगन का जवाब समय पर भी देने के कारण करीब 2 वर्ष तक उक्त सड़क का कार्य अन्य ठेकेदार से करवाऐ

जाने पाबन्दी लगी रही । माननीय मन्त्री जी का ध्यान विधान सभा प्रश्न के द्वारा पिछले सदन में दिलाये जाने पर विभाग ने कार्यवाही करके करीब 1 वर्ष पूर्व स्थगन आदेश को रद् करवा लिया गया । परन्तु आज तक भी सड़क का कार्य शुरू नहीं किया जा सका । तीन-चार वर्ष तक कार्य बीच में रुकने के कारण उक्त सड़क जीर्ण शीर्ण हालत में हो गयी है । सड़क पर एक-एक फीट गहरे गड्डे हो गये है यातायात के लिए आना-जाना मुश्किल हो गया है । पहले की वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य करवाना मुश्किल है । जब तक विभाग को अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाती है तब तक कार्य करवाना मुश्किल है अतः सरकार उक्त सड़क की शीघ्र कार्य करवाने का निर्देश देकर जनता को हो रही कठिनाइयों को दूर करे । एवं जिन अधिकारियों की वजह से विभाग पर जो अतिरिक्त वित्तीय भार हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय की जावे ।

[श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)]

खैरवाड़ा के पुलिस थाना, पहाड़ा में जीप की आवश्यकता

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस स्टेशन पहाड़ा गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है । और इस थाने का 60 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र गुजरात राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है । और इतने लम्बे क्षेत्र में तस्करी होना छोटे मोटे झगड़े व अपराध होना साधारण सी बात है । लेकिन घटना स्थल पर पुलिस का बिना किसी साधन के पहुंचना अत्यन्त कठिन कार्य है । और महत्वपूर्ण थाने को जीप बहुत पहले ही मिल जानी चाहिये था लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं देने से अभी एक जीप नहीं मिल पाई है ।

इसके साथ ही इस थाना क्षेत्र में संपूर्ण जनजाति समुदाय के लोग बसते हैं जो दूर दूर बहुत बड़े भू-भाग में रहते हैं । इसलिए इस थाने का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है । जहां पर आये दिन झगड़े-टन्टे होते रहते है ।

लेकिन समय पर पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाता है । क्यों कि पुलिस के पास कोई साधन नहीं है । और इस सम्बन्ध में मैं विधान सभा में बार बार मांग करता आया हूं ।

लेकिन बड़े खेद की बात है कि अभी तक विभाग ने पुलिस स्टेशन पहाड़ा को जीप एलोट नहीं की गई है ।

मैं पुनः राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि पुलिस स्टेशन पहाड़ा को एक जीप एलोट कराने की तत्काल कार्यवाही की जाय।

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

गूलर के बांध के अधूरे कार्यों का निर्माण

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुहाना तथा कल्याणपुरा के मूलर के बन्धा के लिये सरकार ने धनराशि लगभग 6 माह पूर्व मंजूर की है फिर भी उस पर आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। किसानों के खेत सूख रहे हैं उसी से जुड़ी नेवटा ग्राम में चिडोता का बन्धा भी टूटा पड़ा है उसका सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है।

इस तरह उपरोक्त जनहित के कार्यों को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार तथा सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षण कर अनुरोध है कि यह कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाय।

[श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)]

जैतारण कृषि मण्डी के सड़क प्रस्तावों की स्वीकृति

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कृषि मंडी जैतारण द्वारा पिछले चार साल से लगातार प्रस्ताव भेजे जाते हैं। परन्तु अभी तक एक भी सड़क की वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जब कृषि मंडी ने कृषि विपणन बोर्ड से लोन भी ले रखा है। व कृषि मंडी की आय भी अच्छी है। इसलिए निवेदन है कि खिनावड़ी की प्याऊ से सांगावास 2.30 कि.मी. पंचायत व समोखी से मोटराई ग्राम पंचायत व ग्रोडावड पंचायत से बलाड़ा पंचायत व ग्रा. काल से फालडा पंचायत 5 कि.मी की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करा ग्रामवासियों को अनुग्रहित करावें।

[श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)]

डेगाना के गांव व ढाणियों में पेयजल समस्या

विधान सभा नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के अनेक ग्रामों एवं ढाणियों की गम्भीर पेयजल समस्या के

बारे में सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पिछली विधान सभा 1990-92 के दौरान भी कई बार क्षेत्र डेगाना की गम्भीर पेयजल समस्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया था परन्तु आज तीन वर्ष बाद भी क्षेत्र की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हम सब देश को इक्कीसवीं सदी की तरफ ले जाने की बात कर रहे है परन्तु अनेक ग्राम एवं ढाणियां ऐसी है जिनमें ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति हेतु मारा-मारा फिरना पड़ रहा है। डेगाना क्षेत्र के निम्न ग्राम पेयजल की समस्या से भयंकर रूप से ग्रस्त है—

बरणा, मीठडिया, मांझी किरोदा, जाखेडा, राजपुरा, जालसू खुर्द पंडवाला, बेरिया रावां, कुम्हारो की ढाणी, आच्छोंजाई, चोलियास, बिचुपडी बांडकी ढाणी, राजोद, बुटारों, शोतलसर की ढाणियां, उदियास, गोल, मोरियाणा, रेगरों की ढाणी, शाहपुरा, मथानियों, किल्ला, लाधीना, देवगढ़, आलनियावास, सूरतगढ, रावत खेड़ा, बनजारों की ढाणी, बनवाडा, रोहीसडा, डेरपुर की ढाणी, सथानी, पीपलिया, सोवा की ढाणी, नुन्द की ढाणी, राजपुरा, कवाल, छावोंली खारी, खुडीकलां, कायमथानियों की ढाणी, मेहराणा आदि कई ग्रामों की योजनायें कभी की स्वीकृत हुई हैं परन्तु अभी तक क्रियान्विति नहीं हो सकी है। बार-बार अधिकारियों से निवेदन करने पर भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अधिकतर ग्रामों में पेयजल का वितरण समय पर नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूरी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे समय पर जल वितरण नहीं हो रहा है। कई ग्रामों में पेयजल की बिल्कुल सुविधा नहीं हैं उनमें गंवाई कुए पानी भारी है एवं पर्याप्त मात्रा में है और ग्रामवासी पीने को तैयार है. अतः उक्त कुओं पर मोटरे लगा कर अविलम्ब चालू किया जावे। आने वाली गर्मी के मौसम में इस समस्या के उग्र रूप धारण करने की संभावना है। अतः इस प्रकरण पर शीघ्र ध्यान देकर इस समस्या के तुरन्त समाधान हेतु कार्यवाही की जावे।

[श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)]

मण्डावा के गांवों के कुओं में खारा पेयजल

उपरोक्त नियम के अन्तर्गत मैं मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के खारे पानी के गांवों की समस्या को उठाना चाहता हूं। यह समस्या अति लोक महत्व की है।

"मण्डावा विधान सभा क्षेत्र जिला झुन्झुनूं में करीब 150 गांव ऐसे हैं जिनके कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है। पानी खारा है तथा फ्लोराइड युक्त है। इस

समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने 1972 में लूटू कोलिण्डा क्षेत्र जल-योजना बनाने की स्वीकृति दी थी । इस योजना में सिर्फ 40 गांवों को ही शामिल किया गया था, इस योजना से सिर्फ 5-7 गांवों को ही पानी सप्लाई किया जा रहा है । शेष गांवों को महीने में 1-2 बार से अधिक नहीं मिलता है । कुछ गांवों में तो साल में भी एक बार नहीं पहुंचता है जैसे ख्याली बाडेट और चिमनपुरा आदि गांवों में यही हालत है । विभाग को कई दफा आगाह किया गया परन्तु कोई सुधार नहीं आया । कुओं में पानी कम हो जाना, बिजली की कमी आदि बहानों के आधार पर बात को टालते रहे हैं । यह क्षेत्र चुरू जिले की राजगढ़ और तारानगर तहसिलों की सीमा से मिलता है । तारानगर तहसील के गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से सावा हेड से पीने के पानी की योजना बनाकर इन्हें जल उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत है ।

हमने भी 16 नवम्बर, 1983 को तत्कालीन मुख्यमंत्री का ध्यान इस तरफदिला कर इस क्षेत्र को भी उस योजना में शामिल करने का आग्रह किया था। उसी दिन ग्राम मलसिसर में मुख्यमंत्री जी ने इन गांवों के लिए भी योजना बनाने की घोषणा की थी । उसके बाद वर्ष 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेवजी जोशी ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि झुंझुनूं जिसके अलसीसर क्षेत्र के खारे पानी के गांवों को झुंझुनूं तथा बिसाऊ कस्बों सहित इंदिरा गांधी नहर की सावा योजना से जोड़ कर लिफ्ट से पानी दिया जावेगा तथा इसी के साथ यह भी घोषणा की थी कि सीकर शहर सहित फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ के खारे पानी के गांवों को भी और इन तीनों शहरों को भी पीने का पानी लिफ्ट से दिया जावेगा ।

अभी पिछले वर्ष में जर्मन सरकार से सहयोग लेकर गंगानगर, चुरू तथा झुंझुनूं जिलों के 800 गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से पीने के पानी की योजना बनाई थी । यह सरकार की योजना तथा निर्णय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया था । इस जर्मन सहयोगी योजना में झुंझुनूं के भी 96 गांव खारे पानी के शामिल किये गये थे परन्तु अभी विदित हुआ है कि गंगानगर तथा चुरू के ही गांवों को शामिल किया गया है । तथा झुंझुनूं जिले के खारे पानी के गांवों के लिए कोई तजबीज राज्य सरकार नहीं कर रही है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी झुंझुनूं का कोई जिक्र नहीं है जबकि गंगानगर तथा चुरू का उल्लेख किया गया है । झुंझुनूं जिले को भी जर्मनी के सहयोग से बनने वाली जल सप्लाई योजना शामिल कर इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी दिया जावे ।

मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा समुचित कार्य योजना बनाने हेतु धारा 295 के तहत यह मामला उठा रहा हूं ।

[श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)]

पुष्कर सरोवर की सफाई

पुष्कर हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ है । पुष्कर राज का कोई मन्दिर नहीं है, जल कुण्ड ही पुष्कर राज है अतः तीर्थ के रूप में इस कुण्ड का ही महत्व है । यदि यह जलाशय पानी के अभाव में जलाशय नहीं रहता है तो तीर्थ राज पुष्कर नहीं रह जाएगा ।

पुष्कर सरोवर में वर्षा का पानी आता है और वर्षा के पानी के साथ मिट्टी भी इस सरोवर में लगातार आती रही है और परिणाम यह हुआ है कि सरोवर में केवल दो फुट गहरा पानी रह गया है और वह भी भराव क्षेत्र के कुछ हिस्से में । सरोवर का जलस्तर कम होते रहने के कारण से हिन्दु धार्मिक जनता का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है । यह तीर्थस्थल केवल राजस्थानवासियों का ही नहीं है, यहां तो सारे देश के लोग और पूरे वर्ष भर तीर्थ राज में स्नान करने और पूजा अर्चना के लिए आते हैं । अतः सरोवर की मिट्टी निकाले जाने के लिए यहां कई बार कई संगठनों ने आन्दोलन किए हैं । खुदाई पर नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा अब तक करीब 16 लाख से अधिक धनराशि भी व्यय की जा चुकी है । मिट्टी रोकने के लिए चैक डम का निर्माण कार्य भी हुआ है, परन्तु समस्यां अभी हल नहीं हुई है । वर्षा के दिनों में इस पवित्र सरोवर में गंदा पानी भी जाता है । साथ ही पानी कम होने से सरोवर की मछलियों की हालत भी खराब है ।

इन परिस्थितियों में मै इस गम्भीर समस्या को सदन में इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए ध्यान में लाना चाहता हूं और सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के तुरन्त और स्थाई समाधान के लिए सरकार से यह अपेक्षा की जाय कि वह इस संबंध में एक समयबद्ध एवं ठोस कार्यवाही करने के लिए सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाये ।

[श्री बद्री प्रसाद गुरु जी (माण्डलगढ़)]

बिजोलिया एवं ऊपर माल में पेयजल समस्या

ऊपरमाल क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है अभी तक भी दिक्कते आनी शुरू हो गयी है । गर्मी में कई क्षेत्रों में विशेष कर खनन क्षेत्रों मे टैंकरों

268

द्वारा पानी पहुंचाया जाना पड़ता है। अतः इस दिशा में स्थाई समाधान अत्यावश्यक है।

1. बिजोलिया :—बिजोलिया कस्बा बड़ा है। पानी की योजना 25 वर्ष में लागू हुई परन्तु उस समय की बिजोलिया और आज की बिजोलिया की आबादी में बहुत ही अन्तर आ गया है। आबाद विस्तार काफी बढ़ गया है। कस्बे की जलवितरण व्यवस्था काफी पुरानी है। आज भी वहां एक ही समय पानी दिया जा रहा है। इस योजना को दुबारा बनाने व स्वीकृति दिला कार्य कराने की सख्त आवश्यकता है। टंकी बड़ी एस. आर. की आवश्यकता है मैन पाइप लाईन बड़ी डालने और आगे लगे इसकी आवश्यकता है कम से कम दो ट्यूबवेल और लगे इसकी आवश्यकता है। डाइरेक्ट सप्लाई होने से पानी का दबाव नहीं बनाते है और कई मौहल्लो में पानी नहीं पहुंचता है। अतः आने वाले बीस वर्षों को ध्यान में रखें, टंकी बन जाने की स्वीकृति व पाईप लाईन की स्वीकृति पानी के नये सोर्स पैदा करने की स्वीकृति अति-आवश्यक है।

बिजोलिया को फिल्टर प्लान्ट चालू करने के सम्बन्ध में :—

बिजोलिया ग्राम में नदी से व मण्डोल बांध से पानी की सप्लाई होती है। फिल्टर प्लान्ट चालू न होने से गांव की जनता को गन्दा पानी पीना पड़ता है जिससे बीमारी हो जाती है फिल्टर प्लान्ट को बने हुए करीब डेढ वर्ष हो गये है। परन्तु कोई तकनीकी कमी होने से चालू नहीं हो पाया है। अतः बिजोलिया ग्राम में फिल्टर प्लांट को अविलम्ब चालू कराने की अधिकारियों को तुरन्त निर्देश प्रदान करें।

आदरणीय बिजोलिया ग्राम के लिये रिओर्गेनाईजेशन वाटर सप्लाई स्कीम 1 करोड़ 22 लाख को बनाकर केन्द्र सरकार के पास भी भिजवाई गई है। इस पर ध्यान दिला वहां पर यह स्कीम अटकी हुई है। इसको देखकर इस स्कीम को स्वीकृत कराने की कार्यवाही करा चालू करानें का कष्ट कराये जिससे आने वाले 50 वर्षों तक बिजोलिया की जनता कम से कम पानी की समस्या से निजात पा सके तथा संकट दूर हो सके।

आशा है श्रीमान इस ओर ध्यान दिला इसे पूर्ण कराने का कष्ट करायेंगे।
पवानपुरा स्कीम :—उपरमाल क्षेत्र में जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि पीने के पानी की भयंकर समस्या है यह स्कीम 42 गांवों की स्कीम है। सन् 88 से यह स्कीम स्वीकृत हुई थी काम चालू हुआ था। परन्तु आज 94 में केवल आठ गांवों तक पानी पहुंचा है व भी नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं पहुंच रहा है। सलवादिया आदि गांव

वाले सप्लाई व्यवस्था नहीं होने से परेशान रहते है। जी. एल. आर. 42 ही गांवों में बन चुकी है परन्तु न जाने कब पानी पहुंचेगा। टंकिया सीमेन्ट की बनी हुई है। पानी न पहुचने से गर्मी में वैसे ही खराब हो जायेगी। गाँवों में पानी की सप्लाई नियमित न रहने का कारण सीमेन्ट के पाईप का घट जाना भी है। उपरमाल क्षेत्र खन्न क्षेत्र है यहां पर ए. सी. पाइप ही लगाये गये जबकि कई जगह सी. आई. पाइप लगाने की आवश्यकता है। अतः दबाव वाले क्षेत्र में जहां रॉक्स है वहां सी. आई. पाइप लगाने की स्वीकृति दिलाये और इस पर पूरी वित्तीय स्वीकृति दिला कर अधिकारियों को निर्देश दिला पानी की समस्या उपरमाल क्षेत्र में खतम कराने का इस योजना को चालू कर कष्ट करावें।

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

अवैध वीडियोकोच बसों का संचालन

डूंगरपुर से जयपुर प्राईवेट वी.डी.ओ. कोच निम्न चल रहे है :—

1—आर. जे. 14-पी. ओ.-977

2—आर. जे. 14-पी. ओ-263

3—आर. जे. 14-पी. ओ. 280

4—आर. जे. वाई, 1747 चल रहो है इन गाड़ियों में यात्रियों को बैठने के लिये भारी परेशानियां उठानी पड़ती है सीटें सकड़ी तथा कम दूरी की होने से यात्री अपने पैर लम्बे भी नहीं कर सकता है साथ ही गाडियां इतनी रफ्तार से चलती है कि यात्रियों के माथा फूटने की नौबत आ जाती है ये सारी गाडियां अवैध चलाई जा रही है आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये गाडियां तुरन्त बन्द की जाये और अच्छी कंडीशन रोडवेज की सुपर डीलक्स गाड़ियां चलाई जावे ताकि इतनी लम्बी दूरी के यात्रियों को डूंगरपुर से जयपुर एवं जयपुर से डूंगरपुर पहुंचने में यात्रियों को सुविधा पूर्वक पहुंचा जा सके।

श्रीमान् मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से यह भी निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर से जयपुर सिल्वर लाईन निगम वाहन चलाई जावे।

धन्यवाद।

(270)

[श्री कन्हैया लाल (बस्सी)]

ढूंढ नदी पर पुल निर्माण एवं चाकसू से दौलतपुरा व सामरिया से देहलावाला तक सड़क निर्माण

आपके माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर के मध्य से नेशनल हाइवे आगरा रोड, सवाई माधोपुर दौसा आदि जिलों से हजारों यातायात के साधन वाया तूंगा, कोटखावदा, चाकसू, टोंक, कोटा रोड़ में मिलती है। इनके मध्य ढूंढ नदी पड़ती है जिसके कारण हर वर्ष वर्षा के समय यातायात पूरी तरह से बंद हो जाता है जिससे आगरा रोड़ व सवाई माधोपुर से आने वाले हजारों वाहनों को वापस 52 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आने पर मजबूर होना पड़ता है तथा क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों के कृषकों को तो कृषि उपज मंडी चाकसू में अपनी उपज, बीमार आदि को लाने ले जाने में नदी से होकर या तो पैदल चलकर पार करना पड़ता है या 52 कि.मी. का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नदी पर प्रति वर्ष 5 लाख से 20 लाख रुपये तक खर्चा आता है तथा वर्षा में नदी के बहाव में चला जाता है। मैं चाहूंगा कि इस नदी पर पुल बनाया जावे जिससे आम जनता को राहत मिले। साथ ही कोटखावदा (चाकसू) क्षेत्र के करीब 167 गांव ऐसे हैं जिनका यदि सर्वे करवाया जावे तो राजस्थान में, बाडमेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है तो आप पायेंगे कि इन 167 गांवों की जनता की दशा उक्त तीनों जिलों की जनता से ज्यादा दयनीय होगी। यह कि यहां करीब 60-60 कि. मी. में मात्र अकाल राहत के तहत मिट्टी की सड़कों के अलावा अन्य एक भी पक्की सड़क से कोई पंचायत हेडक्वार्टर नहीं जुड़ा हुआ है। ये गांव 1971 में तो क्या इनमे सन् 2000 तक भी 1000 आबादी नहीं बस सकती है। क्योंकि पंचायतों में 14-14 छोटे-2 गांव काफी दूरी पर बसे हुए हैं।

अतः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कम से कम दो सड़क चाकसू से दौलतपुरा तथा सामरिया से देहलावाला तक जहां अकाल में मिट्टी का काम हो रहा है वहां सड़क निर्माण कराने की इस वर्ष स्वीकृति दिये जाने की कृपा करें।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

जहाजपुर क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा 1989-90 से स्वीकृत निम्नांकित पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन न होकर जनता को पेयजल सुविधा सुलभ न होने से योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की जनता पेयजल समस्या से पीड़ित होकर गहरा असंतोष का वातावरण बना हुआ है।

1. बिहाडा जागोलाई गंधेर, मगरपुरा, भोपालपुरा भीमपुरा, ढीढोडामाफी टिटोडी ढगारिया मोपालपुरा ग्रामों की क्षेत्रीय योजना

2. धुंआला, केशव विलास मोतीपुरा कालावाटा गांगीतला कुराडिया आदि ग्रामों की क्षेत्रीय योजना।

3. कांटी अमर पुरा छापरेल मोडिया खेडा बिसनया बूंती आगरिया बोरडा आदि ग्रामों की क्षेत्रीय योजना।

उपरोक्त तीनों क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं का अभी तक चार वर्ष में पूर्ण निर्माण नहीं होने उप क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय की पराकाष्ठा तथा पेयजल समस्या जैसी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता को अनदेखी करना गंभीर अक्षम्य है।

इन योजनाओं का निर्माण गुणवत्ता की दृष्टि से इतना खराब स्तर का है कि पाइप लाइनें टूट गई तथा टंकियों में भी चालू होने के साथ ही रिसाव हो गया तथा जनता को योजनाओं को पूर्ण बताकर अभी तक भी नियमित पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसमें विभाग की उदासीनता निष्क्रियता और समस्या के प्रति गंभीर अनुत्तरदायित्व का निश्चय ही लोककल्याणकारी सरकार के लिए विचारणीय है।

इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होकर धन के दुरुपयोग तथा गुणवत्ता के अभाव की स्थिति को नजरन्दाज नहीं किये जाने के साथ ही इन योजनाओं के

(272)

सम्मिलित समस्त ग्रामों को तत्काल पेयजल उपलब्ध कराया जाना जनता की सर्वोच्च और जीवन के लिए आवश्यक मांग है।

मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में इन योजनाओं में हुए घपलेबाजी तथा गुणवत्ता की जांच और तत्काल युद्धस्तर पर त्वरित निर्माण कार्य पुरा कर क्रियान्वयन की मांग करता हूं ताकि ग्रामों की जनता पेयजल की किल्लत से मुक्ति पा सके।

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

अलवर शहर में पेयजल संकट

अलवर शहर में पानी की भारी कमी है :-

1. पुरानी पाइप लाइन बदलनी चाहिये क्योंकि पैंतीस साल करीब की डाली हुई है। पाइप लाइन डेढ इंच की डली हुई है और जंग लगने से और छोटी हो गई है। इसके अलावा आबादी भी बढ़ गई है कनेक्शन बढ़ गए हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आप नई पाइप लाइन डलवाये जाने का कष्ट करें।

2. टयूब वैल लगाया जाय जिससे पानी की कमी दूर हो। अलवर वाटर वर्क्स से 30 टयूब वैल की मंजूरी हेतु सरकार को लिखा है।

3. 65 हैण्डपंप गांव और शहर मिलाकर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है।

नोट :-गांव और शहर में भारी पानी की कमी है पानी की कमी से जनता में आपसी लड़ाई- झगडे एवं भारी रोष व्याप्त है तथा इस समय सर्दी में भी पानी की भारी कमी है तो गर्मी में क्या होगा ? अत : यह अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है आप कृपा करके चर्चा को अनुमति दें।

धन्यवाद।

[श्री हीरालाल (बामनवास)]

बामनवास के गांवों में विद्युत की अव्यवस्था

पंचायत समिति बोली के गांवों में बिजली की भारी अव्यवस्था होने के कारण किसानों में भारी जन असन्तोष है किसानों को खेती के लिए बिजली

समय पर एवं पर्याप्त नहीं मिल रही है अनेकों गांवों में तो दो-दो दिन तक नहीं मिलती है। ग्राम कुशलपुरा में पर्याप्त क्षमता का ट्रान्सफार्मर नहीं होने के कारण बारी बारी से विद्युत का वितरण किया जाता है। काफी समय से बोर्ड द्वारा कुशलपुरा में 1 एम.बीरे का ट्रान्सफार्मर बेकार दिखावे के लिए पड़ा हुआ है। बौली 33 के. वी. पर सवाई माधोपुर से विद्युत दी जा रही है। जबकि बौली में कृषि कनेक्शनों को देखते हुए 1.32 लाख का सब ग्रेड होना चाहिए। जिसका निर्माण करने की कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है। बामनवास तहसील का सहायक अभियन्ता कार्यालय नादौती में होने के कारण बामनवास पंचायत समिति के सभी गांव विद्युतीकृत होने के बाद भी अनेको गांवों में विद्युत लाइने नहीं खीची गयी है और नहीं उन गांवों में कृषि के लिऐ कनेक्शन नहीं दिए गये है पंचायत समिति बामनवास के लिए अलग से सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं होने के कारण सभी ग्राम उपभोक्ताओं को नादौती जाना पड़ता है जो व्यवहारिक नहीं है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि बौली पंचायत समिति के गांवो को ठीक से विद्युत वितरण के लिए 1.32 लाख का सब ग्रिड स्टेशन बनाने की शीघ्र स्वीकृत दे एवम् बामनवास पंचायत समिति के लिए अलग से ग्राम पिपलाई में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर ग्राम उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करे।